VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अक्टूबर 2024

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

फाउंडेशन कोर्स

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI: 20 नवंबर, 8 AM | **JAIPUR: 16 दिसंबर**

JODHPUR: 3 दिसंबर | प्रवेश प्रारम्भ **BHOPAL | LUCKNOW**

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम

सिविल सेवा परीक्षा 2024

हिंदी और अंग्रेजी माध्यम

15 अक्टूबर

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेषताएं

प्री–DAF सेशन: यह DAF में भरे जाने वाले एक–एक पॉइंट की सूक्ष्म समझ और व्यक्तित्व के वांछित गुणों को प्रतिबिंबित करने के लिए सावधानीपूर्वक DAF एंट्री में सहायक है।

DAF एनालिसिस सेशन: अपेक्षित प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के बारे में सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स के साथ DAF को लेकर गहन विश्लेषण और चर्चा।

एलोक्यूशन सेशन: इसमें डिस्कशन और पीयर लर्निंग की सहायता से कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने तथा उसे बेहतर बनाने एवं व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।

मॉक इंटरव्यू सेशन: व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी को और बेहतर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स, भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट्स एवं शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन।

व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन: हमारे डेडिकेटेड सीनियर एक्सपर्ट के सहयोग से व्यक्तित्व परीक्षण की समग्र तैयारी व बेहतर प्रबंधन तथा अपने प्रदर्शन को अधिकतम करना।

करेंट अफेयर्स की कक्षाएं: करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए।

टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरैक्शन: प्रश्नों के ठोस समाधान, इंटरैक्टिव लर्निंग एवं टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के अनुभव से प्रेरणा लेने के लिए इंटरैक्टिव सेशन।

प्रदर्शन का मूल्यांकन और फीडबैक: अपने मजबूत एवं सुधार करने वाले पक्षों की पहचान करने के साथ–साथ उनमें आगे और सुधार करने एवं उन्हें बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक।

मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग: स्व–मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी दिया जाएगा।

Scan QR CODE to watch How to Prepare for UPSC Personality Test

DAF एनालिसिस और मॉक इन्टरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें

7042413505, 9354559299

interview@visionias.in

अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें

AHMEDABAD | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI | SIKAR

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) ____ 4

1.1. जन योजना अभियान ____ 4

1.2. निःशुल्क विधिक सहायता ____ 6

1.3. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 ____ 9

1.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 13

1.4.1. सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए ____ 13

1.4.2. नागरिकता अधिनियम की धारा 6A ____ 13

1.4.3. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ____ 14

1.4.4. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ____ 14

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ____ 16

2.1. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत-चीन समझौता 16

2.2. भारत-मालदीव संबंध ____ 20

2.3. भारत-कनाडा संबंध ____ 22

2.4. आसियान ____ 24

2.5. ब्रिक्स ____ 28

2.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 32

2.6.1. भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर किए ____ 32

2.6.2. भारत-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) लागू हुई ____ 32

2.6.3. कमिटी ऑफ़ टेन (C-10) ग्रुप ____ 33

2.6.4. यूनाइटेड किंगडम (UK) ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंप दी है ____ 33

2.6.5. एनाकोंडा रणनीति ____ 34

2.6.6. फिलाडेल्फी कॉरिडोर ____ 34

2.7. शुद्धिपत्र ____ 35

3. अर्थव्यवस्था (Economy) ____ 36

3.1. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ____ 36

3.2. B-रेडी इंडेक्स ____ 39

3.3. भारत की लघु कंपनियों का विस्तार ____ 42

3.4. पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ____ 43

3.5. मेक इन इंडिया के 10 वर्ष ____ 47

3.6. भारत में निर्धनता ____ 50

3.7. वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 और सामाजिक उद्यमिता 53

3.8. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन) ____ 56

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 58

3.9.1. जिम्मेदार पूंजीवाद ____ 58

3.9.2. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) ____ 59

3.9.3. इनपुट टैक्स क्रेडिट ____ 60

3.9.4. निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों में छूट योजना 60

3.9.5. भारतीय रिजर्व बैंक ने MIBOR बेंचमार्क पर समिति की रिपोर्ट जारी की ____ 60

3.9.6. मौद्रिक नीति संचरण पर RBI का अध्ययन ____ 61

3.9.7. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार ____ 62

3.9.8. UPI 123 और UPI लाइट ____ 63

3.9.9. केयरएज ने अपनी पहली सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जारी की ____ 63

3.9.10. ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम (GFFF) का शुभारंभ ____ 64

3.9.11. कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनिक्वेलिटी (CRI) सूचकांक, 2024 जारी किया गया ____ 65

3.9.12. अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2021-22 ____ 66

3.9.13. सरकार ने अपतटीय क्षेत्र परिचालन अधिकार नियम, 2024 अधिसूचित किए ____ 66

3.9.14. राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) ____ 67

3.9.15. हैंड-इन-हैंड (HIH) पहल ____ 68

3.9.16. राष्ट्रीय कृषि संहिता ____ 68

3.9.17. केंद्रीय रेशम बोर्ड ____ 69

3.9.18. हमसफर पॉलिसी ____ 69

3.9.19. क्रूज़ भारत मिशन (CBM) शुरू किया गया ____ 69

3.9.20. ज़ेड-मोड़ प्रोजेक्ट ____ 70

4. सुरक्षा (Security) ____ 72

4.1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रक्षा ____ 72

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 74

4.2.1. GlobE (ग्लोबई) नेटवर्क ____ 74

4.2.2. नॉन-काइनेटिक वॉरफेयर ____ 75

4.2.3. डेफकनेक्ट 4.0 ____ 76

4.2.4. 31 MQ-9B ड्रोन और दो स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के सौदे को मंजूरी ____ 76

4.2.5. एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट ____ 77

4.2.6. आकाशतीर सिस्टम्स ____ 77

4.2.7. वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ____ 78

4.2.8. ड्रैगन ड्रोन ____ 78
4.2.9. थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली ____ 78
4.2.10. हेलफायर मिसाइल ____ 79
4.2.11. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास ____ 79
5. पर्यावरण (Environment) ____ 80
5.1. जल ही अमृत ____ 80
5.2. हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान ____ 83
5.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 85
5.3.1. वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट ____ 85
5.3.2. राष्ट्रीय जल पुरस्कार ____ 85
5.3.3. CCPA ने "ग्रीनवाशिंग की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, जारी किए ____ 85
5.3.4. एनवीस्टेट्स इंडिया 2024 ____ 86
5.3.5. '2024 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट: फॉरेस्ट्स अंडर फायर' रिपोर्ट जारी की गई ____ 87
5.3.6. यूरोपीय संघ निर्वनीकरण विनियमन ____ 88
5.3.7. जैव-विविधता क्रेडिट ____ 88
5.3.8. ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका ____ 89
5.3.9. IGP क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए समन्वय समिति ____ 89
5.3.10. प्रधान मंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना ____ 89
5.3.11. वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 ____ 90
5.3.12. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब ____ 90
5.3.13. ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स (GFC) फंड ____ 90
5.3.14. इकोमार्क नियम, 2024 ____ 91
5.3.15. IUCN ने "एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की ____ 92
5.3.16. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ____ 93
5.3.17. कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ____ 93
5.3.18. भारतीय जंगली गधा ____ 93
5.3.19. नील बेसिन ____ 94
5.3.20. ज्वालामुखी उद्गार और आयनमंडलीय विक्षोभ ____ 94
5.3.21. लिपुलेख दर्रा ____ 95
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ____ 96
6.1. किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य ____ 96
6.2. भारत में बाल विवाह ____ 98
6.3. ग्लोबल हंगर इंडेक्स ____ 101
6.4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान ____ 103
6.5. डिजिटल स्वास्थ्य ____ 105
6.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 108
6.6.1. यू.एन. वीमेन ने "वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ वीमेन इन डेवलपमेंट" रिपोर्ट जारी की ____ 108
6.6.2. ई-माइग्रेट पोर्टल ____ 109
6.6.3. पी.एम.-यशस्वी ____ 109
6.6.4. सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति 2028 तक बढ़ाई ____ 109
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) ____ 111
7.1. रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार ____ 111
7.2. चिकित्सा में 2024 नोबेल पुरस्कार ____ 113
7.3. भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार ____ 116
7.4. भारतजेन प्रोग्राम ____ 118
7.5. स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ____ 120
7.6. अंतरिक्ष-आधारित निगरानी ____ 122
7.7. एकीकृत जीनोमिक चिप ____ 125
7.8. भारत में दवा की गुणवत्ता ____ 128
7.9. एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध ____ 130
7.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 133
7.10.1. 'एटम्स4फूड' ____ 133
7.10.2. MACE वेधशाला का उद्घाटन ____ 133
7.10.3. यूरोपा क्लिपर ____ 134
7.10.4. लुपेक्स मिशन ____ 134
7.10.5. रिमूव डेब्रिस इन-ऑर्बिट सर्विसिंग (RISE) मिशन 135
7.10.6. मूनलाइट प्रोग्राम ____ 136
7.10.7. न्यूट्रिनो फॉग ____ 136
7.10.8. कैरॉन ____ 137
7.10.9. स्काई शील्ड ____ 137
7.10.10. ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रेपरेडनेस, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान ____ 137
7.10.11. संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (RPTUAS) ____ 138
7.10.12. अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम 138
7.10.13. भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा का उन्मूलन: विश्व स्वास्थ्य संगठन ____ 138
7.10.14. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने PMECRG और MAHA-EV पहलें शुरू की ____ 138
7.10.15. केंद्रीय कैबिनेट ने AVGC-XR के लिए 'राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE)' को मंजूरी दी ____ 139

8. संस्कृति (Culture) _____ 141
8.1. शास्त्रीय भाषा _____ 141
8.2. श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर _____ 143
8.3. सुप्रीम कोर्ट में नया ध्वज, प्रतीक चिन्ह और न्याय की देवी की नई प्रतिमा _____ 144
8.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां _____ 146
8.4.1. साहित्य का नोबेल पुरस्कार _____ 146
8.4.2. नोबेल शांति पुरस्कार _____ 146
8.4.3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के विकास को मंजूरी दी ___ 146
8.4.4. असम के 8 उत्पादों को GI टैग मिला _____ 147
8.4.5. राष्ट्रमंडल खेल (CWG) 2026 _____ 147
8.4.6. पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल _____ 147
8.4.7. पौमई नागा जनजाति _____ 148
9. नीतिशास्त्र (Ethics) _____ 149
9.1. महात्मा गांधी और करुणा _____ 149
9.2. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व: रतन नवल टाटा (1937-2024) 151
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) _____ 154
10.1. प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना _____ 154
10.1.1. कृषोन्नति योजना _____ 155
11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल _____ 156
12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व _____ 157

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

SANDHAN

VisionIAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

(UPSC प्रीलिम्स के लिए
स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज)

- **प्रश्नों का विशाल संग्रहः**
  UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 20,000 से अधिक प्रश्न।
- **करेंट अफेयर्सः**
  करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस कीजिए।
- **पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधाः**
  विषयों और टॉपिक्स का चयन करके टेस्ट को कस्टमाइज़ कीजिए।
- **समयबद्ध मूल्यांकनः**
  समयबद्ध टेस्ट के साथ टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कीजिए।
- **प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषणः**
  समग्र तैयारी के साथ–साथ विषय और टॉपिक के स्तर पर प्रगति को ट्रैक कीजिए।
- **टार्गेटेड रेकमेंडेशनः**
  सुधार योग्य पक्षों के लिए पर्सनलाइज्ड रेकमेंडेशन प्राप्त कीजिए।

एडमिशन प्रारंभ

और अधिक जानकारी के लिए स्कैन कीजिए

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. जन योजना अभियान (Jan Yojana Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पंचायती राज मंत्रालय** ने **जन योजना अभियान** शुरू किया है। इसे **2025-26** की अवधि के लिए **ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDPs)**[1] बनाने के लिए आरंभ किया गया है।

जन योजना अभियान (People's Plan Campaign) के बारे में

- **उद्देश्य:** पंचायत के विकास से संबंधित योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया में **लोगों की भागीदारी** को बढ़ाना।
- **आरंभ:** इसे पहली बार **2 अक्टूबर, 2018** को **पंचायती राज मंत्रालय** ने **"सबकी योजना सबका विकास"** के रूप में शुरू किया था।
- **कार्यान्वयन:** पंचायतों के **सभी तीन स्तरों पर इसका कार्यान्वयन** किया जाएगा। इसे **निर्वाचित प्रतिनिधियों, अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मियों, समुदाय आधारित संगठनों {जैसे- स्वयं सहायता समूहों (SHGs)} और अन्य हितधारकों** की सक्रिय भागीदारी के साथ सफल बनाया जाएगा।
- **जन योजना अभियान के मुख्य घटक:**
  - **वित्त वर्ष 2025-26** के लिए **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP), ब्लॉक पंचायत विकास योजना** और **जिला पंचायत विकास योजना** तैयार करने हेतु सुनियोजित तरीके से गठित **वार्ड सभा/ महिला सभा/ ग्राम सभा/ ब्लॉक सभा/ जिला सभा** का आयोजन किया जाएगा।
  - **ग्राम सभा-वार कैलेंडर तैयार** करना तथा **पंचायत विकास सूचकांक (PDI)**[2] के आधार पर **विषयगत विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करना,** जिसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
  - **पंचायत विकास सूचकांक (Panchayat Development Index: PDI) का** उपयोग कर, प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक विकास कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इसमें थिमैटिक आधार पर विकास संबंधी कमियों[3] की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्राम सभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
    - थिमैटिक या विषयगत एप्रोच **'समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण'** को अपनाकर **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)**[4] **के स्थानीयकरण पर आधारित** है।
    - पंचायत विकास सूचकांक (PDI) एक **मल्टी-डोमेन और मल्टी-सेक्टोरल इंडेक्स** है। इसका उपयोग पंचायतों के **समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन** करने के लिए किया जाता है।
  - **समावेशी भागीदारी:** ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में सहायता के लिए युवाओं और 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को शामिल कर समावेशी भागीदारी पर भी जोर दिया गया है।
    - **उन्नत भारत अभियान (UBA) के साथ सहयोग:** इस वर्ष उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEI) से 15,000 से अधिक स्टूडेंट्स को जन योजना अभियान में शामिल किया जाएगा।
  - मंजूरी प्राप्त प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को **ई-ग्राम स्वराज पोर्टल** पर प्रकाशित किया जाएगा।

इस संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 40 (राज्य की नीति के निदेशक तत्व):** राज्य **ग्राम पंचायतों** का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां व प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें **स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने** में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।
- **73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम:** इन कानूनों के जरिये स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संवैधानिक वैधता प्रदान की गई।

[1] Gram Panchayat Development Plans

[2] Panchayat Development Index

[3] Thematic developmental gaps

[4] Sustainable Developmental Goals

- **अनुच्छेद 243G:** पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता देते हुए, उन्हें **आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय** के लिए **योजनाएं तैयार** करने का अधिकार दिया गया है।
    - यह कार्य **संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध 29 विषयों** के आधार पर किया जाना है।

लोगों की भागीदारी अर्थात् जन भागीदारी

- जन भागीदारी का अर्थ **निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित** करने से है। इससे उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है।

विकास संबंधी योजना निर्माण में जन भागीदारी का महत्त्व

- **कार्यान्वयन दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार:** विकास संबंधी योजना निर्माण में आम लोगों की भागीदारी से **परियोजना की स्वीकार्यता बढ़ती** है। साथ ही, **लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित** होता है और **स्थानीय संसाधन जुटाने** को बढ़ावा मिलता है।
    - उदाहरण के लिए- **मनरेगा (MGNREGA)** में ग्राम सभाएं न केवल योजना की प्रगति की समीक्षा करती हैं, बल्कि प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के माध्यम से इसकी निगरानी भी करती हैं। इसके अलावा, कार्य पूरा होने के बाद सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।
- **समावेशी तरीके से निर्णय लेना:** जन-भागीदारी **नागरिकों को जिम्मेदारीपूर्ण विकास योजनाओं का निर्माण करने के लिए सशक्त** बनाती है और उनमें **स्वामित्व की भावना पैदा** करती है। इसके परिणामस्वरूप, नागरिक संतुष्टि में सुधार होता है।

    - उदाहरण के लिए- **MyGov साथी 2.0** नागरिकों को गवर्नेंस प्रक्रिया में शामिल करता है और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है।
- **आत्मनिर्भरता:** जागरूकता और सक्रिय भागीदारी लोगों को निर्भरता से मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाती है। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और विकास प्रक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है।
    - उदाहरण के लिए- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)** के तहत स्वयं-सहायता समूह (SHGs)।
- **कवरेज:** निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन भागीदारी से वंचित और कमजोर वर्गों सहित सभी वर्गों के बीच विकासात्मक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है।

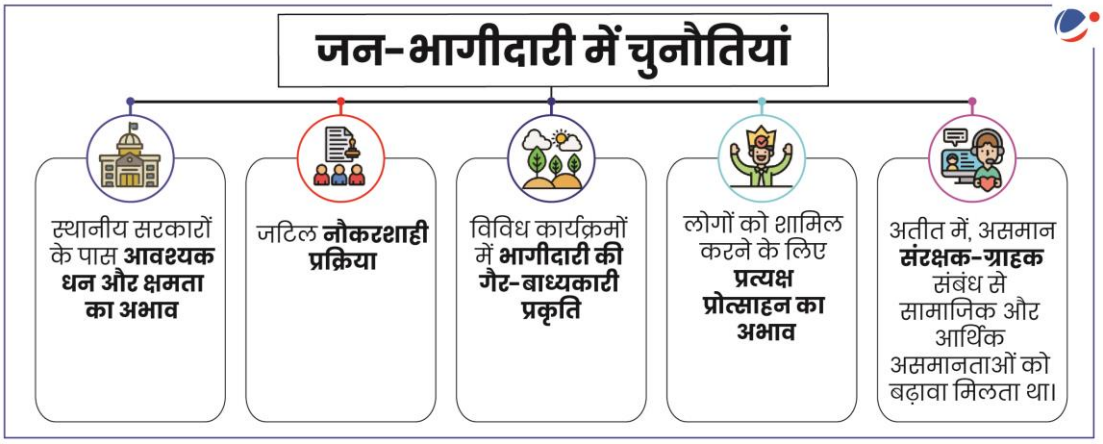

    - उदाहरण के लिए- **स्वच्छ भारत अभियान** में सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवहार-जन्य परिवर्तन शुरू करने हेतु सामुदायिक स्वयंसेवकों को संगठित किया है।

- **स्थिरता:** योजनाओं के संचालन में जन भागीदारी से **स्थानीय क्षमता और संसाधनों पर स्वामित्व का निर्माण** होता है। इससे **स्थानीय समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान** भी मिलता है।
    - उदाहरण के लिए- **संयुक्त वन प्रबंधन (JFM)** में वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का कार्य राज्य वन विभाग और स्थानीय समुदाय मिलकर करते हैं।
- **बेहतर परियोजना डिजाइन:** योजना निर्माण में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी **स्थानीय ज्ञान एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना के डिजाइन को और बेहतर बनाने** में सहायता करती है।

आगे की राह

- **नीतियों का एकीकरण:** पारंपरिक योजना निर्माण फ्रेमवर्क और सरकारी नीतियों के साथ सहभागी नियोजन का एकीकरण किया जाना चाहिए।
- **स्थानीय शासन को मजबूत करना:** जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए।
- **तकनीकी एकीकरण:** बेहतर भागीदारी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि सहभागी GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आदि।
- **सामुदायिक क्षमता निर्माण:** लोगों को उनकी भागीदारी के महत्त्व के बारे में जागरूक करने और उनकी भागीदारी (विशेष रूप से महिलाएं और हाशिए पर रहे समुदाय की भागीदारी) को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **व्यवहार में परिवर्तन:** लोगों की स्थायी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा और उन्हें सशक्त बनाना होगा ताकि वे गवर्नेंस में सक्रिय रूप से भाग लें।

1.2. निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को "निःशुल्क और समय पर कानूनी सहायता" सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश** जारी किए।

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए मुख्य निर्देशों पर एक नज़र

- **विधिक सेवा प्राधिकरणों को मजबूत करना:** राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)[5] राज्य और जिला स्तर के विधिक प्राधिकरणों के साथ सहयोग करके 2022 की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। साथ ही, मानक संचालन प्रक्रिया को समय-समय पर अपग्रेड भी किया जाएगा।
- **कैदी विधिक सहायता क्लीनिकों (PLACs)[6] की निगरानी संबंधी अधिकारों में वृद्धि करना:** विधिक सेवा प्राधिकरण PLACs के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करेंगे।
- **डेटा-आधारित सुधार:** विधिक सेवा प्राधिकरणों को कानूनी सहायता सेवाओं से संबंधित सांख्यिकीय डेटा को नियमित रूप से अपडेट करना होगा और डेटा विश्लेषण के आधार पर पहचानी गई कमियों को दूर करना होगा।
- **लीगल एड डिफ़ेंस काउंसिल यानी विधिक सहायता बचाव वकील:** लीगल एड डिफ़ेंस काउंसिल के द्वारा किए गए **कार्यों का नियमित निरीक्षण और ऑडिट** किया जाएगा।
- **जागरूकता पैदा करना:** उपलब्ध विधिक सहायता योजनाओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में प्रचार सामग्रियों और प्रचार के प्रभावी तरीकों का उपयोग किया जाएगा।
- **प्रभावी संचार:** विधिक सेवा प्राधिकरणों को कैदियों, जेल का दौरा करने वाले वकीलों (JVLs)[7] और पैरालीगल वालंटियर्स (PLVs) के साथ नियमित रूप से संवाद करना होगा।
    - सभी हाई कोर्ट को संबंधित राज्य में उपलब्ध विधिक सहायता सुविधाओं के बारे में **अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रदर्शित करने का निर्देश** दिया गया है।

[5] National Legal Services Authority

[6] Prisoner Legal Aid Clinics

[7] Jail Visiting Lawyers

- **नियमित रिपोर्टिंग:** जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) के समक्ष और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के समक्ष नियमित तौर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। **इस प्रक्रिया को डिजिटल रूप में किया जा सकता है, ताकि इसे सुलभ बनाया जा सके।**

भारत में निःशुल्क कानूनी या विधिक सहायता के बारे में

- भारत में **विधिक सहायता** से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को **निःशुल्क कानूनी सेवाएं** प्रदान करने से है, जो **कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं।**
- विधिक सहायता में **कानूनी सलाह, अदालती कार्यवाही में प्रतिनिधित्व, मध्यस्थता, वार्ता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र** आदि शामिल होते हैं।

- **विधिक सहायता के लिए संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 21:** इसमें प्रावधान किया गया है कि **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित** किया जा सकता है अन्यथा नहीं।
  - **अनुच्छेद 39-A:** यह अनुच्छेद **राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश** देता है, ताकि **कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे।** इसे **42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) के** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
- **वैधानिक प्रावधान:**
  - **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987:** यह अधिनियम **1995** में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए **विधिक सेवा प्राधिकरणों** की स्थापना करना है। इस अधिनियम में निम्नलिखित **संस्थाओं के गठन का प्रावधान किया गया है:**
    - राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर **विधिक सेवा प्राधिकरण;** तथा
    - सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालयों और तालुका न्यायालयों में **विधिक सेवा समितियां।**
  - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 341:** इसमें कुछ मामलों में जहां अभियुक्त के पास विधिक सहायता के लिए साधन नहीं हैं, वहां राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के बारे में

- यह **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत गठित एक **वैधानिक निकाय** है। इसका उद्देश्य **समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान** करना है।
- **कार्य:**
  - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए **नीतियां, सिद्धांत व दिशा-निर्देश तैयार करना और प्रभावी योजनाएं बनाना,** ताकि वे पूरे देश में विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू कर सकें;
  - कानूनी सहायता कार्यक्रमों के **कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना;**
  - विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए **लोक अदालतों का आयोजन** करना; आदि।
- **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी सहायता के लिए पात्र व्यक्ति:**
  - महिलाएं एवं बच्चे;
  - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य;
  - औद्योगिक कामगार;

- सामूहिक आपदा, नृजातीय हिंसा, जातिगत उत्पीड़न, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार लोग;
- दिव्यांगजन;
- संरक्षण गृह या किशोर गृह में हिरासत में रखे गए व्यक्ति, मनोरोग अस्पताल में भर्ती व्यक्ति।
- वे व्यक्ति जिनकी **वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं** है (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राज्य सरकार उच्चतर सीमा निर्धारित कर सकती है।)
  - सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति में यह सीमा **5,00,000 रुपये** है।
- मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति के शिकार व्यक्ति।

निःशुल्क विधिक सहायता का महत्त्व

- **सामाजिक कल्याण और न्याय को सुनिश्चित करना:** यह समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करके और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने के लिए सशक्त बनाकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है।
  - यह कानून द्वारा गारंटी स्वरुप दिए गए अधिकारों और लोगों के इन अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता के बीच मौजूद अंतर को कम करने में मदद करता है।

- **अधिकारों की सुरक्षा करना:** निःशुल्क विधिक सहायता, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने व उन्हें बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार और अदालतों तक पहुंच का अधिकार शामिल है।
- **कानून के शासन को मजबूत करना:** विधिक सहायता कानूनी मानदंडों और प्रक्रियाओं के पालन को बढ़ावा देती है। इससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ता है।
- **कानून संबंधी जागरूकता को बढ़ाना:** विधिक सहायता न केवल लोगों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करती है बल्कि उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी जागरूक करती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **"दिशा/ DISHA (Design Innovative Solutions for Holistic Accsee/ भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवीन समाधान डिजाइन करना)":** इस योजना का उद्देश्य क़ानूनी मुकदमे से पहले विवाद निवारण तंत्र को मजबूत करना है।
- **टेली-लॉ:** यह योजना **विशेषज्ञ वकीलों के पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह की उपलब्धता** को सुगम बनाती है। यह पैनल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के अंतर्गत होता है।
- **न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवाएं) कार्यक्रम:** यह प्रो बोनो एडवोकेट्स (जनता के कल्याण से जुड़े वकील) और पंजीकृत लाभार्थियों के बीच जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इच्छुक वकील स्वयं का पंजीकरण करा सकते हैं, ताकि वे समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान कर सकें।
- **न्याय मित्र कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम **हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित 10 से 15 वर्ष पुराने मामलों (सिविल व क्रिमिनल, दोनों प्रकार के मामलों) के निपटान** को सुगम बनाता है।
- **लोक अदालत:** यह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों में से एक है। इसमें न्यायालयों में लंबित या मुकदमा-पूर्व मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया/ समझौता किया जाता है।
  - लोक अदालत में मामला दायर करने पर **कोई न्यायालय शुल्क नहीं** लिया जाता है।

आगे की राह

- **नीतिगत कार्यान्वयन:** निःशुल्क विधिक सहायता को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को **वित्तीय संसाधन बढ़ाने, पात्रता मानदंडों को आसान बनाने और अलग-अलग हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय** स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **संस्थागत क्षमता को मजबूत करना:** विधिक सेवा प्राधिकरणों की क्षमताओं का निर्माण करना, **बुनियादी ढांचे और संसाधनों को बढ़ाना तथा निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र को मजबूत** करना आवश्यक है।
- **जागरूकता पैदा करना:** उदाहरण के लिए- 2022 में **"हक हमारा भी तो है@75"** अभियान का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य जेलों में बंद कैदियों और बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को बुनियादी विधिक सहायता प्रदान करना था।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** विधिक सहायता सेवाओं की **पहुंच और दक्षता बढ़ाने** के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किया जाना चाहिए।
- **जेल रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण:** जेल के **रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है,** ताकि न्यायालयों द्वारा प्रभावी तरीके से कानूनी सहायता प्रदान करने में आसानी हो।
- **गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता:** बचाव पक्ष के वकीलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने मुवक्किलों के हित में पूरी मेहनत और लगन से काम करें {रामानंद @ नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (2022)}।

संबंधित सुर्ख़ियां: सारथी 1.0 (SARTHIE 1.0)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने सारथी 1.0 लॉन्च किया है।

- **उद्देश्य:** जागरूकता सृजन, कानूनी सहायता तथा कल्याणकारी योजनाओं तक प्रभावी पहुंच को बढ़ावा देकर वंचित समुदायों (जैसे कि अनुसूचित जाति, ट्रांसजेंडर, विमुक्त व घुमंतू जनजातियां आदि) को सशक्त बनाना।
  - सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तालमेल बनाना।

1.3. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 {Right to Information (RTI) Act, 2005}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2025 में **"सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005"** को लागू हुए **20 साल** पूरे हो जाएंगे। इसलिए, इसके प्रभाव और RTI अधिनियम के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

RTI अधिनियम, 2005 के बारे में

- यह अधिनियम **जून, 2005** में पारित हुआ था और **अक्टूबर, 2005 में लागू** हुआ था।
- यह अधिनियम नागरिकों को **लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार** प्रदान करता है।
- **समन्वयक एजेंसी:** कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPPG&P) के तहत **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।**

क्या आप जानते हैं?

> केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने **राष्ट्रीय और अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों** को RTI अधिनियम के तहत **सार्वजनिक प्राधिकरण** घोषित किया है।

- **पृष्ठभूमि:**
  - सूचना के अधिकार को **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा; नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा**[8] तथा **आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि** में मानवाधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है।
  - भारत ने प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए **"फ्रीडम ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन एक्ट**[9]**, 2002"** पारित किया था।
  - बाद में, **RTI अधिनियम, 2005** ने **फ्रीडम ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन एक्ट, 2002** का स्थान ले लिया।
  - सुप्रीम कोर्ट ने **'राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाद'** में सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार** के रूप में स्थापित किया।

[8] International Covenant on Civil and Political Rights

[9] Freedom of Information Act (FOI Act)

RTI अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- **संस्थागत ढांचा:**
  - **केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग:** इनका कार्य इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना और सूचना प्रदान न करने से संबंधित अपीलों का निपटान करना है।
  - **केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (PIO)[10] और राज्य PIOs:** सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपने अधीन सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में इस अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए PIO की नियुक्ति की जाती है। ये अधिकारी इस अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करते हैं।
- **प्रदान किए गए अधिकार:**
  - **प्रत्येक नागरिक** को **लोक प्राधिकरणों (Public authority)** से जानकारी मांगने का अधिकार है।
  - **लोक प्राधिकरणों के दायित्व (धारा 4):** RTI अधिनियम की धारा 4 लोक प्राधिकरणों पर कुछ विशिष्ट दायित्वों को निर्धारित करती है। धारा 4 कुछ विशिष्ट श्रेणियों की सूचना को **सक्रिय रूप से खुलासा करने का प्रावधान** करती है। इसका मतलब है कि इन श्रेणियों की सूचना को लोक प्राधिकरणों को अपनी वेबसाइट या अन्य माध्यमों से आम जनता के लिए उपलब्ध कराना होता है। इससे नागरिकों को सूचना तक पहुंचने में आसानी होती है।
    - साथ ही, लोक प्राधिकरणों को अपने कार्यों से संबंधित **रिकॉर्ड बनाए रखने होते हैं,** ताकि नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए हर बार औपचारिक अनुरोध नहीं करना पड़े।
- **किन पर लागू है: RTI अधिनियम** देश के सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू है। इसमें संविधान के तहत स्थापित या संसद या राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाए गए कानून या उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/ आदेश से स्थापित सभी सरकारी प्राधिकरण/ संस्थाएं/ निकाय शामिल हैं।
  - इसमें केंद्र/ राज्य सरकार के स्वामित्व वाले, उनके नियंत्रण के अधीन या पर्याप्त रूप से वित्त-पोषित निकाय और केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से (प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से) वित्त-पोषित वे गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं, जो लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आते हैं।
- **सूचना के प्रकाशन या खुलासा या प्रकटीकरण (Disclosure) से छूट:**
  - **धारा 8:** कुछ जानकारी को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - **दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ खुफिया इकाइयां और सुरक्षा संगठन:** इसमें 27 संगठन शामिल हैं, जैसे - कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In), इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, आदि।

- **न्यायिक अधिकार क्षेत्र: निचली अदालतों को मुकदमों या आवेदनों पर विचार करने से रोक** दिया गया है।
  - हालांकि, संविधान के **अनुच्छेद 32 व 225 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रिट क्षेत्राधिकार अप्रभावित** रहते हैं।

[10] Public Information Officers

- **अन्य प्रमुख प्रावधान:**
  - **दंड:** सूचना प्रदान करने में विफलता तथा गलत, अधूरी या अपूर्ण जानकारी देने पर दंड का प्रावधान किया गया है।
  - **सूचना प्रदान करने की समय-सीमा:** अनुरोध प्राप्त होने के **30 दिनों** के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए; जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में, इसे **48 घंटे के भीतर प्रदान** करना होगा।
  - **अपीलें:** यदि PIO द्वारा अनुरोध को अस्वीकृत या बिना उचित कारण के ख़ारिज किया जाता है, तो नागरिक इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।
- **संशोधन:**
  - **सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019** के जरिए केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों (Information Commissioners: ICs) की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है।
    - इसने **केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों (मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त) की सेवा शर्तों, वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित** करने का अधिकार प्रदान किया है।
  - **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP)[11] अधिनियम, 2023:** इसने **RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j)** में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत **सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट** दी गई है।

सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम का महत्त्व

- **नागरिकों का सशक्तीकरण:** सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा उन्हें सरकारी गतिविधियों, नीतियों और निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करके संभव हुआ है।
- **पारदर्शिता:** सरकारी एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी का सक्रिय प्रकटीकरण (धारा 4) शासन व्यवस्था में पारदर्शिता का मूल तत्व है।
- **उत्तरदायित्व:** लोक प्राधिकारियों को जनता द्वारा मांग किए जाने पर अपने कार्यों और निर्णयों को उचित ठहराना आवश्यक है।
- **भ्रष्टाचार को उजागर करना:** उदाहरण के लिए- RTI अधिनियम का उपयोग आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में अवैध रूप से फ्लैटों का आवंटन उजागर करने के लिए किया गया था।
- **नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन:** उदाहरण के लिए- राजस्थान में सूचना के अधिकार का उपयोग मनरेगा (MGNREGA) रिकॉर्ड में विसंगतियों को उजागर करने के लिए किया गया था।

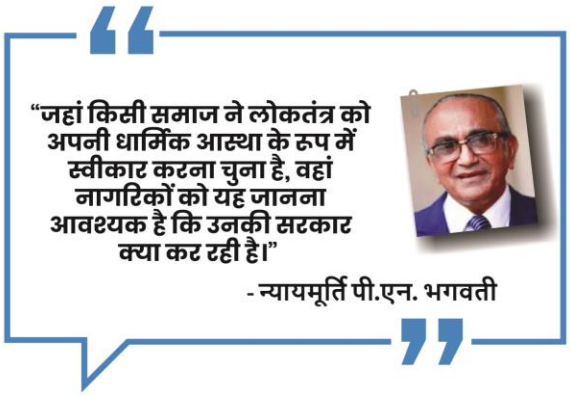

RTI अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियां

- **कार्यात्मक समस्याएं: सतर्क नागरिक संगठन की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार-**
  - **निष्क्रिय सूचना आयोग और रिक्तियां:** जुलाई, 2023 से जून, 2024 के बीच **29 सूचना आयोगों में से 7 निष्क्रिय** हो गए हैं।
    - **मुख्य सूचना आयुक्त की कमी:** 9 आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त था।
  - **अनावश्यक विलंब:** 14 आयोग एक मामले को निपटाने में 1 वर्ष या उससे अधिक समय लेते हैं।
  - **अधिक संख्या में लंबित मामले या अत्यधिक कार्यभार:** जून, 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, भारत के **29 सूचना आयोगों में 4 लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं।**
    - **वापस लौटाए गए मामले:** केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा प्राप्त अपीलों/ शिकायतों में से 42% को वापस लौटा दिया गया था।
  - **विषम जेंडर संरचना:** RTI अधिनियम के पारित होने (2005) के बाद से अब तक, देश भर के सभी सूचना आयुक्तों में से केवल 9% ही महिलाएं रही हैं।

[11] Digital Personal Data Protection

- **संरचनात्मक मुद्दे:**
  - **छूट (Exemptions):** RTI कानून कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सूचना देने से छूट भी प्रदान करता है। यह छूट इसलिए दी गई है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता या अन्य महत्वपूर्ण हितों को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि, इन छूटों को व्याख्या करने की गुंजाइश काफी होती है, **जिसका उपयोग कभी-कभी सूचना देने से बचने के लिए किया जा सकता है।**
  - **'लोक प्राधिकारण' परिभाषा के बाहर की संस्थाएं:** उदाहरण के लिए- **पी.एम. केयर्स फंड** RTI अधिनियम, 2005 के तहत **"लोक प्राधिकारण"** नहीं है।
  - **संशोधनों के माध्यम से कमजोर होना:** उदाहरण के लिए, RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 से सूचना आयुक्तों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है।
- **प्रक्रियात्मक मुद्दे:**
  - **नौकरशाही की ओर से विरोध:** सार्वजनिक प्राधिकारी ऐसी जानकारी का खुलासा करने में अनिच्छुक हो सकते हैं, जो उनके अपने विभागों के भीतर गलत काम, अक्षमता या भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती है।
  - **गैर-अनुपालन:** ज्यादातर राजनीतिक दलों ने सूचना अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है, उनका तर्क है कि वे लोक प्राधिकारण नहीं हैं, जबकि अधिनियम के अनुसार राजनीतिक दल लोक प्राधिकारण हैं।
  - **जागरूकता और शिक्षा की कमी:** इसके कारण सूचना के अधिकार (RTI) का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है।
- **अन्य मुद्दे:** RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की कमी; PIOs का अपर्याप्त प्रशिक्षण; ऑफ़िशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के साथ विरोधाभास; आदि।

आगे की राह

- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिशें,** जिसका शीर्षक है- **"सूचना का अधिकार - सुशासन की मास्टर कुंजी:**
  - **राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCC)[12] का गठन:** यह समिति RTI अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगी। साथ ही, यह RTI के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के कार्यों की निगरानी करेगी और अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रभाव मूल्यांकन करेगी।
  - **जागरूकता अभियान:** राज्य स्तर पर विश्वसनीय गैर-लाभकारी संगठनों को जागरूकता अभियानों का कार्य सौंपा जा सकता है।
- **पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति:** लोक प्राधिकरणों में RTI के उचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- **विशेषज्ञों द्वारा रिकॉर्ड का उचित रख-रखाव:** इससे सूचना मांगने वालों की आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी प्रदान की जा सकेगी।
- **अन्य कदम:** "सूचना मांगने वालों की सुरक्षा" पर अलग अध्याय का समावेश; सरकारी अधिकारियों को RTI का कठोर प्रशिक्षण; रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण; आदि।

[12] National Coordination Committee

1.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.4.1. सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए (Supreme Court Questions Feasibility of Gram Nyayalayas)

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 द्वारा ग्राम न्यायालयों के गठन को अनिवार्य** किया गया है।

- **ग्राम न्यायालय** यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय मिलने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकट की गई मुख्य चिंताएं

- **राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों का गठन अनिवार्य है या नहीं:** ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की **धारा 3** में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें ग्राम न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। इसमें निश्चितता का अभाव है कि राज्य सरकार को ग्राम न्यायालयों का गठन करना ही होगा।
- **संसाधनों की कमी:** पहले से ही **मौजूदा न्यायालयों के लिए सीमित संसाधनों का सामना कर रही राज्य सरकारों** के लिए अतिरिक्त ग्राम न्यायालयों को वित्त-पोषित करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
- **उच्चतर न्यायपालिका पर कार्य बोझ का बढ़ना:** इन ग्राम न्यायालयों का प्राथमिक उद्देश्य जिला और सिविल अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करना है। लेकिन इनकी अप्रभावित से उच्चतर न्यायालयों पर बोझ बढ़ सकता है। इससे अंततः हाई कोर्ट्स पर अपील व रिट याचिकाओं का भी बोझ बढ़ेगा।

ग्राम न्यायालयों की मुख्य विशेषताएं

- **गठन:** इन्हें **जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह** के लिए गठित किया जा सकता है।
  - राज्य सरकार, संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए **'न्यायाधिकारी' की नियुक्ति** करती है।
- **अधिकार क्षेत्र:** यह एक **मोबाइल कोर्ट** होगा, जिसके सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार-क्षेत्र होंगे।
- **विवाद समाधान प्रक्रिया:** विवादों का समाधान सुलह-समझौते की सहायता से किया जाना चाहिए।
  - **सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकारों (Conciliators) के रूप में नियुक्त** किया जा सकता है।
  - ये **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** पर काम करते हैं। गौरतलब है कि **ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं** हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

ग्राम न्यायालयों के कार्यान्वयन की स्थिति

- प्रारंभिक लक्ष्य लगभग **2,500 ग्राम न्यायालयों** को गठित करने का था। हालांकि, इनमें से **500 से भी कम** गठित किए जा सके हैं तथा वर्तमान में पूरे भारत में केवल **314 ही कार्यरत** हैं।
- **महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान** जैसे राज्यों ने इनके गठन में प्रगति दिखाई है, जबकि **उत्तर प्रदेश व बिहार** सहित अन्य प्रमुख राज्यों में इनका कार्यान्वयन सीमित या लगभग शून्य रहा है।

ग्राम न्यायालयों को समर्थन देने वाली पहलें

- **ग्राम न्यायालय योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना)** के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को ग्राम न्यायालय गठित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

1.4.2. नागरिकता अधिनियम की धारा 6A (Section 6A of Citizenship Act)

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम की 'धारा 6A' की वैधता को बरकरार रखा।

- **'धारा 6A' नागरिकता अधिनियम, 1955 का एक विशेष प्रावधान** है। इसे **वर्ष 1985 में केंद्र सरकार** और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित **"असम समझौते"** के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1985 के जरिए शामिल किया गया था।
  - इस धारा के तहत, **1 जनवरी, 1966** से **24 मार्च, 1971** के बीच पूर्वी पाकिस्तान (यानी वर्तमान बांग्लादेश) से असम में आकर बसे सभी व्यक्तियों को **विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से दस वर्ष बाद** भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था।

- **सुप्रीम कोर्ट का फैसला:**
  - **नागरिकता अधिनियम में धारा 6A को जोड़ने के लिए संसद की विधायी क्षमता पर कोर्ट का फैसला:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **संसद ने संविधान के अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 17** के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग कर यह कानून बनाया है।
    - गौरतलब है कि संघ सूची की प्रविष्टि 17 **नागरिकता, देशीयकरण (Naturalisation)** और **विदेशी/ गैर-नागरिक (Aliens)** से संबंधित है।
  - **अनुच्छेद 14 (समानता):** असम का विशेष नागरिकता कानून **अनुच्छेद 14 के तहत समानता का उल्लंघन नहीं करता है,** क्योंकि प्रवासियों के मामले में असम की स्थिति शेष भारत से **एकदम अलग** है।
  - **संस्कृति पर प्रभाव {अनुच्छेद 29 (1)}:** इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रवासियों ने **असम के लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है।**

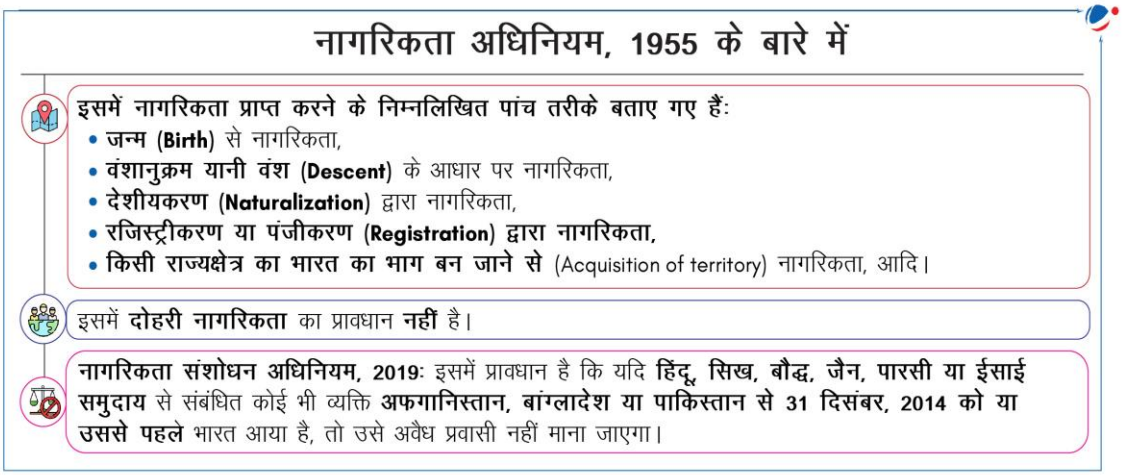

  - **24 मार्च, 1971 के कटऑफ डेट पर:** यह **कटऑफ डेट** भी उचित है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने **26 मार्च, 1971** को ही पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए **ऑपरेशन सर्चलाइट** शुरू किया था।
    - इस **कटऑफ डेट** के बाद आए प्रवासियों को **युद्ध के कारण आए प्रवासी माना गया, न कि विभाजन के चलते भारत आए प्रवासी।**

नोट: *नागरिकता और संबंधित नियमों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मार्च 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 1.2. देखें।*

1.4.3. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union: UPU)

भारतीय डाक विभाग ने **यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ** के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं।

- **भारतीय डाक** भी अपनी स्थापना की **170वीं वर्षगांठ** मना रहा है। **भारतीय डाक विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क** है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के बारे में

- यह **बर्न की संधि द्वारा 9 अक्टूबर, 1874 को जनरल पोस्टल यूनियन** के रूप में स्थापित हुआ था।
- UPU, **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के बाद दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है। ITU **1865 में स्थापित** हुआ था।
- UPU की स्थापना के अवसर पर **प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर** को **विश्व डाक दिवस (World Post Day)** मनाया जाता है।
- **मुख्यालय:** बर्न (स्विट्जरलैंड)।
- **सदस्य: 192** देश। **भारत** इसके सबसे पुराने और सबसे सक्रिय सदस्यों में शामिल है।
- UPU **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी** है।

1.4.4. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union: ITU)

ITU की **विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (WTSA), 2024 नई दिल्ली** में आयोजित की गई।

- WTSA, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के **मानकीकरण कार्य के लिए शासी सम्मेलन** है। यह सम्मेलन **प्रत्येक चार वर्षों पर** आयोजित किया जाता है।
- वर्ष 2024 का यह सम्मेलन **ITU-WTSA का भारत और एशिया-प्रशांत में आयोजित पहला सम्मेलन** था।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना **1865** में हुई थी। **पेरिस** में हस्ताक्षरित **प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ अभिसमय से अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ** की स्थापना हुई थी।
    - बाद में इसका नाम बदलकर **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)** कर दिया गया था।
- **भूमिका:**
    - यह डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए **संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी** है।
    - सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने हेतु **नवाचार का उपयोग करना और सभी को दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ना।**
- **सदस्य:** भारत सहित **193 सदस्य देश।**
- **मुख्यालय:** जिनेवा (स्विट्जरलैंड)

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

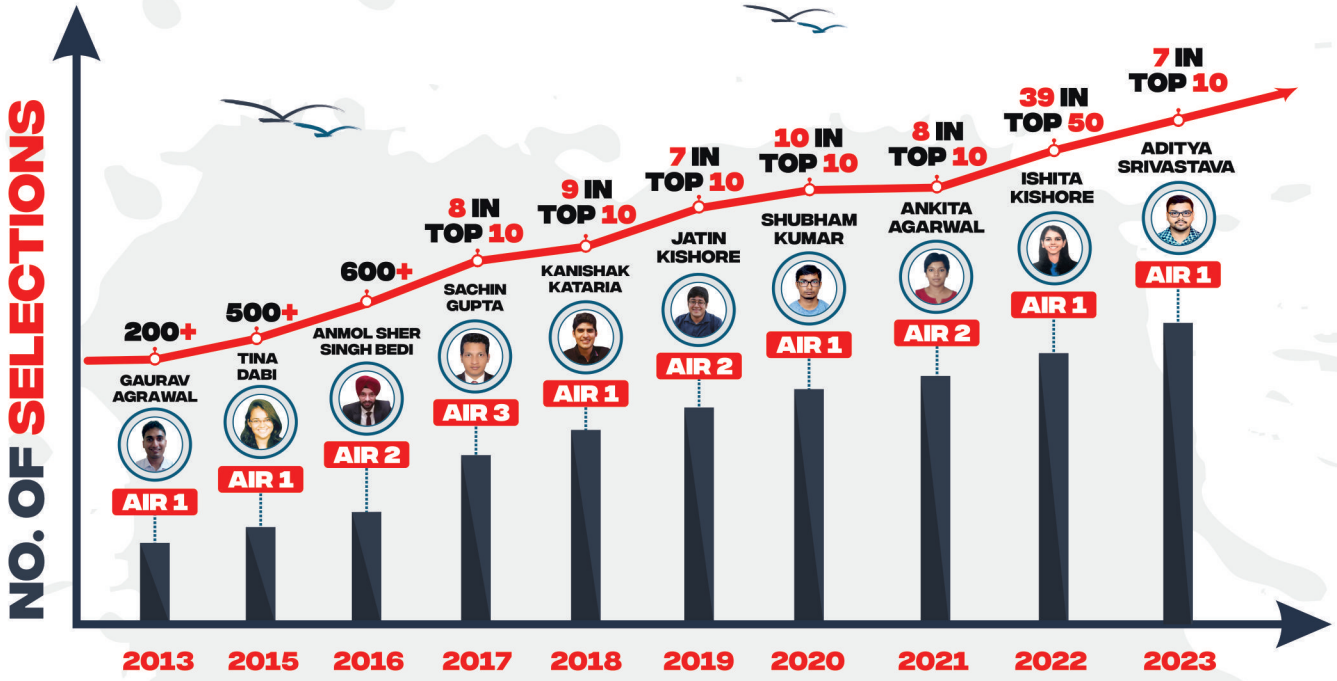

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES

PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: 29 NOV, 5 PM | 19 NOV, 9 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 12 NOV, 6 PM

BENGALURU: 5 DEC | **JAIPUR: 16 DEC** | **HYDERABAD: 9 DEC** | **JODHPUR: 3 DEC**

LUCKNOW: 5 DEC | **BHOPAL: 5 DEC** | **ADMISSION OPEN** | **AHMEDABAD | CHANDIGARH | PUNE**

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 20 नवंबर, 8 AM | **JAIPUR: 16 दिसंबर** | **JODHPUR: 3 दिसंबर** | **प्रवेश प्रारम्भ** | **BHOPAL | LUCKNOW**

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत-चीन समझौता {India-China Agreement on Line of Actual Control (LAC)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से सटे **देपसांग और डेमचोक** के इलाकों से **सैनिकों की वापसी** तथा **गश्ती व्यवस्था फिर से शुरू** करने पर सहमत हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि मई, 2020 से पहले LAC पर जो स्थिति थी, उसे फिर से बहाल कर दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मौजूदा समझौते के तहत, भारतीय और चीनी सैनिक LAC पर उसी तरह से गश्त करेंगे, जैसे **मई, 2020** में तनाव पैदा होने से पहले करते थे।
  - ध्यातव्य है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 2020 के बाद उत्पन्न हुए टकराव के अन्य क्षेत्रों- **गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, पैंगोंग त्सो के उत्तरी एवं दक्षिणी किनारों** आदि से सैनिकों की वापसी पहले ही हो चुकी थी।
- यह समझौता **तीन चरणों वाली प्रक्रिया के पहले चरण** का हिस्सा है। इन तीन चरणों में **निम्नलिखित शामिल हैं-**
  - भारत-चीन सीमा क्षेत्रों से सैनिकों की **वापसी (Disengagement);**
  - दोनों पक्षों के बीच **तनाव कम करना (De-escalation);** तथा
  - विवादित क्षेत्रों में **बहुत कम सैनिकों की तैनाती (De-induction)**
- यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि **देपसांग मैदान** सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र **काराकोरम दर्रे** के नजदीक अवस्थित **दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से 30 कि.मी. दक्षिण-पूर्व** में स्थित है। देपसांग क्षेत्र **चुशुल में स्पैंगगुर गैप** के समान **सैन्य आक्रमण आरंभ करने के लिए उपयुक्त समतल भूभाग प्रदान** करता हैं।

2020 में भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध या टकराव के बारे में

- चीनी सैनिकों की घुसपैठ के कारण **लद्दाख में पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे** पर दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई थीं।
- इसके बाद **उत्तरी सिक्किम के नाकू ला और लद्दाख के गलवान** में भी हिंसक झड़पें हुई थीं।
  - जून, 2020 की गलवान घटना को एक ऐसी हिंसक झड़प के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें आग्नेयास्त्रों का उपयोग नहीं किया गया था। गलवान घाटी में हुई इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और इसे 1962 के बाद से सबसे घातक चीनी हमला माना गया था।
- इसके बाद से, **दोनों पक्षों ने सीमा पर हजारों सैनिकों को लंबी दूरी की मारक क्षमता और सैन्य उपकरणों के साथ तैनात** कर दिया था। इसके अलावा, सीमा के नजदीक बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया था।

भारत-चीन सीमा विवाद

- चीन के साथ भारत की **3,488 किलोमीटर लंबी सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं** है। इसके अलावा, कुछ हिस्सों में कोई **पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) भी नहीं** है।
  - LAC **1962 के भारत-चीन युद्ध** के बाद अस्तित्व में आई थी। यह वह सीमा है, जो भारतीय क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है।

- भारत LAC को **3,488 कि.मी. लंबी** मानता है, जबकि चीन इसे लगभग **2,000 कि.मी.** ही लंबी मानता है।

भारत-चीन सीमा तीन क्षेत्रों में विभाजित है:

- **पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख):** इस क्षेत्र में सीमा विवाद 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा खींची गई **'जॉनसन लाइन'** से संबंधित है। इस लाइन के तहत **अक्साई चिन को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा** बताया गया था।
  - हालांकि, चीन **जॉनसन लाइन** को स्वीकार नहीं करता है। इसके विपरीत, **चीन 1890 के दशक में खींची गई 'मैकडॉनल्ड लाइन'** को स्वीकार करता है। यह लाइन **अक्साई चिन को चीनी राज्यक्षेत्र** में प्रदर्शित करती है।
- **मध्य क्षेत्र (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश):** इस क्षेत्र में **मामूली विवाद** है। यह एकमात्र सीमा क्षेत्र है, जहां भारत और चीन ने मानचित्रों का आदान-प्रदान किया है, जिस पर वे सीमाओं का कोई औपचारिक सीमांकन नहीं होने के बावजूद भी व्यापक रूप से सहमत हैं।
- **पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम):** यहां **'मैकमहोन रेखा'** को LAC माना जाता है, जिसे **1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान निर्धारित** किया गया था। **1914 में शिमला** में आयोजित इस सम्मेलन में **चीन, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों** ने भाग लिया था। **मैकमहोन रेखा** अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है।
  - **चीन मैकमहोन रेखा को अस्वीकार** करता है और संपूर्ण **अरुणाचल प्रदेश** को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा मानता है।
  - चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मजबूत करने के लिए **तवांग मठ और तिब्बत के ल्हासा मठ** के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देता है।

भारत-चीन संबंधों में चिंता के अन्य क्षेत्र

- **आर्थिक:** भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार **चीन के पक्ष** में है। 2022-23 में भारत का चीन के साथ **85 बिलियन डॉलर** का व्यापार घाटा रहा था।
  - भारत **सेमीकंडक्टर, फार्मा सक्रिय औषध सामग्री (APIs),** आदि के लिए भी चीन पर निर्भर है।
- **चीन-पाकिस्तान गठजोड़:** चीन पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टैब्लिशमेंट का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समर्थक है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक स्थायी खतरा है।

- पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टैब्लिशमेंट का अर्थ है- सेना, खुफिया एजेंसी और उच्च स्तरीय राजनीतिक अधिकारियों का गठजोड़।
- **चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद को भी नजरअंदाज** किया है। साथ ही, चीन-पाकिस्तान महाद्वीपीय गठजोड़ में बड़े पैमाने पर और स्थायी सैन्य व आर्थिक आयाम भी शामिल हैं।

- **जल शक्ति:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत की जल आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांधों का निर्माण किया है। इन बांधों के जरिए चीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ या सूखे की स्थितियां उत्पन्न करके भारत के खिलाफ भू-रणनीतिक हथियार के रूप में जल का उपयोग कर सकता है।
  - गौरतलब है कि वर्ष 2000 में, तिब्बत में बांध टूटने की वजह से आई बाढ़ ने पूर्वोत्तर भारत में भारी तबाही मचाई थी।
- **LAC के पास रणनीतिक निर्माण:** उदाहरण के लिए- चीन ने हाल ही में पैंगोंग झील के पास 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया है। यह पुल झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों के बीच चीनी सैनिकों की त्वरित आवाजाही को सुगम बनाता है।
- **स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स की नीति:** चीन ने भारत के अलग-अलग पड़ोसी देशों, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार में अपनी **सामरिक उपस्थिति व दोहरे उपयोग वाली अवसंरचना का विकास** करके भारत की चिंताओं को बढ़ाया है। उदाहरण के लिए- **हंबनटोटा बंदरगाह (श्रीलंका), ग्वादर बंदरगाह (पाकिस्तान),** आदि।
- **'वन चाइना पॉलिसी' को भारत की मान्यता फिर चीन की ओर से 'एक भारत नीति' की अनदेखी:** चीन का CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है। भारत ने 2003 में ही **वन चाइना पॉलिसी** को मान्यता प्रदान कर दी थी। हालांकि, चीन अभी भी **'एक भारत नीति'** के प्रति पूरी तरह से अपना सम्मान प्रकट नहीं कर पाया है।
  - **वन चाइना पॉलिसी** चीन की इस स्थिति की राजनयिक मान्यता है कि चीन में केवल एक सरकार है, जो **पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC)** पर शासन कर रही है। **वन चाइना पॉलिसी** के तहत चीन ताइवान को मुख्य भूमि चीन का अंग मानता है। वहीं ताइवान स्वयं को **रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC)** कहता है और यह 1949 से चीन यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से स्वतंत्र रूप से शासित है।
- **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में नौवहन की स्वतंत्रता:** दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावे, IOR में नौवहन की स्वतंत्रता और स्थिरता के समक्ष चिंताएं पैदा करते हैं। चीन के इन दावों का उसके पड़ोसी देशों द्वारा विरोध किया जाता है। इससे **भारत के सामरिक व रणनीतिक हित भी प्रभावित** होते हैं।

LAC पर चीन की आक्रामकता के लिए उत्तरदायी कारक

- **भारत की सामरिक स्वायत्तता और बढ़ती वैश्विक उपस्थिति:**
  - **आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में भारत:** चीन भारत के आर्थिक और सैन्य उत्थान तथा दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत की हालिया स्थिति से सावधान है।
    - भारत के लिए, सीमा पर तनाव का सीधा-सा अर्थ **सीमा सुरक्षा के लिए अधिक-से-अधिक संसाधनों का इस्तेमाल** करना है। इससे भारत के लिए न केवल चीन के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि चीन-पाकिस्तान गठबंधन भी मजबूत होगा।
  - **BRI की अस्वीकृति:** भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है, जिसने चीन की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि BRI कार्यक्रम की शुरुआत 2013 में की गई थी।

क्या आप जानते हैं?

> तवांग में **तवांग गंडेन नामग्याल ल्हात्से (तवांग मठ)** अवस्थित है। यह **दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ** है। इस मठ की स्थापना **मेराग लोद्रो ग्यामत्सो ने 1680-81 में पांचवें दलाई लामा की इच्छा का सम्मान** करने के लिए की थी।

  - **एक क्षेत्रीय लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में भारत:** भारत चीन के प्रभाव को चुनौती देते हुए पड़ोसी देशों के लिए **चीन की ऋण-जाल कूटनीति** का एक स्थायी विकल्प प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए-
    - राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व में मालदीव ने भारत के साथ **व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए विज़न** को अपनाने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि मोहम्मद मुइज्जू ने पहले 'इंडिया आउट' अभियान का समर्थन किया था।
    - भारत ने अलग-अलग वैश्विक मंचों तथा IMF और UNSC जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में **'ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता'** के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है।
- **भूटान फैक्टर:** यदि चीन अरुणाचल प्रदेश पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि भूटान की पश्चिमी और पूर्वी, दोनों सीमाओं पर चीन उसका पड़ोसी होगा। इससे चीन की सेना को भारी सामरिक लाभ मिल सकता है।

- चीन ने एक **"स्वैप (विनिमय) व्यवस्था"** का प्रस्ताव रखा है। इसमें चीन ने प्रस्ताव दिया है कि **यदि भूटान डोकलाम सहित पश्चिम के क्षेत्रों पर चीन के दावे को स्वीकार कर लेता है, तो वह (चीन) उत्तर (पासमलुंग और जकारलुंग) के क्षेत्रों पर भूटान के दावे को स्वीकार** कर लेगा। यह प्रस्तावित व्यवस्था **भारत के लिए चिंताजनक** है।
  - **डोकलाम भूटान, भारत और चीन के ट्राइजंक्शन** पर स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह **भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट** है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को **चिकन नेक** भी कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब जाने का प्रयास कर रहा है। इससे भारत और भूटान दोनों के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

- **अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्त्व:**
  - **सामरिक अवस्थिति:** चीन को मिसाइलों से निशाना बनाने हेतु अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए सबसे निकटतम स्थान है। साथ ही, चीन से संभावित हमलों के खिलाफ बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली तैनात करने हेतु भी अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए सबसे अच्छा स्थान है।
    - यह चीन को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामरिक प्रवेश का संभावित मार्ग प्रदान करता है।
  - **तिब्बत फैक्टर:** अरुणाचल प्रदेश का **तवांग** तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऊपरी अरुणाचल क्षेत्र में कुछ जनजातियां हैं, जिनका तिब्बत के लोगों के साथ सांस्कृतिक संबंध है।
    - चीन को भय है कि अरुणाचल में इन नृजातीय समूहों की मौजूदगी किसी स्तर पर बीजिंग के खिलाफ **लोकतंत्र समर्थक तिब्बती आंदोलन** को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **वैचारिक और बदलती वैश्विक गतिशीलता:**
  - **चाइनीज मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स या साइनोसेंट्रिज्म:** चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की समकालीन विदेश नीति **मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स या साइनोसेंट्रिज्म** से प्रेरित बताई जाती है।
    - **साइनोसेंट्रिज्म** एक नृजातीय केंद्रित राजनीतिक विचारधारा है। यह विचारधारा **चीन को दुनिया का सभ्य केंद्र** मानती है, जो बर्बर और असभ्य लोगों से घिरा हुआ है।
    - कुछ टिप्पणीकार चीनी BRI को चीन के साइनोसेंट्रिक विश्व-दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में देखते हैं, जो बदले में, पश्चिमी उदार आर्थिक व्यवस्था और एशिया में भारत की स्थिति के समक्ष एक चुनौती है।
  - **लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ भारत की मित्रता: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड** जैसे गठबंधनों में भारत की भागीदारी भारत द्वारा चीन के प्रतिसंतुलन को मजबूत करती है। इस प्रकार की भागीदारी चीन को भारत के उदय से सावधान करती है।
  - **'ग्रे जोन' वॉरफेयर:** यह **प्रत्यक्ष संघर्ष और शांति के बीच एक अस्पष्ट स्थिति** होती है। इसमें **गैर-पारंपरिक युद्ध तकनीक और रणनीतियों का उपयोग** किया जाता है। इसमें पारंपरिक तरीके युद्ध शामिल नहीं है।
    - ग्रे जोन वॉरफेयर शांति और युद्ध के बीच की एक स्थिति है, जहां प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के बजाय अन्य तरीकों से दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश की जाती है।
    - इसका उद्देश्य **शत्रु पक्ष को बिना किसी खतरे या हमले का एहसास कराए उसे नुकसान पहुंचाना** है।
    - इसका एक उदाहरण **चीन की "सलामी स्लाइसिंग नीति"** है। इसके तहत चीन लंबी अवधि में अपने किसी शत्रु देश के छोटे-छोटे क्षेत्रों पर कब्ज़ा करता रहता है।
- ऐसा कहा जा रहा है कि इस नीति के तहत **चीन, दक्षिण चीन सागर में अपने प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार** कर रहा है।

निष्कर्ष

- भारत के विदेश मंत्री के शब्दों में, "भारत और चीन के बीच संबंध काफी चुनौतीपूर्ण" हैं, क्योंकि **भारत और चीन विश्व के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश** हैं। **दोनों व्यापक रूप से एक समानांतर समय-सीमा में आगे बढ़** रहे हैं, तथा एक-दूसरे के पड़ोस में भी अवस्थित हैं।
- **2020 के सैन्य गतिरोध से दोनों देशों के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा** है। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत की हमेशा से यह धारणा रही है कि द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एक महत्वपूर्ण शर्त है। **दोनों देशों को भी इस पर धीरे-धीरे और प्रगतिशील तरीके से विचार** करना होगा।

2.2. भारत-मालदीव संबंध (India-Maldives Relationship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मालदीव के राष्ट्रपति ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा की।

यात्रा के प्रमुख परिणामों पर एक नज़र

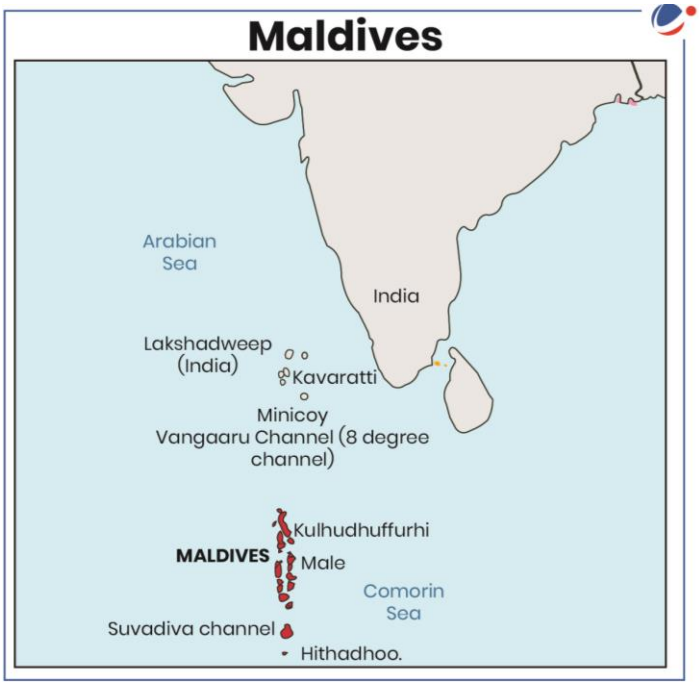

- दोनों पक्षों ने **"व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी[13]"** के विज़न को अपनाने की घोषणा की है। **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **विकासात्मक सहयोग: ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना** आदि को समय पर पूरा करने में सहायता करने पर सहमति बनी है।
  - **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू की गई है। दोनों देशों ने विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करने के लिए **अपनी-अपनी मुद्राओं में व्यावसायिक लेन-देन** शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है।
  - **डिजिटल और वित्तीय पहल:** मालदीव में रुपे (RuPay) कार्ड की शुरुआत से **मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान करने में आसानी** होगी।
  - **स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग:** मालदीव सरकार द्वारा **भारतीय फार्माकोपिया** को मान्यता देने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके बाद मालदीव में **भारत-मालदीव जन औषधि केंद्रों की स्थापना** की जाएगी।
- दोनों देशों ने **400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 बिलियन भारतीय रुपये के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट (CSA)** पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे मालदीव को अपने **विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में** मदद मिलेगी।
  - इस संबंध में **SAARC करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27** के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं।
  - **करेंसी स्वैप एग्रीमेंट** दो देशों के बीच एक वित्तीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश एक निश्चित विनिमय दर पर अपनी-अपनी घरेलू मुद्राओं में व्यापार करते हैं। इसके बाद, एक निश्चित तिथि पर दोनों देश/ पक्ष उन मुद्राओं को आपस में सहमत दर पर एक-दूसरे को वापस कर देते हैं।
- **हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे का उद्घाटन और थिलाफुशी में एक नए वाणिज्यिक बंदरगाह के विकास** के लिए भारत ने समर्थन देने की घोषणा की है।

भारत के लिए मालदीव का महत्त्व

- **भू-राजनीतिक:** मालदीव अपनी अवस्थिति के कारण **भारत की NFP (नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी) तथा SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास)** हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- **सामरिक:**
  - मालदीव भौगोलिक रूप से **पश्चिमी हिंद महासागर चोकपॉइंट्स** (अदन की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य) और मलक्का जलडमरूमध्य के **पूर्वी हिंद महासागर चोकपॉइंट** के बीच **एक 'टोल गेट'** की तरह स्थित है।
  - हिंद महासागर में प्रमुख शिपिंग लेन के किनारे स्थित, मालदीव नौवहन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के मामले में भारत के हितों का केंद्र है।
- **भू-अर्थशास्त्र:** मालदीव **महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (SLOCs)[14]** के निकट स्थित है।
  - भारत का **50% विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात** मालदीव के आसपास अवस्थिति इन **SLOCs** से होकर गुजरता है। इसके अलावा, भारत 2023 में लगभग **1 बिलियन डॉलर** का आंकड़ा पार करके मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा है।

---

[13] Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership

[14] Sea lines of communication

- **सुरक्षा:** मालदीव के साथ मजबूत संबंध भारत को IOR में **चीन की महत्वाकांक्षी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' कूटनीति का मुकाबला** करने में सक्षम बनाएगा।
- **आतंकवाद और पायरेसी या समुद्री डकैती से निपटना:** भारत के लिए मालदीव **आतंकवाद, हिंद महासागर में समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी आदि के खिलाफ रक्षा** हेतु अग्रिम मोर्चे के रूप में काम करता है।
- **प्रवासी भारतीय और पर्यटन:** मालदीव में **कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा भारतीय प्रवासियों** का है। ये प्रवासी विशेष रूप से **स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा** जैसे क्षेत्रकों में कार्यरत हैं। साथ ही, यह भारतीयों के लिए एक **लोकप्रिय पर्यटन स्थल** भी है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता है।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां

- **चीन के रणनीतिक फुटप्रिंट: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मालदीव के बुनियादी ढांचे में निवेश** आदि के माध्यम से मालदीव में चीन की बढ़ती उपस्थिति ने भारत के लिए चिंताएं पैदा कर दी हैं।
  - उदाहरण के लिए- **सिनामाले पुल** का निर्माण, मालदीव को सैन्य सहायता हेतु समझौता, आदि।
- **कट्टरपंथ:** मालदीव में रूढ़िवादी इस्लामी कट्टरपंथियों की संख्या में वृद्धि, जिनमें **पाकिस्तान समर्थित जिहादी आतंकवादी समूह, इस्लामिक स्टेट (IS),** आदि शामिल हैं।
  - **भारत की चिंता:** ये आतंकवादी संगठन भारत और भारतीय परिसंपत्तियों पर हमले के लिए **मालदीव को लॉन्च पैड** के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं?

➢ **इंडिया आउट अभियान** मालदीव के समाज के कुछ वर्गों के बीच भारतीय प्रभाव, विशेष रूप से भारत की सैन्य उपस्थिति को कम करने की मांग करने वाला भावनात्मक और राजनीतिक आंदोलन है।

- **भारत विरोधी भावना:** जैसे- वर्तमान मालदीव शासन के तहत भारत विरोधी भावनाएं बढ़ना, **भारतीय सैन्य टुकड़ियों और हेलीकॉप्टरों की वापसी की मांग करना,** भारत समर्थित बुनियादी ढांचे के विकास को रोकना, इंडिया आउट कैंपेन, आदि।
- **पारदर्शिता की कमी और गलतफहमी:** मालदीव की पिछली सरकार और भारत के बीच हस्ताक्षरित समझौतों पर स्थानीय मालदीव मीडिया द्वारा आपत्तियां उठाना।
  - उदाहरण के लिए- भारतीय अनुदान सहायता वाले **UTF (उथुरु थिला फाल्हू-द्वीप) हार्बर परियोजना** के बारे में मालदीव की मीडिया ने यह आरोप लगाया था कि इसे मालदीव के तटरक्षक बंदरगाह और डॉकयार्ड की बजाय भारतीय नौसैनिक अड्डे में बदल दिया जाएगा।

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे की राह

- **सहयोग और परियोजनाएं:** भारत द्वारा चीनी परियोजनाओं के विकल्पों की पेशकश करने के लिए सहयोग में तेजी लाने की जरूरत है। साथ ही, ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता है।
- **वित्तीय सहायता में वृद्धि:** मालदीव को चीन की कूटनीति के **'लाभ के बदले ऋण'** मॉडल से मुक्त होने में मदद करने के लिए भारत द्वारा मालदीव को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **सुरक्षा सहयोग:** दोनों देशों को संयुक्त रक्षा अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने जैसे उपायों के माध्यम से आतंकवाद-रोधी, कट्टरपंथ-रोधी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **सॉफ्ट डिप्लोमेसी और धारणा प्रबंधन:** भारत को भारत विरोधी भावनाओं को दूर करने, मालदीव के लोगों में भारत के प्रति विश्वास पैदा करने और उनकी सद्भावना अर्जित करने के लिए प्रवासन, फिल्म, संगीत और लोगों के बीच संपर्क जैसे अपने सांस्कृतिक पहलुओं को शामिल करने की आवश्यकता है।
- **गुजराल सिद्धांत:** भारत को **गुजराल सिद्धांतों** का पालन करने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि ये सिद्धांत अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ भारत के विदेश संबंधों के संचालन का मार्गदर्शन करते हैं।

2.3. भारत-कनाडा संबंध (India-Canada Relationship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और कनाडा के बीच **कूटनीतिक तनाव बढ़** गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- राजनयिक विवाद के बीच **भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया और 6 कनाडाई राजनयिकों को अपने देश से निष्कासित** कर दिया।
- भारत और कनाडा के बीच यह राजनयिक तनाव तब उत्पन्न हुआ जब कनाडा की सरकार ने वहां मौजूद भारतीय अधिकारियों पर एक आपराधिक मामले में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही, इन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए **भारत सरकार से उन्हें प्राप्त राजनयिक छूट को खत्म करने की मांग की।** भारत सरकार ने कनाडा के इन आरोपों को निराधार बताया है।
    - **राजनयिक छूट या सुरक्षा (Diplomatic immunity)** अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है। इसके अनुसार, विदेशी सरकारी अधिकारी अपनी **आधिकारिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए मेजबान देश की स्थानीय अदालतों एवं अन्य प्राधिकारियों के अधिकार-क्षेत्र के अधीन नहीं** आते।
        - **राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1961** राजनयिक अधिकारियों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां/ छूट प्रदान करता है।

भारत-कनाडा संबंधों में हालिया गिरावट के लिए जिम्मेदार कारक

- **खालिस्तानी उग्रवादियों का मुद्दा:** कनाडा सरकार द्वारा समर्थित खालिस्तानी अलगाववादी समूह भारत-कनाडा संबंधों में तनाव पैदा कर रहे हैं। इसके कारण दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में गिरावट आ रही है।
- **भारतीय संप्रभुता:** भारत की बार-बार चेतावनी के बावजूद, कनाडा की सरकार खालिस्तानी गतिविधियों का समर्थन कर रही है। 2023 में कनाडा ने एक स्वतंत्र सिख स्टेट के गठन पर अनौपचारिक जनमत संग्रह जैसी गतिविधि का समर्थन किया था। इसे भारत ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ माना था।
- **सुरक्षा सहयोग:** कनाडा में रहने वाले उग्रवादियों और संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़े अपराधियों को लेकर भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोधों को कनाडा की सरकार ने कई बार नजरअंदाज किया है।
- **निष्क्रिय समझौते:** दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते तथा विदेशी निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौते में कोई प्रगति नहीं देखी गई है।
- **वोट बैंक की राजनीति:** सिख समुदाय (विशेष रूप से ओन्टारियो और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रांतों में), कनाडा के राजनीतिक दलों (खासकर लिबरल पार्टी) के लिए प्रमुख वोट बैंक हैं।

राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1961 के बारे में

- यह देशों के बीच **राजनयिक संबंधों के लिए नियमों और विनियमों को परिभाषित** करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है।
- यह कन्वेंशन **सामान्य सिद्धांत और शर्तें** निर्धारित करता है कि देशों को **एक-दूसरे के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार** करना चाहिए। साथ ही, यह उनके लिए **विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां (Privileges and immunities)** निर्धारित करता है।
- भारत **1965 में इस कन्वेंशन** में शामिल हुआ था और **1972** में **राजनयिक संबंध (वियना कन्वेंशन) अधिनियम[15], 1972 के माध्यम** से इसकी अभिपुष्टि की थी।

[15] Diplomatic Relations (Vienna Convention) Act

भारत-कनाडा संबंधों का महत्त्व

- **रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग:** दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और व्यापार के लिए आवश्यक है।
    - कनाडा की हिंद-प्रशांत रणनीति, **चीन को 'आक्रामक विघटनकारी वैश्विक शक्ति'** के रूप में और **भारत को क्षेत्र के साझा हितों में सहयोग के लिए 'महत्वपूर्ण भागीदार'** के रूप में स्वीकार करती है।
- **आर्थिक और व्यापार:** 2023 में, दोनों देशों के बीच **द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 9.36 बिलियन डॉलर** तक पहुंच गया था। इसमें भारत ने **3.80 बिलियन डॉलर का निर्यात और 5.56 बिलियन डॉलर का आयात** किया था।
    - 2023 में **द्विपक्षीय सेवा व्यापार 9.99 बिलियन डॉलर** था।
- **निवेश के अवसर:** कनाडाई पेंशन फंड्स ने भारत में कमोबेश 75 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। साथ ही, ये फंड्स भारत को निवेश के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में भी देखते हैं।
- **प्रवासी:** कनाडा दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां अत्यधिक संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। यहां लगभग 1.8 मिलियन भारतीय निवास करते हैं, जो कनाडा की कुल आबादी का 3% से अधिक है।
- **असैन्य परमाणु सहयोग:** कनाडा के साथ **परमाणु सहयोग समझौते पर 2010** में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत असैन्य परमाणु सहयोग पर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था।
- **रक्षा सहयोग:** सैन्य और रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी, अवसंरचना आदि के विकास के लिए **DRDO व कनाडाई वाणिज्यिक निगम के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को 2021 में नवीनीकृत** किया गया था। गौरतलब है कि इस पर **2016** में हस्ताक्षर किए गए थे।

हालिया कूटनीतिक गिरावट के संभावित प्रभाव

- **रणनीतिक सहयोग:** फाइव आई एलायंस सहित पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संयमित रही है। इससे सुरक्षा, रक्षा, परमाणु ऊर्जा आदि में सहयोग पर दबाव पड़ सकता है।
- **आर्थिक और व्यापार समझौते:** द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाह को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही, व्यापार वार्ता में और देरी हो सकती है।
    - उदाहरण के लिए, भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)[16], विदेशी निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता (FIPA)[17], तथा अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट (EPTA)।
- **प्रवासी और छात्र चिंता:** बढ़ते तनाव से कनाडा में प्रवासी भारतीय विशेषकर भारतीय छात्र प्रभावित हो सकते हैं।
    - दिसंबर, 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार, **अनुमानित 2,30,000 भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ते हैं**। इनमें देश की अंतर्राष्ट्रीय छात्र आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है।
- **आव्रजन और वीज़ा प्रोसेसिंग:** सुरक्षा संबंधी खतरों का हवाला देते हुए वीज़ा सेवाओं का संभावित निलंबन, दोनों देशों के लोगों के लिए यात्रा और आव्रजन योजनाओं को बाधित कर सकता है।

फाइव आई अलायंस के बारे में

- यह एक **बहुपक्षीय खुफिया जानकारी साझाकरण नेटवर्क** है। इसमें **पांच अंग्रेजी भाषी देशों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम** और **संयुक्त राज्य अमेरिका)** की 20 से अधिक अलग-अलग एजेंसियां शामिल हैं।
    - यह फाइव आईज देशों की गैर-राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संस्थाओं में शामिल है।
- यह **सर्विलांस बेस्ड और सिग्नल्स इंटेलिजेंस (SIGINT)** दोनों पर आधारित है।
- इसने सहयोग बढ़ाने के लिए **फाइव आईज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल** की स्थापना की है।

दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए जा सकने वाले जरूरी कदम

- **रचनात्मक कूटनीति:** आपसी चिंताओं का पारदर्शी तरीके से **समाधान निकालने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा शुरू** करनी चाहिए।
    - **दोनों पक्षों को यथास्थिति को बाधित किए बिना अपनी चिंताओं को व्यक्त** करना चाहिए।

[16] Comprehensive Economic Partnership Agreement

[17] Foreign Investment Promotion and Protection Agreement

- **सुरक्षा सहयोग:** दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित **"आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग की रूपरेखा (2018)** के तहत आतंकवाद व खालिस्तानी उग्रवाद से निपटने के लिए सहयोग करना चाहिए।
- **आर्थिक और व्यापार संबंध:** आर्थिक संबंधों, निवेश प्रवाह आदि के पुनर्निर्माण के लिए व्यापार समझौतों (जैसे- CEPA) पर फिर से वार्ता आरंभ करनी चाहिए।
- **प्रवासी भारतीयों को शामिल करना:** दोनों देशों को लोगों के बीच संबंधों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संवाद तथा संघर्ष समाधान प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए **प्रवासी भारतीयों व ट्रैक- II कूटनीति माध्यमों को प्रोत्साहित** करना चाहिए।
- **सामरिक हित:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **चीन को प्रतिसंतुलित करने और नौवहन की स्वतंत्रता व नियम-आधारित व्यवस्था पर बल देने जैसे प्रमुख सामरिक हितों में सहयोग को मजबूत** करने की आवश्यकता है।

2.4. आसियान (ASEAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **लाओस (लाओ पीडीआर) के वियनतियाने में 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन** में भाग लिया।

आसियान (दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का संगठन) के बारे में

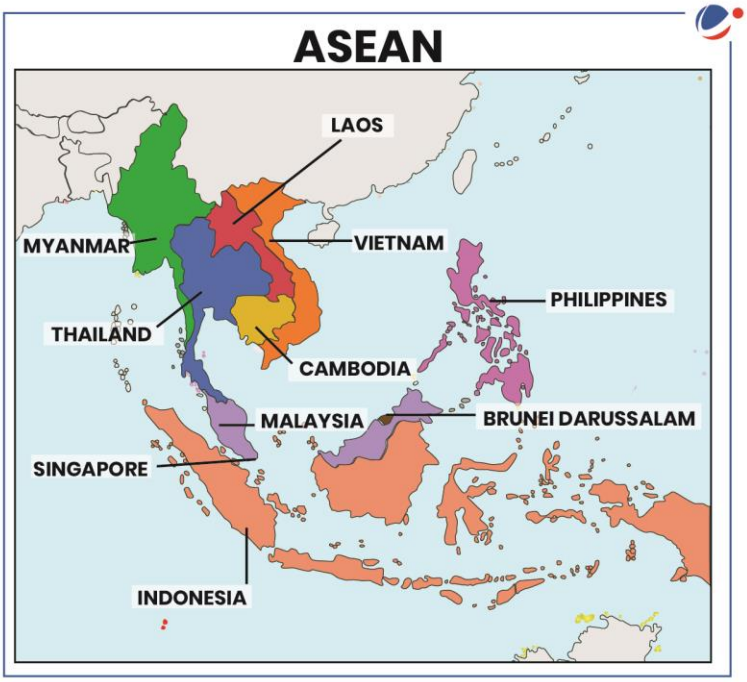

- यह एक **अंतर-सरकारी समूह** है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों व एशिया के अन्य देशों के बीच **राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा** देना है।
- आसियान की स्थापना **1967 में आसियान घोषणा-पत्र (बैंकॉक घोषणा-पत्र) पर हस्ताक्षर** के साथ हुई थी। इस घोषणा-पत्र पर **इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड** ने हस्ताक्षर किए थे।
  - वर्तमान में **इसके 10 सदस्य** हैं (मानचित्र देखें)।
- **मुख्यालय:** इसका मुख्यालय **इंडोनेशिया के जकार्ता** में स्थित है।
- **संस्थागत तंत्र:**
  - **आसियान की अध्यक्षता:** सदस्य देश **प्रतिवर्ष चक्रीय क्रम में आसियान की अध्यक्षता** करते हैं। यह सदस्य देशों के **अंग्रेजी नामों के वर्णमाला क्रम के आधार पर** निर्धारित होती है।
  - **आसियान शिखर सम्मेलन:** यह आसियान में **नीति-निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय** है। इसमें आसियान सदस्य देशों के **राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष** शामिल होते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन की बैठकें **वर्ष में दो बार आयोजित** की जाती हैं। यह क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करता है और नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
  - **आसियान समन्वय परिषद (ACC)[18]:** यह **आसियान समझौतों और निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख** करती है।
  - **आसियान सचिवालय:** यह आसियान की **गतिविधियों और पहलों का समर्थन करता है तथा सुगम बनाता** है।
  - **आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF)[19]:** यह आसियान सदस्य देशों और उनके सहयोगियों के बीच **राजनीतिक तथा सुरक्षा मुद्दों पर वार्ता व सहयोग** के लिए मंच है।

[18] ASEAN Coordinating Council

[19] ASEAN Regional Forum

    - **भारत 1996 में ARF में शामिल हुआ था।**
  - **निर्णय लेना:** आसियान के सभी निर्णय **आपसी परामर्श और सर्वसम्मति** के आधार पर लिए जाते हैं।
- **आसियान फ्यूचर फोरम:**
  - इसे **2023 में वियतनाम ने 43वें आसियान शिखर सम्मेलन** में प्रस्तावित किया था।
  - यह आसियान सदस्य देशों के साथ-साथ **भागीदार देशों के लिए नए विचारों और नीतिगत सिफारिशों को साझा** करने का एक साझा मंच है।
  - **भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है।**

21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के मुख्य आउटकम्स

- **आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा** की गई और सहयोग की भावी दिशा तय की गई।
  - नेताओं ने आसियान-भारत साझेदारी की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए एक नई **आसियान-भारत कार्य योजना (2026-2030)** बनाने पर सहमति व्यक्त की और दो संयुक्त वक्तव्य अपनाए।
  - शिखर सम्मेलन की थीम **"कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाने[20]" के अनुरूप 10-सूत्री योजना की घोषणा** की गई।
- **आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर संयुक्त वक्तव्य:**
  - व्यापार को बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सहयोग के लिए **आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा** में तेजी लाना।
  - संयुक्त गतिविधियों का समर्थन करने के लिए **डिजिटल भविष्य हेतु आसियान-भारत फंड** के लॉन्च का स्वागत किया गया।
- **डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य:**
  - **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI):** DPI विकास में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना; क्षेत्रीय एकीकरण के लिए संयुक्त पहलों को लागू करना; स्वास्थ्य क्षेत्रक में मौजूद साझा चुनौतियों का समाधान करना आदि।
  - **वित्तीय प्रौद्योगिकी:** नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से सीमा-पार भुगतान प्रणालियों पर सहयोग का पता लगाना।
- **साइबर सुरक्षा:** डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति प्रकट की गई। **प्रथम आसियान-भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता** का स्वागत किया गया।
  - **ट्रैक 1 डिप्लोमेसी (कूटनीति) के बारे में:**
    - ट्रैक 1 डिप्लोमेसी को **आधिकारिक कूटनीति** भी कहते हैं। इसके तहत सरकारों के बीच सीधे औपचारिक और आधिकारिक वार्ताएं होती हैं।
    - ये **औपचारिक वार्ताएं** राजनयिकों, राष्ट्राध्यक्षों और अन्य आधिकारिक प्राधिकारियों द्वारा आयोजित की जाती हैं।

कूटनीति के अन्य ट्रैक

- **ट्रैक 1.5 कूटनीति:** इसमें सरकारी प्रतिनिधि और गैर-सरकारी विशेषज्ञ (जैसे कि शिक्षाविद, थिंक टैंक के सदस्य, या सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि) औपचारिक ट्रैक 1 कूटनीति से कम औपचारिक ढंग से वार्ताएं और बैठकें करते हैं। यह पारंपरिक **ट्रैक 1 कूटनीति** और **ट्रैक 2 कूटनीति** के बीच की कड़ी मानी जाती है।
- **ट्रैक 2 कूटनीति:** यह सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना गैर-सरकारी विशेषज्ञों के बीच वार्ता के लिए **एक अनौपचारिक माध्यम** होता है।

- **अन्य प्रमुख क्षेत्र:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण, सतत वित्त-पोषण व निवेश, तथा एक कार्यान्वयन तंत्र की भी घोषणा की गई।

[20] Enhancing Connectivity and Resilience

भारत के लिए आसियान का महत्त्व

- **आर्थिक साझेदारी और व्यापार:** आसियान भारत का **चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है और भारत के कुल वैश्विक व्यापार का **11% आसियान के साथ** होता है।
  - 2023-24 के दौरान भारत और आसियान के बीच **122.67 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार** हुआ था।
- **हिंद-प्रशांत रणनीति के साथ तालमेल: आसियान सेंट्रलिटी** का भारत की **'एक्ट ईस्ट'** नीति और **'हिंद-प्रशांत'** रणनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो इस क्षेत्र में हितों के बीच तालमेल को दर्शाता है।
  - इसके अलावा, भारत अपने पूर्वी पड़ोसी देशों में (उदाहरण- म्यांमार में) स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भमिका निभा रहा है।
- **पूर्वोत्तर के साथ कनेक्टिविटी:** आसियान के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित पहलें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को क्षेत्रीय व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में स्थापित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं।
  - जैसे- कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, आदि।
- **चीन के प्रभाव को संतुलित करना:** आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करने से भारत को क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी।
- **समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना:** भारत मलक्का जलडमरूमध्य सहित महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए आसियान के साथ अपने संबंधों को मज़बूत कर रहा है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।
- **पर्यटन और शिक्षा:** आसियान देश भारतीय पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। वहीं आसियान देशों के छात्र तेजी से भारत में अध्ययन कर रहे हैं। आसियान देशों के साथ यह सौहार्दपूर्ण संबंध भारत की सॉफ्ट पॉवर व सद्भावना को मजबूत करता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आसियान का महत्त्व

- **भू-राजनीतिक और आर्थिक केंद्रीयता:** आसियान दक्षिण-पूर्व एशिया के केंद्र में अवस्थित है और दक्षिण-पूर्व एशिया गतिशील एशिया-प्रशांत व हिंद महासागर क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। एशिया-प्रशांत व हिंद महासागर क्षेत्र **आर्थिक संवृद्धि और भू-राजनीतिक परिवर्तन** के प्रमुख केंद्र हैं।

- **नियम-आधारित व्यवस्था:** आसियान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **नियम-आधारित सुरक्षा संरचना को बढ़ावा देने** में केंद्रीय भूमिका निभाता है, जो क्षेत्र की **शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि** के लिए महत्वपूर्ण है।
- **बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता को संतुलित करना:** आसियान सेंट्रलिटी **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन** जैसी प्रमुख शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करती है।
- **कनेक्टिविटी:** आसियान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण और विकास को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी पहलों को प्रोत्साहित करता है, जो **मास्टर प्लान ऑन आसियान कनेक्टिविटी (MPAC), 2025** का पूरक है।

भारत-आसियान संबंधों में चुनौतियां

- **आर्थिक चिंताएं:** क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) समझौते से बाहर निकलने के भारत के फैसले ने आसियान सदस्यों में आर्थिक तौर पर निराशा की भावना पैदा की है।
- **व्यापार असंतुलन:** पिछले कुछ वर्षों में आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है।
  - 2016-17 में व्यापार घाटा 9.66 बिलियन डॉलर था, जो 2022-23 में बढ़कर 43.57 बिलियन डॉलर हो गया।
- **बहुपक्षीय जुड़ाव का अभाव:** भारत का आसियान देशों के साथ बहुपक्षीय की बजाय द्विपक्षीय आधार पर अधिक जुड़ाव है।
- **बढ़ता चीनी प्रभाव:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। यह आर्थिक लाभ और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत की क्षमता का दोहन करने की आसियान की क्षमता को सीमित करती है।
- **कनेक्टिविटी:** कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, भारत और आसियान देशों के बीच भौतिक व डिजिटल कनेक्टिविटी सीमित बनी हुई है।
  - अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, जैसे कि **कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** आदि को पूरा करने में देरी हो रही है। यह विलंब आसियान व भारत के मध्य आर्थिक सहयोग की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इससे व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क प्रभावित हो रहा है।

अन्य बहुपक्षीय संगठनों के संबंध में आसियान का विश्लेषण

- **क्वाड (QUAD):**
  - **आसियान सेंट्रलिटी को चुनौती:** आसियान का मानना है कि क्वाड संभावित रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी केंद्रीय भूमिका को कमजोर कर रहा है।
    - क्वाड के रणनीतिक फ्रेमवर्क में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसी प्रमुख शक्तियों की भागीदारी क्षेत्रीय सुरक्षा व कूटनीतिक मामलों में आसियान के प्रभाव एवं नेतृत्व के संबंध में चिंता पैदा करती है।
  - **आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) पर प्रभाव:** आसियान द्वारा स्थापित ARF का उद्देश्य अमेरिका और चीन सहित 27 प्रतिभागियों के लिए राजनीतिक व सुरक्षा वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करके हिंद-प्रशांत में आसियान के प्रभाव को बनाए रखना है।
    - क्वाड के उदय को एक प्रतिस्पर्धी सुरक्षा पहल के रूप में देखा जाता है, जो संभावित रूप से ARF को दरकिनार कर रही है।
  - **ZOPFAN फ्रेमवर्क के लिए खतरा:** आसियान सदस्यों ने 1971 में शांति, स्वतंत्रता और तटस्थता क्षेत्र (ZOPFAN)[21] समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह हिंद-प्रशांत, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में बाहरी हस्तक्षेप को रोकने पर केंद्रित है।
    - क्षेत्र में क्वाड की गतिविधियों को तटस्थता की इस प्रतिबद्धता को संभावित रूप से कमजोर करने के रूप में देखा जाता है।
- **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क/ SAARC):**
  - **आर्थिक और व्यापार विकास:** सार्क की तुलना में आसियान ने क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में तेजी से वृद्धि की है। इसके विपरीत सार्क आर्थिक एकीकरण और सहयोग का समान स्तर हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
  - **क्षेत्रीय पहलों में सफलता:** आसियान ने खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जो अक्सर इन क्षेत्रकों में सार्क की उपलब्धियों से बढ़कर है।
- **बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC/ बिम्सटेक):**
  - **दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सेतु:** बिम्सटेक सार्क और आसियान देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। साथ ही, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में अंतर-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी एवं सहयोग को बढ़ाता है।

*<u>**नोट:** क्वाड के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, सितंबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.1. देखें।</u>*

[21] Zone of Peace, Freedom, and Neutrality

संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आगे की राह

- **10-सूत्रीय योजना:** यह भारत और आसियान देशों के बीच गहन सहयोग, आपसी सम्मान एवं साझा विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार करती है। साथ ही, हिंद-प्रशांत में आसियान सेंट्रलिटी के भारत के विज़न को आगे बढ़ाती है। उल्लेखनीय है कि भारत ने अपने इस विज़न को 2018 में शांगरी ला डायलॉग में रेखांकित किया था।
- **आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाना:** व्यापार असंतुलन को दूर करने में मदद करने के लिए **आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** के दायरे एवं प्रभावशीलता को अपडेट और विस्तारित करना चाहिए।
- **समुद्री सहयोग:** भारत और आसियान के बीच **एक मजबूत समुद्री सहयोग SLOCs की सुरक्षा की पूरी क्षमता को प्राप्त करने और सामरिक व रणनीतिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि** के लिए महत्वपूर्ण है।
- **चीन का प्रतिसंतुलन:** भारत को एक **'हिंद-प्रशांत समुद्री साझेदारी'** शुरू करनी चाहिए, जो आसियान देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद समुद्री सुरक्षा साझेदारी की तलाश करती हो।
- **कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना:** प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं (जैसे, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग) को पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही, व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाते हुए अन्य आसियान देशों तक इन परियोजनाओं के विस्तार का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए।

2.5. ब्रिक्स (BRICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रूस के **कजान** शहर में **16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** आयोजित किया गया। यह पहला ऐसा शिखर सम्मेलन था जिसमें ब्रिक्स के विस्तार के बाद नए सदस्य देश भी शामिल हुए।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में

- **कज़ान घोषणा-पत्र को अपनाया गया:** इस अवसर पर **"कज़ान घोषणा-पत्र: न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना[22]"** को अपनाया गया।
- इसके अलावा, **2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता** और **ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** के आयोजन के लिए **ब्राजील** को पूर्ण समर्थन देने की बात कही गई।

ब्रिक्स के बारे में

- **उत्पत्ति:** BRIC शब्द का इस्तेमाल **ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ' नील ने 2001 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन** की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया था।
  - BRIC ने **2006 में G-8 आउटरीच शिखर सम्मेलन** के अवसर पर एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना आरंभ किया था। **पहला BRIC शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित** किया गया था। 2010 में **दक्षिण अफ्रीका** को शामिल करने के साथ ही BRIC, ब्रिक्स/ BRICS बन गया।

[22] Kazan Declaration: Strengthening Multilateralism for Just Global Development and Security

- **सदस्य (10):**
  - **आरंभिक पांच सदस्य (ब्रिक्स):** ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साऊथ अफ्रीका; तथा
  - **पांच नए सदस्य (ब्रिक्स+):** मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।
- **ब्रिक्स प्रतिनिधित्व करता है:**
  - **विश्व की जनसंख्या का 45%** हिस्सा ब्रिक्स देशों में रहता है।
  - वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में **यूरोपीय संघ के 14.5%** और **G-7 के 29.3% की तुलना में ब्रिक्स देशों का हिस्सा 37.3%** है।
- **ब्रिक्स की महत्वपूर्ण पहलें:**

क्षेत्र	पहलें
वित्तीय	• **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) (2014):** इसका **मुख्यालय शंघाई** में है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों में अवसंरचना एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना है। इसमें **ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों के बीच वोटिंग शेयरों का समान वितरण** है। • **कॉन्टिंजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट (CRA):** यह एक वित्तीय सुरक्षा तंत्र है। यह भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे **सदस्य देशों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान** करता है। • **ब्रिक्स सीमा-पार भुगतान पहल (BCBPI)[23] या ब्रिक्स पे:** ब्रिक्स पे सदस्य देशों के बीच भुगतानों का निपटान करने के लिए **ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्मित एक भुगतान सेवा** है। यह स्विफ्ट जैसी पश्चिमी प्रणालियों के वर्चस्व वाली मौजूदा वैश्विक वित्तीय अवसंरचना का विकल्प प्रदान करती है। • **ब्रिक्स खाद्यान्न एक्सचेंज:** इस **पहल की शुरुआत रूस** ने की है। इसके तहत **"एक निष्पक्ष कृषि व्यापार प्रणाली विकसित करने"** के लिए ब्रिक्स के भीतर एक खाद्यान्न (जिंस) व्यापार मंच स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। • **ब्रिक्स क्लियर डिपॉजिटरी:** यह एक सीमा-पार भुगतान निपटान और डिपॉजिटरी अवसंरचना है।
ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति	• **"ब्रिक्स प्लस" संवाद:** यह संवाद **अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के उभरते बाजारों एवं विकासशील देशों** के साथ आयोजित किया गया था। इसका आयोजन **"ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ: एक साथ एक बेहतर विश्व का निर्माण[24]"** आदर्श वाक्य के साथ किया गया था। • **'ब्रिक्स भागीदार देश' का समर्थन:** इस नई श्रेणी में **क्यूबा, तुर्किए और वियतनाम सहित 13 नए भागीदार देश** शामिल किए गए हैं।
सुरक्षा	• **ब्रिक्स रैपिड सूचना सुरक्षा चैनल:** यह ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच साइबर खतरों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। • 2022 में अपने 14वें शिखर सम्मेलन में, ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के भीतर **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय** को अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया था।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	• **ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कांस्टेलेशन:** इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रिमोट सेंसिंग में सहयोग बढ़ाना है। • **ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) फ्रेमवर्क कार्यक्रम (2015):** इसका उद्देश्य उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर उत्कृष्ट अनुसंधान का समर्थन करना है, जिन्हें बहुराष्ट्रीय दृष्टिकोण द्वारा सर्वोत्तम तरीके से संबोधित किया जा सकता है। • हालिया शिखर सम्मेलन ने बड़े पैमाने पर संक्रामक रोगों के जोखिमों को रोकने के लिए **ब्रिक्स अनुसंधान एवं विकास वैक्सीन केंद्र और ब्रिक्स एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली** का समर्थन किया है।

समकालीन विश्व में ब्रिक्स की प्रासंगिकता

- **ऊर्जा सुरक्षा:** ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे सदस्यों सहित **ब्रिक्स देश विश्व के लगभग 44% क्रूड ऑयल** का उत्पादन करते हैं।
- **ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति:** ब्रिक्स आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में कार्य करते हुए विकासशील देशों की चिंताओं को उठाने और उनके अधिकारों का समर्थन करने के लिए भारत को एक मंच प्रदान करता है।
- **वार्ता के लिए सुरक्षित स्थान:** ब्रिक्स भारत को द्विपक्षीय तनाव (भारत-चीन डोकलाम गतिरोध) के दौरान भी वार्ता में शामिल होने और संभावित प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन करने के लिए तटस्थ मंच प्रदान करता है।

[23] BRICS Cross-Border Payments Initiative

[24] BRICS and Global South: Building a Better World Together

- **बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों की मांग को बढ़ावा देना:** यह भारत को समान वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और WTO जैसे संस्थानों में सुधारों पर जोर देने की अनुमति देता है।
    - उल्लेखनीय है कि **इथियोपिया और ईरान को छोड़कर,** सभी ब्रिक्स+ देश WTO के सदस्य हैं।

ब्रिक्स से जुड़ी चुनौतियां

ब्रिक्स का गठन सदस्य देशों के दीर्घकालिक सामान्य आर्थिक हितों में निहित था, लेकिन विविध चुनौतियों के कारण यह अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आर्थिक क्षमता का कम उपयोग: उदाहरण के लिए-**
    - **ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार:** हालांकि, ब्रिक्स देशों का सामूहिक रूप से वैश्विक व्यापार में 18% हिस्सा है, परन्तु ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार 2.2% (2022 तक) के निचले स्तर पर बना हुआ है। व्यापार में चीन का भौगोलिक अलगाव और प्रभुत्व एक प्रमुख मुद्दा है।
    - **ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CrRA):** इसका प्रस्ताव **2018** में दिया गया था, लेकिन सदस्यों के बीच आम सहमति की कमी के कारण इसे अब तक नहीं अपनाया गया है।
    - **विडॉलरीकरण:** ईरान, रूस और चीन जैसे कुछ सदस्य अब अपनी-अपनी मुद्रा में व्यापार करते हैं। हालांकि, एक साझा ब्रिक्स+ मुद्रा पर वार्ता चल रही है, लेकिन विशेषज्ञ खासकर ब्रिक्स समूह के हालिया विस्तार के साथ इसे असंभावित मानते हैं।
- **वैकल्पिक वैश्विक वित्तीय संस्थान बनाने में असमर्थता:** न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के पास विश्व बैंक और IMF या **एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)** के समान पहुंच एवं प्रभाव हासिल करने के लिए आवश्यक धन की कमी है। **AIIB** को 2013 में चीन द्वारा शुरू किया गया था।
    - AIIB **विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB)** आदि के साथ परियोजनाओं का सह-वित्तपोषण करता है। इसके विपरीत, NDB में सीमित भागीदारी और सह-वित्तपोषण व्यवस्था है।
- **वैश्विक संस्थानों को प्रभावित करने में असमर्थता:** उदाहरण के लिए, ब्रिक्स+ देशों के पास विश्व बैंक (IBRD) के भीतर सामूहिक रूप से **केवल 19% वोटिंग पॉवर** है, जबकि G-7 देशों के पास लगभग 40% और EU-27 के पास लगभग 23% वोटिंग पॉवर है।
    - दूसरी ओर, **भारत और ब्राजील 2023 में IBRD ऋण के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता** थे, फिर भी उन्होंने पूंजी का केवल 5% योगदान दिया। यह असंतुलन **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों और नीतियों को प्रभावित करने के ब्रिक्स+ के प्रयासों को कमजोर** करता है।
- **समूह के भीतर एकजुटता का अभाव:** ब्रिक्स सदस्यों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मौजूद है, जैसे भारत और चीन या सऊदी अरब और ईरान के बीच। यह प्रतिद्वंद्विता वैश्विक मुद्दों पर एक एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करने की समूह की क्षमता को सीमित करती है।
- **सदस्य अर्थव्यवस्थाएं अब तेजी से नहीं बढ़ रही हैं:** उदाहरण के लिए- **चीन इकोनॉमिक स्लोडाउन से जूझ** रहा है, जबकि **रूसी अर्थव्यवस्था में काफी समय से गिरावट** जारी है। इसके अलावा, मौजूदा युद्ध रूसी अर्थव्यवस्था को और कमजोर बना सकता है।
    - **दक्षिण अफ्रीका** भी उच्च बेरोजगारी और गंभीर शासन व्यवस्था तथा राजकोषीय चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- **पश्चिम विरोधी संगठन होने की धारणा:** यह धारणा संभावित रूप से जलवायु परिवर्तन, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे साझा हित के क्षेत्रों में सहयोग को बाधित कर रही है।
- **समान समूहों का अस्तित्व:** उदाहरण के लिए- ब्रिक्स के विपरीत, जिसमें अलग-अलग प्रकार की राजनीतिक प्रणालियां शामिल हैं, IBSA में ऐसे लोकतांत्रिक देश शामिल हैं, जिनके लिए साझा एजेंडा तय करना और सहयोग को बढ़ावा देना आसान हो सकता है।
    - इसी प्रकार, ब्रिक्स की तुलना में BASIC (बॉक्स देखें) को भी अधिक एकजुट समूह माना जाता है।

IBSA के बारे में

- **2003** में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने **IBSA डायलॉग फोरम** की स्थापना की। इस मंच का उद्देश्य वैश्विक गवर्नेंस में सुधार लाना, WTO वार्ताओं में सक्रिय भूमिका निभाना, जलवायु परिवर्तन से निपटने और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से लड़ने के लिए इन तीनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना था।
- **उपलब्धियां:**
    - **विकास सहायता: गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए IBSA फैसिलिटी (IBSA फंड)** ने ग्लोबल साउथ में गरीबी व भुखमरी को समाप्त करने के लिए 30 से अधिक देशों में अलग-अलग विकास परियोजनाओं का समर्थन किया है।

- **रक्षा सहयोग:** इस समूह के सदस्य देशों के बीच एक **संयुक्त नौसैनिक अभ्यास IBSAMAR** आयोजित किया जाता है।
- **प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी:** उदाहरण के लिए- प्रजनन चिकित्सा और एंडोक्रिनोलॉजी के क्षेत्र में पेशेवर ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए **IBSA शैक्षिक कार्यक्रम** चलाया जा रहा है। इसके अलावा, अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए **IBSA विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी** का संचालन किया जा रहा है।

बेसिक/ BASIC के बारे में

- बेसिक समूह में **ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन** शामिल हैं। इसका गठन **2009 में G-77 और विकासशील देशों** के हितों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए किया गया था।
- इस समूह के सदस्य देशों के पास कुल मिलाकर **विश्व का एक-तिहाई भौगोलिक क्षेत्र और दुनिया की लगभग 40%** आबादी है।
- **उपलब्धियां:**
  - **जलवायु परिवर्तन पर एक समान दृष्टिकोण:** बेसिक देश इस बात पर बल देते हैं कि **समानता और साझी लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC)**[25] के सिद्धांत ग्लोबल स्टॉकटेक के केंद्र में होने चाहिए।
  - **कोपेनहेगन एकॉर्ड:** बेसिक समूह ने कोपेनहेगन एकॉर्ड की अगुवाई करने वाली वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एकॉर्ड में पहली बार प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से **स्वैच्छिक उत्सर्जन कटौती का संकल्प** लिया गया था।
  - **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना:** सदस्य देश सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि वे अपनी घरेलू जलवायु नीतियों और कार्यों को और विकसित कर रहे हैं।

आगे की राह

- **स्पष्ट और साझा दृष्टिकोण विकसित करना:** दीर्घकालिक लक्ष्यों व उद्देश्यों को रेखांकित करने से सदस्य देशों के विविध हितों को एकीकृत करने एवं एकता की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, एक **स्थायी सचिवालय की स्थापना** की भी जरूरत है।
  - इस तरह के दृष्टिकोण से ब्रिक्स को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे मौजूदा वैश्विक संस्थानों के प्रभुत्व को चुनौती देने में मदद मिलेगी, जो पश्चिम से काफी प्रभावित हैं।
- **सदस्यता मानदंड को परिभाषित करना:** ब्रिक्स के लिए एक स्पष्ट सदस्यता मानदंड का समर्थन करने से भारत की इस संबंध में चिंताओं को कम करने में मदद मिलेगी कि ब्रिक्स के भावी सदस्य कौन हो सकते हैं।
- **आम सहमति बनाना:** मतभेदों को सुलझाने और सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने के लिए कूटनीति एवं वार्ताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **संस्थागत क्षमताओं में वृद्धि करना:** ब्रिक्स के संचालन का समर्थन करने तथा NDB, ब्रिक्स-पे आदि सहित इसकी पहलों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्रिक्स+ की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **चीन के रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करना:** भारत को ब्रिक्स समूह में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपनी आर्थिक कूटनीति को मजबूत करना होगा और रूस तथा ईरान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना होगा।

निष्कर्ष

ब्रिक्स+ की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि सदस्य आंतरिक मतभेदों को कितनी अच्छी तरह से दूर करते हैं, कैसे साझा आधार खोजते हैं और कैसी अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि, सदस्यता विस्तार वैश्विक गवर्नेंस में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, परन्तु अभी इसकी क्षमताओं को साकार करने के लिए मजबूत सहयोग और प्रयास की आवश्यकता है।

[25] Common but differentiated responsibilities and respective capabilities

2.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.6.1. भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर किए {India and Uzbekistan Signed Bilateral Investment Treaty (BIT)}

दोनों देशों के बीच BIT पर हस्ताक्षर से **आर्थिक सहयोग को बढ़ावा** मिलेगा और एक अधिक **मजबूत एवं लचीला निवेश परिवेश** तैयार होगा।

- इससे निवेशकों के लिए सुगमता का स्तर और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

BIT के बारे में

- BIT एक **देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए एक पारस्परिक समझौता** है।
- भारत ने 2015 में **नए मॉडल BIT टेक्स्ट को मंजूरी** दी थी। इसने **भारतीय मॉडल BIT, 1993 का स्थान** लिया है।
    - 2015 के मॉडल BIT टेक्स्ट का **BITs और मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs)/ आर्थिक साझेदारी समझौतों के निवेश संबंधी अध्यायों पर फिर से वार्ता** करने के लिए उपयोग किया जाता है।

मॉडल BIT की मुख्य विशेषताएं

- **राष्ट्रीय व्यवहार:** विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू निवेशकों के समान व्यवहार किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- **अधिग्रहण से सुरक्षा:** इसमें प्रत्येक देश की अपने क्षेत्र में **विदेशी निवेश को अपने अधिकार में लेने की क्षमता को सीमित** करना शामिल है।
- **विवादों का निपटारा:** अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले स्थानीय उपायों का इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया है।
- **अन्य:** निवेश की उद्यम आधारित परिभाषा दी गई है।

भारत-उज्बेकिस्तान संबंध

उज्बेकिस्तान **मध्य एशियाई क्षेत्र में भारत का प्रमुख साझेदार** है। दोनों के बीच जुड़ाव के अलग-अलग आयामों में निम्नलिखित शामिल हैं

- **आर्थिक संबंध:** भारत उज्बेकिस्तान के **शीर्ष 10 व्यापार साझेदारों** (2023-24) में से एक है।
- **सुरक्षा और रक्षा सहयोग:** दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास **"दस्तलिक"** आयोजित किया जाता है।
- **बहुपक्षीय जुड़ाव:** दोनों देश **संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स और SCO** जैसे विविध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा: यूरेनियम अयस्क के कान्सन्ट्रैट्स** की आपूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **लोगों के बीच आपसी संबंध:** उज्बेकिस्तान में लगभग **14,000 भारतीय** निवास करते हैं।

2.6.2. भारत-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) लागू हुई {India-UAE Bilateral Investment Treaty (BIT) came Into Effect}

इस संधि पर **फरवरी, 2024** में अबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए थे और यह **31 अगस्त, 2024** से लागू हुई है।

- भारत-UAE के बीच **द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता** सितंबर, 2024 में समाप्त हो गया था। गौरतलब है कि इस समझौते पर 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात BIT की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:

- इसमें **इन्वेस्टर्स-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट** की व्यवस्था की गई है।
    - हालांकि, इसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब मेजबान देश में अनिवार्य तौर पर तीन साल के भीतर विवाद का समाधान नहीं हुआ हो।

- पोर्टफोलियो निवेश को कवर करते हुए **निवेश की क्लोज्ड असेट-आधारित परिभाषा** निर्धारित की गई है।
- निवेश के संबंध में **समान न्याय** और न्यायोचित प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित की गई है।
- **निवेश को मेजबान देश द्वारा जब्त करने से संरक्षण** प्रदान किया गया है। साथ ही, **पारदर्शिता, हस्तांतरण और नुकसान के लिए मुआवजे का भी प्रावधान** किया गया है।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात BIT 2024 का महत्त्व:

- अप्रैल, 2000 से जून, 2024 तक भारत में आए **कुल FDI में 3% (19 बिलियन डॉलर) की हिस्सेदारी के साथ UAE भारत के लिए FDI का सातवां सबसे बड़ा स्रोत** है।
- इससे **निवेश को बढ़ावा** मिलेगा, क्योंकि निवेशकों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनके साथ घरेलू निवेशकों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा और अगर कोई विवाद होता है तो उसे निष्पक्ष तरीके से या मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा।

2.6.3. कमिटी ऑफ़ टेन (C-10) ग्रुप {Committee of Ten (C-10) Group}

भारतीय विदेश मंत्री ने **C-10 और L.69 ग्रुप की पहली** संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।

- **L.69** समूह में **अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश और एशिया के देश** शामिल हैं।
- **भारत भी इसका सदस्य है।**

C-10 ग्रुप

- **उत्पत्ति:** इसे **2008 में "10 अफ्रीकी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की समिति" (C-10)** के रूप में स्थापित किया गया था।
- **सदस्य:** अल्जीरिया, बोत्सवाना, कैमरून, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स (CBWAS), और सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स (CBCAS)।
- **इसके कार्य:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IFIs) आदि के गवर्नेंस में अफ्रीकी भागीदारी को बढ़ाने में मदद करना।

2.6.4. यूनाइटेड किंगडम (UK) ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंप दी है (UK Hands Sovereignty of Chagos Islands to Mauritius)

यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस ने चागोस द्वीप समूह पर एक **ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता** किया है। इस समझौते के तहत इस द्वीप समूह की संप्रभुता **मॉरीशस को सौंपने की घोषणा** की गई है। हालांकि, अभी भी इस संधि को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

- इसी द्वीप-समूह के एक हिस्से **डिएगो गार्सिया एटोल पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का सैन्य अड्डा बना रहेगा।** इसका अर्थ है कि **डिएगो गार्सिया की संप्रभुता मॉरीशस को नहीं सौंपी** गई है।

चागोस द्वीप समूह के बारे में

- यह द्वीप समूह **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)** में स्थित है। यह **मालदीव से 500 किलोमीटर दक्षिण** में स्थित है।
- यह द्वीप समूह **18वीं शताब्दी तक निर्जन** था। बाद में **फ्रांस ने इसे अपना उपनिवेश** बना लिया। फ्रांस ने **1814** में यह द्वीप समूह **यूनाइटेड किंगडम** को सौंप दिया।
- **ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (BIOT):** इसे **1965 में यूनाइटेड किंगडम** द्वारा बनाया गया था। चागोस द्वीप समूह इस क्षेत्र का केंद्रीय भाग है।

- **1976** में BIOT के **कुछ द्वीपों को सेशेल्स** को सौंप दिया गया था।
- मॉरीशस को स्वतंत्रता मिलने से तीन साल पहले **1965 में यूनाइटेड किंगडम ने इस द्वीप समूह को मॉरीशस से अलग** कर दिया था।

संधि का महत्त्व

- **औपनिवेशिक विरासत विवाद की समाप्ति:** चागोस द्वीप समूह **अफ्रीका में अंतिम ब्रिटिश उपनिवेश** था। यह समझौता लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त कर देगा।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा कूटनीति:** इस संधि के बाद मॉरीशस विश्व की **प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास** कर सकता है।
- **सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्व:** डिएगो गार्सिया बेस पर नियंत्रण बने रहने से संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण **मलक्का जलडमरूमध्य पर नजर और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी** बनाए रखेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन:** गौरतलब है कि **2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने निर्णय में और 2019 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प** ने चागोस को मॉरीशस को सौंपने का समर्थन किया था। इस तरह नया समझौता **अंतर्राष्ट्रीय नियमों और व्यवस्थाओं का अनुपालन** सुनिश्चित करता है।
  - **भारत** ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के पक्ष में मतदान करके **मॉरीशस के दावे का समर्थन** किया था।
    - भारत का यह पक्ष उसके **"उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन पर सैद्धांतिक रुख"** के अनुरूप था।

2.6.5. एनाकोंडा रणनीति (Anaconda Strategy)

हाल ही में, **ताइवान की नौसेना** ने दावा किया है कि **चीन की सेना** उसके द्वीपीय क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाने के लिए 'एनाकोंडा रणनीति' का इस्तेमाल कर रही है।

एनाकोंडा रणनीति के बारे में

- यह एक प्रकार की **सैन्य रणनीति** है। इसे अमेरिकी गृहयुद्ध के प्रारंभिक चरण के दौरान **यूनियन जनरल विनफील्ड स्कॉट** ने प्रस्तावित किया था।
  - इसका मुख्य उद्देश्य **आर्थिक और सैन्य रूप से संघ को संकुचित** करना या उसकी **नौसैनिक नाकाबंदी** करना था। ठीक उसी तरह जैसे एक एनाकोंडा सांप अपने शिकार के चारों ओर लिपटकर उसका दम घोंट देता है।
- ताइवान के खिलाफ चीन की 'एनाकोंडा रणनीति' में **सैन्य युद्धाभ्यास, मनोवैज्ञानिक रणनीति और साइबर युद्ध** जैसी रणनीतियों का मिश्रण शामिल है।
  - इसका लक्ष्य **पूर्ण आक्रमण में शामिल हुए बिना ताइवान को अपनी स्वतंत्रता छोड़ने के लिए मजबूर** करना है।

2.6.6. फिलाडेल्फी कॉरिडोर (Philadelphi Corridor)

इजरायल ने **फिलाडेल्फी कॉरिडोर** पर नियंत्रण को इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता में एक शर्त बना दिया है।

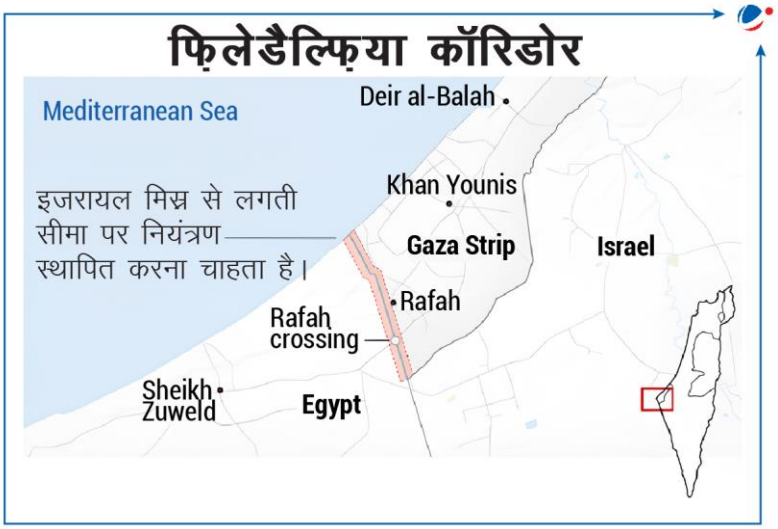

फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में

- यह राफ़ा क्रॉसिंग सहित मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर लगभग **नौ मील (14 कि.मी.) लंबी और 100 मीटर चौड़ी** भूमि का एक खंड है।
- 2005 में गाजा से इजरायली बस्तियों और सैनिकों की वापसी के बाद इसे एक **विसैन्यीकृत सीमा क्षेत्र** के रूप में नामित किया गया था।
- यह **भूमध्य सागर से लेकर इजरायल के केरेम शालोम क्रॉसिंग** तक विस्तारित है।
- इजरायल की वापसी के बाद, इसे **मिस्र और फिलिस्तीनी प्राधिकरण** को सौंपा गया था।

2.7. शुद्धिपत्र (Errata)

- सितंबर, 2024 मासिक समसामयिकी के आर्टिकल **2.3. भारत-सिंगापुर संबंध** में, वर्णित तथ्य कि "भारत और सिंगापुर G-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों का हिस्सा हैं, सही नहीं है।
    - सही जानकारी यह है कि **भारत G-20 का हिस्सा है, सिंगापुर नहीं।**

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

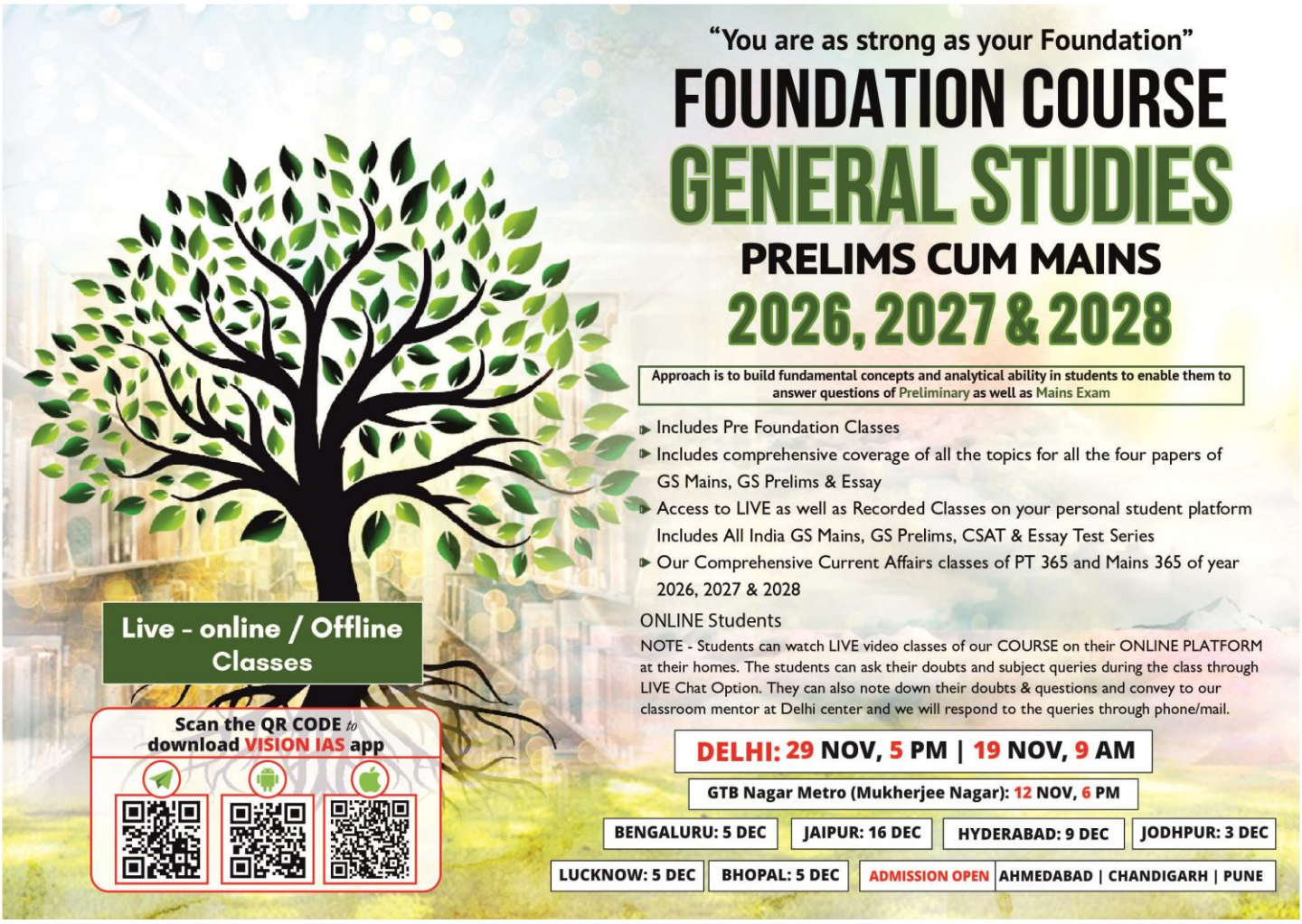

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार **डारोन ऐसमोग्लू, साइमन जॉनसन** और **जेम्स ए. रॉबिन्सन** को दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार **"संस्थाओं का निर्माण कैसे किया जाता है और समृद्धि पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है[26]"** विषय पर उनके शोध कार्य के लिए दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- पुरस्कार विजेताओं के शोध में **देश की समृद्धि में सामाजिक संस्थाओं के महत्त्व को दर्शाया** गया है।
- इस शोध में यह भी उजागर किया गया है कि विभिन्न उपनिवेशों में **लोकतंत्र का उदय जनता के विद्रोह के भय के कारण हुआ था, क्योंकि जनता के विद्रोह के खतरे को सिर्फ विभिन्न प्रकार के वादों से नहीं टाला जा सकता था।**

पुरस्कार विजेताओं के शोध के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **समृद्धि पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव:** औपनिवेशिक सरकारों ने 16वीं शताब्दी से ऐसी संस्थाएं स्थापित कीं, जिससे उपनिवेशों का "भाग्य पलट गया (Reversal of Fortunes)", और कभी सबसे गरीब रहे देश सबसे अमीर बन गए।
- **औपनिवेशिक संस्थाओं के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक:** नए बसने वालों की मृत्यु दर और जनसंख्या घनत्व ने औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित संस्थाओं के प्रकार और प्रकृति को गहराई से प्रभावित किया।
    - गौरतलब है कि भूमध्यरेखा के नजदीक रोगों के खतरे वाले क्षेत्रों में मृत्यु दर अधिक थी।

[26] How institutions are formed and their impact on prosperity

- **संस्थाओं के प्रकार:**
  - **दोहनकारी संस्थाएं (Extractive Institutions):** कुछ उपनिवेशों में दोहनकरी संस्थाओं की स्थापना की गई ताकि उपनिवेशक देश के लाभ के लिए **देशज आबादी का शोषण किया जा सके और उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन** किया जा सके।
    - ऐसी स्थिति में, निवेशकों में यह डर बना रहता है कि उनका निवेश किया हुआ पैसा फंस सकता है। इसलिए, वहां **दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रोत्साहन नहीं** मिला।
  - **समावेशी संस्थाएं:** औपनिवेशिक सरकारों ने कुछ उपनिवेशों में बसने वाले यूरोपीय लोगों के दीर्घकालिक लाभ के लिए समावेशी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की स्थापना की। ये ऐसे उपनिवेश थे जहां की आबादी कम घनी थी और जहां अधिक यूरोपीयों के बसने की संभावना थी।
    - ऐसी संस्थाओं ने उपनिवेश में **लंबे समय तक काम करने**, बचत करने और निवेश करने के लिए लोगों को अधिक प्रोत्साहित किया।
  - उदाहरण के लिए- **नोगेल्स** का विभाजित शहर (अमेरिका और मैक्सिको के बीच) वास्तव में औपनिवेशिक संस्थाओं के प्रकार से उत्पन्न **अंतरों (असमानता) को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।** दूसरे शब्दों में, **नोगेल्स** में **अमेरिकी** और **मैक्सिकन** हिस्सों के बीच की खाई, औपनिवेशिक काल में स्थापित संस्थागत असमानताओं का एक जीवंत उदाहरण है।
    - इस शहर के उत्तरी भाग (USA) के निवासियों की आर्थिक स्थिति बेहतर है, संपत्ति के अधिकार सुरक्षित हैं और उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं।
    - इसके विपरीत, शहर का दक्षिणी भाग (मैक्सिको) संगठित अपराध और भ्रष्टाचार की समस्याएं झेल रहा है।
    - इस शहर के दो हिस्सों में मुख्य अंतर **संस्थागत ढांचे में निहित** है। यह शहर इस तथ्य का गवाह है कि औपनिवेशिक शासन की विरासत वर्तमान जीवन स्तर को कैसे प्रभावित करती है।
- **संस्थाओं के जाल में फंसना:** नोबेल विजेता शोधकर्ताओं के अनुसार, कुछ समाज शोषणकारी संस्थाओं के जाल में फंसा हुआ है, जिससे उनकी प्रगति बाधित हो रही है।
  - हालांकि, वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनमें परिवर्तन संभव है। सुधारों से लोकतंत्र और कानून का शासन स्थापित किया जा सकता है, जिससे गरीबी कम हो सकती है।

राष्ट्रीय समृद्धि को दिशा देने में आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका

- **संसाधन आवंटन और संपत्ति का अधिकार:** आर्थिक संस्थाएं संसाधनों के आवंटन और सुरक्षा का निर्धारण करती हैं।
  - उदाहरण के लिए- भारत के संविधान का **अनुच्छेद 300A** (संपत्ति का अधिकार) यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्रावधान के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
  - **नीति आयोग:** यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है।
- **निवेश के लिए प्रोत्साहन:** समावेशी संस्थाएं प्रतिस्पर्धा और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती हैं, जिससे विकास को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिए- भारत में **राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (NIF)**[27] जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देता है।
- **संधारणीयता:** प्रभावी संस्थाएं संसाधनों का संधारणीय तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित करती हैं। वहीं खराब संस्थाएं अत्यधिक शोषण का कारण बन सकती हैं, जिससे पर्यावरण और भविष्य में विकास को नुकसान पहुँच सकता है।
  - उदाहरण के लिए- भारत के संविधान का **अनुच्छेद 48A** (राज्य की नीति के निदेशक तत्व) पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों के संरक्षण का प्रावधान करता है।
  - उदाहरण के लिए- **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल** एक विशेष न्यायिक संस्था है जो पर्यावरण से जुड़े मामलों पर निर्णय देता है।
- **विनियमन:** बेहतर विनियमन वाली संस्थाएं प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देती हैं।
  - उदाहरण के लिए- **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)**[28] उद्योग जगत में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है तथा एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों को रोकता है।
- **गवर्नेंस और कानून का शासन:** राजनीतिक संस्थाएं स्थिर गवर्नेंस और कानून का शासन सुनिश्चित करती हैं। इससे भ्रष्टाचार में कमी आती है और निवेश के लिए निष्पक्ष व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिए- संविधान का **अनुच्छेद 14 'विधि के समक्ष समता का अधिकार'** प्रदान करता है।

---

[27] National Innovation Foundation

[28] Competition Commission of India

- उदाहरण के लिए- देश के लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)**[29] का गठन किया गया है।

- **समावेशी:** लोकतांत्रिक संस्थाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन-भागीदारी को बढ़ावा देती हैं। इससे ऐसी नीतियां बनती हैं जो देश की आबादी की जरूरतों को पूरा करती हैं।
  - उदाहरण के लिए- राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के लिए **जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC)** का गठन किया गया है।
- **संघर्ष का समाधान:** संघर्ष का समाधान प्रदान करने वाली प्रभावी संस्थाएं राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती हैं, निवेश को आकर्षित करती हैं और आर्थिक विकास में सहायता करती हैं।
  - उदाहरण के लिए- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)**[30] अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ मिलकर **लोक अदालतों** का आयोजन करता है। यह अदालत विवादों को दक्षतापूर्वक सुलझाने और कानूनी अड़चनों को कम करने में मदद करती है।

मजबूत आर्थिक संस्थाओं के निर्माण के लिए भारत में उठाए गए कदम	**भारत में मजबूत राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण के लिए उठाए गए कदम**
• **बैंकों का राष्ट्रीयकरण:** 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, भारत में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे देश में ऋण वितरण तथा कृषि और लघु उद्योगों जैसे प्रमुख क्षेत्रकों को सीधे संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिली। • **उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG)**[31] **संबंधी सुधार:** 1991 से, भारत ने **नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को दूर कर, प्रशुल्क यानी टैरिफ को कम कर तथा इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार** कर अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया है। इससे विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है और विकास को बढ़ावा मिला है। • **प्रवर्तन निदेशालय (ED):** यह मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों को रोकता है, जिससे वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। • **संसदीय समितियां:** लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति जैसी संसदीय समितियां आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। साथ ही, संसदीय समितियां विभिन्न सुधारों को राष्ट्रीय हितों के साथ जोड़ने के लिए सार्वजनिक बहस को भी बढ़ावा देती हैं।	• **भारत का लोकतांत्रिक ढांचा:** नियमित चुनाव और बहुदलीय प्रणाली भारत में जवाबदेही एवं प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है। • **विकेंद्रीकरण:** 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया है तथा स्थानीय शासन को मजबूत कर नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि की है। • **शिकायत निवारण:** फास्ट-ट्रैक कोर्ट एवं डिजिटल प्रबंधन जैसी पहलों का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली की दक्षता को बढ़ावा देना और न्याय सुनिश्चित करना है। • **भ्रष्टाचार-रोधी उपाय:** लोकपाल एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसी संस्थाएं शासन में जवाबदेही को बढ़ावा देती हैं तथा भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करती हैं। • **नागरिक समाज की भागीदारी:** गैर-सरकारी संगठन और नागरिक समाज का सहयोग समावेशिता को बढ़ाता है और आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करने में सरकार को जवाबदेह बनाते हैं।

निष्कर्ष

आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच संबंध राष्ट्रीय समृद्धि की कुंजी है। मजबूत आर्थिक संस्थाएं संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करती हैं और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं। ये संस्थाएं प्रभावी राजनीतिक संस्थाओं के साथ मिलकर सुशासन और समावेशी विकास सुनिश्चित करती हैं तथा संवृद्धि को बढ़ावा देती हैं।

अर्थशास्त्र का स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार (अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार) के बारे में

- **स्थापना:** इस पुरस्कार की स्थापना 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिग्स रिक्सबैंक ने की थी।
  - शुरू में यह 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित पांच नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था।

[29] Central Vigilance Commission

[30] National Legal Services Authority

[31] Liberalization, Privatization, and Globalization

- **पुरस्कार के प्रथम विजेता:** राग्नार फ्रिस्क और जान टिनबर्गेन (1969 में)
  - अमर्त्य सेन को **कल्याण अर्थशास्त्र और सामाजिक विकल्प सिद्धांत**[32] में उनके योगदान के लिए 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे।
- **पुरस्कार:** पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक व्यक्तिगत डिप्लोमा और नकद राशि मिलती है।

3.2. B-रेडी इंडेक्स (B Ready Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व बैंक** ने '**बिजनेस-रेडी (B-रेडी) इंडेक्स**' का पहला संस्करण लॉन्च किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- B-रेडी, विश्व बैंक की एक नई परियोजना है। इसे चरणबद्ध रूप से **तीन साल में पूरी तरह से** जारी किया जाएगा। 2024 से 2026 की अवधि वास्तव में इसका **रोल आउट चरण** है।
  - इसके प्रथम संस्करण में **50 अर्थव्यवस्थाएं** शामिल हैं। इनमें **भारत शामिल नहीं** है। 2026 तक इस सूचकांक में विश्व के 180 देशों का मूल्यांकन शामिल किए जाने की योजना है।
- B-रेडी फ्रेमवर्क, **विश्व बैंक की "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) रैंकिंग** की जगह जारी किया गया है। **EoDB** इस बात का आकलन किया जाता था कि किसी देश में व्यवसाय शुरू करना और संचालित करना कितना आसान है।
  - गौरतलब है कि 2021 में **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** रिपोर्ट को डेटा में अनियमितता पाए जाने और नैतिकता से जुड़ी चिंताओं के कारण जारी करना बंद कर दिया गया।
- भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की **व्यवसाय सुधार कार्य योजना रैंकिंग 2024** में **B-रेडी इंडेक्स के कुछ संकेतक शामिल होंगे।**

B-रेडी इंडेक्स क्या है?

- **परिचय:** यह विश्व बैंक समूह की ओर से **डेटा संग्रह और विश्लेषण की एक नई परियोजना** है। इस सूचकांक के जरिए दुनिया भर के देशों में **व्यवसाय और निवेश के माहौल का आकलन** किया जाना है। इसके साथ एक वार्षिक **कॉर्पोरेट रिपोर्ट** भी जारी की जाएगी।
- **उद्देश्य:** समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और उत्पादकता को बढ़ाना।
  - इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि एकत्रित आंकड़ों के आधार पर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये आंकड़े किसी देश के भीतर व्यापारिक गतिविधियों का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **इसका लक्ष्य तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। ये तीन क्षेत्र हैं:**
  - **सुधार का समर्थन:** यह सुधार से जुड़े बेंचमार्क साझा करके नीतियों में सुधारों को प्रोत्साहित करेगा तथा सरकारों, व्यवसाय जगत और विश्व बैंक के बीच संवाद को बढ़ावा देगा।
  - **नीतिगत मार्गदर्शन:** यह विश्व के सर्वोत्तम पद्धतियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) के डेटा की तुलना करके नीतियों में बदलाव के लिए सुझाव देगा।
  - **विश्लेषण और अनुसंधान:** यह निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने वाले कारकों पर शोध का समर्थन करने के लिए विस्तृत डेटा प्रदान करेगा।

B-रेडी इंडेक्स का एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या है?

- इस इंडेक्स का एनालिटिकल फ्रेमवर्क वस्तुतः निजी क्षेत्रक के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किए गए सुनियोजित दस टॉपिक्स हैं। ये सभी किसी व्यवसाय के विकास चक्र के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। इनमें व्यवसाय की स्थापना, संचालन (या विस्तार), और बंद करना (या पुनर्गठित करना) जैसे चरण शामिल हैं।
- **क्रॉस-कटिंग थीम:** सभी **दस टॉपिक्स** में तीन महत्वपूर्ण क्रॉस-कटिंग थीम यानी कॉमन थीम शामिल हैं:
  - **डिजिटल कार्य-प्रणाली को अपनाना:** यह इस बात की जांच करता है कि सरकारें और व्यवसाय जगत अपने कार्यों में डिजिटल तकनीक को कैसे एकीकृत करते हैं।

[32] Welfare economics and social choice theory

- **पर्यावरणीय संधारणीयता:** यह उन विनियमों और कानूनों का मूल्यांकन करता है जो किसी व्यवसाय के पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करते हैं।
- **जेंडर:** इसके तहत व्यवसायों पर कार्यक्रमों और विनियमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए जेंडर से जुड़े अनाम डेटा का विश्लेषण किया जाता है।

- जैसा कि इन्फोग्राफिक्स में दिखाया गया है, **प्रत्येक 10 टॉपिक्स के लिए, B-रेडी इंडेक्स में तीन स्तंभों (पिलर्स)** पर विचार किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखिए)।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) और B-रेडी इंडेक्स के बीच क्या अंतर है?

पहलू	EoDB	B-रेडी
मूल्यांकन का मुख्य ध्यान	इसमें मुख्य रूप से **लघु और मध्यम उद्यमों** पर फोकस किया गया था।	इसमें समग्र रूप से **निजी क्षेत्रक के विकास** को शामिल किया गया है।
मूल्यांकन	यह **केवल कंपनियों पर विनियमन के बोझ** का परीक्षण करता था।	इसमें कंपनियों पर **विनियामकीय बोझ** और **विनियमन की गुणवत्ता** दोनों की जांच की जाती है।
एनालिटिकल फ्रेमवर्क	**विभिन्न श्रेणियों में 10 संकेतक**	**दस टॉपिक्स, तीन स्तंभ, तीन थीम**
डेटा संग्रह का तरीका	इसमें विशेषज्ञों से परामर्श के साथ-साथ केस स्टडीज के आधार पर डेटा संग्रह किया जाता था। इसमें या तो **कानूनी (डी ज्यूर)** या **व्यावहारिक (डी फैक्टो) विनियमनों** पर जोर दिया जाता था, लेकिन दोनों पर निरंतर रूप से जोर नहीं दिया जाता था।	यह विनियमन के क्षेत्र में संतुलित दृष्टिकोण के लिए **विशेषज्ञों की राय** और **कंपनियों के सर्वेक्षणों** के आंकड़ों का उपयोग करता है। इससे विभिन्न देशों या अर्थव्यवस्थाओं के बीच डेटा की तुलनात्मक अध्ययन में सुधार होता है।

भौगोलिक क्षेत्र	191 अर्थव्यवस्थाओं के **मुख्य व्यवसायिक शहर** और 11 अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा मुख्य व्यावसायिक शहर	B-रेडी इंडेक्स में पहले से **व्यापक कवरेज** का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें **स्थानीय स्तर (छोटे शहर) के विनियमन भी शामिल** हैं।

भारत के लिए B-रेडी इंडेक्स को अपनाने का क्या महत्त्व है?

- **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना:** B-रेडी इंडेक्स भारत को **विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में मदद करेगा,** जो देश की आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक है।
- **ई-कॉमर्स को समर्थन:** भारत का लक्ष्य 2030 तक ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ाकर **200 बिलियन डॉलर** तक पहुँचाना है। इस प्रकार, यह इंडेक्स **डिजिटल व्यापार और लॉजिस्टिक्स** में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने में मदद करेगा।
- **तथ्यों पर आधारित नीति:** इंडेक्स से प्राप्त डेटा से **व्यवसाय से जुड़ी चुनौतियों** के बारे में जानकारी मिल सकती है। इससे नीति निर्माता व्यवसायों के लिए बेहतर नीतियां बना सकेंगे और व्यवसायों को नियमों का पालन करने में आसानी होगी।
- **नवाचार को प्रोत्साहित करना:** डिजिटलीकरण और संधारणीयता पर जोर देने के कारण यह इंडेक्स व्यवसायों को नवाचार करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी।
- **समावेशिता को बढ़ावा देना:** इस इंडेक्स में लैंगिक समानता के टॉपिक को भी शामिल किया गया है। इस तरह यह समावेशी विकास तथा महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने के भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।
- **निगरानी:** नियमित तौर पर अपडेट प्राप्त होने से भारत को अपनी प्रगति की निगरानी करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए रणनीतियों में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- **पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा:** यह डेटा संग्रह से जुड़ी प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों को अपनाकर डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। साथ ही, यह बी-रेडी मैनुअल और हैंडबुक जैसे बुनियादी डाक्यूमेंट्स बनाकर पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।

आगे की राह

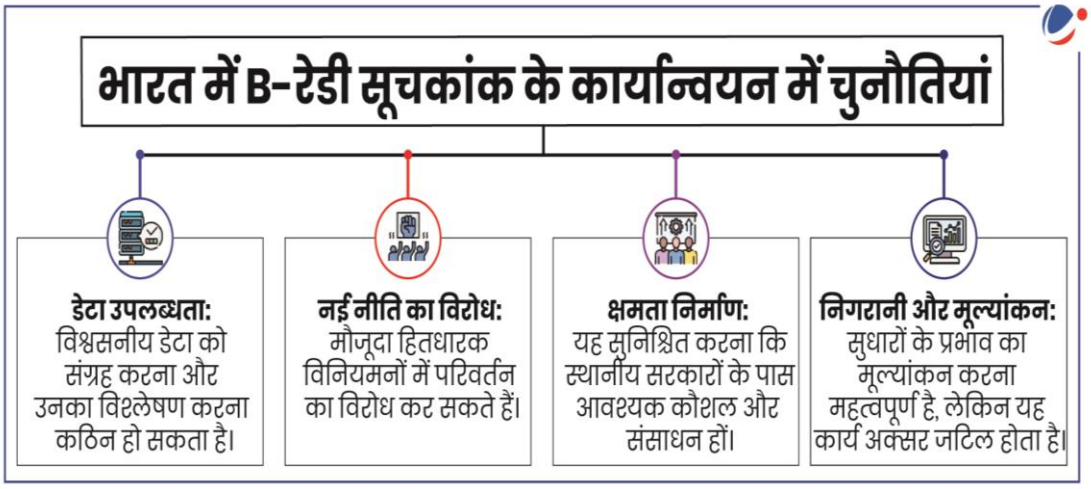

- **गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना:** प्रभावी नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए सरकारी संस्थानों का क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है।
- **हितधारकों को शामिल करना:** सुधार प्रक्रिया में व्यवसाय जगत, नागरिक समाज और अन्य समूहों को शामिल करके सहयोग व समर्थन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **क्षमता निर्माण:** व्यवसाय जगत को बेहतर तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकारों (निकायों) को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना चाहिए।
- **समावेशी विकास को बढ़ावा देना:** यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सुधार का लाभ लघु और मध्यम उद्यमों सहित सभी प्रकार के व्यवसायों को मिले।

3.3. भारत की लघु कंपनियों का विस्तार (Scaling of India's Small Companies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक रिसर्च पेपर में **भारतीय विनिर्माण क्षेत्रक में मल्टी-प्लांट की बढ़ती प्रवृत्ति** को रेखांकित किया गया है।

मल्टी-प्लांट परिघटना के बारे में

- विनिर्माण कंपनियों द्वारा अपने सभी कार्यबल को एक ही संयंत्र (प्लांट) में रोजगार देकर उस प्लांट का विस्तार करने की बजाय एक ही **राज्य में अपने अलग-अलग प्लांट्स में कार्यबल को नियोजित करने** की प्रक्रिया को **मल्टी-प्लांट परिघटना** कहा जाता है।
- रिसर्च पेपर के अनुसार, **भारतीय कंपनियां एक ही राज्य में कई प्लांट्स को स्थापित करने को प्राथमिकता दे रही हैं।**
  - यह प्रवृत्ति समय के साथ-साथ बढ़ रही है। कुल **रोजगार में मल्टी-प्लांट्स** की हिस्सेदारी **25.16%** और बड़े प्लांट्स की हिस्सेदारी **35.48%** थी।
- **मिसिंग मिडिल फिनोमिना और कंपनियों का आकार छोटा रखने (ड्वार्फिज्म ऑफ फर्म्स)** का चलन, भारत में विनिर्माण क्षेत्रक के विकास और रोजगार सृजन में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये ट्रेंड्स पहले भी रेखांकित किए जा चुके हैं।
  - मल्टी-प्लांट का बढ़ता चलन वास्तव में भारतीय कंपनियों की उन कठिनाइयों को भी रेखांकित करता है जो उन्हें अपने प्लांट का प्रभावी ढंग से विस्तार करते समय सामना करना पड़ता है।

मल्टी-प्लांट परिघटना वास्तव में ड्वार्फ फर्म और मिसिंग मिडिल फिनोमिना से किस तरह अलग है?

- **ड्वार्फ फर्म** ऐसी कंपनियां होती हैं **जिनमें समय के साथ विस्तार नहीं होता है** और **उनका आकार छोटा बना रहता है।** वहीं **मल्टी-प्लांट परिघटना** के तहत कोई कंपनी **अपने किसी एक प्लांट का विस्तार करने की बजाय छोटे-छोटे अनेक प्लांट्स** स्थापित करती है।
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्रक में लघु और बड़े आकार की फर्मों की तुलना में **मध्यम आकार की फर्मों की कम हिस्सेदारी** को **'मिसिंग मिडिल' फिनोमिना** कहा जाता है।
- **लघु कंपनियां: कंपनी (परिभाषा विवरण का विनिर्देश) संशोधन नियम[33], 2022** के अनुसार, लघु कंपनी की चुकता पूंजी (पेड अप कैपिटल) और टर्नओवर क्रमशः 4 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

भारतीय फर्मों के समक्ष चुनौतियां

- **विनियमन:** भारत के श्रम कानूनों में अक्सर लघु कंपनियों को नियमों के पालन की छूट दी जाती है। यह व्यवस्था कंपनियों का आकार छोटा रखने पर आर्थिक प्रोत्साहन और बड़ी कंपनियों के लिए सख्त विनियमन को बढ़ावा देती है। इस वजह से कंपनियां आर्थिक प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए अपने फर्म का आकार लघु बनाए रखने को प्राथमिकता देती हैं।
  - उदाहरण के लिए- औद्योगिक विवाद अधिनियम (IDA), 1947 के अनुसार, **100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को छंटनी से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।**
- **जोखिम प्रबंधन:** किसी एक कंपनी को **कानूनी, विनियामक और राजनीतिक जोखिमों के सारे बोझ से बचाने के लिए** कंपनियां कई लघु प्लांट्स स्थापित करती हैं।
- **पूंजी-श्रम संबंधों का प्रबंधन:** उदाहरण के लिए- किसी एक प्लांट में श्रम-संबंधी विवाद होने की स्थिति में मल्टी-प्लांट्स विनिर्माण जारी रखने में मदद करते हैं।
- **संचालन में लचीलापन:** किसी प्लांट में ऑर्डर कम हो जाने पर कंपनी अपने कार्यबल को छंटनी किए बिना उन्हें अपने किसी अन्य **प्लांट में नियोजित कर सकती हैं।** एकल बड़े प्लांट में इस तरह का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है।
- **आर्थिक और बाजार संरचना: छोटे-छोटे आकार के बाजार उपलब्ध होने** तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के वर्चस्व से भी मल्टी-प्लांट और लघु कंपनियों को बढ़ावा मिल रहा है।
- **प्रबंधन:** एक अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि कंपनी मैनेजमेंट में परिवार और रिश्तेदारों को शामिल करने की प्रवृत्ति के कारण पेशेवर प्रबंधन में कमी आती है। इस वजह से भी कई भारतीय व्यवसायी अपने फर्म को लघु बनाए रखते हैं।
- **अन्य चुनौतियां:**
  - बड़े प्लांट के संचालन या उनका विस्तार करने के लिए **आस-पास भूमि का अधिग्रहण करने में कठिनाइयां आती हैं।**
  - लघु प्लांट्स श्रम की उपलब्धता वाले अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकते हैं। इससे विशेष रूप से महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलती है।

[33] Companies (Specification of definition details) Amendment Rules

भारतीय फर्मों और प्लांट्स के लघु बने रहने के प्रभाव

- **निम्न उत्पादकता:** वर्किंग पेपर में रेखांकित किया गया है कि एकल और **बड़े संयंत्र, लघु कंपनियों और मल्टी-प्लांट्स की तुलना में अधिक उत्पादक सिद्ध होते हैं।** इसकी वजह **'इकॉनमी ऑफ स्केल'** है, अर्थात् व्यवसाय के विस्तार के साथ उत्पाद की औसत लागत कम हो जाती है।
    - आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, सभी संगठित फर्मों में से आधे से अधिक हिस्सेदारी **ड्वार्फ फर्म की है** लेकिन संगठित फर्मों की **उत्पादकता में इनकी हिस्सेदारी केवल 8% है।**
- **निर्यात प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव:** लघु संयंत्रों और फर्मों की **कम उत्पादकता प्रतिस्पर्धा एवं निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित करती है।**
- **रोजगार सृजन:** आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, कुल रोजगार सृजन में ड्वार्फ फर्म्स की हिस्सेदारी केवल 14% है।
- **रोजगार की गुणवत्ता:** आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, **लघु कंपनियां रोजगार के अवसर को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करती हैं,** जबकि बड़ी कंपनियां बड़ी संख्या में स्थायी प्रकृति के रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं।

बड़ी फर्मों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं:** विनिर्माण के कई क्षेत्रकों के लिए PLI योजनाएं शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य **उत्पादन बढ़ाकर प्रति यूनिट उत्पाद लागत कम करना** (इकॉनमी ऑफ साइज) तथा **बड़े पैमाने पर उत्पादन करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाना** (इकॉनमी ऑफ स्केल) है। साथ ही, इसका लक्ष्य भारतीय विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना भी है।
- **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।
- **"राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफ़ॉर्मेंस" (RAMP) योजना:** यह केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) के अंतर्गत **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। इसे **विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो रही है। इस योजना का उद्देश्य** मौजूदा MSME योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाकर **MSMEs की कार्यान्वयन क्षमता एवं कवरेज** को बढ़ाना है।
- **श्रम कानूनों का संहिताकरण:** देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 29 श्रम कानूनों को **4 श्रम संहिताओं** में विलय कर दिया गया है।

आगे की राह

- **सनसेट क्लॉज:** आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में सिफारिश की गई है कि **कंपनी के आकार के आधार पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की 10 वर्षों की समय-सीमा तय (सनसेट क्लॉज)** की जानी चाहिए। इसके साथ ही **"ग्रैंड-फादरिंग"** नियम भी लागू किए जाने चाहिए।
    - ग्रैंडफादर क्लॉज के तहत पुराने नियम पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं पर लागू रहते हैं, जबकि नई व्यवस्थाओं पर नए नियम लागू होते हैं। कंपनियों के मामले में समझा जाए तो नई लघु कंपनियों को पहले से जारी प्रोत्साहन और छूट प्राप्त नहीं होंगे।
        - ग्रैंडफादर क्लॉज के अनुसार, "जो पहले से चल रहा है, वो वैसा ही रहेगा, लेकिन नई चीजों पर नए नियम लागू होंगे।"
- **प्रबंधन और कौशल विकास:** कंपनियों की परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए **पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा उद्यमशीलता और प्रबंधन कौशल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता है।**
- **पूंजी प्राप्ति में मदद: PSL[34] दिशा-निर्देशों में संशोधन** कर उन क्षेत्रों की नई कंपनियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनमें रोजगार सृजन की अधिक संभावना है। इससे रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि होगी।
- **अधिक औद्योगिक क्लस्टरों को बढ़ावा देना:** इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना से कंपनियां **साझी अवसंरचना, बाजार लिंकेज तथा प्रौद्योगिकी, वित्त और प्रतिभा का बेहतर तरीके से उपयोग** कर सकती हैं।

3.4. पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gatishakti National Master Plan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत के तीन वर्ष पूरे हुए। गौरतलब है कि पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को वर्ष 2021 में आरंभ किया गया था।

[34] Priority Sector Lending/ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण

पी.एम. गतिशक्ति–नेशनल मास्टर प्लान (PMGS-NMP): लक्ष्य

केंद्र सरकार का लक्ष्य **राष्ट्रीय राजमार्ग** की लंबाई को (वर्तमान में लगभग 1,48,000 कि.मी.) बढ़ाकर **2,00,000 किलोमीटर से अधिक करना है।**

विमानन यानी एविएशन क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए योजना में **200 नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम का निर्माण** शामिल है।

वित्त वर्ष 2025 तक रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाकर **1,600 टन तक** पहुंचाना।

4,54,200 सर्किट कि.मी. ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से पावर ग्रिड के पहुंच का विस्तार करना।

वित्त वर्ष 2025 तक नवीकरणीय क्षमता को बढ़ाकर **225 गीगावाट करना** तथा **लगभग 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइनों** का निर्माण कार्य पूरा करना।

पी.एम. गतिशक्ति की प्रमुख उपलब्धियां

सभी स्तरों के सरकार को एक प्लेटफॉर्म पर लाना: PMGS ने 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1,600 से अधिक डेटा लेयर के साथ एकीकृत किया है।

सामाजिक क्षेत्रक पर प्रभाव: PMGS के सामाजिक क्षेत्रक में विस्तार ने स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ियों के लिए डेटा–आधारित योजना बनाने में मदद की है। उदाहरण के लिए– PMGS पोर्टल का उपयोग जिला–विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण हेतु पी.एम. श्री स्कूलों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ने के लिए किया गया है।

पी.एम. गतिशक्ति राज्य मास्टर प्लान (SMPs): सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पी.एम. गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म के अनुरूप **पी.एम. गतिशक्ति (PMGS) पोर्टल** विकसित किए हैं।

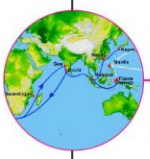

व्यापार सुविधा: PMGS महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की कमियों को दूर करने तथा लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में सहायक रहा है। उदाहरण के लिए– नेशनल मास्टर प्लान (NMP) का उपयोग करके 8,891 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण की योजना बनाई गई है।

संधारणीय और डेटा–आधारित विकास को बढ़ावा देना: PMGS दक्ष अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करने के लिए **GIS** उपकरणों का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए– लेह (लद्दाख) से कैथल (हरियाणा) तक 13 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना ने अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन के लिए 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' की सर्वोत्तम विशेषताओं को शामिल किया है।

PMGS की उपलब्धियां: कुल 180 बिलियन डॉलर की 208 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का सफल मूल्यांकन किया गया।

पी.एम. गति शक्ति (PMGS) के बारे में

- **पी.एम. गति शक्ति:** यह **ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार** पर आधारित **समकालिक, समग्र, एकीकृत** और **व्यापक योजना निर्माण** के माध्यम से भरोसेमंद अवसंरचना के विकास में तेजी लाने की एक योजना है।

- **यह योजना अग्रलिखित 7 इंजनों द्वारा संचालित है:-** रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, मास-ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना।

- **उद्देश्य:** रहन-सहन को आसान बनाना, व्यवसाय करने में सुगमता लाना, अवरोधों को कम करना और लागत में दक्षता को अपनाकर कार्यों को पूरा करने में तेजी लाना।
- **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP) के बारे में:**
  - इसे **BISAG-N** (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियोइंफॉर्मेटिक्स) ने **डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल** के रूप में विकसित किया है। ऐसा **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)[35] प्लेटफॉर्म** का उपयोग करके किया गया है।
  - इसे **ओपन-सोर्स तकनीक** के आधार पर बनाया गया है और भारत सरकार के क्लाउड **मेघराज** पर होस्ट किया गया है। यह इसरो सैटेलाइट इमेजरी और सर्वे ऑफ इंडिया बेस-मैप्स को एकीकृत करता है।
  - **यह अलग-अलग मंत्रालयों की मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं पर व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है।** इनमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, ड्राई/ लैंड पोर्ट और उड़ान (UDAN) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- **योजनाओं में समन्वय की कमी:**
  - **विभिन्न योजनाओं में समन्वय की कमी** के कारण अलग-अलग विभागों द्वारा केबल, गैस पाइपलाइन और जल की पाइपलाइनें बिछाने के लिए **बार-बार सड़क की खुदाई** की जाती रही है। इससे **जनता को लगातार असुविधा होती है** और **अनावश्यक खर्च होता है।**
- **स्थापित अवसंरचना का बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं होना:**
  - **योजना बनाते समय क्षमता का सही से आकलन नहीं करने के कारण** अवसंरचना परियोजनाओं की **पूरी क्षमता का उपयोग नहीं** हो पाता है। इससे राजस्व का अत्यधिक नुकसान होता है।
  - उदाहरण के लिए- पाइपलाइन कनेक्टिविटी में देरी के कारण कोच्चि में तरल प्राकृतिक गैस (LNG) टर्मिनल 2013 से अपनी पूर्ण क्षमता से कम पर कार्य कर रहा है।
- **मानकीकरण का अभाव:**
  - **अवसंरचना** के प्रत्येक घटक के लिए **समान विनिर्देशों के बावजूद परियोजना को अलग-अलग तरीके से** डिजाइन किया जाता है। इससे विभागों का **अनावश्यक खर्च** बढ़ जाता है।
  - उदाहरण के लिए- प्रत्येक **रेलवे ओवर ब्रिज (ROB)** के लिए नए डिज़ाइन पर **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** के साथ-साथ **रेल मंत्रालय की मंजूरी** की भी आवश्यकता होती है। इससे परियोजना पूरी होने की अवधि बढ़ जाती है और जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
- **समन्वय का अभाव और मंजूरी मिलने में देरी:**
  - **एक भी मंजूरी** (क्लियरेंस, भूमि अधिग्रहण, आदि) **प्राप्त होने में देरी** से परियोजना में बड़े पैमाने पर विलंब हो सकता है।
  - उदाहरण के लिए, **दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे** के एक हिस्से में सड़क निर्माण का कार्य पूरा होने के बावजूद एक रेलवे ओवरब्रिज के लिए रेलवे से मंजूरी मिलने में विलंब होने के कारण परियोजना में 11 महीने की देरी हुई।

पी.एम. गति शक्ति योजना अवसंरचना विकास की बाधाओं को कैसे दूर कर रही है?

- **स्मार्ट योजना और निगरानी के लिए भू-स्थानिक सूचना का उपयोग: GIS और सैटेलाइट इमेजरी** से रियल टाइम डेटा का उपयोग करते हुए, पी.एम. गति शक्ति योजना डेटा-आधारित विश्लेषण प्रदान करती है। इससे अधिक सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
- **दक्षता में सुधार के लिए स्मार्ट लॉजिस्टिक्स: यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP)** को लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में दक्षता, पारदर्शिता और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **सामूहिक विजन के लिए विभागों द्वारा अलग-अलग कार्य करने की प्रथा को दूर करना: नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG)** अवसंरचना विकास में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग मंत्रालयों के प्रयासों में समन्वय कर रहा है।

[35] Geographic Information System

- **परियोजना बनाने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव:** डिजिटल सर्वेक्षणों के उपयोग से वर्तमान में परियोजना की प्लानिंग में तेजी आई है और अधिक सटीक योजना बनाई जा रही है। उदाहरण के लिए, एक वर्ष में रेल मंत्रालय ने 27,000 किलोमीटर रेलवे लाइनों को कवर करते हुए 400 से अधिक रेलवे परियोजनाओं की प्लानिंग की है।
- **मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी:** राजमार्गों, रेलमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, मास अर्बन ट्रांसपोर्ट और अंतर्देशीय जलमार्गों के एकीकरण के जरिए यह पहल वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करती है।
- **एजेंसियों के बीच मंजूरी प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** उदाहरण के लिए- पर्यावरण मंत्रालय की ऑनलाइन पर्यावरण मंजूरी प्रणाली की वजह से मंजूरी प्राप्त करने में लगने वाला समय 600 दिनों से घटाकर केवल 162 दिन रह गया है।

पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के समक्ष क्या चुनौतियां हैं?

- **सरकारी डेटा को डिजिटल स्वरूप देने में देरी तथा इन डेटा को आपस में साझा करने में समस्या:** सरकारी डेटा के भंडारण और प्रोसेसिंग में मानकीकरण एवं यूनिवर्सल प्रोटोकॉल के अभाव से डेटा एकीकरण और एकीकृत समाधानों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
    - सरकारी डेटा, विशेषकर भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण की कमी के कारण एकीकृत निर्णय लेने में बाधा आती है।
- **डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अवसंरचना संबंधी अधिक महत्वपूर्ण डेटा साझा करने के बारे में चिंता व्यक्त की है।
    - निजी कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध **संवेदनशील अवसंरचना संबंधी डेटा से मौद्रिक लाभ उठा सकती हैं।**
- **निजी क्षेत्रक के साथ कम डेटा साझा करना:** यह 6 ट्रिलियन रुपये के लक्ष्य वाली **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)**[36] के तहत अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से जुड़े निर्णय लेने में चुनौतियाँ आ रही हैं। ज्ञातव्य है कि **NMP** में मुख्य अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाना है।
- **पी.एम. गति शक्ति के दायरे से बाहर के क्षेत्र से जुड़ी मुख्य समस्याएं:** भूमि अधिग्रहण अक्सर भारत के विकास में बड़ी बाधा है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं के कारण कई विकास परियोजनाएं स्थगित हो जाती हैं।
- **पी.एम. गति शक्ति के तहत समाधान नहीं की गई अन्य चुनौतियां:** जैसे- कानूनी समस्याएं, अवसंरचना विकास के कारण स्थानीय आबादी में अलगाव की समस्या, पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन न करना, आदि।

भारत पी.एम. गति शक्ति के कार्यान्वयन में कैसे सुधार कर सकता है?

- भूमि अधिग्रहण और परियोजना की मंजूरी से जुड़ी **नौकरशाही प्रक्रियाओं को आसान** बनाना चाहिए। अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने से इन प्रक्रियाओं में तेजी आ सकती है। समय पर परियोजना पूरी करने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
- **कुछ प्रमुख समस्याओं का समाधान करना:** अधिक सार्वजनिक व्यय की वजह से उत्पन्न होने वाली संरचनात्मक और मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता से संबंधित समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
    - **भूमि अधिग्रहण से जुड़े निर्णयों से निपटना:** अवसंरचना हेतु नई भूमि अधिग्रहित करने के बजाय नीति-निर्माताओं को GIS और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके क्षरण वाली भूमि या प्रदूषित क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए और इनका पुनर्विकास करना चाहिए।
- **गति शक्ति प्लेटफ़ॉर्म को निजी क्षेत्रक के लिए खोलना:** सरकार निजी कंपनियों को गैर-संवेदनशील डेटा साझा करके सहयोग और पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकती है।
- **जिला-स्तरीय विस्तार:** पी.एम. गति शक्ति जिला मास्टर प्लान पोर्टल **विकेंद्रीकृत योजना निर्माण** सुनिश्चित करेगा। इससे अलग-अलग क्षेत्रों और स्थानीय समुदायों में **समावेशी विकास को बढ़ावा** मिलेगा।

निष्कर्ष

पी.एम. गति शक्ति पहल भारत में अवसंरचना विकास के लिए परिवर्तनकारी कदम है। इसका उद्देश्य बाधा रहित और दक्ष मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क बनाना है। विभिन्न मंत्रालयों के प्रयासों को एकीकृत करके और एडवांस तकनीकों का लाभ उठाकर, यह पहल पूरे देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने का प्रयास करती है।

[36] National Monetisation Pipeline

3.5. मेक इन इंडिया के 10 वर्ष (10 Years of Make in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, "मेक इन इंडिया" पहल के 10 वर्ष पूरे हुए। **मेक इन इंडिया** पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को हुई थी।

"मेक इन इंडिया" के बारे में

- **उद्देश्य: मेक इन इंडिया** का मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व का प्रमुख डिजाइन और विनिर्माण केंद्र बनाना है। **'वोकल फॉर लोकल'** पहल मेक इन इंडिया का ही एक मंत्र है।
- **अन्य उद्देश्य:**
  - भारतीय उद्योग की **संवृद्धि दर को बढ़ाकर प्रति वर्ष 12-14%** तक करना।
  - **2022 तक औद्योगिक क्षेत्रकों में 100 मिलियन रोजगार के अवसर** सृजित करना।
  - 2022 तक भारत के **सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25%** करना। अब इसे संशोधित करके 2025 तक कर दिया गया है।
- **क्षेत्रक:** वर्ष 2021 में शुरू की गई **मेक इन इंडिया 2.0** पहल में **27 क्षेत्रकों** पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसे **विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों** के तत्वावधान में लागू किया जा रहा है।
- **"मेक इन इंडिया" के स्तंभ:**
  - **नई प्रक्रियाएं:** इसके तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सबसे महत्वपूर्ण भाग** के रूप में मान्यता दी गई है।
  - **नई अवसंरचना:** इसमें औद्योगिक गलियारा और स्मार्ट शहरों का विकास तथा विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और उच्च-गति वाली संचार सुविधाओं को एकीकृत करने पर जोर दिया गया है।
  - **नए क्षेत्रक:** रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, विनिर्माण और रेलवे अवसंरचना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।
  - **नई मानसिकता:** सरकार की भूमिका विनियामक के बदले **सुविधाप्रदाता** के रूप में तय की गई है।

"मेक इन इंडिया" के तहत प्रमुख उपलब्धियां

- **भारत की नई विनिर्माण क्षमता:** सभी क्षेत्रकों में भारत की नई विनिर्माण क्षमता स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है। जैसे- भारत प्रतिवर्ष 400 मिलियन खिलौने बना रहा है और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश बना गया है।
  - भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता देश बन गया है और इसने स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है। अब 99% मोबाइल देश में ही विनिर्मित होते हैं।
- **व्यवसाय सुगमता में सुधार:** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, अप्रत्यक्ष कराधान के लिए GST, जन विश्वास अधिनियम जैसे नीतिगत सुधारों की वजह से व्यवसाय करना आसान हुआ है।
  - विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत 2014 में 142वें स्थान पर था। 2019 में भारत 63वें स्थान पर आ गया, जो सुधारों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। विश्व बैंक ने अब यह रिपोर्ट जारी करना बंद कर दिया है।
- **भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिला:** वर्तमान में, एशियाई देशों में भारत में कर की दरें सबसे कम हैं। इस वजह से वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक आकर्षण क्षमता बढ़ गई है। **उठाए गए अन्य कदम निम्नलिखित हैं:**
  - 40,000 से अधिक नियमों के अनुपालन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है और 3,800 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है।
  - **राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम:** निवेशकों द्वारा निवेश की प्रक्रियाओं को सरल बनाकर **75,000 से अधिक** निवेश प्रस्तावों को अनुमति दी गई है।
- **संसाधन जुटाना:** देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। यह **2015 के लगभग 45 बिलियन डॉलर** से बढ़कर **2022 में लगभग 85 बिलियन डॉलर** के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया।
- **पण्य (मर्केंटाइल) निर्यात: 2024 में भारत से लगभग 437 बिलियन डॉलर** का निर्यात हुआ, जो वैश्विक व्यापार में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। भारत से **उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्यात में वृद्धि** हुई है।
  - उदाहरण के लिए- **ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल** निर्यात में लगभग 27 बिलियन डॉलर की वृद्धि तथा **रक्षा निर्यात में 31 गुना की वृद्धि** दर्ज की गई है। साथ ही, भारत **विश्व की लगभग 60% वैक्सीन** की आपूर्ति करता है।
- **रक्षा निर्यात: धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, मुख्य युद्धक टैंक (MBT) अर्जुन, हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस**, कई पनडुब्बियां जैसे प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म्स विकसित किए गए हैं और कई देशों को इनका निर्यात किया जा रहा है।
- **उच्च-मूल्य वाले विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता देना:** इसके परिणामस्वरूप, 2015 से वैश्विक नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स) में भारत की रैंकिंग में 42 स्थानों का सुधार हुआ है। वर्तमान में इस सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। यह सुधार भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता को दर्शाता है।
- **संधारणीय विकास की ओर उठाया गया कदम:** उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 6 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा, इससे प्राकृतिक गैस और अमोनिया के आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे 1 लाख करोड़ रुपये की भी बचत होगी।

"मेक इन इंडिया" से जुड़ी चिंताएं

- **GDP में विनिर्माण क्षेत्रक की 25% हिस्सेदारी का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ:** 'मेक इन इंडिया' योजना के बावजूद, GDP में विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी **2023 में 17.7%** पर स्थिर रही।
  - 2014 से विनिर्माण क्षेत्रक की संवृद्धि दर औसतन लगभग **6%** रही है। यह **12-14% की संवृद्धि दर के लक्ष्य से काफी कम** है।
- **विनिर्माण क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों में कमी:** विनिर्माण क्षेत्रक में 100 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके उलट विनिर्माण क्षेत्रक में श्रमबल **2017 के 51 मिलियन से घटकर 2023 में 35 मिलियन** हो गया।
- **वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (GVA) में गिरावट:** राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS)[37] के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्रक की वास्तविक GVA वृद्धि दर **2012 के लगभग 8% से घटकर 2023 में 5.5% रह गई।**
- **निवेश दरों में गिरावट:** भारत की उत्पादक निवेश दर (सकल पूंजी निर्माण) में कमी हुई है। यह 2008 के 39.1% से घटकर 2023 में 32.2% रह गई।

[37] National Accounts Statistics

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से संचालित विकास रणनीति को सीमित सफलता:** भारत में **2015 से 2023 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट** देखी गई है। इस अवधि में FDI का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में लगभग **1.8%** रहा। यह पिछले दशकों में देखे गए लगभग **2.1%** से कम है।
    - 2017 के बाद से अधिकांश FDI **केवल 9 क्षेत्रकों में केंद्रित** रहा है। इनमें से विशेषकर **सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं** अग्रणी हैं, जबकि अन्य **53 क्षेत्रकों (अधिकांशतः विनिर्माण) को कुल FDI का केवल 30% प्राप्त हुआ है।**
- **निर्यात प्रदर्शन में गिरावट:** कुल मात्रा के आधार पर अधिक FDI आने के बावजूद भारत के पण्य (मर्केंटाइल) निर्यात में सापेक्ष रूप से गिरावट दर्ज हुई है। यह **2013-14 में GDP का लगभग 10% था, जो 2022-23 में घटकर लगभग 8% रह गया।**
- **PLI योजनाओं के उपयोगी होने से जुड़ी चिंताएं:** PLI योजनाओं की बढ़ती लागत चिंता का विषय है। जैसे कि गुजरात में माइक्रोन द्वारा स्थापित 2.75 बिलियन डॉलर की माइक्रोप्रोसेसर फैक्ट्री में अधिकांश निवेश का वित्त-पोषण सरकार ने किया है।

आगे की राह

- **क्षमता में सुधार:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों को अपनाकर, श्रम बल को तेजी से कौशल प्रदान करके और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करके क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है।
- **उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करना:** बेहतर शिक्षित श्रमबल को उद्यमी बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां सृजित करके उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण के लिए- भारत में वर्तमान में लगभग 2.2 मिलियन STEM[38] स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD धारक तैयार होते हैं।
- **नवाचार हेतु अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना:** ज्ञान को संपदा में बदलने के लिए शैक्षिक जगत, उद्योग जगत और सरकार के बीच सहयोग का एक ट्रिपल हेलिक्स मॉडल आवश्यक है। इस मामले में भारत को शिक्षा जगत से प्रारंभिक स्तर की बौद्धिक संपदा (IP) की पहचान के लिए विशिष्ट संस्थानों की स्थापना करना चाहिए।
    - हाल ही में **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)** की स्थापना ऐसी ही शीर्ष संस्था के रूप में की गई है। यह देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है।
- **देश के सबल पक्षों का उपयोग करना:** भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्रक में विस्तार करने की बजाय सेवाओं और विनिर्माण-संबंधित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना आसान है।
- **रचनात्मक एक्सीलेंस को बढ़ावा देना:** नए विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के लोकतांत्रिक मूल्य (जो चीन में अनुपस्थित है) का लाभ उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए, रूस (अधिनायकवादी व्यवस्था) की चिप प्रौद्योगिकी संयुक्त राज्य अमेरिका (लोकतंत्र) से पीछे थी क्योंकि रूसी इस क्षेत्रक में नवाचार नहीं कर पाए।

निष्कर्ष

आज "मेक इन इंडिया" पहल अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रही है। यह भारत के अपने विनिर्माण क्षेत्रक को नई दिशा देने और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। रणनीतिक सुधारों, निवेश-अनुकूल नीतियों और अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ ही इस पहल ने भारत की औद्योगिक क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

[38] Science, Technology, Engineering, Mathematics

3.6. भारत में निर्धनता (Poverty in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक ने **'पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी, एंड प्लैनेट रिपोर्ट 2024: पाथवेज आउट ऑफ द पॉलीक्राइसिस[39]'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में आपस में जुड़े इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कोविड महामारी के बाद की वैश्विक प्रगति का पहला आकलन प्रस्तुत किया गया है।

भारत में निर्धनता की वर्तमान स्थिति (नीति आयोग के अनुसार)

- **निर्धनता हेडकाउंट अनुपात** 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया।
- पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं।
- **गरीब राज्यों में गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है।** इससे असमानताओं में कमी का संकेत मिलता है।
  - उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई।
- 2030 से बहुत पहले ही भारत **सतत विकास लक्ष्य (SDG) संख्या 1.2** (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा करना) **की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर है।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **वैश्विक गरीबी में कमी के समक्ष बाधा:** पॉलीक्राइसिस अथवा 'बहुसंकट' की वजह से पिछले 5 वर्षों के दौरान गरीबी में कमी की गति लगभग स्थिर हो गई है।
  - **पॉलीक्राइसिस** एक ऐसी स्थिति है, जहां **धीमी आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक संकटों में बढ़ोतरी, जलवायु जोखिम और अधिक अनिश्चितता जैसे कई संकट एक ही समय में एक साथ** पैदा हो जाते हैं। इसके चलते, राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को लागू करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मुश्किल हो जाता है।
- **लक्ष्यों की प्राप्ति न होना:** ऐसा अनुमान है कि **2030 में विश्व की 7.3%** आबादी चरम गरीबी में रह रही होगी जो **विश्व बैंक के 3% के लक्ष्य** से दोगुना से भी अधिक है। यह अनुमान संयुक्त राष्ट्र SDGs के गरीबी उन्मूलन लक्ष्य से तो काफी दूर है।
  - 2024 में विश्व की 8.5% आबादी चरम गरीबी में जी रही है।
- **वैश्विक समृद्धि में अंतर:** वैश्विक समृद्धि में कोविड महामारी के बाद से प्रगति अवरुद्ध हो गई है। यह समावेशी इनकम ग्रोथ में गिरावट को उजागर करता है।
  - **समृद्धि अंतर (Prosperity Gap):** विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया समृद्धि अंतर यह दर्शाता है कि विश्व की आबादी को एक दिन में 25 डॉलर की न्यूनतम आय (समृद्धि का बुनियादी स्तर) तक पहुंचाने के लिए कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। यह संकेतक वैश्विक आय असमानता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।
- **भारत:** चरम गरीबी में रहने वाले **भारतीयों की संख्या 431 मिलियन (1990) से घटकर 129 मिलियन (2024)** रह गई है।
  - वर्तमान में, **विश्व बैंक, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन को चरम गरीबी** के रूप में परिभाषित करता है।

भारत में निर्धनता आकलन का इतिहास

स्वतंत्रता के पूर्व

- **दादाभाई नौरोजी** (पुस्तक- **पावर्टी एंड द अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया**), **नेशनल प्लानिंग कमेटी** (1938), और **बॉम्बे प्लान** (1944) में निर्धनता आकलन के प्रयास किए गए थे।

स्वतंत्रता के पश्चात्

- **योजना आयोग (1962), वी.एम. दांडेकर और एन. रथ (1971), अलघ समिति (1979), लकड़ावाला समिति (1993)** निर्धनता के आकलन से संबंधित थे।

2000 के बाद

- **तेंदुलकर समिति (2009):** यह समिति गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी। इस समिति ने 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित की थी। **इसने निम्नलिखित अनुशंसाएं की:**

[39] Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Pathways Out of the Polycrisis

- कैलोरी मानदंडों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं किया जाए;
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए दो अलग-अलग गरीबी रेखा बास्केट (PLB)[40] की बजाय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, दोनों में एक समान अखिल भारतीय शहरी गरीबी रेखा बास्केट को अपनाया जाए।
  - गरीबी रेखा बास्केट उन उपभोग वस्तुओं का संग्रह है जो गरीबी रेखा से ऊपर रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग स्तर को दर्शाता है।
- समान संदर्भ अवधि (URP)[41] के विपरीत मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP)[42] आधारित अनुमानों का उपयोग किया जाए।

- **रंगराजन समिति (2014):** तेंदुलकर समिति की सिफारिशों की व्यापक आलोचना को देखते हुए यह समिति गठित की गई। इसने **फिर से अलग-अलग अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा बास्केट को अपनाया और इसके आधार पर** राज्य-स्तरीय ग्रामीण एवं शहरी गरीबी के अनुमान प्रदान किए।
  - हालांकि, **सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया।**

भारत में निर्धनता के कारण

- **ऐतिहासिक कारण:** शोषणकारी औपनिवेशिक शासन ने स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर दिया था। इससे विऔद्योगीकरण हुआ और धन की निकासी हुई, जिसके परिणामस्वरूप गरीबी बढ़ी।
  - उदाहरण के लिए- **ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक** और तैयार माल का आयातक बना दिया था। इससे किसानों और कारीगरों की आय प्रभावित हुई।
- **कृषि उत्पादकता में कमी**: भूमि जोत का आकार छोटा होने, पूंजी की कमी और पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर निर्भरता के कारण उपज कम होती है।
  - उदाहरण के लिए- विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में फसलों की कम उपज किसानों की आय को प्रभावित करती है।

निर्धनता से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां

- **पूर्ण निर्धनता (Absolute Poverty):** यह आमतौर पर सामाजिक स्तर या मानदंडों को शामिल किए बिना बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम लागत को दर्शाता है। भोजन, सुरक्षित पेयजल जैसी **बुनियादी मानवीय जरूरतों से गंभीर रूप से वंचित** होने की स्थिति को पूर्ण निर्धनता कहा जाता है।
- **सापेक्ष निर्धनता (Relative Poverty):** सापेक्ष निर्धनता का मतलब है कि किसी व्यक्ति या समूह को गरीब तब माना जाता है जब वे उस समाज के औसत जीवन स्तर से काफी नीचे रह रहे होते हैं। यह एक सापेक्ष अवधारणा है, जो समाज के भीतर ही निर्धारित होती है, न कि किसी निश्चित, निरपेक्ष मानक के आधार पर।
- **निर्धनता दर/ निर्धनता प्रसार/ हेडकाउंट अनुपात:** यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का हिस्सा या प्रतिशत है। यह मापता है कि '**कितने लोग गरीब हैं।**'
- **गरीबी की गहनता (Intensity of poverty):** यह मापता है कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए गरीबी कितनी गंभीर है, अर्थात् वे गरीबी रेखा से कितनी दूर हैं। इस प्रकार यह मापता है कि **'गरीब कितने गरीब हैं?'**
- **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)[43]:** यह वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यापक मापदंड है जो गरीबी को केवल मौद्रिक आधार की बजाय कई आयामों में दर्शाता है।

- **जनसंख्या विस्फोट:** भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने संसाधनों और सेवाओं पर दबाव बढ़ा दिया है। इससे देश की आबादी में गरीबी के अनुपात में वृद्धि हुई है।
  - उदाहरण के लिए- **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग** (UNDESA)[44] के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के प्रारंभ में 1.7 बिलियन हो जाएगी। साथ ही, यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि इस पूरी शताब्दी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा।

[40] Poverty Line Baskets

[41] Uniform Reference Period

[42] Mixed Reference Period

[43] Multidimensional Poverty Index

[44] United Nations Department of Economic and Social Affairs

- **आर्थिक असमानता:** आय और संपत्ति के वितरण में असमानता ने संसाधनों को कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित कर दिया है, जिससे सापेक्ष गरीबी बढ़ी है। उदाहरण के लिए- **ऑक्सफैम के अनुसार भारतीय आबादी के सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है।**
- **सामाजिक असमानताएं:** जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानताएं सामाजिक अपवंचन (सोशल एक्सक्लूजन) को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत में 53% महिलाएं घर की देखभाल की ज़िम्मेदारियों के कारण कार्य बल में शामिल नहीं हो सकी हैं।
    - इसके अलावा, कठोर जातिगत व्यवस्था वंचित समूहों को संसाधनों और अवसरों की प्राप्ति को सीमित करती है। इससे कई पीढ़ियों तक गरीबी का दुष्चक्र जारी रहता है। इससे समान पीढ़ी (बचपन से वयस्क तक गरीबी में जीना) एवं अगली पीढ़ी तक गरीबी में बने रहने से समानता का स्तर प्राप्त करने में समस्या पैदा होती है।
- **भौगोलिक असमानताएं**: घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र या प्राकृतिक आपदाओं के खतरे वाले क्षेत्रों में गरीबी की दर अधिक होती है।
    - उदाहरण के लिए- असम और बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ प्रतिवर्ष लाखों लोगों को विस्थापित करती है और उन्हें पूर्ण निर्धनता में धकेल देती है।

गरीबी से निपटने के लिए उठाए गए कदम

वहनीय स्वास्थ्य देखभाल सेवा	सामाजिक सुरक्षा और सशक्तीकरण	वित्तीय समावेशन और कल्याण	रोजगार और कौशल विकास	उद्यमशीलता
• आयुष्मान भारत योजना • प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) • प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)	• प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) • जल जीवन मिशन • प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) • पी.एम. उज्ज्वला योजना • सौभाग्य योजना	• प्रधान मंत्री जन धन योजना • अटल पेंशन योजना • प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना • प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना	• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना • प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना • राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना	• प्रधान मंत्री मुद्रा योजना • पी.एम. स्वनिधि • दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

आगे की राह

- **निर्धनता कम करने के लिए नीति आयोग के सुझाव:**
    - **रोजगार-सृजन करने वाले सतत व तीव्र विकास को बढ़ावा:** बेहतर रोजगार सृजन और सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करके सामाजिक व्यय को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। आयोग ने विशेष रूप से पूर्वी भारत में **कृषि क्षेत्रक में दूसरी हरित क्रांति** की आवश्यकता पर जोर दिया है।
    - **गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना: समावेशन और अपवंचन संबंधी त्रुटियों को कम करने** के लिए प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ-साथ योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाकर ऐसा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- **जन धन योजना, आधार नंबर, मोबाइल यानी जैम (JAM) ट्रिनिटी का उपयोग।**

> गरीबी हिंसा का सबसे खराब रूप है।
>
> **– महात्मा गांधी**

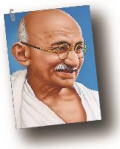

- **"अमर्त्य सेन के 'स्वतंत्रता के रूप में विकास' और क्षमता दृष्टिकोण" पर ध्यान केंद्रित करना:** यह लोगों की क्षमताओं में निवेश करने की आवश्यकता पर बल देता है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके लिए अवसरों और स्वतंत्रताओं को बढ़ाया जा सके। इससे नागरिकों का सशक्तीकरण होगा और गरीबी में कमी आएगी।
    - उदाहरण के लिए- स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कौशल क्षमताओं को बढ़ाने से उनके उद्यमिता विकास को बढ़ावा मिलता है और शहरी गरीबी में कमी लाई जा सकती है।

3.7. वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 और सामाजिक उद्यमिता (Global Innovation Index 2024 and Social Entrepreneurship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)[45], कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड (INSEAD) बिजनेस स्कूल** ने संयुक्त रूप से **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII), 2024** जारी किए।

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **थीम:** सामाजिक उद्यमिता के वादे को साकार करना (Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship)।
- **नवाचार यानी इनोवेशन को मापने वाले मानदंडों में शामिल हैं:** संस्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान, अवसंरचना, ऋण (क्रेडिट), निवेश, लिंकेज; रचनात्मकता, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार; और रचनात्मक आउटपुट।
- **शीर्ष रैंकिंग:** पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी **स्विट्जरलैंड** प्रथम स्थान पर है। उसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर का स्थान है।
- **भारत की स्थिति:**
  - **भारत विश्व की 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर** है। 2023 में भारत 40वें स्थान पर था। इस तरह भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। भारत का स्कोर 38.3 है।
  - ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, रचनात्मक आउटपुट, संस्थान और व्यावसायिक आधुनिकता के मामले में भारत **निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं** तथा **मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहले स्थान पर** है।
  - बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के शीर्ष 100 क्लस्टर्स** में शामिल हैं।

सामाजिक उद्यमिता और उद्यम

- सामाजिक उद्यमिता वास्तव में **गरीबी, पर्यावरणीय संधारणीयता और सामाजिक अन्याय** जैसी अनेक समस्याओं का समाधान करते हुए **आर्थिक संपदा का सृजन** है।
  - यह **लाभकारी उद्यमियों की दक्षता, नवाचार और संसाधनों** को गैर-लाभकारी संगठनों के **जज़्बे, मूल्यों, मिशन और चिंताओं** के साथ जोड़ती है।

परंपरागत कंपनियों और सामाजिक उद्यमों के बीच अंतर

	परंपरागत कंपनी	सामाजिक उद्यम
मिशन/ अभिप्रेरणा	• बाजार के अवसरों का उपयोग करके **आर्थिक मूल्य** का सृजन करना। • **सामाजिक मूल्य** का सृजन करना, जो आर्थिक मूल्य सृजन के **तरीकों में से एक है।**	सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए रचनात्मक समस्या समाधान के माध्यम से **सामाजिक मूल्य** का सृजन करना, ताकि **आर्थिक मूल्य सृजित/ प्राप्त** किया जा सके।
नवाचार प्रक्रियाओं का लक्ष्य	प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले **आर्थिक और बाजार बढ़त** हासिल करना तथा **बाजार में अपनी उपस्थिति** को बढ़ाना।	**समावेशी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना,** जिसमें समुदाय की भागीदारी हो और **सामाजिक लाभ को अधिकतम किया जाए,** जैसे कि **ओपन-सोर्स नॉलेज।**
अधिशेष का उपयोग	**हितधारकों के आर्थिक लाभ** को बढ़ाने के लिए अधिशेष का उपयोग करना।	सामाजिक समस्या को सुलझाने और **सामाजिक मिशन** को आगे बढ़ाने के लिए **पुनः निवेश** करना।
भविष्य में होने वाले अपेक्षित बदलाव	**लाभ अधिकतम करने** के आधार पर बाजार की जरूरतों के अनुसार विकास करना।	**समावेशी बाजार** के निर्माण, **वंचित समुदायों के उत्थान** और **सामाजिक प्रभाव** को प्राथमिकता देना।

[45] World Intellectual Property Organization

सामाजिक उद्यमिता और सामाजिक उद्यमों की क्षमता/ महत्त्व

- **आर्थिक संवृद्धि:** अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर **11 मिलियन सामाजिक उद्यम** और **30 मिलियन सामाजिक उद्यमी** हैं। ये **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर** का योगदान करते हैं।
  - **भारत में सामाजिक उद्यमों के लिए अनुमानित बाजार अवसर और क्षमता 2025 तक 8 बिलियन डॉलर** होने की संभावना व्यक्त की गई है।

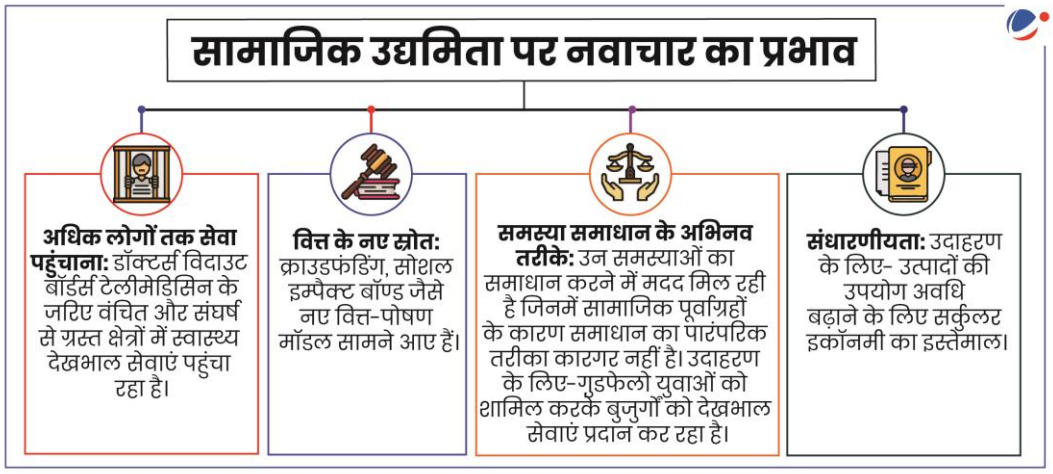

- **विशेषज्ञता के माध्यम से नीति को प्रभावित करना:** 800 से अधिक सामाजिक उद्यमियों के एक अध्ययन के अनुसार, **63 प्रतिशत** ने **विधायी बदलाव** में योगदान दिया है या **नीति को प्रभावित** किया है और 62 प्रतिशत ने **नीति निर्माताओं को अनुसंधान में सहयोग और/या डेटा** प्रदान किया है।
  - उदाहरण के लिए- **इथियोपियाई** नीति निर्माताओं ने **टेबिटा (Tebita) एम्बुलेंस** के साथ सहयोग किया ताकि **आपातकालीन चिकित्सा सेवा मानक और लाइसेंसिंग प्रणाली** बनाई जा सके। **टेबिटा एम्बुलेंस** एक सामाजिक उद्यम है।
- **सतत विकास:** यह सतत विकास सुनिश्चित करने और **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** को पूरा करने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करता है।
  - उदाहरण के लिए- **SELCO** भारत स्थित एक सामाजिक उद्यम है। यह **वंचित परिवारों** और व्यवसायियों को **संधारणीय ऊर्जा समाधान प्रदान** करता है।
- **जागरूकता और सहभागिता:** ये आर्थिक विकास के साथ-साथ **सामूहिक सहभागिता** के जरिए **सामाजिक समस्याओं का समाधान** करने की आवश्यकता के बारे में **लोगों को शिक्षित करने** का अवसर प्रदान करते हैं।
- **कंपनियों में सामाजिक नवाचार को एकीकृत करना:** ये पारंपरिक कंपनियों को **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)[46] से कॉर्पोरेट सामाजिक नवाचार** की ओर उन्मुख करने में सहायता करते हैं।

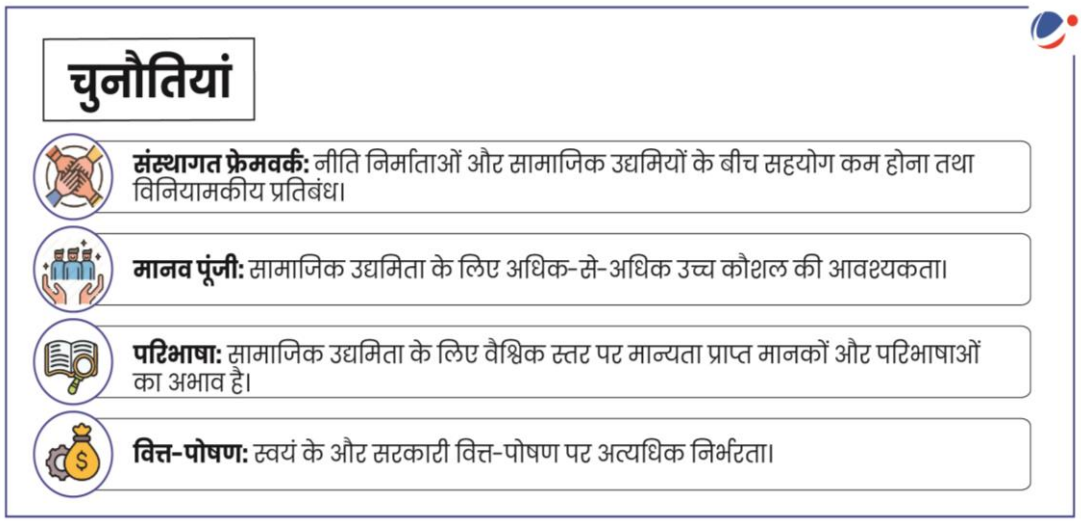

- **सामाजिक परिवर्तन:** ये समाज के **वंचित और अभावग्रस्त वर्गों को सशक्त बनाने** और पारंपरिक व्यवसाय मॉडल के कारण बढ़ती **आर्थिक असमानता** का समाधान करते हैं।

[46] Corporate Social Responsibility

सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारतीय स्टार्ट-अप्स एवं MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित की शुरुआत की गई है-
  - **अटल इनोवेशन मिशन (AIM);**
  - **नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना (A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industries and Entrepreneurship: ASPIRE);** और
  - **आत्मनिर्भर भारत ARISE-ANIC कार्यक्रम**
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत कुछ कंपनियों के लिए **सामाजिक कल्याण गतिविधियों** हेतु CSR परियोजनाएं शुरू करना अनिवार्य किया गया है।
- **सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE):** इसका उद्देश्य सामाजिक उद्यमों को **सामने लाना और वित्तीय स्रोत प्राप्त करने में मदद करना है।**
- **सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड:** यह एक नवीन वित्तीय साधन है जो निवेशकों को सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तन लाने वाली परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए- **ग्रीन बॉण्ड, सोशल बॉण्ड, सस्टेनेबिलिटी बॉण्ड, स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड,** आदि।
  - उदाहरण के लिए- **स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग (SWAMIH) निवेश फंड** भारत का सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड है।
- **सामाजिक नवाचार कार्यक्रम: यह नैसकॉम फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया एक TechForGood पहल** है। यह सभी के लिए समावेशन को बढ़ावा देती है। यह युवा सामाजिक इनोवेटर्स को अपने आइडिया को वास्तविकता में बदलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।

निष्कर्ष

सामाजिक उद्यमिता और उद्यम वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए ये व्यावसायिक नवाचार को सामाजिक लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं। सहायक नीतियों, अवसंरचना में निवेश और वित्त-पोषण के जरिए ऐसा अनुकूल परिवेश बनाया जा सकता है जहां सामाजिक उद्यम विकसित हो सके, संधारणीय विकास को बढ़ावा मिले और वैश्विक स्तर पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव पैदा हो।

3.8. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन) {National Mission on Edible Oils–Oilseeds (NMEO-Oilseeds)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **2024-25 से 2030-31 तक** सात साल की अवधि के लिए **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन)** को मंजूरी दी।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन के बारे में

- **2030-31 के लिए लक्ष्य:**
  - **प्राथमिक तिलहन उत्पादन** को 2022-23 के 39 मिलियन टन से बढ़ाकर **69.7 मिलियन टन करना**।
  - घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को बढाकर **25.45 मिलियन टन** करना और NMEO-OP (आयल पाम) को शामिल करते हुए **अनुमानित घरेलू मांग का लगभग 72% पूरा करना।**
  - चावल और आलू की खेती वाली भूमि तथा परती भूमि का उपयोग करके इंटरक्रॉपिंग और **फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर तिलहन की खेती के तहत अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर भूमि को लाना।**
- **फोकस क्षेत्र:**
  - रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी **प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना;**
  - कपास के बीज, चावल की भूसी (राइस ब्रान) और वनस्पतियों से प्राप्त तेलों जैसे **द्वितीयक स्रोतों से तेल प्राप्ति की दक्षता को बढ़ाना।**
- **योजना की मुख्य विशेषताएं:**
  - **'सीड ऑथेंटिसिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी' (साथी/SATHI) पोर्टल:** यह समय पर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन 5-वर्षीय रोलिंग सीड प्लान है।
    - यह राज्यों को सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)[47] और सरकारी या निजी बीज निगमों सहित बीज उत्पादक एजेंसियों के साथ अग्रिम सहयोग स्थापित करने में मदद करेगा।
    - 347 चुने हुए जिलों में **600 मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों का विकास किया जाएगा।** इसमें प्रतिवर्ष 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
    - इन क्लस्टरों में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, **अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP) का प्रशिक्षण तथा मौसम और कीट हमले के संबंध में सलाहकारी सेवाएं** प्राप्त होंगी।
  - **अन्य विशेषताएं:**
    - उच्च उपज देने वाली और उच्च तेल स्रोतों वाली बीज की किस्मों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
    - उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास के लिए जीनोम एडिटिंग जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
    - सार्वजनिक क्षेत्र में 65 नए बीज हब और 50 बीज भंडारण यूनिट्स की स्थापना की जाएगी।
    - खाद्य तेलों के लिए अनुशंसित आहार दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूकता के लिए **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान** चलाए जाएंगे।
    - फसल कटाई के बाद प्रबंधन यूनिट्स स्थापित करने या इनमें सुधार करने के लिए FPOs, सहकारी समितियों और उद्योगों के भागीदारों को सहायता प्रदान की जाएगी।

खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है?

- **महत्त्व:** क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत में खाद्यान्न के बाद तिलहन दूसरी सबसे बड़ी फसल श्रेणी है। विविध कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों में **तिलहन की 9 वार्षिक फसलें** उगाई जाती हैं।
- **मांग में वृद्धि:** भारत में बढ़ता शहरीकरण और औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCI)[48] में वृद्धि की वजह से खाद्य तेल की उच्च मात्रा वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि होने का अनुमान है।

[47] Farmer Producer Organizations

- **आयात पर बढ़ती निर्भरता:** भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत खाद्य तेलों की घरेलू मांग का 57% आयात करता है।

भारत में खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में चुनौतियां

- **प्रति हेक्टेयर कम उपज:** उपज में अंतर का मुख्य कारण अन्य देशों में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) शाकनाशी-सहिष्णु फसल किस्मों का उपयोग किया जाना है। भारत में इसकी अनुमति नहीं है।
- **खेती से जुड़ी चुनौतियां:** तिलहनी फसलों की 76% खेती वर्षा पर निर्भर है। इसकी वजह से फसलों पर जैविक और अजैविक संकटों का खतरा बना रहता है।
- **तिलहनी फसलों का कुछ ही राज्यों में केंद्रित होना:** कुछ प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन कुछ राज्यों में ही केंद्रित है। अधिक संतुलित और अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।
    - उदाहरण के लिए- गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सामूहिक रूप से देश के कुल मूंगफली उत्पादन में 83.4% का योगदान करते हैं।
- **मांग और आपूर्ति में अंतर:** भारत में वनस्पति तेलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात में उच्च वृद्धि बने रहने का अनुमान है।
- **पाम आयल और सूरजमुखी के तेल के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है।**

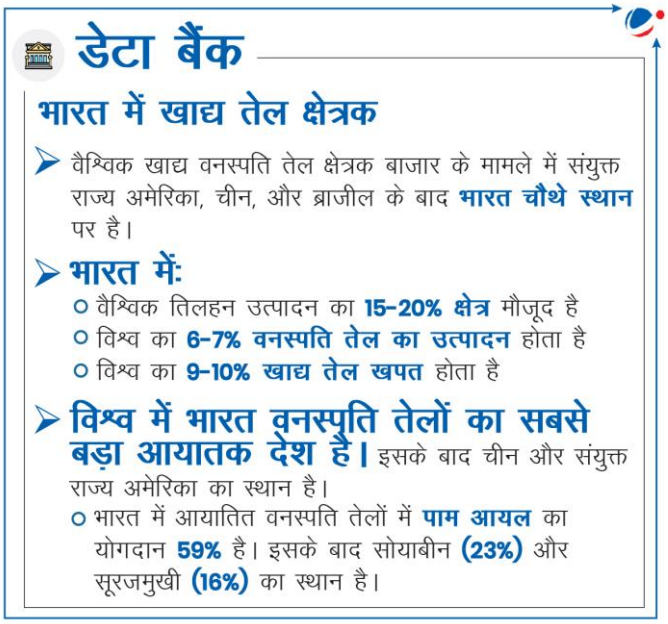

खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाए गए अन्य कदम

- **प्रमुख कार्यक्रम:**
    - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - तिलहन और आयल पाम (NFSM-OS & OP):** इसे 2018-19 में शुरू किया गया था। यह बीज घटकों (ब्रीडिंग, उत्पादन, वितरण), उत्पादन इनपुट (मशीनरी, रसायन, उर्वरक) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (परीक्षण, प्रशिक्षण) पर केंद्रित है।
    - **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - आयल पाम (NMEO OP):** इसे 2021-22 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2025-26 तक आयल पाम कृषि क्षेत्र को 3.70 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10.00 लाख हेक्टेयर तक करना तथा पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खाद्य तेल की खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना है।
    - **प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)** यह सुनिश्चित करता है कि तिलहन की खेती करने वाले किसानों को मूल्य समर्थन योजना और भावांतर (फसल के भाव में अंतर) भुगतान योजना के माध्यम से MSP प्रदान की जाए।
    - **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ़्तार (RKVY RAFTAAR):** इसमें तिलहन से जुड़े फसल उत्पादन से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

[48] Monthly Per Capita Consumption Expenditure

- **अन्य उपाय:**
  - सात प्रमुख तिलहन फसलों; मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, नाइजरसीड, रेपसीड और सरसों, तथा कुसुम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।
  - तिलहन के घरेलू उत्पादकों को सस्ते आयात से बचाने और स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए **खाद्य तेलों पर 20% आयात शुल्क लगाया गया है।**
- **2024 के बजट में की गई घोषणाएं:**
  - तिलहन (सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी) में **आत्मनिर्भरता के लिए रणनीति।**
  - अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीक, बाजार संपर्क और फसल बीमा पर ध्यान केंद्रित करना।
- **पीली क्रांति:** यह 1986-1987 में भारत में **खाद्य तेलों, विशेषकर सरसों और तिल** के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक कृषि विकास कार्यक्रम था।

निष्कर्ष

NMEO-तिलहन में कई उपायों के जरिए घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने तथा मेहनती किसानों की सहायता करने पर जोर दिया गया है। इनमें मूल्य श्रृंखला समूहों का विकास; उच्च उपज और उच्च तेल प्रदान करने वाली बीज की किस्मों को बढ़ावा; सीड हब, बीज भंडारण यूनिट्स और फसल कटाई के बाद की सुविधाओं जैसी समग्र अवसंरचनाओं में सुधार जैसे उपाय शामिल हैं। साथ ही, परती भूमि पर तिलहन की खेती को बढ़ावा देने से अधिक संधारणीय कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उपर्युक्त उपायों के अलावा, तिलहन क्षेत्रक में बदलाव लाने के लिए अनुसंधान और डेटा-आधारित निर्णय लेने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में निवेश की संभावना तलाशने की भी आवश्यकता है।

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.9.1. जिम्मेदार पूंजीवाद (Responsible Capitalism)

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए 'जिम्मेदार पूंजीवाद' की आवश्यकता को रेखांकित किया।

- भारत की वित्त मंत्री ने **मेक्सिको में टेक लीडर्स राउंडटेबल** को संबोधित करते हुए **'जिम्मेदार पूंजीवाद'** की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए केवल **आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने की ही चुनौती नहीं** है, बल्कि **असमानता को कम करने और सभी के लिए अवसर पैदा करने की** भी चुनौती है।

जिम्मेदार पूंजीवाद (Responsible Capitalism) से क्या आशय है?

- यह वास्तव में एक प्रकार की **आर्थिक अप्रोच है, जो नैतिक मूल्यों को व्यावसायिक गतिविधियों में एकीकृत** करती है।
- **इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं-**
  - **व्यावसायिक लाभ को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित** करने पर जोर देना,
  - व्यवसायियों द्वारा केवल शेयरधारकों के रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय **सामाजिक कल्याण, निष्पक्षता और पर्यावरणीय संधारणीयता में योगदान** देना।

जिम्मेदार पूंजीवाद की जरूरत क्यों है?

- **वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सहायक:** यह कंपनियों और सरकारों को **असंधारणीयता, असमानता एवं अभाव जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद** कर सकता है।
- **लंबे समय तक व्यवसाय को जारी रखने में सहायक:** केवल **लाभ कमाने वाला व्यवसाय मॉडल लंबे समय तक उपयोगी नहीं** रहता है। जिम्मेदार पूंजीवाद **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे तकनीकी परिवर्तनों को बेहतर तरीके से अपनाने में भी मदद** कर सकता है।
- **नैतिक शासन और हितधारक पूंजीवाद को प्रोत्साहन:** जिम्मेदार पूंजीवाद **निर्णय लेने में निष्पक्षता** को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारकों के साथ **न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए और व्यवसाय के संचालन में कानूनी एवं नैतिक मानकों का पालन** किया जाए।

भारत में 'जिम्मेदार पूंजीवाद' को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135** के तहत CSR व्यय अनिवार्य किया गया है।
- **पर्यावरण कानून:** इनमें शामिल हैं- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, भारत स्टेज (BS)-VI के तहत वाहनों के लिए सख्त उत्सर्जन मानदंड,** आदि।
- **श्रम कानूनों में सुधार:** पहले के सभी श्रम कानूनों का **चार श्रम संहिताओं में विलय** कर दिया गया है। ये संहिताएं हैं- **वेतन संहिता; औद्योगिक संबंध संहिता; सामाजिक सुरक्षा संहिता; तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता।**
- **वित्तीय क्षेत्रक की पहलें:** इनमें शामिल हैं- भारतीय रिजर्व बैंक के **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों को ऋण मानदंड,** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के **ग्रीन बॉन्ड दिशा-निर्देश,** आदि।

3.9.2. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) {Annual Survey of Industries (ASI) for FY 2022-23}

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) जारी किया गया।

- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) प्रमुख आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में **विनिर्माण उद्योगों के संघटन, विकास और संरचना में परिवर्तन की गतिशीलता** के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

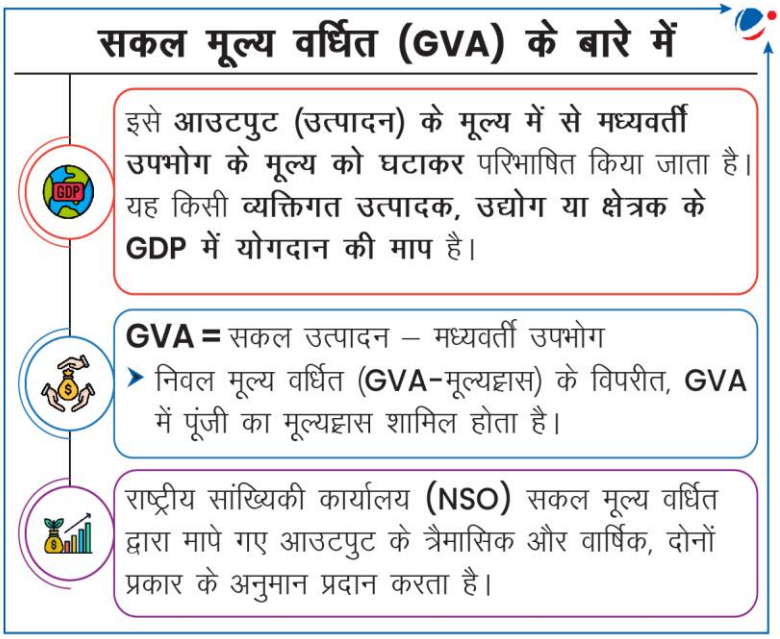

सर्वेक्षण के मुख्य तथ्य

- **सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added: GVA):** 2021-22 की तुलना में 2022-23 में मौजूदा कीमतों में **7.3%** की वृद्धि हुई थी।
  - **विनिर्माण GVA** के मामले में **महाराष्ट्र पहले स्थान** पर रहा है। उसके बाद **गुजरात** दूसरे स्थान पर रहा है।
- **आर्थिक मापदंडों में वृद्धि:** निवेशित पूंजी, GVA, रोजगार और मजदूरी जैसे निरपेक्ष मूल्य के संदर्भ में महामारी-पूर्व स्तर को पार कर लिया गया है।
- **विनिर्माण क्षेत्रक के विकास चालक:** इसमें मूल धातु, कोक व परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य उत्पाद आदि का निर्माण शामिल है।
- **रोजगार:** पिछले वर्षों की तुलना में 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्रक में रोजगार में **7.4% की वृद्धि** हुई है।
  - **सबसे अधिक रोजगार देने वाले राज्य: तमिलनाडु** और उसके बाद **महाराष्ट्र।**

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) के बारे में:

- यह सर्वेक्षण **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008** के तहत संचालित किया जाता है। इसमें **जम्मू और कश्मीर को बाहर** रखा गया है, जहां ऐसा सर्वेक्षण **जम्मू और कश्मीर सांख्यिकी अधिनियम, 2010** के तहत संचालित किया जाता है।

- **शामिल किए गए उद्योग:**
  - कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2m(i और ii) के तहत पंजीकृत कारखाने;
  - बीड़ी और सिगार श्रमिक (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत बीड़ी एवं सिगार निर्माण प्रतिष्ठान;
  - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) में पंजीकृत नहीं होने वाले विद्युत उपक्रम;
  - राज्यों द्वारा बनाए गए बिजनेस रजिस्टर ऑफ ईस्टैब्लिश्मेंट्स (BRI) में पंजीकृत 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयां आदि।

3.9.3. इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **निर्माण क्षेत्रक में इनपुट टैक्स क्रेडिट पात्रता के लिए दोहरे परीक्षण ('कार्यक्षमता' और 'अनिवार्यता') निर्धारित** किए हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई भवन **किराये या पट्टे (CGST अधिनियम की अनुसूची 2, खंड 2 और खंड 5 के अनुसार) जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है, तो उसे संयंत्र** माना जा सकता है।
- **कार्यक्षमता परीक्षण** यह निर्धारित करेगा कि कोई भवन संयंत्र के रूप में योग्य है या नहीं।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में

- इनपुट टैक्स क्रेडिट **वस्तु एवं सेवा कर (GST) की प्रमुख विशेषताओं** में से एक है। यह **कैस्केडिंग टैक्स (कर पर कर) से बचने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य** करता है।
- GST अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करदाता, जो व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान देय कर का भुगतान करता है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है।

3.9.4. निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों में छूट योजना {Remission of Duties and Taxes On Exported Products (RODTEP) Scheme}

सरकार ने RoDTEP योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी।

मुख्य बदलावों पर एक नजर

- **डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (DTA) इकाइयों के लिए:** योजना को 30 सितंबर, 2025 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
- **प्राधिकार धारकों (डीम्ड एक्सपोर्टर्स को छोड़कर), निर्यातोन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयों के लिए:** इस वर्ष के अंत तक लागू रहेगी।
- **नई दरों का लागू होना:** RoDTEP समिति की सिफारिशों के आधार पर 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगी।

RoDTEP योजना के बारे में

- इसे **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2021** में शुरू किया था।
- इस योजना के अंतर्गत उन निर्यातकों को **संबद्ध शुल्क/ करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है, जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है।** इन संबद्ध शुल्कों/करों में शामिल हैं- स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी कर आदि।
- RoDTEP योजना ने **भारत से पण्य निर्यात योजना (MIS)** का स्थान लिया है। MIS योजना ने वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को निर्यात सब्सिडी देकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) के प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

3.9.5. भारतीय रिजर्व बैंक ने MIBOR बेंचमार्क पर समिति की रिपोर्ट जारी की (RBI Released Report of The Committee On Mibor Benchmark)

हाल ही में, RBI ने **मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट (MIBOR) बेंचमार्क** पर गठित समिति की रिपोर्ट जारी की।

- इस रिपोर्ट में **MIBOR की गणना की पद्धतियों में महत्वपूर्ण बदलावों** की सिफारिश की गई है।
- साथ ही, समिति ने अधिक लोकप्रिय **डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एक नया सुरक्षित मुद्रा बाजार बेंचमार्क** अपनाने का प्रस्ताव किया है।

MIBOR क्या है?

- यह **ब्याज दर बेंचमार्क** है। इस ब्याज दर पर कोई **बैंक भारतीय इंटरबैंक बाजार में किसी अन्य बैंक से बिना कोलैटरल (जमानत) के धन उधार** लेता है। इसे **पहली बार 1998 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने शुरू** किया था।
- इस बेंचमार्क ब्याज दर की गणना और प्रकाशन **फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL)** द्वारा प्रतिदिन किया जाता है।
- वर्तमान में, इस ब्याज दर का निर्धारण **नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम यानी NDS-कॉल सिस्टम में पहले घंटे में किए गए कारोबार के आधार** पर किया जाता है।
- **MIBOR की मौजूदा पद्धति की कमियां:**
  - कॉल मनी मार्केट के केवल कुछ कारोबार यानी मुद्रा बाजार के दैनिक कारोबार के **केवल 1% के आधार पर ब्याज दर निर्धारित** होती है।
  - कॉल मनी मार्केट के आंशिक कारोबार पर आधारित होने के कारण **MIBOR में अधिक उतार-चढ़ाव का जोखिम** बना रहता है, आदि।

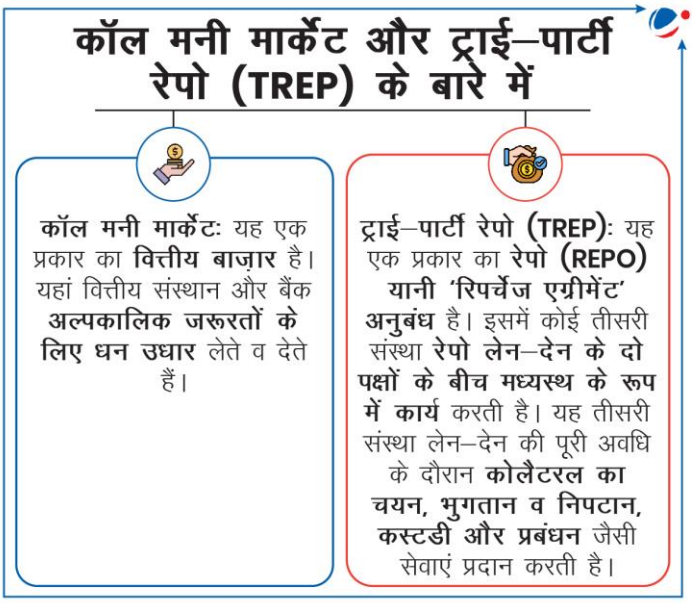

MIBOR समिति की मुख्य सिफारिशें

- **MIBOR की गणना पद्धति में बदलाव:** पहले घंटे की बजाय **पहले तीन घंटों के कारोबार के आधार पर** बेंचमार्क ब्याज दर निर्धारित की जानी चाहिए। इससे MIBOR कॉल मनी मार्केट में अधिक लेन-देन का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। इससे बेंचमार्क ब्याज दर की **विश्वसनीयता** भी बढ़ेगी।
- **सिक्योर्ड मुद्रा बाजार पर आधारित बेंचमार्क:** FBIL **सिक्योर्ड मुद्रा बाजार** पर आधारित बेंचमार्क विकसित और प्रकाशित करेगा। इसे **'सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट (SORR)'** कहा जाएगा।
  - यह बेंचमार्क दर **बास्केट रेपो और ट्राई-पार्टी रेपो (TREP) सेगमेंट्स के पहले तीन घंटों के कारोबार के आधार पर निर्धारित** की जाएगी।

3.9.6. मौद्रिक नीति संचरण पर RBI का अध्ययन (RBI Study on Monetary Policy Transmission)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत में मौद्रिक नीति संचरण (MPT) और श्रम बाजारों पर अध्ययन जारी किया

- यह अध्ययन मुद्रास्फीति की स्थिरता और मौद्रिक नीति पर **श्रम बाजारों की अनौपचारिकता के प्रभाव** का विश्लेषण करता है। इससे **मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission) पर नई अंतर्दृष्टि** प्राप्त होती है।
- **मौद्रिक नीति के बारे में**
  - मौद्रिक नीति किसी देश के **केंद्रीय बैंक** के पास उपलब्ध **कार्रवाइयों का एक समूह** है। इस नीति के जरिए भारत में RBI जैसे केंद्रीय बैंक **मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करके सतत आर्थिक संवृद्धि और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास** करता है।
  - **मौद्रिक नीति की वैधानिक स्थिति:** RBI अधिनियम, 1934 में **2016 में संशोधन द्वारा RBI की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार** प्रदान किया गया था।

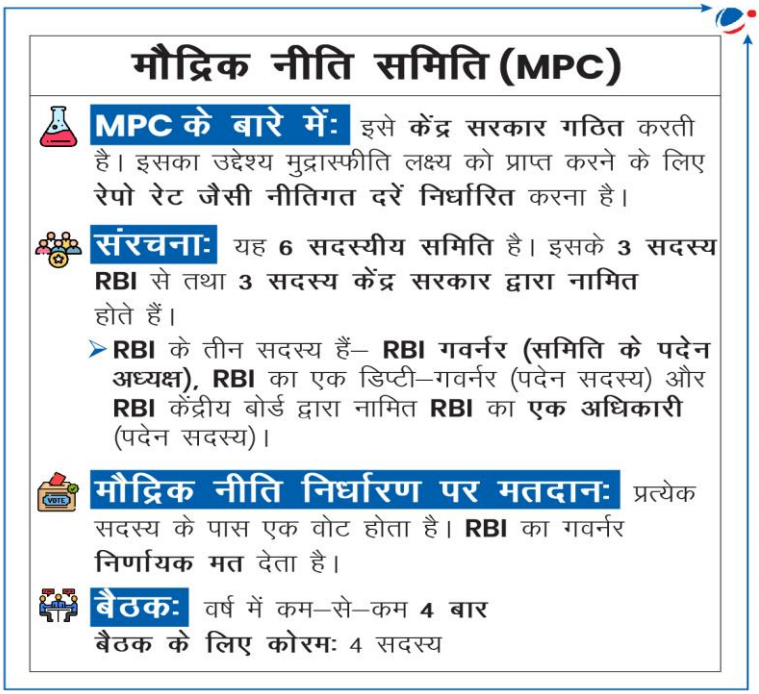

- **भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क:** केंद्र सरकार RBI के परामर्श से **हर 5 साल पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य** निर्धारित करती है।
  - **लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य:** वर्तमान फ्रेमवर्क के अनुसार **RBI को मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास नियंत्रित** रखना है। इसमें **2% कम या अधिक** की अधिकतम छूट की अनुमति है। इसका अर्थ है कि **मुद्रास्फीति को 2% से 6% के बीच नियंत्रित** रखना होगा।
- **मौद्रिक नीति प्रबंधन के साधन:** इनमें **रेपो दर व रिवर्स रेपो दर में वृद्धि या कमी जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साधन** शामिल हैं।
- **मौद्रिक नीति के प्रकार:**
  - **विस्तारक (Expansionary):** इसके तहत आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए **ब्याज दरों में कमी** की जाती है; तथा
  - **संकुचनकारी (Contractionary):** इसके तहत आर्थिक गतिविधियों को धीमा करने और मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने के लिए **ब्याज दरों में वृद्धि** की जाती है।

- **अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**:
  - **मौद्रिक नीति संचरण:** मौद्रिक प्रक्रिया में बदलाव से आर्थिक गतिविधियों में सुधार होता है। विशेष रूप से श्रम बाजार के अधिक औपचारिक होने के साथ गतिविधियों में और सुधार होता है।
    - **मौद्रिक नीति संचरण** वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मौद्रिक नीति में बदलाव मुद्रास्फीति और आर्थिक गतिविधि सहित अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं।
  - **बेरोजगारी पर प्रभाव:** संकुचनकारी मौद्रिक नीति **औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों प्रकार के बाजारों में बेरोजगारी में वृद्धि** करती है।
  - **मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों पर प्रभाव:** संकुचनकारी मौद्रिक नीति से कुल उपभोग, मुद्रास्फीति, निवेश, उत्पादन, पूंजी स्टॉक आदि में **गिरावट** दर्ज की जाती है।

3.9.7. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार (India Forex Reserve Cross 700 Billion Dollar)

भारत अब दुनिया का **चौथा देश है जिसके पास 700 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार** है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में प्रथम तीन देश क्रमशः **चीन, जापान और स्विट्जरलैंड हैं।**

- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार **11.9 महीने के आयात** को कवर कर सकता है। यह छह महीने के आयात को कवर वाले सामान्य मानदंड से काफी अधिक है।

विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में:

- इसमें **केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विविध परिसंपत्तियां** शामिल होती हैं।
  - भारत में **1934 के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम के तहत RBI** को **विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक** के रूप में कार्य करने तथा निर्धारित उद्देश्यों के अंतर्गत **विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन** करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार के घटक (मूल्य के अनुसार अवरोही क्रम में):**
  - **विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA):** इसे देश की अपनी मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं के आधार पर भी मापा जाता है।
  - **स्वर्ण भंडार।**
  - **विशेष आहरण अधिकार (SDR):** यह **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** द्वारा प्रदान की गई एक आरक्षित परिसंपत्ति है।
    - इसका मूल्य **पांच प्रमुख मुद्राओं यानी अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग** के मिश्रण पर आधारित होता है।
  - **रिजर्व ट्रेंच पोजीशन (RTP):** यह सदस्य देश के कोटे में से IMF के खाते में सदस्य की मुद्रा के कुल मूल्य को घटाने पर प्राप्त राशि के बराबर होता है।
    - अर्थात् *सदस्य का कोटा - IMF के खाते में सदस्य की मुद्रा का कुल मूल्य।

- **विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के पीछे प्रमुख कारक:** इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI), विप्रेषण (Remittances), आदि शामिल हैं।

3.9.8. UPI 123 और UPI लाइट (UPI 123 and Upi Lite)

RBI ने **UPI123Pay** और **UPI Lite** के तहत लेन-देन की सीमा बढ़ा दी है। इसका उद्देश्य **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा** देना है।

UPI123Pay के बारे में

- **फीचर-फोन यूजर्स** को UPI का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए इसे **मार्च 2022** में लॉन्च किया गया था।
- यह **12 भाषाओं में उपलब्ध** है।
- प्रौद्योगिकी विकल्पों में **IVR नंबर, ऐप कार्यक्षमता, मिस्ड-कॉल और प्रोक्सिमिटी साउंड-बेस्ड पेमेंट** शामिल हैं।
- RBI ने प्रति लेन-देन सीमा को **5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये** कर दिया है।

UPI लाइट के बारे में

- इसके जरिए यूजर्स **UPI पिन दर्ज किए बिना कम राशि के लेन-देन** कर सकते हैं।
- RBI ने **प्रति लेन-देन सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये और समग्र वॉलेट सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये** कर दिया है।

नोट: *UPI के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जनवरी 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.2. देखें।*

3.9.9. केयरएज ने अपनी पहली सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जारी की (Careedge Released Its Inaugural Sovereign Credit Ratings)

केयरएज (CareEdge) ने 39 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हुए सॉवरेन रेटिंग पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की

- केयरएज **भारत** की ऐसी पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसने सॉवरेन रेटिंग सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- इसमें **जर्मनी, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन को AAA** रेटिंग दी गई है।
- **भारत को BBB+ रेटिंग** दी गई है। भारत को यह रेटिंग **महामारी के बाद की लचीली रिकवरी और अवसंरचना में निवेश** करने के चलते दी गई है।
- भारत का सामान्य **सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2030 तक वर्तमान के 80% से घटकर 78%** होने का अनुमान है।

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR) के बारे में

- क्रेडिट रेटिंग किसी संस्था की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी सापेक्ष क्षमता यानी, ऋण जोखिम या उधारकर्ता की सापेक्ष उधार पात्रता पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जाहिर की गई राय होती है।
  - **भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (SEBI) घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRISIL, ICRA, CARE आदि)** का विनियमन करता है।
- **सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR)** दरअसल **किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा** करने का आकलन है। इसमें संबंधित **देश या संस्था की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छाशक्ति,** दोनों को महत्त्व दिया जाता है।
- SCR **कम लागत पर वैश्विक पूंजी बाजारों से उधार लेने की सुविधा** प्रदान करती है। साथ ही, यह **निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है तथा विदेशी निवेश को आकर्षित** करती है।
- वर्तमान में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग पर **S&P, मूडीज और फिच रेटिंग** जैसी एजेंसियों का वर्चस्व है। ये एजेंसियां **संयुक्त राज्य अमेरिका** में स्थित हैं।

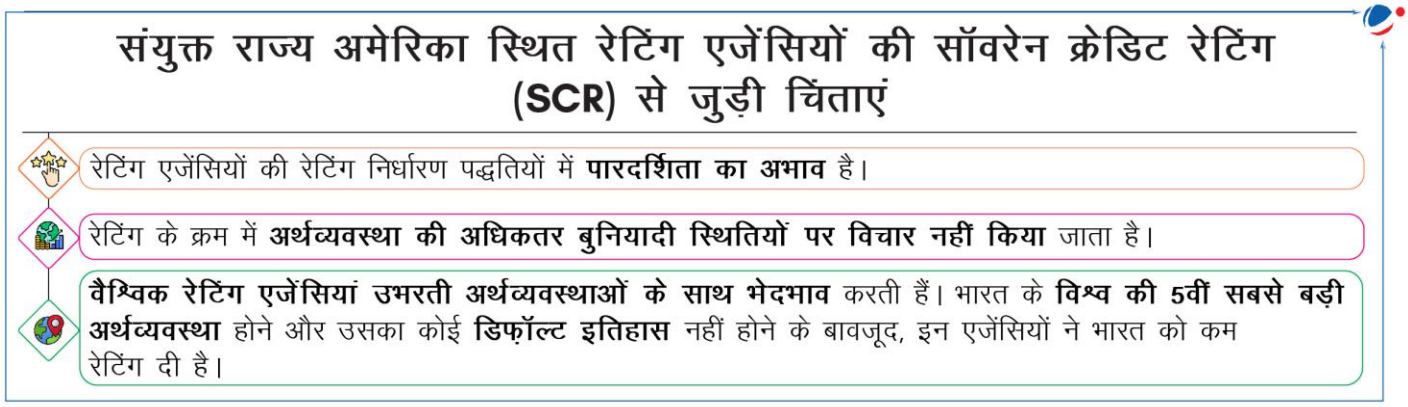

3.9.10. ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम (GFFF) का शुभारंभ {Global Family Farming Forum (GFFF) Launched}

खाद्य एवं कृषि संगठन के ग्लोबल फूड फोरम (WFF) में ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम (GFFF) का शुभारंभ किया गया।

- GFFF **संधारणीय कृषि-खाद्य प्रणालियों के निर्माण और जलवायु संकट के प्रभावों से निपटने में फैमिली फार्मिंग करने वाले किसानों की आवश्यक भूमिका की सराहना** करता है।
  - GFFF यह भी दर्शाता है कि **यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग 2019-28 (UNDFF)** अपनी आधी अवधि पार कर चुका है।
  - UNDFF की घोषणा **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने की थी। यह **देशों के लिए फैमिली फार्मिंग को सहायता देने हेतु सार्वजनिक नीतियां विकसित करने और निवेश आकर्षित करने हेतु एक फ्रेमवर्क** के रूप में कार्य करता है।

फैमिली फार्मिंग के बारे में

- **फैमिली फार्मिंग:** यह **कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन और जलीय कृषि उत्पादन** को संगठित करने का एक साधन है। इसका प्रबंधन और संचालन किसी **परिवार** द्वारा किया जाता है। यह मुख्य रूप से **महिलाओं और पुरुषों दोनों के पारिवारिक श्रम** पर निर्भर होती है।
- **फैमिली फार्मिंग का महत्त्व:**
  - **खाद्य सुरक्षा: विश्व भर में 550 मिलियन से अधिक फार्म्स इसमें संलग्न हैं।** यह वैश्विक खाद्य उत्पादन का आधार है।
    - मूल्य की दृष्टि से यह विश्व का **70-80% खाद्य उत्पादित** करता है।
  - **पोषण विविधता: निम्न और मध्यम आय वाले देशों** में फैमिली फार्मिंग के तहत **विविध एवं पौष्टिक खाद्य का उत्पादन** किया जाता है। साथ ही, यह **फसल जैव विविधता के लिए भी सहायक** है।
  - **संधारणीय प्रबंधन:** फैमिली फार्मिंग में लगे किसान मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने और प्राकृतिक रूप से जलवायु लचीलापन बनाने के लिए **पारंपरिक तरीकों व न्यूनतम बाहरी इनपुट का उपयोग** करते हैं।

- **फैमिली फार्मिंग के समक्ष आने वाली चुनौतियां:** वित्तीय बाधाएं; सहायता तक सीमित पहुंच; आनुवंशिकी और ज्ञान का अभाव; भूमि का विखंडन; बाजार तक पहुंच में कठिनाइयां; जलवायु संबंधी खतरे; पीढ़ीगत उत्तराधिकार संबंधी समर्थन का अभाव; आदि।

अन्य संबंधित सुर्ख़ियां

- ग्लोबल फूड फोरम (WFF) के आयोजन के अवसर पर खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और 'कृषि में जल की कमी पर वैश्विक फ्रेमवर्क' (WASAG) ने **"कृषि में जल की कमी पर रोम घोषणा-पत्र"** को अपनाया।
- **WASAG पहल के बारे में:** यह पहल जल की कमी संबंधी चुनौतियों से निपटने में देशों की सहायता करने के लिए **2016 में मराकेश में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन** में शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य:** नीतियों, कानूनी व संस्थागत ढांचे और वित्त-पोषण तक पहुंच तथा जिम्मेदार जल गवर्नेंस के संदर्भ में अधिक राजनीतिक समर्थन जुटाना।

3.9.11. कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनिक्वेलिटी (CRI) सूचकांक, 2024 जारी किया गया {Commitment To Reducing Inequality (CRI) Index 2024 Released}

कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनिक्वेलिटी (CRI) सूचकांक, 2024 को **ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल** द्वारा जारी किया गया है।

- CRI ने असमानता से निपटने के लिए **164 देशों और क्षेत्रों की प्रतिबद्धता** का आकलन किया है।
  - उल्लेखनीय है कि **सतत विकास लक्ष्य (SDG)-10** के तहत **असमानता को कम** करने का टारगेट निर्धारित किया गया है।
- इसने **तीन मापदंडों के आधार पर प्रदर्शन** का आकलन किया: **लोक सेवा व्यय, प्रगतिशील कराधान और श्रम अधिकार एवं मजदूरी।**

सूचकांक की मुख्य विशेषताएं

- **रैंकिंग:**
  - **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:** नॉर्वे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया।
  - **सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता:** दक्षिण सूडान, नाइजीरिया, आदि।
  - **भारत की रैंक: 127**
    - **नेपाल (115) और श्रीलंका (118)** जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है।
- **बढ़ती असमानता:**
  - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से **ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ** के बीच का अंतर किसी भी समय की तुलना में अचानक अधिक तेजी से बढ़ा है।
  - अरबों लोग **उच्च और बढ़ती खाद्य कीमतों एवं भुखमरी** की भयानक स्थिति का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर **पिछले दशक में अरबपतियों की संख्या दोगुनी** हो गई है।
  - **मुख्य कारक:** संघर्ष, ऋण संकट और जलवायु आघात, ये निम्न एवं निम्न-मध्यम आय वाले देशों में खर्च को बाधित कर रहे हैं।
    - 84% देशों ने **शिक्षा, स्वास्थ्य और/ या सामाजिक सुरक्षा** पर अपने खर्च को कम कर दिया है।

असमानता को कम करने के लिए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- असमानता को कम करने के लिए व्यावहारिक और समयबद्ध **राष्ट्रीय असमानता न्यूनीकरण योजनाएं (NIRP)** लागू की जानी चाहिए। साथ ही, नियमित निगरानी भी की जानी चाहिए।
- सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **स्वास्थ्य बजट कुल सार्वजनिक व्यय का कम-से-कम 15% और शिक्षा बजट कुल सार्वजनिक व्यय का कम-से-कम 20%** होना चाहिए।
- **सबसे अमीर 1% की आय पर कर लगाकर प्रगतिशील कराधान** को बढ़ाया जाना चाहिए।

भारत में असमानता को कम करने के लिए किए गए उपाय

- **रोजगार सृजन:** उदाहरण के लिए- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) आदि।
- **वित्तीय समावेशन:** उदाहरण के लिए- प्रधान मंत्री जन धन योजना।
- **शिक्षा और कौशल:** जैसे- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इत्यादि।
- **अन्य:** जैसे- स्टार्ट-अप इंडिया योजना आदि।

3.9.12. अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2021-22 (All India Rural Financial Inclusion Survey 2021-22)

नाबार्ड ने दूसरा 'अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2021-22' जारी किया।

- अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) को **2016-17** में एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के रूप में शुरू किया गया था। यह **ग्रामीण आबादी की आजीविका की स्थिति और वित्तीय समावेशन (ऋण, बीमा, पेंशन आदि सहित) के स्तर** के संदर्भ में व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।
- दूसरा NAFIS 2016-17 से लेकर अब तक **ग्रामीण विकास के आर्थिक और वित्तीय संकेतकों** के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- परिवारों की **औसत मासिक आय में 57.6% की वृद्धि** हुई है।
- परिवारों के उपभोग बास्केट में **खाद्य का हिस्सा 51% से घटकर 47%** हो गया है।
- ग्रामीण कृषि क्षेत्रक में वित्तीय समावेशन के एक प्रमुख साधन के रूप में **किसान क्रेडिट कार्ड** बहुत प्रभावी पाया गया है।
- **भूमि जोत** का औसत आकार **1.08 हेक्टेयर से घटकर 0.74 हेक्टेयर** हो गया है।
- सर्वेक्षण में शामिल होने वाले बेहतर वित्तीय साक्षरता वाले लोगों का अनुपात **33.9% से बढ़कर 51.3%** हो गया है।
- **संस्थागत स्रोतों से ऋण** लेने वाले कृषि परिवारों का अनुपात **60.5% से बढ़कर 75.5%** हो गया है।

ग्रामीण आय में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक

- **सरकारी सहायता:** उदाहरण के लिए, जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 5.6 करोड़ परिवारों ने रोजगार प्राप्त किया था। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और आजीविका सुरक्षा मिली है।
- **ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि:** आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार **2018-19 में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 19.7%** थी, जो **2020-21 में बढ़कर 27.7%** हो गई थी।

नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के बारे में

- इसका गठन **बी. शिवरामन समिति** की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
- यह भारत का शीर्ष **विकास बैंक** है। इसकी स्थापना **1982 में संसद के एक अधिनियम** के तहत **सतत और न्यायसंगत कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा** देने के लिए की गई थी।

NAFINDEX: वित्तीय समावेशन की माप

- NAFIS 2016-17 के माध्यम से एकत्र किए गए क्षेत्र स्तरीय डेटा के आधार पर, भारत के **अलग-अलग राज्यों के लिए NAFINDEX** तैयार किया गया है।
- सूचकांक तैयार करने के लिए तीन आयामों **पारंपरिक बैंकिंग उत्पाद, आधुनिक बैंकिंग उत्पाद और भुगतान प्रणाली** पर विचार किया जाता है।

नोट: *वित्तीय समावेशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सितंबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.3. देखें।*

3.9.13. सरकार ने अपतटीय क्षेत्र परिचालन अधिकार नियम, 2024 अधिसूचित किए (Government Notifies Offshore Areas Operating Right Rules, 2024)

नए नियम **अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002** के तहत अधिसूचित किए गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य **निर्दिष्ट अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के अन्वेषण और उत्पादन को विनियमित** करना है।

- नए नियम **10 ब्लॉक्स की पहली योजनाबद्ध अपतटीय खनिज नीलामी** की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हैं। इन ब्लॉक्स में **रेत, चूना मिट्टी और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स** आदि शामिल होंगे।

मुख्य नियमों पर एक नजर:

- **नियमों का लागू होना:** ये नियम **खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन और निर्दिष्ट परमाणु खनिजों को छोड़कर,** अपतटीय क्षेत्रों में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होंगे।
- **लीज सरेंडर:** यदि खनिज उत्पादन कार्य अलाभकारी साबित होते हैं, तो **10 वर्षों के बाद लीज सरेंडर** की जा सकती है।
- आरक्षित अपतटीय क्षेत्रों के परिचालन अधिकारों के मामले में **सरकारी और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों तक प्राथमिकता से पहुंच प्रदान** की जाएगी।

अपतटीय खनन और इसका महत्त्व:

- इसे **गहरे समुद्र में खनन** भी कहा जाता है। इसके तहत **गहरे समुद्र नितल से खनिजों को प्राप्त** किया जाता है।
  - गहरा समुद्र नितल (deep seabed) **200 मीटर से अधिक गहराई** पर स्थित समुद्र नितल है।
  - यह **स्थल पर घटते खनिज भंडारों** को देखते हुए धातुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही, **खनिज आयात पर निर्भरता को भी कम** करेगा।

अपतटीय खनन से जुड़ी चुनौतियां:

- **संभावित पर्यावरणीय क्षति:** पर्यावास विनाश, समुद्र की सतह की नीचे अत्यधिक शोर और प्रदूषण जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- **मछली पकड़ने वाले समुदायों पर प्रभाव:** अपतटीय खनन से मछलियों की आबादी को नुकसान पहुंच सकता है। इससे मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
- **प्रौद्योगिकी:** भारत में गहरे समुद्र में खनन के लिए पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी विकास का अभाव है।

3.9.14. राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) {National Electricity Plan (Transmission)}

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने "राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन)" शुरू की।

- राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण** ने विकसित किया है।
- ट्रांसमिशन प्रणाली विद्युत उत्पादन के स्रोत और लोड /अंतिम उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने वाली विद्युत वितरण प्रणाली को आपस में जोड़ती है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) की मुख्य विशेषताएं

- इस योजना के तहत **2030 तक 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता का ट्रांसमिशन** करने का लक्ष्य तय किया गया है।
- इसका उद्देश्य **2032 तक 458 गीगावाट की अधिकतम मांग को पूरा** करना है। साथ ही, **ट्रांसमिशन नेटवर्क को 2024 के 4.85 लाख सर्कुलर किलोमीटर से बढ़ाकर 2032 में 6.48 लाख सर्कुलर किलोमीटर** करना है।
- **इंटर-रीजनल ट्रांसमिशन क्षमता को वर्तमान के 119 गीगावाट से बढ़ाकर 2032 तक 168 गीगावाट** तक करने की योजना भी है।

- इसके तहत **ट्रांसमिशन सेक्टर में अभिनव घटकों को भी शामिल** किया गया है। इसमें **10 गीगावाट तक के अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म्स, 47 गीगावाट तक की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और 30 गीगावाट तक के पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स** को भी एकीकृत किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में स्थापित **ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया** विनिर्माण केंद्रों की विद्युत संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना है।
- ट्रांसमिशन योजना में **नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका** के साथ सीमा-पार इंटरकनेक्शन के साथ-साथ **सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात** आदि के साथ संभावित इंटरकनेक्शन को भी शामिल किया गया है।

भारत की ट्रांसमिशन प्रणाली के समक्ष चुनौतियां: ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की हानि; नवीकरणीय स्रोतों के साथ एकीकरण में समस्याएं; अप्रचलित प्रौद्योगिकी; विनियामकों द्वारा विद्युत उत्पादन पर अधिक ध्यान देना; साइबर सुरक्षा आदि।

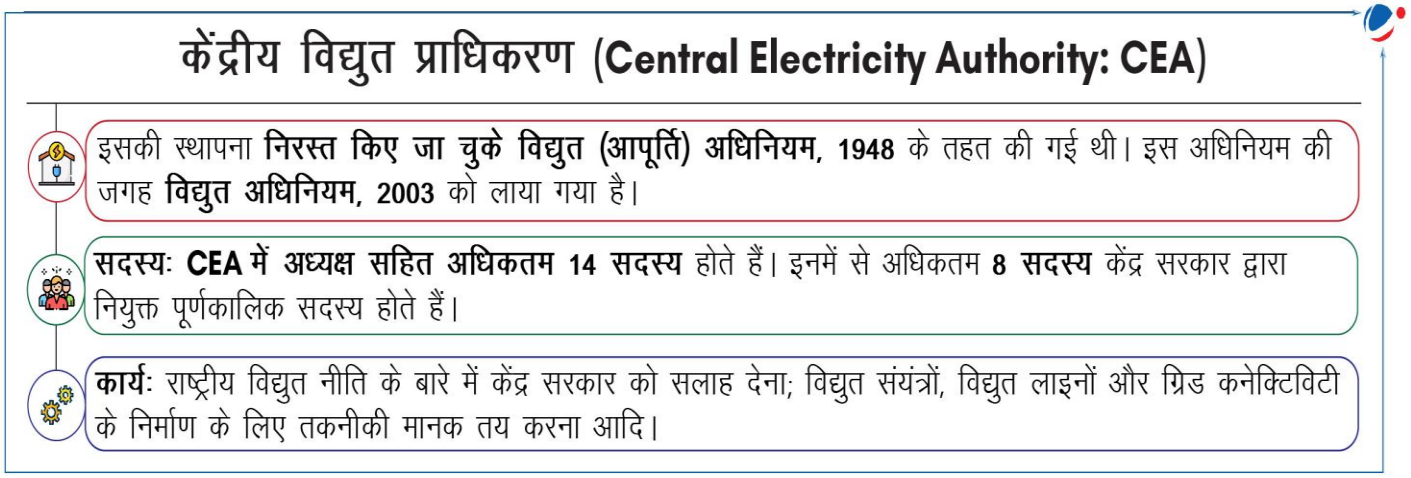

3.9.15. हैंड-इन-हैंड (HIH) पहल {Hand-in-Hand (HIH) Initiative}

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने 2024 हैंड-इन-हैंड निवेश फोरम का उद्घाटन किया।

हैंड-इन-हैंड (HIH) पहल के बारे में

- इसे **FAO ने 2019** में शुरू किया था।
- यह **गरीबी उन्मूलन (SDG-1), भुखमरी एवं कुपोषण को समाप्त करने (SDG-2), और असमानताओं को कम करने (SDG-10)** के माध्यम से कृषि-खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन को गति देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालित महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।
- यह उन्नत **भू-स्थानिक मॉडलिंग और एनालिटिक्स** के साथ-साथ एक **मजबूत साझेदारी-निर्माण एप्रोच** का उपयोग भी करती है।
- **हस्तक्षेप के क्षेत्र:** प्राथमिकता वाली जिंसों के लिए मूल्य श्रृंखलाओं का विकास, कृषि-उद्योगों का निर्माण, आदि।
- **सदस्य:** 72 देश। **भारत** इसका सदस्य **नहीं** है।

3.9.16. राष्ट्रीय कृषि संहिता {National Agriculture Code (NAC)}

भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय भवन संहिता और राष्ट्रीय विद्युत संहिता की तर्ज पर **राष्ट्रीय कृषि संहिता** बना रहा है।

राष्ट्रीय कृषि संहिता (NAC) के बारे में

- इस संहिता के **दो भाग होंगे:**
  - पहले भाग में **सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत होंगे,** और

- दूसरे भाग में **धान, गेहूं, तिलहन और दलहन के लिए फसल-विशिष्ट मानक** होंगे।

- राष्ट्रीय कृषि संहिता **सभी कृषि प्रक्रियाओं और फसल कटाई के बाद के कार्यों,** जैसे फसल का चयन, खेती हेतु जमीन तैयार करना, बुवाई/ रोपाई आदि को कवर करेगी।
- **राष्ट्रीय कृषि संहिता के उद्देश्य:**
  - ऐसी राष्ट्रीय कृषि संहिता बनाना, जो **कृषि-जलवायु क्षेत्रों, फसल के प्रकारों आदि पर विचार** करती हो।
  - कृषि कार्यों में **लाभकारी निर्णय** लेना सुनिश्चित करने के लिए **कृषक समुदाय के लिए व्यापक मार्गदर्शिका** बनाना।
  - **स्मार्ट फार्मिंग, संधारणीय कृषि जैसे क्षैतिज कृषि पहलुओं** को शामिल करना।

3.9.17. केंद्रीय रेशम बोर्ड (Central Silk Board)

हाल ही में, केंद्रीय रेशम बोर्ड की **प्लैटिनम जयंती** मनाई गई।

केंद्रीय रेशम बोर्ड के बारे में

- यह संसद के एक अधिनियम द्वारा **1948** में स्थापित **वैधानिक निकाय है।**
- **मंत्रालय:** यह **वस्त्र मंत्रालय** के अधीन है।
- **सौंपे गए कार्य:**
  - रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना।
  - अलग-अलग उत्पादन प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना आदि।
- **मुख्यालय: बेंगलुरु** में स्थित है।

भारत में रेशम उत्पादन के बारे में

- भारत विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। भारत का 2023 में वैश्विक उत्पादन में 42%** हिस्सा था।
- **कर्नाटक** ने कुल रेशम उत्पादन में लगभग **32%** का योगदान दिया है, उसके बाद **आंध्र प्रदेश** का स्थान है।
- **उत्पादित रेशम:** शहतूत, एरी, तसर और मूगा।

3.9.18. हमसफर पॉलिसी (Humsafar Policy)

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने हमसफर पॉलिसी शुरू की है।

हमसफर पॉलिसी के बारे में

- **उद्देश्य:** इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मानकीकृत, सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ सुविधाएं** प्राप्त हों।
- **नीति के मुख्य लाभ:**
  - **पंजीकृत सेवा प्रदाता** एक्सेस परमिशन के लिए नवीकरण शुल्क में छूट प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते यदि वे **3 या उससे अधिक की औसत रेटिंग बनाए** रखते हैं।
  - नियमित अंतराल पर **विश्वसनीय यात्री सुविधा प्रतिष्ठान** स्थापित किए जाएंगे।

3.9.19. क्रूज़ भारत मिशन (CBM) शुरू किया गया {Cruise Bharat Mission (CBM) Launched}

इस मिशन को **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** ने शुरू किया है।

क्रूज़ भारत मिशन (CBM) के बारे में

- **उद्देश्य:** भारत को **क्रूज़ पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाना और देश को अग्रणी वैश्विक क्रूज़ डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा** देना।
- इसका उद्देश्य **पांच वर्षों के भीतर यानी 2029 तक क्रूज़ के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को दोगुना** करना है।
    - 2024 में **क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगभग 4.6 लाख रहने का अनुमान** है।
- इसके तहत **क्रूज कॉल** की संख्या को **2024 के लगभग 254 से बढ़ाकर 2030 तक 500 तक यानी लगभग** दोगुना करना है।

इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा:

- **चरण-1 (2024 से 2025):** इसके तहत **पड़ोसी देशों के साथ क्रूज अलायंस** बनाने आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **चरण-2 (2025 से 2027):** इसमें **नए क्रूज टर्मिनल, डेस्टिनेशन** आदि विकसित किए जाएंगे।
- **चरण-3 (2027 से 2029):** इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में **सभी क्रूज सर्किट्स को एकीकृत** किया जाएगा।

- **तीन प्रमुख क्रूज सेगमेंट्स:**
    - **ओशन और हार्बर क्रूज सेगमेंट:** इसमें डीप-सी व कोस्टल क्रूज; ओशन क्रूज; हार्बर पर आधारित यॉटिंग और सेलिंग क्रूज आदि शामिल हैं।
    - **नदी और अंतर्देशीय क्रूज सेगमेंट:** इसमें नहरों, बैकवाटर, क्रिक्स व झीलों पर आधारित नदी एवं अंतर्देशीय क्रूज शामिल हैं।
    - **आइलैंड क्रूज़ सेगमेंट:** इसमें अंतर-द्वीपीय क्रूज़, लाइट हाउस टूर आदि को शामिल किया गया है।

3.9.20. ज़ेड-मोड़ प्रोजेक्ट (Z-Morh Project)

हाल ही में आतंकवादियों ने **जम्मू-कश्मीर में ज़ेड-मोड़ प्रोजेक्ट स्थल पर हमला** किया।

ज़ेड-मोड़ प्रोजेक्ट के बारे में:

- यह **6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो 8,500 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर-सोनमर्ग राजमार्ग** पर है। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थल **सोनमर्ग तक हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित** करना है।
- इसे यह नाम निर्माण स्थल पर **Z-आकार की सड़क** के कारण दिया गया है।

- **सामरिक महत्त्व:**
  - यह प्रोजेक्ट **ज़ोजिला सुरंग परियोजना** का हिस्सा है। ज़ोजिला सुरंग परियोजना का उद्देश्य **वर्षभर श्रीनगर से लद्दाख तक हर मौसम में कनेक्टिविटी** प्रदान करना है।
  - यह प्रोजेक्ट **श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह क्षेत्रों को जोड़ता** है। इससे सेना को प्रत्येक मौसम में स्थलीय कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। इससे **सेना की हवाई परिवहन पर निर्भरता कम** होगी।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

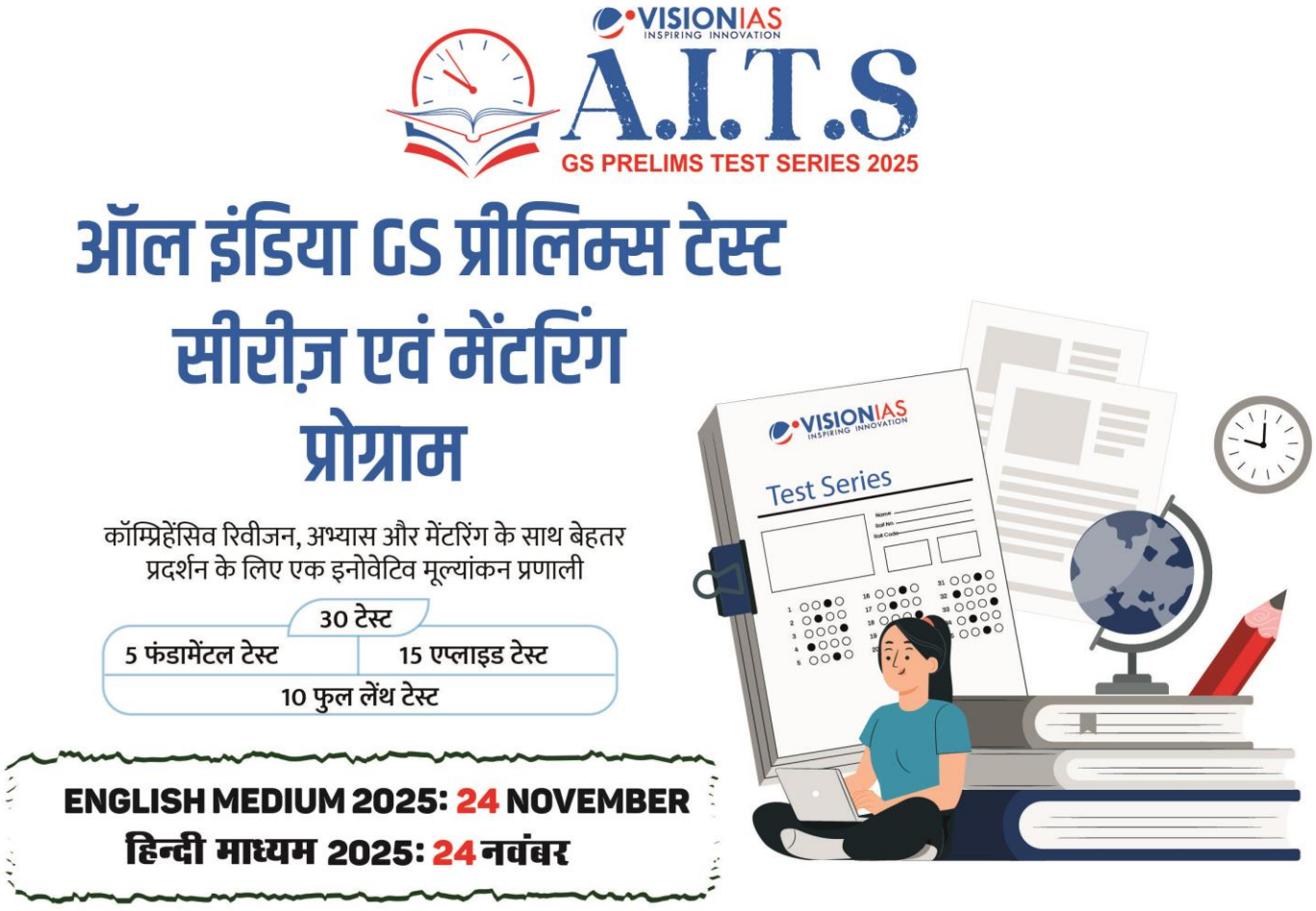

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

4. सुरक्षा (Security)

4.1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रक्षा (AI and Defence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए **इवैल्युएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ETAI) फ्रेमवर्क** और **दिशा-निर्देशों** का शुभारंभ किया है।

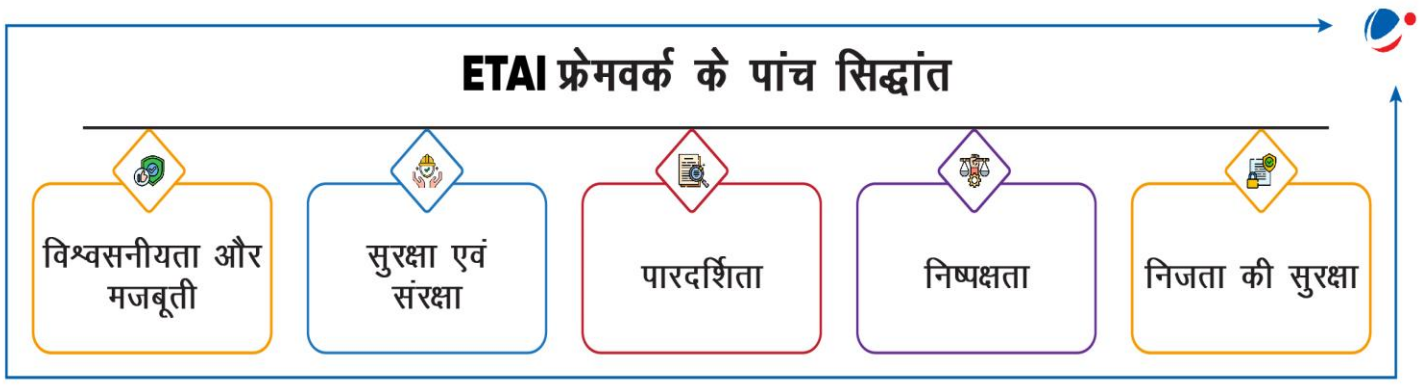

इवैल्युएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ETAI) फ्रेमवर्क के बारे में

- ETAI **जोखिम-आधारित एक मूल्यांकन फ्रेमवर्क** है। इसे महत्वपूर्ण रक्षा अभियानों में भरोसेमंद AI तकनीक को शामिल करने के लिए विकसित किया गया है।
- इस फ्रेमवर्क में **भरोसेमंद AI के मूल्यांकन के लिए मानदंडों के एक व्यापक सेट** को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, यह भरोसेमंद AI के निर्माण और मूल्यांकन के लिए एक सुनियोजित एप्रोच भी प्रदान करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रक्षा के बारे में

- AI सिस्टम का उपयोग रक्षा क्षेत्रक में **दो तरीकों** यानी सहायक कार्य और आक्रामक कार्य प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा रहा है:
  - **सहायक कार्य:** जैसे- खुफिया, निगरानी, नेविगेशन और एडवांस कमांड और कंट्रोल (C2) क्षमता।
  - **आक्रामक कार्य:** जैसे- लक्ष्य का चयन करना और ड्रोन स्वार्म्स, AI-संचालित हैकिंग जैसे हमले करना।
- AI के पास साइबर हमलों के पैटर्न का अध्ययन करने और मैलवेयर हमले के खिलाफ **सुरक्षात्मक रणनीति** बनाने का कौशल भी है।

रक्षा और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं में AI के उपयोग का महत्त्व

- **स्वायत्त हथियार और लोइटरिंग (Loitering) हथियार प्रणाली:** यह प्रणाली स्वायत्त रूप से लक्ष्यों की खोज करने, उनकी पहचान करने और उन पर हमला करने में सक्षम है। इसकी मदद से शीघ्र एवं अधिक सटीकता से हमले किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए- इजराइली हार्पी और हारोप ड्रोन।
- **लक्ष्य पहचान और सटीकता में वृद्धि:** AI प्रणालियां नागरिक अवसंरचनाओं से बचते हुए विशिष्ट सैन्य लक्ष्यों की पहचान करने एवं उन पर हमला करने में सक्षम हैं।
  - उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए गए ईरान द्वारा निर्मित शाहेद-136 AI ड्रोन।

क्या आप जानते हैं?

➢ **जिनेवा कन्वेंशन 1949 के एडिशनल प्रोटोकॉल-I के अनुच्छेद 36** के अनुसार, देशों को सभी नए हथियारों तथा युद्ध के साधनों और तरीकों की कानूनी समीक्षा करनी होगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रतिबंधित है या नहीं।

- **रियल टाइम डेटा विश्लेषण: AI** निगरानी प्रणालियों से प्राप्त बड़ी मात्रा में डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करके युद्ध-क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करने में सहायक है।
    - उदाहरण के लिए- अमेरिकी पहल **प्रोजेक्ट मावेन** के तहत बड़ी मात्रा में निगरानी डेटा का विश्लेषण किया जाता है।
- **वॉर सिमुलेशन और प्रशिक्षण:** जनरेटिव AI नई प्रशिक्षण सामग्री तैयार करके सैन्य प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार कर सकता है। उदाहरण के लिए- सुखोई 30 MKI विमान के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल।
- **अपराधों का पूर्वानुमान और अपराधियों पर नज़र रखना:** AI प्रणालियां कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस, सर्विलांस तथा रिकॉन्सेन्स (C4ISR) प्रणालियों का उपयोग करके अपराध होने की संभावना का पूर्वानुमान लगाने एवं अपराधियों की निगरानी करने में मददगार हैं।
    - उदाहरण के लिए- BEL ने **एडवर्सरी नेटवर्क एनालिसिस टूल (ANANT)** विकसित किया है। यह हमलों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है।
- **साइबर हमलों से सुरक्षा:** AI तकनीक **संभावित खतरों का पता लगा सकती है और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग** करके भविष्य में होने वाले हमलों का **पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण** कर सकती है।
    - उदाहरण के लिए- इंडियन आर्मी द्वारा विकसित **प्रोजेक्ट सीकर** एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य सेना की विभिन्न इकाइयों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना है।

रक्षा क्षेत्रक में AI के इस्तेमाल से संबंधित समस्याएं

- **गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उपयोग:** अपराधी और आतंकवादी योजनाबद्ध हमलों के लिए जनरेटिव AI मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए- **इस्लामिक स्टेट ने जनरेटिव AI टूल का उपयोग करने के लिए एक गाइड जारी किया है।**
- **सोशल इंजीनियरिंग: AI** सोशल मीडिया एल्गोरिदम में हेर-फेर करके लक्षित समूहों को कट्टरपंथ को अपनाने के लिए प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए- टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर AI द्वारा निर्मित **नव-नाजी कंटेंट** शेयर करना।
- **नए मैलवेयर का निर्माण:** AI के पास मैलवेयर (या दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर) की कोडिंग करने की क्षमता है, इसलिए आतंकवादियों या कट्टरपंथियों द्वारा AI का उपयोग इसे और खतरनाक बना सकता है।
    - उदाहरण के लिए- **ब्लैकमांबा AI द्वारा उत्पन्न एक मैलवेयर** है, जो अधिकांश मौजूदा एंडपॉइंट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स (EDR) प्रणालियों को चकमा दे सकता है।
- नागरिक सुरक्षा और मानवाधिकार उल्लंघन पर इसकी सीमाओं की जांच करने के लिए **कोई विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं** है।
- **निगरानी संबंधी कार्यों में AI के उपयोग से गोपनीयता के उल्लंघन की चिंता:** उदाहरण के लिए- चीन द्वारा अपने झिंजियांग प्रांत में **फेशियल रिकग्निशन सर्विलांस सिस्टम** का उपयोग करके उइगर मुसलमानों की निगरानी का कार्य किया जा रहा है, जो उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है।
- **नैतिक चिंताएं:**
    - **स्वचालन पूर्वाग्रह:** AI से जुड़ी स्वचालन प्रणालियां कई बार टारगेट और नागरिक लक्ष्यों के बीच अंतर नहीं कर पाती हैं, जिससे डेटा की कमी के कारण संभावित अप्रत्याशित हमले हो सकते हैं।
    - **आनुपातिकता का सिद्धांत:** इन प्रणालियों को यह निर्धारित करने के लिए गुणात्मक विश्लेषण की आवश्यकता होगी कि टारगेट के विरुद्ध किया गया हमला आनुपातिक माना जाएगा या नहीं।
    - **स्वायत्त प्रणाली का अनुमान:** यदि ऑपरेटर AI हथियार प्रणाली सिस्टम की समझ के अभाव में हथियार का नियंत्रण खो देता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय नियमों के खिलाफ होगा।
    - **मानव लक्ष्यों का वस्तुकरण:** AI-सक्षम हथियार बहुत तेजी से निर्णय ले सकते हैं और हमले कर सकते हैं। साथ ही, ये अपने टार्गेट को केवल एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं, न कि एक मानवीय दृष्टि से। ऐसे में, इन हथियारों के इस्तेमाल से आम नागरिकों सहित गैर-लड़ाकू लोगों को होने वाली क्षति की संभावना बढ़ जाती है।

रक्षा क्षेत्रक में AI को अपनाने के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- **राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस टास्क फोर्स के लिए AI का रणनीतिक कार्यान्वयन:** सी. चंद्रशेखरन की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य AI-आधारित हथियार प्रणालियों को मजबूत करना था।
  - इसकी सिफारिशों के आधार पर, 2019 में **डिफेंस AI काउंसिल (DAIC)** और **डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी (DAIPA)** की स्थापना की गई।
- **75 नई विकसित AI प्रौद्योगिकियों का शुभारंभ:** रक्षा मंत्री ने जुलाई, 2024 में पहली बार आयोजित "AI इन डिफेंस' (AIDEF)" संगोष्ठी के दौरान AI प्रौद्योगिकियों का शुभारंभ किया।

रक्षा क्षेत्रक में AI को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम

- **यू.एन कन्वेंशन ऑन सर्टेन कंवेंशनल वेपंस (CCW) के तहत सरकारी विशेषज्ञों का समूह:** इस समूह का गठन 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य AI सहित घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था।
- **2023 में संयुक्त राष्ट्र ने घातक स्वायत्त हथियारों पर नए प्रस्ताव** को मंजूरी दी और सुझाव दिया कि हत्या से संबंधित निर्णयों पर एल्गोरिदम का पूर्ण नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
- **संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान (UNIDIR)** ने अक्टूबर, 2024 में सुरक्षा और डिफेंस में AI पर राष्ट्रीय रणनीतियों के विकास के लिए **दिशा-निर्देश जारी** किए।
- **अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC):** इसने AI आधारित स्वायत्त हथियार प्रणालियों के विकास और उपयोग के लिए मानदंडों व नियमों के एक व्यापक एवं बाध्यकारी सेट का समर्थन किया है।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए:**
  - **इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉनसेंस (ISR):** इंडियन आर्मी को AI क्षेत्र में कार्यरत भारत के निजी क्षेत्रक के साथ सहयोग स्थापित करने की जरूरत है, जैसा कि अमेरिका और चीन कर रहे हैं।
  - **साइबर युद्ध की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का विकास:** साइबर युद्ध के बढ़ते खतरे के मद्देनजर, साइबर सुरक्षा और जवाबी हमलों की क्षमताएं विकसित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय विनियमन के लिए:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता:** लक्ष्यों के प्रकार, भौगोलिक दायरे और संचालन के संदर्भ में नियमों को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है।
  - **AI पर हथियार नियंत्रण व्यवस्था:** राज्य और क्षेत्रीय संगठन AI हथियार प्रणालियों और उद्योगों को हथियार नियंत्रण व्यवस्था के अधीन लाने का प्रयास कर सकते हैं।
  - **AI के सैन्य उपयोग के लिए जिम्मेदार सिद्धांतों की पहचान करना:** सहयोगी बहुपक्षीय प्रक्रियाओं के माध्यम से ऐसे सिद्धांतों को आधिकारिक दस्तावेजों में संहिताबद्ध करना चाहिए।

उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #80: उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित नैतिकता: अत्यधिक संभावना, अत्यधिक जिम्मेदारी

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.2.1. GlobE (ग्लोबई) नेटवर्क (Globe Network)

भारत को ग्लोबई (ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी-करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट ऑथोरिटीज) नेटवर्क की संचालन समिति के लिए चुना गया है।

ग्लोबई नेटवर्क के बारे में:

- **उत्पत्ति:** इसे 2021 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष सत्र (UNGASS)** के दौरान स्थापित किया गया था।
  - यह **G20 फ्रेमवर्क** के तहत शुरू की गई एक पहल है। इससे पहले, ग्लोबई नेटवर्क के निर्माण के लिए **रियाद पहल को 2020 में G20 द्वारा अनुमोदित** किया गया था।
- **उद्देश्य: भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिम्मेदार** कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए एकजुट करना।
- **गवर्नेंस: यह इसके सदस्यों द्वारा अभिशासित** होता है। इसे **UNDOC (इसके सचिवालय के रूप में)** द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है।
- **सदस्य:** इसमें **121 सदस्य देश और 219 कानून प्रवर्तन प्राधिकरण** शामिल हैं।
  - **गृह मंत्रालय भारत में** ग्लोबई नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
  - **जबकि CBI और ED,** सदस्य प्राधिकरण के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

4.2.2. नॉन-काइनेटिक वॉरफेयर (Non-Kinetic Warfare)

रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति नॉन-काइनेटिक वॉरफेयर से निपटने के लिए भारत की तैयारियों का अध्ययन करेगी।

नॉन-काइनेटिक या हाइब्रिड वारफेयर के बारे में

- यह एक उभरती हुई अवधारणा है, जो सामान्य सैन्य रणनीति से कहीं ज्यादा विविध और व्यापक है। इसमें **इलेक्ट्रॉनिक, साइबर, सूचना, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक आयामों से संबंधित युद्ध** शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत **गैर-सैन्य हितधारक** भी शामिल हो सकते हैं।
  - यह **पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक घातक** हो सकता है और बिना गोली चलाए भी जीत हासिल की जा सकती है। उदाहरण के लिए- पावर ग्रिड और अस्पताल जैसी **महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर बड़े पैमाने पर साइबर या मैलवेयर हमला।**
- एक तरफ जहां **काइनेटिक युद्धों** में टैंकों जैसे सैन्य हथियारों का उपयोग कर भौतिक रूप से लक्ष्यों को नष्ट किया जाता है, वहीं नॉन-काइनेटिक युद्धों में उनके संचालन को बाधित करने के लिए लेजर या इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक तरंगों का उपयोग किया जाता है।
- हाल ही में **लेबनान** में हुआ **पेजर विस्फोट** नॉन-काइनेटिक वॉरफेयर का ही एक उदाहरण है।
  - इसे रूस-यूक्रेन, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्षों के दौरान भी देखा गया।

उभरते खतरे जो नॉन-काइनेटिक वॉर हेतु तत्परता की मांग करते हैं

- **दुश्मन पड़ोसी:** पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान तथा उत्तरी और उत्तर-पूर्वी मोर्चों पर चीन की मौजूदगी भारत को उन्नत रक्षा तैयारियों के लिए बाध्य करती है।
  - चीन **तीन युद्ध रणनीतियों को अपनाता** है। इनमें **मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और कानूनी रणनीतियां** शामिल हैं।
- **गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका:** हाल ही में **हिज्बुल्लाह** ने ऐसे तरीकों को अपनाया है।

- **अन्य:** मध्य भारत में नक्सली चुनौतियों सहित आंतरिक अस्थिरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां आदि।

हाइब्रिड वारफेयर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #73: हाइब्रिड वारफेयर–नए युग के युद्ध में नए युग की प्रतिक्रिया आवश्यक होगी

4.2.3. डेफकनेक्ट 4.0 (Defconnect 4.0)

डेफकनेक्ट 4.0 (DefConnect 4.0) का आयोजन रक्षा मंत्रालय के तहत **इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस - डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (iDEX-DIO)** द्वारा किया जा रहा है।

मुख्य पहलें:

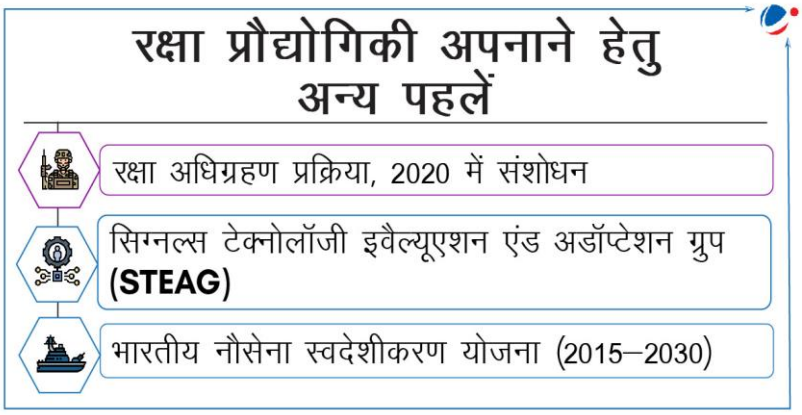

- **अदिति 2.0** यानी **"एक्सिलेंस डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजीज विद iDEX' का दूसरा संस्करण (ADITI 2.0):**
  - **विशेषताएं: अदिति 2.0** में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम टेक्नोलॉजी, एंटी-ड्रोन सिस्टम जैसे क्षेत्रकों में सशस्त्र बलों और संबद्ध एजेंसियों हेतु **19 चैलेंजेज** शामिल हैं।
  - **अनुदान:** iDEX चैलेंज के विजेताओं को **25 करोड़ रुपये तक की राशि** दी जाएगी।
  - **फोकस:** इसमें 30 महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों पर फोकस किया गया है।
- **डिस्क-12** यानी **'डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज' का 12वां संस्करण (DISC 12):**
  - **विशेषताएं: डिस्क-12** में मानव रहित हवाई वाहन (UAV), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नेटवर्किंग और संचार जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में **41 चैलेंजेज** शामिल हैं।
  - **अनुदान:** चयनित नवाचारों के लिए **1.5 करोड़ रुपये तक की राशि** दी जाएगी।
  - इसे **अटल इनोवेशन मिशन** के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य **प्रोटोटाइप विकसित करने** और उत्पादों का व्यवसायीकरण करने के लिए **स्टार्ट-अप्स, MSMEs और नवाचार करने वालों का समर्थन** करना है।
  - सशस्त्र बलों हेतु चिकित्सा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए **मेडिकल इनोवेशंस एंड रिसर्च एडवांसमेंट (MIRA)** पहल की शुरुआत की गई है।

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) स्कीम के बारे में:

- **शुरुआत**: इसे **मई, 2021** में **रक्षा मंत्रालय** द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन **रक्षा नवाचार संगठन (DIO)** द्वारा किया जा रहा है। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के तहत एक **गैर-लाभकारी कंपनी** है।
- **अनुदान:** इस योजना के तहत **सपोर्ट फॉर प्रोटोटाइप एंड रिसर्च किक स्टार्ट (SPARK फ्रेमवर्क)** के माध्यम से **DISC और ओपन चैलेंज** के तहत स्टार्ट-अप्स या MSMEs को **1.50 करोड़ रुपये** प्रदान किए जाते हैं। **iDEX प्राइम के मामले में 10 करोड़ रुपये** तक की राशि दी जाती है।
- iDEX के तहत **26 उत्पाद विकसित** किए गए हैं। इन उत्पादों के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के खरीद ऑर्डर दिए गए हैं।

4.2.4. 31 MQ-9B ड्रोन और दो स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के सौदे को मंजूरी (31 MQ-9B Drones and Nuclear Attack Submarines Deal Clears)

सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन और दो स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के सौदे को मंजूरी दी

- 31 MQ-9B प्रिडेटर ड्रोन की खरीद और दो परमाणु ऊर्जा संचालित हमलावर पनडुब्बियों (SSNs) के स्वदेशी निर्माण से **भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि** होगी।

MQ-9B ड्रोन के बारे में

- **विवरण:** ये मानव रहित हवाई वाहन हैं। ये **अधिक ऊंचाई पर और बहुत लंबे समय तक आकाश** में उड़ान भर सकते हैं। ये **खुफिया सूचनाएं जुटाने, टोह लेने और निगरानी करने (ISR)**[49] की क्षमताओं से लैस हैं। साथ ही, ये बहुत सटीक हमला करने में भी सक्षम हैं।
- **विशेषताएं:** ये उपग्रह की सहायता से **40 घंटों** तक उड़ान बनाए रखने में सक्षम हैं। ये भूमि, समुद्र और हवा में लक्ष्यों को भेद सकता है।
- **इसके दो प्रकार हैं:** स्काई गार्डियन और सी गार्डियन (समुद्री श्रेणी)।
    - इस सौदे में **16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन** MQ-9B शामिल हैं। **सी गार्डियन ड्रोन्स नौसेना** को दिए जाएंगे, जबकि **स्काई गार्डियन ड्रोन्स थल सेना और वायु सेना (प्रत्येक को 8-8)** को सौंपे जाएंगे।
- **MQ-9B से संबंधित सौदे का महत्त्व**
    - चीन के साथ लगने वाली **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए **भारत की निगरानी और खुफ़िया जानकारी जुटाने की क्षमता** को बढ़ावा मिलेगा।
    - यह सौदा **हिंद-प्रशांत क्षेत्र** में भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित **व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण रणनीति का हिस्सा** है। साथ ही, यह सौदा उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ परिचालन की तत्परता को और बेहतर बनाएगा।
    - भारत-अमेरिका के बीच **रक्षा साझेदारी को और मजबूत** करेगा।

परमाणु ऊर्जा संचालित हमलावर पनडुब्बियों (SSNs) के बारे में

- **विवरण:** इन्हें एंटी-सबमरीन युद्ध, एंटी-सरफेस शिप ऑपरेशन और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **विशेषताएं:**
    - ये **टॉरपीडो और कभी-कभी क्रूज मिसाइलों से लैस** होती हैं, लेकिन ये **बैलिस्टिक मिसाइल नहीं** ले जा सकती हैं।
    - ये तेज व शांत होती हैं तथा इनका पता लगाना मुश्किल होता है। ये लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं।
- **SSNs संबंधित सौदे का महत्त्व**
    - यह सौदा भारत की **अवरोधन और परिचालन क्षमताओं को मजबूत** करेगा। साथ ही, यह जल के नीचे युद्धक क्षमता की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।
    - यह मेक इन इंडिया पहल के तहत **स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा** देगा।

नोट: *ड्रोन और आंतरिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, सितंबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 4.1. देखें।*

4.2.5. एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट {Advanced Ballistics for High Energy Defeat (ABHED)}

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर ABHED विकसित किया है।

ABHED के बारे में

- ये हल्के वजन वाली **बुलेट प्रूफ जैकेट्स** हैं।
- ये जैकेट्स **पॉलिमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री** से बनाई गई हैं।
- **डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन उच्च तनाव दर** पर अलग-अलग सामग्रियों के लक्षणों के आधार पर तैयार किया गया है। इसके बाद उपयुक्त **मॉडलिंग और सिमुलेशन** किया जाता है।

4.2.6. आकाशतीर सिस्टम्स (Akashteer Systems)

भारतीय थल सेना ने **100 आकाशतीर वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद** का कार्य पूरा कर लिया है।

[49] Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance

आकाशतीर प्रणालियों के बारे में

- ये **उन्नत वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणालियां (ADCRS)** हैं। ये मिसाइल और रॉकेट हमलों जैसे हवाई खतरों से देश की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण एसेट्स के रूप में काम करेंगी।
- इनका निर्माण **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** ने स्वदेशी रूप से किया है।
- **महत्त्व:**
  - ये भारतीय सेना को **युद्ध क्षेत्रों में कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र की निगरानी** करने में मदद करेंगी,
  - ये **रियल टाइम में दुश्मन के हमलों पर नजर रखने और जवाबी कार्रवाई** करने में मदद करेंगी, आदि।

4.2.7. वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम {Very Short Range Air Defence System (Vshorads)}

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने राजस्थान के **पोखरण रेंज में चौथी पीढ़ी** के तकनीकी रूप से उन्नत मिनिचराइज़्ड **VSHORADS** के उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए।

- इन परीक्षणों के दौरान इस वेपन सिस्टम ने **हिट-टू-किल क्षमता को दोहराने से संबंधित विशेषता** को प्रदर्शित किया।

VSHORADS के बारे में

- VSHORADS वास्तव में "**मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPADS)**" है। इसे **स्वदेशी रूप** से डिजाइन एवं विकसित किया गया है।
- इसे **रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) ने DRDO प्रयोगशालाओं और विकास-सह-उत्पादन भागीदारों (DcPPs) अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों** के साथ सहयोग में डिज़ाइन और विकसित किया है।
- यह प्रणाली **कम दूरी पर निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरों को लक्षित** कर सकती है।
- इसमें **डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर और अत्याधुनिक अनकूल्ड इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर** का इस्तेमाल किया गया है।

4.2.8. ड्रैगन ड्रोन (Dragon Drone)

हाल ही में **रूस-यूक्रेन युद्ध में "ड्रैगन ड्रोन" नामक एक नए प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल** किया गया।

ड्रैगन ड्रोन के बारे में

- यह एक प्रकार का **मानव रहित हवाई वाहन** है। यह **थर्माइट** नामक पदार्थ उत्सर्जित करता है। **थर्माइट एल्यूमीनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण** है।
- **थर्माइट:** जब इसका दहन किया जाता है, तो यह **स्वयं से ही अभिक्रिया** उत्पन्न करता है। इस वजह से इसे **बुझाना लगभग असंभव** हो जाता है।
  - थर्माइट का इस्तेमाल **दोनों विश्व युद्धों** में किया गया था। मनुष्यों द्वारा इसके संपर्क में आने पर यह **जलन पैदा करता है और हड्डियों को नष्ट** कर सकता है। इसका प्रभाव गंभीर और **कभी-कभी प्राण घातक** हो सकता है।
- थर्माइट पर **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध नहीं** लगाया है। हालांकि, नागरिक क्षेत्रों में आगजनी वाले हथियारों का उपयोग **"संयुक्त राष्ट्र के कुछ पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन"** द्वारा प्रतिबंधित है।

4.2.9. थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली (Thaad Missile Defense System)

संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह इजरायल की सहायता के लिए अपना **टर्मिनल हाई-एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) बैटरी सिस्टम** प्रदान करेगा।

THAAD प्रणाली के बारे में

- इसे **लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन** द्वारा विकसित किया गया है। यह **शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ एक उन्नत रक्षा प्रणाली है।**
- यह **एकमात्र अमेरिकी प्रणाली है, जिसे "हिट-टू-किल" तकनीक का** उपयोग करते हुए **वायुमंडल के बाहर से और वायुमंडल के भीतर से आने वाले टार्गेट्स को नष्ट करने** के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- एक THAAD बैटरी में **95 सैनिक, ट्रक पर लगे लॉन्चर, इंटरसेप्टर, रडार निगरानी और रडार** आदि शामिल होते हैं।

नोट: भारत ने रूस से S-400 ट्रायंफ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदी है।

4.2.10. हेलफायर मिसाइल (Hellfire Missile)

भारत ने 170 AGM-114R हेलफायर मिसाइलें खरीदने के लिए **संयुक्त राज्य अमेरिका** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

AGM-114R हेलफायर मिसाइल के बारे में

- यह **कम दूरी की हवा से जमीन पर मार** करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग **7-11 कि.मी.** है।
- यह सटीक प्रहार करने वाली, **सेमी-एक्टिव लेजर द्वारा निर्देशित** होने वाली मिसाइल है।
- यह अपने मल्टीपर्पस वारहेड्स की मदद से **दुश्मन के एयर डिफेंस, गश्ती नौकाओं, कवच, दुश्मन लड़ाकों आदि सहित व्यापक श्रेणी के लक्ष्यों को नष्ट** कर सकती है।
- इसे **विमान, मानव रहित हवाई वाहनों आदि सहित अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च** किया जा सकता है।

4.2.11. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

- **सैन्य अभ्यास काजिन्द-2024: भारत-कजाकिस्तान** वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद-2024 का **8वां संस्करण औली (उत्तराखंड)** में शुरू हुआ।
- **मालाबार सैन्य अभ्यास 2024:**
  - यह एक **वार्षिक समुद्री** सैन्य अभ्यास है। इसे **बंदरगाह और समुद्र** दोनों जगह आयोजित किया जाएगा।
  - **प्रतिभागी:** ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत।
- **नसीम-अल-बहर 2024:** यह **गोवा** के समुद्री जल में **भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी** के बीच आयोजित किया गया था।

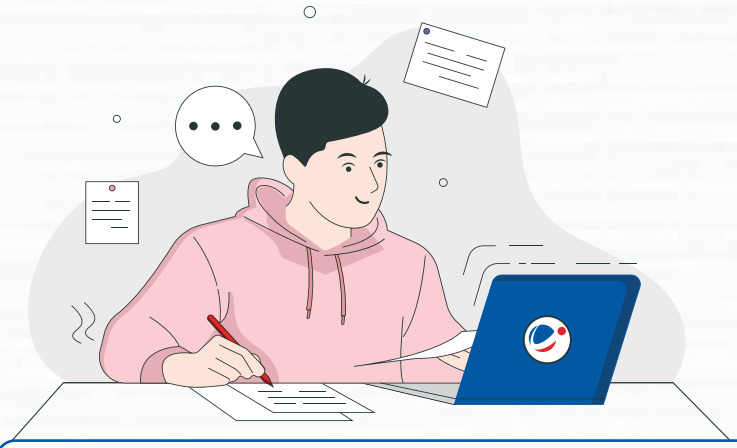

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स

की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. जल ही अमृत (Jal Hi Amrit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के दौरान **अमृत 2.0** (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0) सुधारों के तहत **'जल ही अमृत'** पहल का शुभारंभ किया गया।

जल ही अमृत (JHA) के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** अमृत 1.0 की सफलता के आधार पर, इस दूसरे चरण का उद्देश्य "जल-सुरक्षित शहर (Water-Secure Cities)" सुनिश्चित करना है।
- **जल ही अमृत पहल का उद्देश्य:**
  - **सीवेज उपचार संयंत्रों (STPs)**[50] के कुशल प्रबंधन के लिए **राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।**
    - गौरतलब है कि **STPs** को **प्रयुक्त जल उपचार संयंत्र (UWTPs)**[51] भी कहा जाता है।
  - पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए, संधारणीय जल पुनर्चक्रण पद्धतियों के माध्यम से **उच्च गुणवत्ता वाले उपचारित जल की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।**
  - निर्माण कार्य, उद्योग और सिंचाई जैसे कई क्षेत्रों में जल का पुन: उपयोग कर **जल चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।**
- **अन्य उद्देश्य:** अंतर-शहरी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; उपचार फैसिलिटी संबंधी क्षमता का निर्माण करना; तथा व्यवस्थित सुधारों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले उपचारित जल को छोड़ने को प्रोत्साहित करना।
- **रेटिंग आधारित प्रोत्साहन की रणनीति:** प्रयुक्त जल उपचार संयंत्रों (UWTPs) को **स्टार रेटिंग प्रणाली** के माध्यम से **स्वच्छ जल क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।** साथ ही, व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)/ पैरास्टेटल एजेंसियों** को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  - पैरास्टेटल्स एजेंसियां ऐसी संस्थाएं/ संगठन हैं, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन के तहत कार्य करते हैं।
- **जल ही अमृत के पीछे निहित तर्क: उपचारित प्रयुक्त जल (Treated used water) का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग** मुख्यतः **जल संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन** को सुनिश्चित करने एवं **पेयजल संसाधनों पर दबाव को कम करने की आधारशिला** है।

अमृत (AMRUT) के बारे में		
	अमृत 1.0	**अमृत 2.0**
प्रारंभ	2015	2021
अवधि	मिशन अवधि 2015-2020	मिशन अवधि 2021-2026 (5 वर्ष)
कवरेज	500 शहर और कस्बे	देश के सभी वैधानिक शहर
फोकस क्षेत्र	जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, स्टॉर्म वाटर या वर्षा जल अपवाह की निकासी, हरित स्थान और पार्क, नॉन-मोटराइज्ड शहरी परिवहन	देश के सभी वैधानिक शहरों में सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज, 500 शहरों में सीवरेज/ सेप्टेज प्रबंधन का कवरेज

जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग (Water Recycling & Reuse) के बारे में

- **परिभाषा:** अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त एवं इस्तेमाल हो चुके या अपशिष्ट जल का उपचार करके किसी लाभकारी उद्देश्य हेतु उसका दुबारा उपयोग ही **जल का पुनः उपयोग** (या **जल पुनर्चक्रण**) कहलाता है।
- **संभावित पुनः उपयोग हेतु जल के स्रोत:** नगरपालिका अपशिष्ट जल, औद्योगिक प्रक्रिया और शीतलन में प्रयुक्त जल, स्टॉर्म वाटर, कृषि अपवाह और रिटर्न फ्लो आदि।

[50] Sewage Treatment Plants

[51] Used Water Treatment Plants

जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लाभ

- **पर्यावरणीय लाभ:**
  - जल पुनर्चक्रण से अन्य उद्देश्यों के लिए **संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों से ताजे जल का उपयोग कम** हो जाता है। इससे **जल की गुणवत्ता** में सुधार होता है और **पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में गिरावट को रोका जा सकता है।**
  - इससे संबंधित क्षेत्र में ताजे जल को निकालने या परिवहन के लिए आवश्यक **ऊर्जा की बचत होती है। उदाहरण के लिए-** सिंचाई में उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आती है।
  - **भूजल पुनर्भरण** से ताजे जल के संसाधनों को संरक्षित करने और लवणीकरण में कमी लाने में मदद मिलती है। **उदाहरण के लिए- बेंगलुरु** में जल संकट से निपटने के लिए उपचारित जल को झीलों में छोड़ा जा रहा है, ताकि यह प्राकृतिक रूप से जमीन में रिसकर भूजल स्तर को बढ़ा सके। इससे उथले जलभृतों के पुनर्भरण में मदद मिल रही है।
  - पुनर्चक्रित जल का उपयोग आर्द्रभूमि और नदी तटीय पर्यावासों के **निर्माण या उन्हें बेहतर करने के लिए किया जा सकता है।**
- **सामाजिक-आर्थिक लाभ:**
  - इसकी मदद से **जल संकटग्रस्त** या **शुष्क क्षेत्रों** के लिए जल की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है।
  - यह **उद्योग (उदाहरण- कर्नाटक** में STPs के 30 कि.मी. के भीतर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यह नियम बनाया गया है कि वे उपचारित जल को प्राथमिकता देंगे) और **कृषि (उदाहरण- हरियाणा** के कुरुक्षेत्र में उपचारित जल को कृषि उपयोग के लिए पुनः उपयोग किया जाता है) जैसे आर्थिक क्षेत्रकों को **आसानी से उपलब्ध जल स्रोत** प्रदान कर सकता है।
  - अपशिष्ट जल के उपचार से प्राप्त **पोषक तत्वों** के उपयोग से **कृषि की गुणवत्ता** में भी सुधार होता है।
    - **उदाहरण के लिए-** कार्बन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस युक्त अपशिष्ट जल।

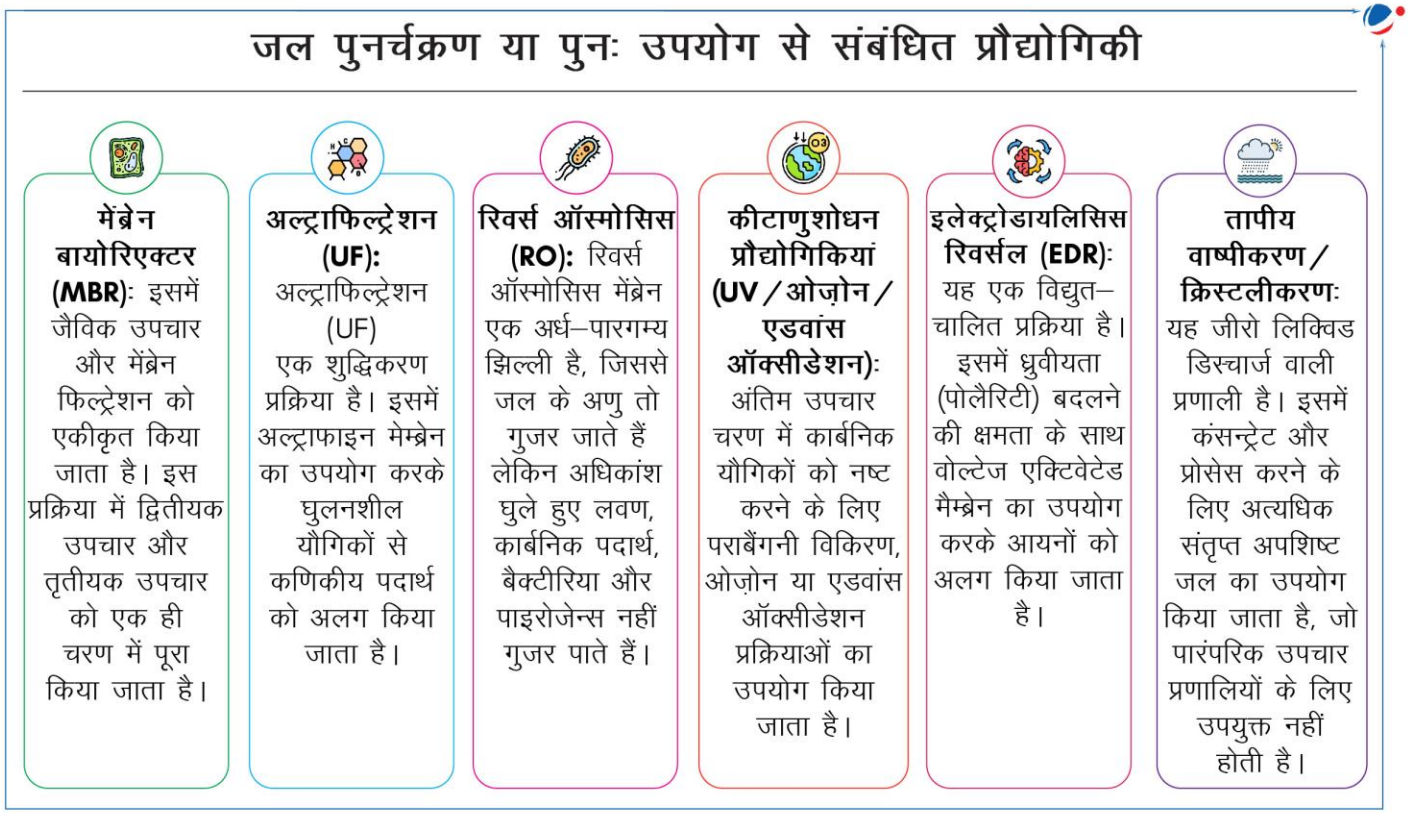

जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग के समक्ष चुनौतियां

- **जल का सटीक तरीके से उपचार करना:** औद्योगिक अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग के लायक बनाने हेतु पहले उसमें से तेल, लवण, ठोस पदार्थ और खनिजों को हटाने के लिए गहन उपचार की आवश्यकता होती है।
- **संयंत्र के लिए आवश्यक निवेश:** जल पुनर्चक्रण प्रणालियां आमतौर पर महंगी होती हैं, क्योंकि वे एडवांस तकनीकों पर आधारित होती हैं और उनका निर्माण एवं संचालन भी खर्चीला होता है।

- **मेम्ब्रेन का जाम होना और उसके रख-रखाव से जुड़ी चुनौतियां:** गंदगी के कारण फ़िल्टर करने वाले मैम्ब्रेन की दक्षता में कमी आती है। इसके अलावा, मैम्ब्रेन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित तौर पर सफाई या महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है।

- **जल पुनर्चक्रण में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता:** जल की गुणवत्ता जितनी कम होगी, उपचार उतना ही अधिक गहन होगा और पुनर्चक्रण प्रक्रिया के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
- **दिशा-निर्देशों का अभाव:** कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग जैसे कई क्षेत्रों में उपचारित जल के पुन: उपयोग के लिए विशिष्ट एवं अलग-अलग मानक और नियम निर्धारित किए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रक में उपचारित जल की गुणवत्ता के लिए अलग-अलग मानक होते हैं। उपचारित जल के लिए आवश्यक शुद्धता के स्तर को प्राप्त करने के लिए, बुनियादी जैविक उपचार से लेकर एडवांस रिवर्स ऑस्मोसिस तक, कई तरह की उपचार प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है।
- **रूढ़िवादिता:** सामाजिक मान्यताएं और सांस्कृतिक रूढ़ियां उपचारित अपशिष्ट जल को स्वच्छ और सुरक्षित मानने में बाधा बनती हैं, जिसके कारण लोग इसका उपयोग करने से हिचकिचाते हैं।

भारत और जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग

- **समय की जरूरत:**
  - **शहरी क्षेत्र:** 31% घरों में पाइप के माध्यम से जलापूर्ति की सुविधा नहीं है और 67% घरों में उपयुक्त सीवेज निकास प्रणाली नहीं है।
  - **सिंचाई:** इसमें भारत के जल भंडार का लगभग 78 प्रतिशत उपयोग होता है।
  - **भारत में विश्व की 18% जनसंख्या** रहती है, लेकिन यहां वैश्विक जल संसाधन केवल 4% हिस्सा ही मौजूद है। इसलिए, भारत दुनिया के सबसे अधिक जल संकट झेल रहे देशों में से एक है।
    - वर्ष 2031 तक प्रति व्यक्ति औसत जल उपलब्धता घटकर मात्र **1,367 घन मीटर** रह जाएगी, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है।
- **क्षमता:** भारत के पास देश में उत्पन्न होने वाले 80% अपशिष्ट जल को उपचारित करने और पुनः उपयोग करने की क्षमता है।
- **इस संबंध में किए गए उपाय:**
  - **नीतिगत उपाय:**
    - **उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग पर राष्ट्रीय रूपरेखा[52]:** इस फ्रेमवर्क को 2022 में जारी किया गया था।
    - **विद्युत शुल्क नीति 2016:** इसमें **सभी ताप विद्युत संयंत्रों** को अपने **50 किलोमीटर के दायरे में** स्थित सीवेज उपचार संयंत्रों से उपचारित सीवेज जल को गैर-पेय उद्देश्यों के लिए उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।
    - **राष्ट्रीय जल नीति[53], 2012:** इसमें जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को अनिवार्य बनाया गया है तथा **जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।**
  - **योजनाएं:** स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) 2.0; अर्थ गंगा पहल को नमामि गंगे प्रोग्राम हिस्से के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए आगे की राह

- **उद्योगों के द्वारा जल पुनर्चक्रण एवं पुन: उपयोग के लिए मानक स्थापित करना:** उद्देश्य आधारित मानकों को लागू करके अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने, उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने आदि का प्रयास करना चाहिए।
- **जल पुनर्चक्रण तंत्र को प्रोत्साहित करना:** सरकार को अपनी नीतियों के जरिए जल उपचार प्रौद्योगिकियों और जल दक्षता बढ़ाने के लिए अनुसंधान करने वाले उद्योगों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
  - इसके तहत **ड्यूल प्लंबिंग प्रणालियों को सब्सिडी देनी** चाहिए। साथ ही, आवासीय क्षेत्रों को गैर-पेय उपयोगों के लिए उपचारित जल का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **संपत्ति कर में छूट** प्रदान करनी चाहिए।
  - **टायर्ड वॉल्यूमेट्रिक प्राइसिंग व्यवस्था को लागू करना:** उदाहरण के लिए, गैर-पुनर्चक्रित जल के लिए अधिक दरें तय करनी चाहिए, ताकि नगरपालिकाओं और हाउसिंग सोसाइटीज को पुनर्चक्रित जल के विकल्प को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- **सार्वजनिक निजी भागीदारी को सुविधाजनक बनाना:** अपशिष्ट जल उपचार संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने और बनाए रखने के लिए निजी क्षेत्रक की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ सरकारी वित्तीय सहायता को मिलाकर सार्वजनिक निजी भागीदारी को सुविधाजनक बनाना चाहिए।
- **व्यापार योग्य जल-उपयोग क्रेडिट प्रणाली को लागू करना:** उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के आधार पर क्रेडिट प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इसके लिए विश्व बैंक समूह के अपशिष्ट जल पुन: उपयोग प्रमाण-पत्रों के फ्रेमवर्क का पालन किया जाना चाहिए।

---

[52] National Framework on Safe Reuse of Treated Water

[53] National Water Policy

5.2. हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान (Hyperlocal Weather Forecasting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केरल में बाढ़-प्रवण पेरियार और चालाकुडी नदी घाटियों में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए हाइपरलोकल डेटा एकत्र करने वाली एक नई प्रणाली CoS-it-FloWS का शुभारंभ किया गया।

CoS-it-FloWS के बारे में

- **कम्युनिटी-सोर्सड इम्पैक्ट-बेस्ड फ्लड फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम (CoS-it-FloWS)** नामक यह परियोजना कोच्चि स्थित इक्विनोक्ट द्वारा संचालित है। इक्विनोक्ट एक **कम्युनिटी-सोर्सड मॉडलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर** है, जो बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी के लिए एक समुदाय-आधारित मॉडलिंग समाधान प्रदान करता है।
- इसे **यूनिसेफ** के **क्लाइमेट टेक कोहॉर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त** है। इसके तहत एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर में स्थापित **100 वर्षामापी यंत्रों का उपयोग किया जाता है।**
- इसमें मुख्य रूप से स्टूडेंट्स, महिलाओं और युवाओं द्वारा घरेलू स्तर पर वर्षा, नदी, ज्वारीय और भूजल स्तरों के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इसके बाद उन आंकड़ों को **इनसाइट गैदर (Insight Gather)** नामक एक वेब पोर्टल के माध्यम से विश्लेषित और प्रदर्शित किया जाता है। इस पोर्टल को पायलट बेसिन क्षेत्रों में प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है।
- इसका उद्देश्य **सरकारी आंकड़ों में मौजूद खामियों को दूर करना तथा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए अति-स्थानीय या हाइपरलोकल आंकड़े एकत्र करके** अधिक सामुदायिक भागीदारी के साथ परियोजना को आगे बढ़ाना है।

हाइपरलोकल (अति-स्थानीय यानी बहुत छोटा भौगोलिक क्षेत्र) मौसम पूर्वानुमान के बारे में

- **परिभाषा:** हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान के तहत **बहुत छोटे क्षेत्रों के मौसम की स्थिति का पूर्वानुमान किया जाता है।**
- **वर्तमान पूर्वानुमान स्तर:** वर्तमान में **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जिला स्तर के लिए** मौसम पूर्वानुमान जारी करता है ।

- राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NWFC)[54] **देश भर में सबडिविजनल स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी** जारी करता है।
- **राज्य** मौसम पूर्वानुमान केंद्र (SWFC)[55] संबंधित **राज्य के लिए जिला स्तर पर पूर्वानुमान और चेतावनी** जारी करता है।

- **हाइपरलोकल पूर्वानुमान की आवश्यकता क्यों है:** भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में मौसम बहुत तेजी से बदलता रहता है। इसलिए, सही और उपयोगी जानकारी के लिए हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान जरूरी है।

हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **पुराने पूर्वानुमान मॉडल:** वर्तमान में, इस्तेमाल होने वाले अधिकांश पूर्वानुमान संबंधी सॉफ्टवेयर **वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली (GFS)[56]** और **मौसम अनुसंधान एवं पूर्वानुमान (WRF)[57] मॉडल** पर आधारित हैं। ये दोनों सबसे आधुनिक मॉडल नहीं हैं।
- **मौसम निगरानी ग्राउंड स्टेशनों की कमी:** वर्तमान में, IMD द्वारा लगभग 800 स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS)[58], 1,500 स्वचालित वर्षा गेज (ARG)[59] और 37 डॉपलर मौसम रडार (DWR)[60] संचालित किए जाते हैं।
  - यह **3,00,000 से अधिक ग्राउंड स्टेशनों (AWS/ARG) और लगभग 70 DWRs** की कुल आवश्यकताओं से काफी कम है।
- **ग्राउंड स्टेशनों से प्राप्त डेटा का अकुशल उपयोग:** राज्य सरकारें और निजी कंपनियां 20,000 से अधिक ग्राउंड स्टेशनों का संचालन करती हैं। हालांकि, डेटा-साझाकरण और विश्वसनीयता संबंधी समस्याओं के कारण इनमें से अधिकांश डेटा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
- **छोटे पैमाने की घटनाओं का पूर्वानुमान करना कठिन:** मानसून या चक्रवात जैसी बड़ी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना आसान है। हालांकि, बादल फटने जैसी अकस्मात, स्थानीयकृत या छोटे क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं की अनिश्चित और डायनेमिक प्रकृति के कारण पूर्वानुमान करना चुनौतीपूर्ण होता है।
  - जलवायु की बढ़ती अस्थिरता के चलते मौसम प्रणाली में तेज और लगातार बदलाव हो रहे हैं। इस वजह से पूर्वानुमान करना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है।

हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान को सुगम बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम

- **ग्राम पंचायत-स्तरीय मौसम पूर्वानुमान:** यह **ग्राम पंचायत स्तर पर प्रति घंटा पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए** पंचायती राज मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और IMD का एक संयुक्त कार्यक्रम है।
- **मिशन मौसम:** इसे हाल ही में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 2026 तक भारत में मौसम और जलवायु पूर्वानुमान को बेहतर बनाना है। इसके तहत अवलोकन प्रणाली को मजबूत करने के लिए रडार, विंड प्रोफाइलर्स और रेडियोमीटर का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
- **मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम (WINDS)[61]:** दीर्घकालिक, हाइपरलोकल मौसम डेटा एकत्र करने के लिए पूरे भारत में AWS (ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन) और ARG (ऑटोमेटिक रेन गेज) का नेटवर्क स्थापित किया गया है।
- **आईफ्लोज़-मुंबई:** मुंबई शहर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए, **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** ने **ग्रेटर मुंबई नगर निगम** के सहयोग से एक **एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली,** आईफ्लोज़-मुंबई (IFLOWS-Mumbai), विकसित की है। यह प्रणाली विशेष रूप से भारी वर्षा और चक्रवातों के दौरान पूर्वानुमान व चेतावनी जारी करने में सक्षम है।
- **मुंबई फ्लड ऐप:** यह वर्षा संबंधी पूर्वानुमान और बाढ़ निगरानी से जुड़ी एक प्रणाली है, जो **मुंबई के लिए प्रति घंटे एवं प्रतिदिन वर्षा का पूर्वानुमान जारी करती है।**
  - IIT बॉम्बे ने इसे HDFC ERGO के वित्तीय समर्थन और MCGM सेंटर फॉर म्यूनिसिपल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च (MCMCR) के सहयोग से विकसित किया है।

---

[54] National Weather Forecasting Centre

[55] State Weather Forecasting Centre

[56] Global Forecasting System

[57] Weather Research and Forecasting

[58] Automatic Weather Stations

[59] Automatic Rain Gauges

[60] Doppler Weather Radars

[61] Weather Information Network and Data System

निष्कर्ष

हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान को बढ़ाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें **एडवांस्ड मॉडल से लेकर वर्तमान तकनीक को अपग्रेड करना, निगरानी नेटवर्क का विस्तार करना, डेटा-शेयरिंग को बढ़ावा देना** और **बेहतर रियल टाइम डेटा सिस्टम विकसित करना शामिल है।** इन समस्याओं का हल करके, भारत स्थानीय घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए सटीकता में सुधार कर सकता है और चरम मौसम से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकता है।

5.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.3.1. वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट (State of Global Water Resources Report)

यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा जारी की गई है।

- **WMO** संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह एजेंसी वायुमंडलीय विज्ञान और मौसम विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **हाइड्रोलॉजिकल एक्सट्रीम:** रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म साल था।
- **वैश्विक स्तर पर एक बड़े भूभाग में मृदा में नमी का स्तर सामान्य से नीचे या बहुत कम** बना हुआ है।
- **2023 दुनिया भर की नदियों के लिए 33 वर्षों में सर्वाधिक शुष्क** वर्ष था।
- अमेजन में **कोअरी झील** में जल का स्तर सामान्य से नीचे चला गया है। इससे झील के जल के तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई।
- **ग्लेशियर: पिछले पांच दशकों** में **ग्लेशियरों** के द्रव्यमान में सर्वाधिक कमी आई है। अर्थात् वैश्विक स्तर पर पिछले पचास वर्षों में सर्वाधिक ग्लेशियर पिघले हैं।

5.3.2. राष्ट्रीय जल पुरस्कार {National Water Awards (NWA)}

हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति ने **नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार (NWA)** प्रदान किया।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** जल शक्ति मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** लोगों के बीच जल के महत्त्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- **यह पुरस्कार 9 श्रेणियां में दिया जाता है:** सर्वश्रेष्ठ **राज्य,** सर्वश्रेष्ठ **जिला,** सर्वश्रेष्ठ **ग्राम पंचायत,** सर्वश्रेष्ठ **शहरी स्थानीय निकाय (ULBs),** सर्वश्रेष्ठ **स्कूल/ कॉलेज,** सर्वश्रेष्ठ **उद्योग,** सर्वश्रेष्ठ **जल उपयोगकर्ता संघ,** सर्वश्रेष्ठ **संस्थान (स्कूल/ कॉलेज के अलावा),** और सर्वश्रेष्ठ **नागरिक समाज।**
- **ओडिशा** सर्वश्रेष्ठ राज्य है। **सूरत (गुजरात)** सर्वश्रेष्ठ ULB है।

5.3.3. CCPA ने "ग्रीनवाशिंग की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, जारी किए (Ccpa Notifies Guidelines for Preventing Greenwashing)

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने "ग्रीनवॉशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम एवं विनियमन के लिए दिशा-निर्देश, 2024" जारी किए।

- ये दिशा-निर्देश **भ्रामक विज्ञापन रोकथाम दिशा-निर्देश, 2022** की अगली कड़ी हैं और ये ग्रीनवाशिंग गतिविधियों पर रोक लगाते हैं।

दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

- **ग्रीनवॉशिंग की स्पष्ट परिभाषा:** ग्रीनवाशिंग से आशय ऐसी कोई भी भ्रामक या गुमराह करने वाली गतिविधि से है, जिसमें किसी उत्पाद के पर्यावरण अनुकूल होने के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर, अस्पष्ट, झूठे या निराधार दावे किए जाते हैं और सही तथ्य को जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया जाता है या नहीं बताया जाता है या छिपाया जाता है।

- **दिशा-निर्देश किन पर लागू होंगे:** निम्नलिखित द्वारा उत्पाद या सेवा के पर्यावरण अनुकूल होने के सभी दावे:
  - विनिर्माता, सेवा प्रदाता, उत्पाद के विक्रेता, विज्ञापनदाता, या कोई विज्ञापन एजेंसी या एंडोर्स करने वाले जिनकी सेवा किसी उत्पादों के विज्ञापन के लिए ली जाती है।
- **उत्पाद या सेवा के पर्यावरण अनुकूल होने के दावे की पुष्टि:**
  - उत्पाद या सेवा के बारे में उपभोक्ता की समझ में आने वाली भाषा का उपयोग करना होगा तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)[62] जैसी तकनीकी शब्दावलियों के अर्थ या प्रभाव का उल्लेख करना होगा।
  - पर्यावरण अनुकूल होने संबंधी दावों को **सत्यापन योग्य स्वतंत्र स्टडीज** और **थर्ड पार्टी द्वारा प्रमाणित** होना चाहिए। ये अध्ययन सर्व सुलभ होने चाहिए।
- **स्पष्ट उल्लेख करना (डिस्क्लोजर):**
  - विज्ञापनों या संचार माध्यमों से किए जाने पर्यावरण अनुकूल सभी दावों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। ऐसा प्रत्यक्ष रूप से या QR कोड या वेब लिंक जैसी तकनीकों के माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि उसकी आसानी से पुष्टि की जा सके।
  - पर्यावरण अनुकूल दावों में यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये दावें पूरी वस्तु या उसके किसी भाग या विनिर्माण प्रक्रिया या पैकेजिंग के लिए है।
  - पर्यावरण अनुकूल दावा के लिए केवल अनुकूल चुनिंदा डेटा प्रस्तुत करने से बचना चाहिए।
- **आकांक्षी या भविष्योन्मुखी दावे:** ऐसे दावे केवल तभी किए जा सकते हैं, जब स्पष्ट और कार्रवाई योग्य योजनाएं विकसित की गई हों तथा जिनमें बताया गया हो कि संबंधित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा।

5.3.4. एनवीस्टेट्स इंडिया 2024 (Envistats India 2024)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने "एनवीस्टेट्स इंडिया 2024: एनवायरनमेंट अकाउंट्स" का 7वां अंक जारी किया

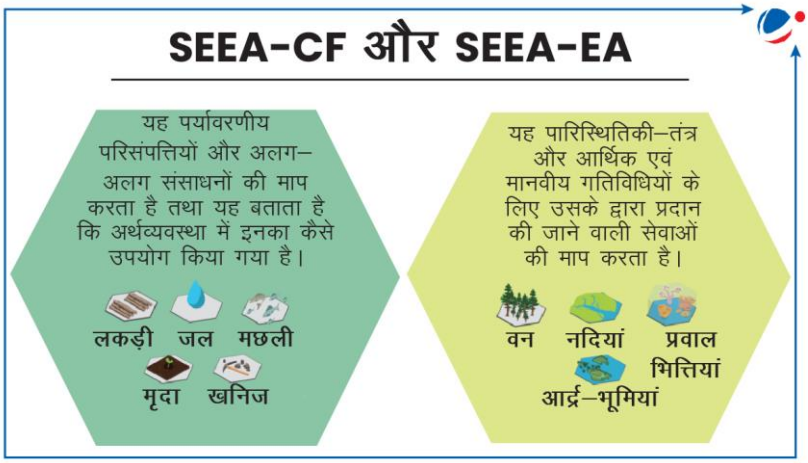

- एनवीस्टेट्स (पर्यावरण सांख्यिकी) को **पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA) फ्रेमवर्क के अनुसार संकलित** किया गया है।
- यह **पर्यावरण और समय के साथ व अलग-अलग स्थानों पर इसके सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा उन्हें प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों** के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- एनवीस्टेट्स (EnviStats) के सातवें अंक में **चार क्षेत्रकों** को शामिल किया गया है। **ये चार क्षेत्रक हैं- ऊर्जा लेखा, महासागर लेखा, मृदा पोषक तत्व सूचकांक और जैव विविधता।**

एनवीस्टेट्स इंडिया, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- भारत **एनर्जी ट्रांजिशन में विश्व में अग्रणी** देश बनकर उभरा है।
- वर्ष 2000 से 2023 की अवधि के दौरान **कुल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में लगभग 72 प्रतिशत और क्षेत्रफल में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
- 2013 से 2021 के दौरान **मैंग्रोव का कवरेज लगभग 8% बढ़ा** है।

एनवीस्टेट्स का महत्त्व

- यह प्राकृतिक संसाधनों के **संधारणीय प्रबंधन और दीर्घकालिक विकास** में सहायता करता है।
- यह **पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ आर्थिक संवृद्धि** को संतुलित करता है।
- **यह समृद्धि और प्रगति** को मापने के वैकल्पिक साधन प्रदान करता है। इसमें **GDP के साथ-साथ पर्यावरणीय संधारणीयता** पर भी ध्यान दिया जाता है।
- यह **डेटा के आधार पर नीति निर्माण** को बढ़ावा देता है।

[62] Environmental Impact Assessment

पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA) के बारे में

- यह **पर्यावरण आर्थिक लेखाओं** के संकलन के लिए एक सहमत अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है।
- यह **अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर्क्रिया के साथ-साथ पर्यावरणीय परिसंपत्तियों के स्टॉक एवं उनमें बदलाव** का भी वर्णन करता है।
- SEEA के दो पक्ष हैं- **SEEA-केंद्रीय फ्रेमवर्क (SEEA-CF) और SEEA-पारिस्थितिकी-तंत्र लेखांकन (SEEA-EA)** (इन्फोग्राफिक देखें)।

भारत में एनवायर्नमेंट अकाउंट्स

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को "भारत के लिए पर्यावरण सांख्यिकी और राष्ट्रीय संसाधन लेखांकन की कार्यप्रणाली के विकास"** का काम सौंपा गया है।
  - MoSPI ने **'स्ट्रेटेजी फॉर एनवायर्नमेंटल इकनॉमिक अकाउंट्स इन इंडिया: 2022-26'** जारी की।
- भारत ने **'प्राकृतिक पूंजी लेखांकन और पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन (Natural Capital Accounting and Valuation of Ecosystem services: NCAVES)'** में भी भाग लिया है।
  - NCAVES को **संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD) के सचिवालय द्वारा 2017** में लॉन्च किया गया था।
- **सर पार्थ दासगुप्ता समिति** की सिफारिशों पर **2018 में पहली बार एनवीस्टेट्स** जारी किए गए थे।

5.3.5. '2024 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट: फॉरेस्ट्स अंडर फायर' रिपोर्ट जारी की गई ('2024 Forest Declaration Assessment: Forests Under Fire' Report Released)

यह रिपोर्ट **व्यापक वन लक्ष्यों की निगरानी** पर केंद्रित है। इन व्यापक वन लक्ष्यों में **वनों की कटाई और वन क्षरण की समस्या का उन्मूलन करना; 2030 तक 30% निम्नीकृत वन क्षेत्र को पुनर्बहाल करना** आदि शामिल हैं।

- ये लक्ष्य न्यूयॉर्क **फॉरेस्ट डिक्लेरेशन (2014), ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन (2021), और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (2022) जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं** के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं।

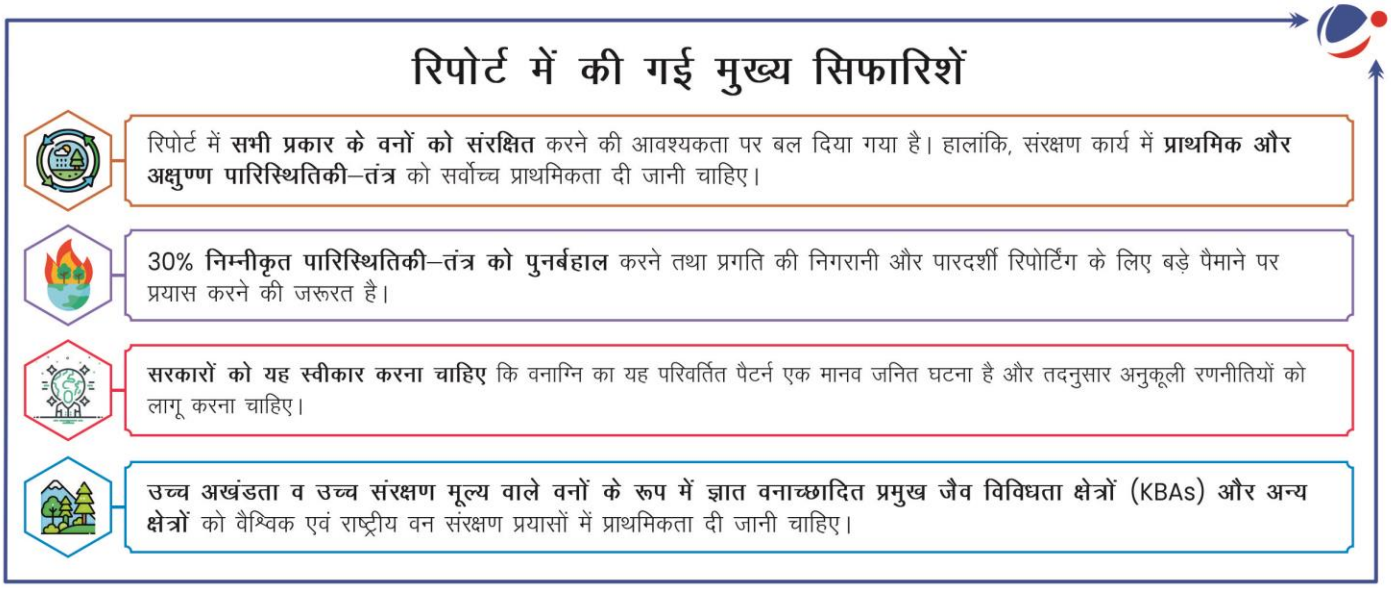

वैश्विक वन लक्ष्य और प्रगति

- **वनों की कटाई को रोकना:** इसके तहत **2030 तक वनों की कटाई को पूरी तरह से रोकने** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ध्यातव्य है कि 2023 में लगभग 6.37 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई की गई थी, जो निर्धारित लक्ष्य यानी **4.38 मिलियन हेक्टेयर से कहीं अधिक है।**

- **2023 में वनों की कटाई के कारण 3.8 बिलियन मीट्रिक टन CO2 समतुल्य कार्बन का उत्सर्जन** हुआ था। यह मात्रा **वनों की कटाई को चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बाद चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक** बनाती है।

- **वनाच्छादित प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों (KBAs) में वृक्ष आवरण के नुकसान को रोकना:** ध्यातव्य है कि 2023 में वनाच्छादित KBAs के भीतर 1.4 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन नष्ट हो गए थे।
- **वनाग्नि पर नियंत्रण:** हालिया वर्षों में वनाग्नि की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। 2001 से अब तक वनाग्नि से जितने क्षेत्र का नुकसान हुआ है, उसका लगभग एक तिहाई हिस्सा 2019-23 के बीच जला है।
- **2030 तक 30% निम्नीकृत और वनों की कटाई वाले भू-परिदृश्यों की पुनर्बहाली करना: बॉन चैलेंज के तहत 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनों की पुनर्बहाली का लक्ष्य** तय किया गया था। हालांकि, 2000-19 की अवधि तक केवल **26.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि (केवल 18%)** भूमि पर ही वन पुनर्बहाल किए जा सके हैं।

वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार कारक

- **वस्तुओं का उत्पादन:** पिछले दो दशकों में वैश्विक **वनों की कटाई के 57%** के लिए कृषि जिंस प्रमुख कारक रहे हैं।
- **प्राथमिक वनों की जगह कृषि कार्य करना:** इसकी वजह से **2015-23 की अवधि में 15.9 मिलियन हेक्टेयर प्राथमिक वनों का नुकसान** हुआ है।
- **खनन:** 2000-2019 के बीच, **उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन पारिस्थितिकी-तंत्र में खनन की मात्रा दोगुनी** हो गई है। इससे बड़ी मात्रा में वन क्षेत्रों का नुकसान हुआ है।

5.3.6. यूरोपीय संघ निर्वनीकरण विनियमन {European Union Deforestation Regulation (EUDR)}

यूरोपीय आयोग ने EUDR को लागू करने की तिथि को **एक वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव** किया है।

यूरोपीय संघ निर्वनीकरण विनियमन (EUDR) के बारे में

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि EU बाजार में आने वाली कुछ मुख्य **वस्तुएं अब EU और विश्व के अन्य हिस्सों में वनों की कटाई व वन क्षरण में योगदान नहीं** देती हैं।
- ये विनियम **पाम ऑयल, सोया, बीफ, कोको और लकड़ी सहित कई तरह के उत्पादों पर लागू** होते हैं।
- कंपनियों को **उत्पादों के स्रोत (Origin of the products) को सत्यापित करना** होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि **उन वस्तुओं का उत्पादन संधारणीय तरीके** से किया गया है।
- यह कानून **EU के बाजारों में निर्यात** करने वाले देशों के लिए **व्यापार बाधा** साबित हो सकता है।

5.3.7. जैव-विविधता क्रेडिट (Biodiversity Credits)

नागरिक समाज संगठनों के एक गठबंधन ने **जैव विविधता क्रेडिट (Biodiversity Credits) को बढ़ावा देने पर चिंता** जताई है।

जैव विविधता क्रेडिट के बारे में

- **परिभाषा:** यह एक प्रकार का **आर्थिक साधन या इंस्ट्रूमेंट** है। इसके जरिए **निजी कंपनियां वन संरक्षण या वन पुनर्बहाली जैसी गतिविधियों को वित्त-पोषित** कर सकती हैं।
- **उद्देश्य:** प्रकृति और जैव विविधता पर **निवल सकारात्मक प्रभाव** डालना।
- जहां **जैव विविधता ऑफसेट** में प्रकृति पर कंपनियों की गतिविधियों के नकारात्मक और अपरिहार्य प्रभावों की भरपाई की जाती है, वहीं **जैव विविधता क्रेडिट इससे कहीं आगे जाकर सकारात्मक गतिविधियों को भी वित्त-पोषण** प्रदान करता है।
- **कार्यप्रणाली:**
  - भूमि को संरक्षित या पुनर्बहाल करने का लक्ष्य रखने वाले हितधारक **क्रेडिट या "सर्टिफिकेट"** जारी करते हैं।
  - **निजी कंपनियां** जैव विविधता या प्रकृति से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इन **क्रेडिट्स को खरीदती हैं।**

5.3.8. ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका (Greening of Antarctica)

जलवायु संकट के कारण **अंटार्कटिक प्रायद्वीप में वृक्ष आवरण में वृद्धि** हो रही है।

अंटार्कटिका की ग्रीनिंग के बारे में:

- इसका आशय **अंटार्कटिका में वनस्पति आवरण में वृद्धि** से है। उदाहरण के लिए- इस क्षेत्र में अत्यधिक हीट वेव्स के कारण **बर्फ और अनावृत चट्टानों पर काई** जम गई है।
    - इस क्षेत्र में दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में **ग्लोबल वार्मिंग का असर** ज्यादा तेजी पड़ रहा है। **2016 और 2021** के बीच इसमें सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है।
- **1986 से 2021 के बीच अंटार्कटिका में वनस्पति का दस गुना से अधिक विस्तार** हुआ है।
- **प्रभाव:**
    - **आक्रामक प्रजातियां:** ग्रीनिंग से **आक्रामक प्रजातियों का खतरा** बढ़ सकता है और स्थानीय जीवों को नुकसान पहुंच सकता है।
- **बिगड़ता जलवायु प्रभाव:** इससे **महाद्वीप की सूर्य के प्रकाश को परावर्तित (एल्बिडो) करने की क्षमता** कम हो जाएगी। इससे जलवायु प्रभाव बिगड़ जाएगा।

5.3.9. IGP क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए समन्वय समिति (Coordination Committee for Air Quality Management in IGP Region)

केंद्र सरकार ने **इंडो-गंगेटिक यानी सिंधु-गंगा के मैदानी (IGP) क्षेत्र** में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है।

- दस सदस्यीय यह समिति **बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल** में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए व्यापक शमन उपायों पर कार्य करेगी।
    - गौरतलब है कि विशिष्ट भौगोलिक दशाओं और अन्य मौसमी दशाओं के कारण, **उपर्युक्त राज्यों में वायु प्रदूषण का आधारभूत स्तर सामान्य से अधिक** रहता है। अत: इन राज्यों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए **क्षेत्रीय एयरशेड प्रबंधन** की आवश्यकता होती है।
- समन्वय समिति को **IGP क्षेत्रीय एयरशेड प्रबंधन योजना** विकसित करने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य कार्य-योजनाओं को एकीकृत करने का काम सौंपा गया है।

5.3.10. प्रधान मंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana)

केंद्र सरकार ने 'प्रधान मंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के 'अभिनव परियोजना' घटक के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए।

- केंद्रीय **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अभिनव परियोजनाओं (Innovative Projects) के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश** अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य **रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, व्यवसाय मॉडल और एकीकरण तकनीकों में प्रगति** को प्रोत्साहित करना है।
- इससे पहले **मॉडल सोलर विलेज** जैसे अन्य उप-घटकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

'अभिनव परियोजना' घटक के बारे में

- **उद्देश्य:** नई अवधारणाओं के विकास में **स्टार्ट-अप्स, संस्थानों और उद्योगों का समर्थन** करना। इन अवधारणाओं में **ब्लॉकचेन-आधारित पीयर-टू-पीयर सोलर ट्रेडिंग जैसी नई तकनीकों पर ध्यान** केंद्रित किया जाएगा।

- **पात्रता/ लक्षित समूह:** संयुक्त अनुसंधान और डिजाइन में शामिल कोई भी संस्था या व्यक्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
- **योजना अवधि:** परियोजना की अधिकतम अवधि **18 महीने** होगी।
- **वित्त-पोषण:** रूफटॉप सोलर तकनीक में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए **500 करोड़ रुपये।**
  - **परियोजनाओं के लिए वित्त-पोषण का तरीका:** परियोजना लागत का **60% या 30 करोड़ रुपये (जो भी कम हो)** तक की वित्तीय सहायता।
- **योजना कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE)।

5.3.11. वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 (World Energy Outlook 2024)

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, 2024 जारी किया।

आउटलुक के मुख्य बिन्दुओं पर एक नजर

- **भू-राजनीतिक तनाव और विखंडन** ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष प्रमुख जोखिम हैं।
- वर्तमान में वैश्विक स्तर पर **तेल और LNG आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य** से होकर गुजरता है। यह जलडमरूमध्य **मध्य पूर्व में एक समुद्री चोकपॉइंट** है।
- **स्वच्छ ऊर्जा** अभूतपूर्व दर से ऊर्जा प्रणाली में शामिल हो रही है। **2023 में 560 गीगावाट (GW) से अधिक** की नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जुड़ी है।
- **2030** से पहले दुनिया की आधी से अधिक बिजली कम उत्सर्जन करने वाले स्रोतों से उत्पन्न होगी।

5.3.12. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब {International Energy Efficiency Hub (IEEH)}

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **भारत को IEEH में शामिल होने के लिए आशय-पत्र पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी** दे दी है।

- **भारत की ओर से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** को IEEH के लिए **कार्यान्वयन एजेंसी** के रूप में नामित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब (IEEH) के बारे में:

- **उत्पत्ति:** इसे **2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी (IPEEC) के उत्तराधिकारी** के रूप में स्थापित किया गया था। IPEEC में भारत भी एक सदस्य था।
- **सौंपे गए कार्य:** यह एक **वैश्विक मंच है,** जो विश्व भर में सहयोग को बेहतर करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है।

5.3.13. ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स (GFC) फंड {Global Framework on Chemicals (GFC) Fund}

GFC फंड ने **रसायनों और अपशिष्ट के सुरक्षित एवं सतत प्रबंधन को लक्षित** करने के लिए अपना पहला प्रोजेक्ट कॉल लॉन्च किया है।

GFC फंड के बारे में

- इस **फंड की स्थापना 2023 में बॉन (जर्मनी) में रसायन प्रबंधन पर पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICCM5)** के दौरान की गई थी।
- GFC फंड का **कार्यकारी बोर्ड** इसके कामकाज की देखरेख करता है और परिचालन संबंधी सभी निर्णय लेता है। **इस बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र से 2 राष्ट्रीय प्रतिनिधि; तथा**
  - **सभी दाताओं और योगदानकर्ताओं** के प्रतिनिधि।
- GFC मौजूदा वित्तीय तंत्रों, जैसे- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)** आदि तथा जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने वाले फंड्स का पूरक है।
- **उद्देश्य:**
  - अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों और अपशिष्टों सहित रसायनों के समाधान में **लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) तथा निम्न और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन** करना।

- मध्यम स्तर की ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, जो **रसायनों और अपशिष्ट प्रबंधन की राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत** करती हों।

- **वित्तीय सहायता:** चयनित परियोजनाओं को **रसायनों और अपशिष्ट से होने वाले नुकसान को कम करने तथा पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तीन वर्षों तक 300,000 से 800,000 अमेरिकी डॉलर** तक दिए जाते है।
  - **स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त-पोषण** प्रदान किया जाता है।

GFC के बारे में (ICCM5 में अपनाया गया बॉन घोषणा-पत्र)

- यह एक **बहु-क्षेत्रक समझौता** है। इसके तहत **28 लक्ष्यों** का एक सेट तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य **रसायनों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना तथा 2035 तक कृषि में अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को खत्म करना है। साथ ही, रसायनों और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या का समाधान** करना भी इसका उद्देश्य है।

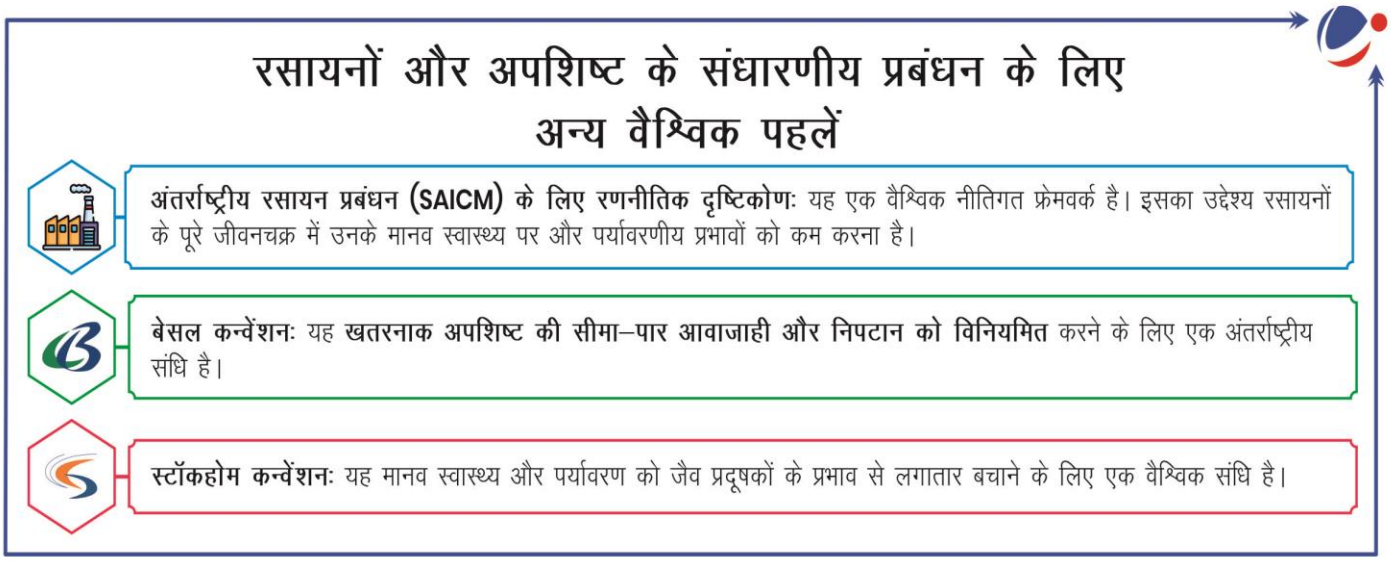

5.3.14. इकोमार्क नियम, 2024 (Ecomark Rules, 2024)

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इकोमार्क नियम, 2024 अधिसूचित किए।

- इकोमार्क लेबलिंग प्रणाली **खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक्स** जैसी श्रेणियों में **पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा** देगी।
- यह प्रणाली **LiFE / लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) के सिद्धांत के अनुरूप** है। यह **संधारणीयता और संसाधनों के दक्षतापूर्वक उपयोग** पर ध्यान केंद्रित करेगी।

अधिसूचित नियमों पर एक नजर

- **इकोमार्क लेबलिंग देने हेतु मानदंड:** ऐसे उत्पाद जिनके पास **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम के तहत भारतीय मानकों के अनुरूप लाइसेंस या प्रमाण-पत्र है और/ या गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का मैंडेट** है। साथ ही, जो इकोमार्क नियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों।
  - नियमों के अनुसार, इकोमार्क उन उत्पादों को भी दिया जा सकता है, जो **संसाधन उपभोग और पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में पर्यावरण संबंधी निर्धारित मानदंडों को पूरा** करते हैं।
- **आवेदन प्रक्रिया:** विनिर्माताओं को **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** के माध्यम से इकोमार्क के लिए आवेदन करना होगा।
- **इकोमार्क लेबलिंग मार्क के उपयोग की अवधि:** यह मार्क **तीन साल** के लिए वैध होगा।
- **निरीक्षण और कार्यान्वयन:** यह कार्य केंद्रीय **पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली संचालन समिति** करेगी।

इकोमार्क लेबलिंग का महत्त्व

- यह उपभोक्ताओं को उत्पाद के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी के आधार पर **खरीद संबंधी निर्णय लेने में मदद** करेगी। साथ ही, यह विनिर्माताओं को अपने **उत्पादों को पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित भी** करेगी।

- यह **सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा** देगी और उत्पादों के **पर्यावरण अनुकूल होने के भ्रामक दावों पर रोक** लगाएगी।
- यह **कम ऊर्जा खपत, संसाधन दक्षता और संरक्षण** को बढ़ावा देगी।

भारत में पर्यावरण प्रमाणन की अन्य योजनाएं

- **भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना (IFWCS) शुरू की गई है।**
  - यह देश में **संधारणीय वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा** देने के लिए शुरू की गई है। यह **स्वैच्छिक थर्ड पार्टी प्रमाणन** का प्रावधान करती है।
  - इसमें **वन प्रबंधन प्रमाणन, वन के बाहर वृक्ष प्रबंधन प्रमाणन और कस्टडी प्रमाणन श्रृंखला** शामिल हैं।
  - यह उन संस्थाओं को **बाजार आधारित प्रोत्साहन** प्रदान करती है, जो अपनी गतिविधियों में **जिम्मेदार वन प्रबंधन और कृषि वानिकी पद्धतियों** को अपनाती हैं।

LIFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #92: पर्यावरण के लिए जीवनशैली: लापरवाह उपभोक्ता से जिम्मेदार नागरिक में रूपांतरण

5.3.15. IUCN ने "एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की (IUCN Report on Agriculture And Conservation)

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने "एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन" शीर्षक से एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी की। IUCN की इस फ्लैगशिप रिपोर्ट में **कृषि और संरक्षण के बीच जटिल संबंधों** पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है।

जैव विविधता पर कृषि का प्रभाव

- **नकारात्मक प्रभाव**
  - कृषि सीधे तौर पर **IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल 34% प्रजातियों को खतरे** में डालती है।
  - कृषि से होने वाले प्रत्यक्ष खतरों में **प्राकृतिक पर्यावासों को फसल, चारागाह, वृक्षारोपण और सिंचित भूमियों** में बदलना शामिल है।
  - **आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश, पोषक तत्वों के भार, मृदा अपरदन, कृषि रसायनों और जलवायु परिवर्तन** के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
- **सकारात्मक प्रभाव:** IUCN की लाल सूची में शामिल लगभग **17% प्रजातियों के पर्यावास के रूप में कृषि भूमि** को दर्ज किया गया है।

कृषि पर जैव विविधता का प्रभाव

- **सकारात्मक प्रभाव:** पारिस्थितिकी-तंत्र निम्नलिखित दो मुख्य श्रेणियों के माध्यम से कृषि में सहायता प्रदान करता है:
  - **प्रोविजनिंग संबंधी सेवाएं** यानी बायोमास और आनुवंशिक पदार्थ का उत्पादन; तथा
  - **विनियमन और रख-रखाव सेवाएं** यानी जलवायु विनियमन, तलछट प्रतिधारण, पोषक चक्रण, जल प्रवाह विनियमन, परागण आदि।
- **नकारात्मक प्रभाव:** पारिस्थितिकी-तंत्र की हानि जैसे फसल हानि, कीट और रोगजनकों का प्रकोप आदि।

5.3.16. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (Living Planet Report)

हाल ही में, **विश्व वन्यजीव कोष (WWF)** ने अपनी **द्विवार्षिक** 'लिविंग प्लैनेट' रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी किया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **जैव विविधता हानि: पिछले 50 वर्षों (1970-2020) में वन्यजीव आबादी में 73% की गिरावट** आई है।
  - **ताजा जल में रहने वाले जीवों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट** आई है। उसके बाद **स्थलीय और समुद्री जीवों** की आबादी में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है।
- **गिरावट के कारण:** पर्यावास क्षति, निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियां आदि।
- **भारत संबंधी निष्कर्ष**
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि **यदि दुनिया भारत के उपभोग पैटर्न को अपना** लेती है, तो **2050 तक एक से भी कम पृथ्वी की आवश्यकता** होगी।
  - रिपोर्ट में **आंध्र प्रदेश समुदाय-प्रबंधित प्राकृतिक खेती (APCNF)** को प्रकृति-अनुकूल खाद्य उत्पादन के सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का एक बेहतरीन उदाहरण माना गया है।
  - रिपोर्ट में **भारत के मिलेट्स मिशन** की सराहना की गई है।

5.3.17. कैमूर वन्यजीव अभयारण्य {Kaimur Wildlife Sanctuary (KWS)}

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य (KWS) को **वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित** करने को स्वीकृति प्रदान की है।

- **NTCA वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है ।

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य (KWS) के बारे में

- **अवस्थिति:** यह **सोन** नदी (दक्षिण) और **कर्मनाशा** नदी (पश्चिम) के बीच **कैमूर पहाड़ी पठार** पर अवस्थित है।
  - यह **मध्य उच्चभूमि और छोटा नागपुर पठार** तक फैला हुआ है। मध्य उच्चभूमि में **सतपुड़ा-मैकाल पहाड़ियां और विंध्य-बघेलखंड** पहाड़ियां शामिल हैं।
  - यह **बांधवगढ़-संजय-गुरु घासीदास-पलामू बाघ भू-परिदृश्य** से जुड़ा हुआ है।
- **जीव-जंतु:** तेंदुआ, जंगली सूअर, भालू, आदि।
- **वनस्पति:** उत्तरी उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन।

5.3.18. भारतीय जंगली गधा (Indian Wild Ass)

गुजरात वन विभाग ने 10वीं बार भारतीय जंगली गधे की आबादी का सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण में भारतीय जंगली गधों की आबादी में **26.14% की वृद्धि** दर्ज की गई है। ध्यातव्य है कि 2020 में इनकी आबादी 6,082 थी, जो 2024 में बढ़कर **7,672** हो गई है।

भारतीय जंगली गधे (इक्वस हेमिओनस खुर) के बारे में

- **इसके बारे में:** यह **एशियाई जंगली गधे की पांच उप-प्रजातियों** में से एक है। इसे **'घुड़खुर'** भी कहा जाता है।
- **पर्यावास:** उत्तर-पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप का शुष्क क्षेत्र। वर्तमान में ये केवल **गुजरात के लिटिल रण ऑफ कच्छ (LRK)** तक ही सीमित हैं।
- **व्यवहार संबंधी विशेषताएं:** यह एकांत और शर्मिला जीव है। अपने पर्यावास में यह कम घनत्व में पाया जाता है।
  - वयस्क नर गधों के दोनों कानों के बीच बालों का एक गुच्छा होता है, जो सींग जैसे लगता है। इनका पसंदीदा भोजन पोषक तत्वों से भरपूर **चारा** है।

संरक्षण की स्थिति:

- **IUCN की लाल सूची:** नियर थ्रीटेंड

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I में सूचीबद्ध
- **साइट्स/ CITES:** परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध

5.3.19. नील बेसिन (Nile Basin)

हाल ही में, **मिस्र** के व्यापक विरोध के बावजूद **नील नदी बेसिन के जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग पर संपन्न समझौता** लागू हो गया है।

नील बेसिन के बारे में

- नील नदी **विश्व की सबसे लम्बी नदी है।** इसका **जल अपवाह क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के भूभाग का लगभग 10% है।**
- यह नदी **दक्षिण से उत्तर तक 11 देशों** से होकर बहती है।
- **इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं:**
  - **श्वेत नील:** यह **बुरुंडी और रवांडा** से निकलती है; और
  - **नीली नील:** यह **इथियोपिया** से निकलती है।
- **अन्य सहायक नदियां:** सोबत, अटबारा, बहर अल ग़ज़ल, आदि।

5.3.20. ज्वालामुखी उद्गार और आयनमंडलीय विक्षोभ (Volcanic Eruption & Ionospheric Disturbances)

भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने **अंतरिक्ष के मौसम को आकार देने में ज्वालामुखी की भूमिका** के बारे में पता लगाया है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **आयनमंडलीय विक्षोभ:** ज्वालामुखी उद्गार से प्रबल **वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगें** उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें **इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स (EPBs)** के निर्माण को सक्रिय करती हैं।
  - EPBs आमतौर पर भूमध्यरेखीय आयनमंडल (Equatorial ionosphere) में देखे जाते हैं और आयनमंडलीय प्लाज्मा घनत्व में होने वाली कमी को दर्शाते हैं। ये मुख्य रूप से सूर्यास्त के बाद की अवधि में बनते हैं।
- **उपग्रह के माध्यम से संचार और नेविगेशन सिस्टम पर प्रभाव:** उत्पन्न EPBs उपग्रह-आधारित संचार तथा प्रौद्योगिकियों को प्रभावित कर सकते हैं।

ज्वालामुखी और इसके प्रभाव

- ज्वालामुखी **भू-पर्पटी में एक छिद्र** है, जिसके माध्यम से **लावा, राख और गैसें** निकलती हैं। हालिया ज्वालामुखी घटनाओं में **माउंट रुआंग (इंडोनेशिया, 2024), व्हाकारी/ व्हाइट आइलैंड (न्यूजीलैंड, 2024),** आदि शामिल हैं।
- **ज्वालामुखी गतिविधियों के सकारात्मक प्रभाव**
  - **लघु अवधि तक पृथ्वी के वायुमंडल का शीतलन:** ज्वालामुखियों से निकलने वाले कण सौर विकिरण को रोक कर पृथ्वी को अस्थायी रूप से ठंडा कर सकते हैं।
  - **भूतापीय ऊर्जा के स्रोत:** स्थानीय लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान की जा सकती है।
  - ज्वालामुखी राख को मृदा में मिलाने से मृदा की **उर्वरता में सुधार** होता है।
  - यह खनन के अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि **मैग्मा सतह पर मूल्यवान खनिज** लाता है।
  - **अन्य:** पर्यटन की संभावना; राख मृदा के उर्वरक के रूप में कार्य करती है, आदि।
- **ज्वालामुखी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव**
  - **जलवायु पर प्रभाव:** धूल, राख और अन्य गैसें वायुमंडल में विमुक्त होती हैं।
  - **ये सुनामी जैसी आपदाओं को जन्म देती हैं:** उदाहरण के लिए, 2022 का टोंगा उद्गार।
  - **अन्य:** जीवन, संपत्ति, आवास और भू-परिदृश्य को नुकसान पहुंचता है।

5.3.21. लिपुलेख दर्रा (Lipulekh Pass)

तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने **पुराने लिपुलेख दर्रे से कैलाश पर्वत** के दर्शन किए।

- इससे पहले, तीर्थयात्रियों को कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए **तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR)** से होकर यात्रा करनी पड़ती थी।

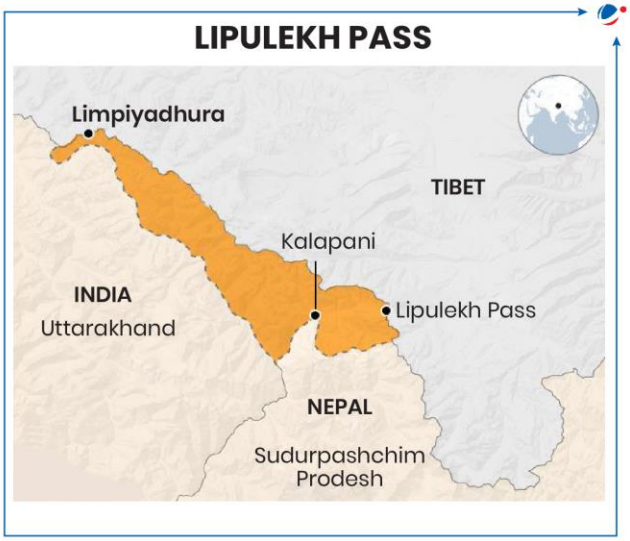

लिपुलेख दर्रे के बारे में

- **अवस्थिति:** यह एक **महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दर्रा** है। यह **कालापानी घाटी के ऊपर** स्थित है। यह दर्रा **भारत, नेपाल और TAR (चीन)** के बीच ट्राई-जंक्शन बनाता है।
    - यह दर्रा **व्यास घाटी (पिथौरागढ़ जिला, उत्तराखंड)** में अवस्थित है। यहां **भूटिया लोग** रहते हैं।
- **महत्त्व:** यह प्राचीन **व्यापार और तीर्थयात्रा** मार्ग है।
    - चीनी घुसपैठ के भय से भारत ने 1962 में इसे बंद कर दिया था। यद्यपि 2020 में सरकार ने इसे फिर से खोल दिया था।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

 ©Vision IAS

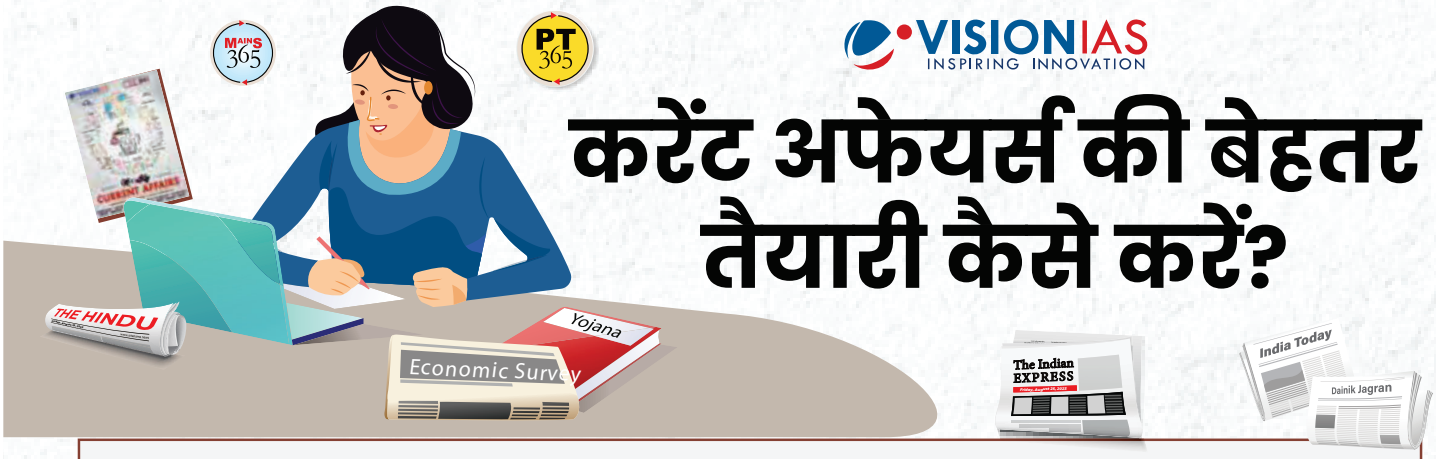

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

Vision IAS का त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health Among Adolescents)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) और UNICEF (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) ने **"बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य - सेवा मार्गदर्शन[63]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट **प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर** को मनाए जाने वाले **'विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस'** के अवसर पर प्रकाशित की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- रिपोर्ट के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी **एक तिहाई समस्याएं 14 वर्ष की आयु से पहले तथा आधी समस्याएं 18 वर्ष की आयु से पहले** लोगों में दिखने लगती हैं।
- एक अनुमान के अनुसार **10-19 वर्ष की आयु के 15% किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं** पाई गई हैं। इनमें सबसे आम **एंग्जायटी, अवसाद और व्यवहार संबंधी विकार हैं।**
- **15-19 वर्ष की आयु के किशोरों में मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण आत्महत्या है।**

मानसिक स्वास्थ्य क्या है?

- WHO के अनुसार, यह एक ऐसी **"आरोग्यता की स्थिति"** को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादकतापूर्ण व प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है।
- **अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का प्रभाव:**
  - अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण जीवनभर के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इससे व्यक्ति के शैक्षणिक प्रदर्शन, रिश्ते-नातों और भविष्य के रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, ये स्थितियां कभी-कभी मादक पदार्थों के सेवन या आत्महत्या की ओर भी ले जा सकती हैं।

किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के निर्धारक

- **तात्कालिक कारण/ बार-बार प्रभाव डालने वाले कारक:** किशोरों के बीच यह वित्तीय हानि, अचानक से आने वाले दुःख, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट और जीवन में आने वाली प्रतिकूलता (जैसे- परीक्षा में असफलता या सार्वजनिक तौर पर अपमान) के कारण उत्पन्न हो सकती है। **उदाहरण के लिए-** IIT इंस्टीट्यूट और कोटा के कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या की घटनाएं।
- **सोशल मीडिया का प्रभाव:** वर्ष 2018 में ब्रिटेन में किए गए एक **अध्ययन में पाया गया कि सोशल मीडिया का उपयोग नींद में कमी, बाधा और देरी से संबंधित है।** नींद में आने वाली कमी अवसाद, स्मृति हानि और खराब शैक्षणिक प्रदर्शन से जुड़ी हुई है।
  - **साइबर बुलिंग: ऑनलाइन उत्पीड़न** भी अवसाद संबंधी लक्षणों, आत्महत्या के विचार और आत्महत्या के प्रयासों से जुड़ा है।
- **सामाजिक अलगाव और अकेलापन:** किशोरावस्था के दौरान परिवार के साथ अस्वस्थ संबंध, हार्मोनल परिवर्तन, मादक पदार्थों का सेवन और लैंगिक पहचान से जुड़े मुद्दे भी मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं।
- **पूर्वनिर्धारित जैविक कारक:**
  - **आनुवंशिक प्रवृत्तियां,** जैसे- जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन और आत्महत्या का पारिवारिक इतिहास भी मस्तिष्क के कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करके आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।
  - **लैंगिक अंतराल:** विशेष रूप से कम सामाजिक समर्थन वाली लड़कियों और युवाओं को सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता है।

[63]Mental health of children and young people - Service guidance

- दिव्यांगता और कुछ गंभीर बीमारियों के साथ-साथ आवेगशीलता जैसे कुछ व्यक्तित्व संबंधी लक्षण भी अलगाव, तनाव और अवसाद की भावनाओं को बढ़ाकर आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।

- **किशोरों के मानसिक कल्याण के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें:**
  - **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** यह अधिनियम मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें बढ़ावा देता है। इसके अलावा, यह मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा उपचार तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच भी सुनिश्चित करता है।
  - **'राज्यों में टेली-मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग' (टेली-मानस/ Tele-MANAS):** यह एक 24x7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवा है, जो कई भाषाओं में परामर्श (Counseling), मनोचिकित्सा (Psychotherapy) और रेफरल सेवाएं प्रदान करती है।
  - **मनोदर्पण (MANODARPAN):** शिक्षा मंत्रालय ने "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत कोविड-19 के दौरान इस पहल को शुरू किया था। इसे छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
  - **साथी कार्यक्रम (SAATHI Program):** केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कार्यशालाओं और ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए "साथी" कार्यक्रम शुरू किया है।
- **किशोरों के बीच मानसिक कल्याण के लिए वैश्विक पहलें:**
  - **हेल्पिंग एडोलसेंट्स थ्राइव (HAT) पहल:** यह किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को मजबूत करने हेतु WHO तथा यूनिसेफ का एक संयुक्त प्रयास है।
  - **मानसिक स्वास्थ्य अंतर कार्रवाई कार्यक्रम (mhGAP):** इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2008 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर मानसिक विकारों के बड़े बोझ को दूर करने के लिए उपलब्ध और आवश्यक संसाधनों के बीच व्यापक अंतर को कम करना है।
  - **युवा मानसिक स्वास्थ्य के लिए वैश्विक गठबंधन (UNICEF):** इस पहल को 2022 में शुरू किया गया था। यह पहल युवाओं में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करती है।
    - ज्ञातव्य है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर **सरकारों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल खर्च का केवल 2.1% ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवंटित** किया जाता है।

आगे की राह

- **मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना:** इससे किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और रोकथाम को बढ़ावा देने में सहायता मिल सकती है। इसके साथ ही, यह सामान्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का शीघ्र पता लगाने और देखभाल में सहायता कर सकती है।
    - **उदाहरण के लिए,** नाइजीरिया में प्रशिक्षित सामुदायिक मनोरोग नर्सें सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में बाह्य रोगी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं।

- **समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं डिजाइन करना:**
    - **सेवाओं का नेटवर्क:** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं (उदाहरण के लिए, प्राथमिक देखभाल) के अंतर्गत एकीकृत किया जाना चाहिए और समुदाय-विशिष्ट केंद्रों द्वारा अनुपूरित होना चाहिए। साथ ही, यह स्वास्थ्य क्षेत्र के बाहर की सेवाओं जैसे स्कूलों और युवा केंद्रों द्वारा समर्थित होना चाहिए।
- **प्रारंभिक हस्तक्षेप:** किशोरावस्था और प्रारंभिक युवावस्था में उभरने वाली विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए, शीघ्र पहचान तथा साक्ष्य-आधारित देखभाल आवश्यक है। **उदाहरण के लिए, मनोविकृति, भोजन विकार आदि।**
    - **चेन्नई स्थित सिज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन** फर्स्ट-एपिसोड सायकोसिस के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रदान करता है।
- **डिजिटल हस्तक्षेप:** मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने या समर्थन करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है।
    - **उदाहरण के लिए,** WHO की चैटबॉट-आधारित **"किशोरों और युवाओं में तनाव कम करने के लिए सतत तकनीक** (STARS)[64]" पहल।

6.2. भारत में बाल विवाह (Child Marriage in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने गैर-सरकारी संगठन **'सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन'** द्वारा दायर एक याचिका में बाल विवाह पर रोक के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए।

भारत में बाल विवाह की स्थिति (NFHS-5)

- 20-24 वर्ष की आयु की **23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले** हुई है।
- 25-29 वर्ष की आयु के **17.7% पुरुषों की शादी 21 वर्ष की आयु से पहले** हुई है।

[64] Sustainable Technology for Adolescents and Youth to Reduce Stress

- 2006 में बाल विवाह का प्रचलन **47% था, जो 2019-21 में लगभग आधा होकर 23.3%** हो गया है।
- **आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल** में बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत दर्ज मामलों की संख्या** 2017 के 395 से बढ़कर 2021 में 1050 हो गई थी।

भारत में बाल विवाह के प्रचलन के लिए जिम्मेदार कारक

- **गरीबी और संसाधनों की कमी:** वित्तीय बोझ, विशेषकर दहेज को कम करने के लिए परिवार अक्सर बेटियों की शादी जल्दी कर देते हैं और लड़कियों को आर्थिक देनदारी के रूप में देखते हैं।
- **गहरी जड़ें जमा चुकी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताएं:** रूढ़िवादी समाजों में, बाल विवाह को पारिवारिक सम्मान को बनाए रखने, कौमार्य सुनिश्चित करने और लड़कियों को विवाह पूर्व यौन संबंधों से बचाने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।
  - पारंपरिक, धार्मिक, जड़े जमा चुके रीति-रिवाज और बाल विवाह की सामाजिक स्वीकृति बाल विवाह की व्यापकता के मुख्य कारण हैं।
- **पितृसत्तात्मकता और लैंगिक असमानता:** लड़कियों को परिवार पर बोझ के रूप में देखा जाता है और कम उम्र में अपनी बेटी की शादी करना इस 'बोझ' को उसके पति के परिवार पर स्थानांतरित करके आर्थिक कठिनाई को कम करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।
- **लड़कियों की शिक्षा को कम महत्त्व देना:** लड़कियों की शिक्षा में निवेश को कमतर आंका जाता है। खराब शैक्षिक अवसर के कारण बच्चे विवाह का विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वैकल्पिक आकांक्षाएं कम हो जाती हैं।
- **सुरक्षा और संरक्षा का भय:** कई माता-पिता महसूस करते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी जल्दी शादी करना उनके हित में है। ऐसा विशेषकर उन स्थितियों में किया जाता है, जहां लड़कियों को उत्पीड़न और शारीरिक या यौन उत्पीड़न का अधिक खतरा होता है।
- **कानूनी और प्रवर्तन अंतराल:** कमजोर कानून प्रवर्तन, जागरूकता की कमी और विशेष रूप से ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त निगरानी के कारण बाल विवाह का जोखिम बना रहता है। जैसे- बाल विवाह के मामलों में दोषसिद्धि और रिपोर्टिंग बेहद कम होती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **'बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006' का प्रवर्तन:** यह 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकार को बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) नियुक्त करने के लिए अधिकृत करती है।

- **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** इसमें उन बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं, जिनकी विवाह की उम्र होने से पहले ही विवाह करा दिए जाने का खतरा है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (2015):** यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना और पुत्र-प्रधान रीति-रिवाजों को चुनौती देना है। इसमें बालिकाओं के जन्म पर उत्सव मनाने, सुकन्या समृद्धि खातों को बालिकाओं के जन्म से जोड़ने और बाल विवाह को रोकने के घटक शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR):** यह आयोग बाल विवाह के मुद्दे पर बाल कल्याण समितियों (CWC), पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों जैसे हितधारकों के साथ विविध गतिविधियां संचालित करता है।
- **बाल विवाह को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:** यह एक व्यापक रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य उन लड़कियों को सहायता प्रदान करना है, जिनका कम उम्र में विवाह होने का खतरा है। इसमें बेहतर डेटा संग्रह, जागरूकता कार्यक्रम और राज्य एवं स्थानीय सरकारों के बीच मजबूत समन्वय शामिल है।
- **आपातकालीन आउटरीच सेवाएं:** भारत सरकार ने शॉर्ट कोड 1098 के साथ चाइल्डलाइन की शुरुआत की है। यह बाल विवाह की रोकथाम सहित संकटग्रस्त बच्चों के लिए 24x7 टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा है।
- **यूनिसेफ और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के साथ राज्य सरकारों की साझेदारी:** उदाहरण के लिए, यूनिसेफ द्वारा बिहार में बाल विवाह पर स्थानीय धार्मिक गुरुओं तथा कथावाचकों का क्षमता निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, ग्रामीण स्तर पर द्वार दूत के रूप में कार्य करने के लिए युवाचार्यों का एक समूह तैयार किया जा रहा है।

आगे की राह

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए विविध घटकों को शामिल करते हुए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं:

- **कानून प्रवर्तन: जिला स्तर पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) द्वारा CMPOs की नियुक्ति और जवाबदेही सुनिश्चित करना।** इन अधिकारियों पर ऐसे अतिरिक्त कार्यभार का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए, जो बाल विवाह को रोकने हेतु उनके ध्यान को बाधित करे।
  - **बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर** कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
  - **एक विशेष पुलिस इकाई और विशेष बाल विवाह निषेध इकाई की स्थापना** की जानी चाहिए।
- **न्यायिक उपाय:** बाल विवाह को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार देना चाहिए।
  - बाल विवाह के मामलों के लिए **विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन** पर विचार करना चाहिए।
  - लापरवाही करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ अनिवार्य कार्रवाई करनी चाहिए।
- **सामुदायिक भागीदारी:** स्वच्छ भारत मिशन के तहत "खुले में शौच मुक्त गांव" की तर्ज पर **बाल विवाह मुक्त गांव पहल** को अपनाना चाहिए। साथ ही, गांवों और ग्राम पंचायतों को **"बाल विवाह मुक्त"** प्रमाण-पत्र प्रदान करने चाहिए।
- **जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण: स्कूल पाठ्यक्रम में व्यापक यौन शिक्षा और अधिकारों** को शामिल करना चाहिए।
  - सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, शिक्षकों तथा कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और NALSA द्वारा **बाल विवाह के लिए एक केंद्रीकृत रिपोर्टिंग पोर्टल** की स्थापना करनी चाहिए।
  - **बाल विवाह के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाल विवाह के खिलाफ जानकारी प्रसारित करनी चाहिए।**
  - त्वरित हस्तक्षेप के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और पैटर्न की पहचान करने के लिए डेटा का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- **फंडिंग और संसाधन:** प्रत्येक राज्य के लिए बाल विवाह रोकने के उद्देश्य के प्रति समर्पित वार्षिक बजट आवंटित किया जाना चाहिए।
  - **किशोर न्याय अधिनियम की धारा 105 के तहत स्थापित किशोर न्याय कोष** का संस्थानीकरण किया जाना चाहिए।

बाल अधिकारों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #70: बाल अधिकारों का संरक्षण: एक अधूरा एजेंडा

6.3. ग्लोबल हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी के वेल्थंगरहिल्फ़** गैर-सरकारी संगठनों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI), 2024 जारी किया।

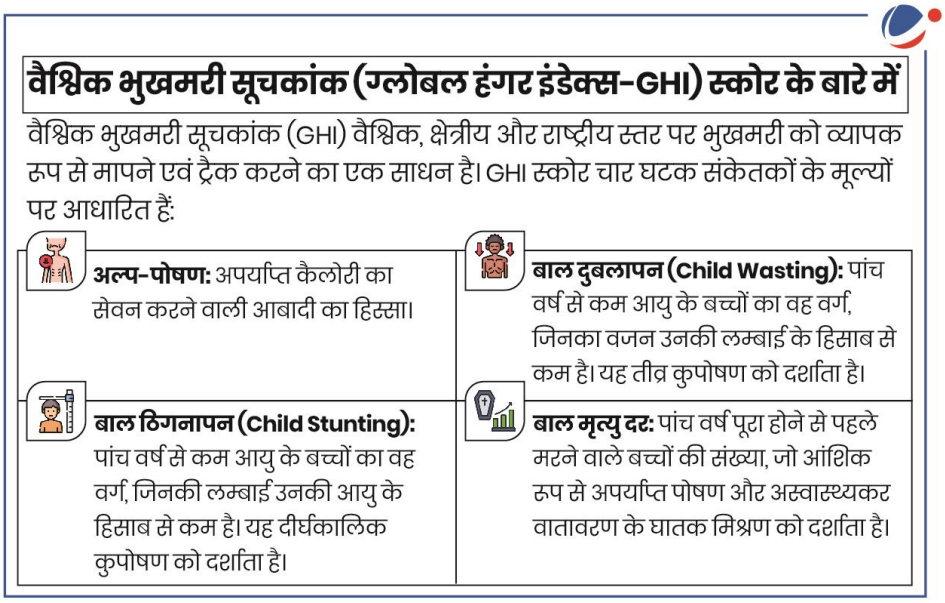

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI), 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **वैश्विक निष्कर्ष:**
  - **सूचकांक के अनुसार, 42 देशों में भुखमरी का स्तर** चिंताजनक स्थिति में है। इस प्रकार **2030 तक शून्य भुखमरी का लक्ष्य हासिल करना असंभव** लग रहा है। वर्तमान प्रगति की गति से विश्व **2160 तक भी निम्न भुखमरी स्तर** प्राप्त नहीं कर पाएगा।
    - विश्व का **GHI स्कोर 18.3 है, जिसे भुखमरी की गंभीरता के पैमाने पर मध्यम स्तर** का माना जाता है।
  - रिपोर्ट में **लैंगिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और भुखमरी** के बीच संबंध को दर्शाया गया है। जेंडर, जलवायु और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि संबंधित नीतियों एवं हस्तक्षेपों में इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।
    - **महिलाएं और लड़कियां** आमतौर पर **खाद्य असुरक्षा और कुपोषण** से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। वे मौसम की चरम स्थितियों और जलवायु आपात स्थितियों के प्रभावों से भी असमान रूप से पीड़ित होती हैं।

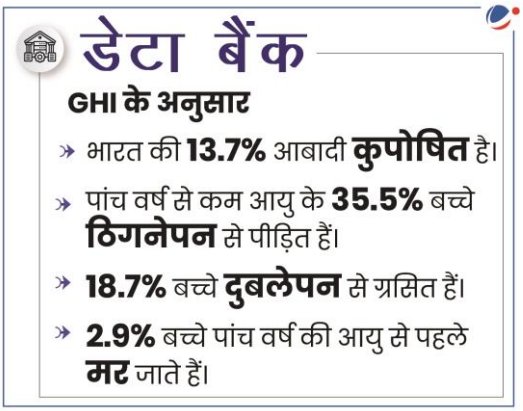

- **रिपोर्ट में भारत से संबंधित निष्कर्ष:**
  - भारत **127 देशों में से 105वें स्थान** पर है। भारत के साथ **पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 41 अन्य देश "गंभीर" श्रेणी** में हैं। गौरतलब है कि **भारत 2023 में 111वें स्थान** पर था।
  - **भारत का GHI स्कोर:** 27.3 है।
  - **भारत का GHI स्कोर वर्ष 2000 से कम** हो गया है, लेकिन **बाल दुबलापन और बाल ठिगनापन का स्तर** अभी भी बहुत अधिक है।
  - **माताओं में कुपोषण की स्थिति भारत में बच्चों को कुपोषित** बनाए रखने का एक प्रमुख कारक है। यह तथ्य मातृ स्वास्थ्य और पोषण पर **ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर** करता है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि GHI भुखमरी का गलत माप प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार, इसमें गंभीर पद्धतिगत खामियां हैं, जो दुर्भावना से प्रेरित हैं। GHI में उजागर की गई कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं:

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) से जुड़ी प्रमुख समस्याएं

- **GHI मापने की पद्धति:** सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले **चार में से तीन संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य** से संबंधित हैं। इस तरह **ये संकेतक किसी देश की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं** कर सकते हैं।
  - **बाल ठिगनापन और बाल दुबलापन तथा 5 वर्ष से कम आयु में बाल मृत्यु दर** जैसे मानक भुखमरी के अलावा अन्य कई कारकों के जटिल मिश्रण पर भी निर्भर करते हैं। इन कारकों में पेयजल, स्वच्छता, आनुवंशिकी, पर्यावरण और संतुलित भोजन आदि शामिल हैं।

- **दोषपूर्ण संकेतक:** कई अध्ययनों में अल्पपोषण के संकेतक के रूप में बाल ठिगनेपन को अपनाए जाने को चुनौती दी गई है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सुपोषित आबादी में भी बाल ठिगनेपन की प्रवृत्ति देखी जाती है।
- **पुराने डेटा का उपयोग:** GHI की गणना करने में पुराने डेटा का उपयोग किया जाता है और इसलिए इसकी पुष्टि करना तर्कसंगत नहीं लगता है।
    - उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के तहत **5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन और दुबलेपन का डेटा हर साल नहीं बल्कि प्रत्येक 8-10 वर्ष में उपलब्ध** होता है।
- **सैंपल/ नमूने का छोटा आकार:** कुपोषित आबादी के अनुपात (PoU)[65] का संकेतक नमूने के बहुत छोटे आकार पर किए गए जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है।
    - एक आयामी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस रिपोर्ट में अल्पपोषित आबादी के अनुपात (POU) के अनुमान के आधार पर भारत की रैंकिंग को कम करके 16.3 प्रतिशत पर ला दिया गया है।

भुखमरी संकट के लिए उत्तरदायी कारण

- **युद्ध या संघर्ष:** गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे **309 मिलियन लोगों में से लगभग 70% लोग गरीब या संघर्ष-ग्रस्त देशों** में रहते हैं। मध्य पूर्व; पूर्वी, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका; कैरेबियन क्षेत्र; दक्षिण एशिया तथा पूर्वी यूरोप में हिंसा एवं अस्थिरता विशेष रूप से चिंताजनक है।
    - संघर्ष की स्थिति में **खाद्य उत्पादन में गिरावट आती है तथा लोग अपने घरों और आय के स्रोतों से दूर हो जाते हैं।** सबसे गंभीर बात यह है कि अक्सर यह स्थिति सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करती है।
- **जलवायु संकट:** यह वैश्विक भुखमरी में तेजी से वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है। सूखे जैसे जलवायु संकट जीवन, फसलें और आजीविका को नष्ट कर देते है। जलवायु संकट के कारण लोग अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं।
- **कमजोर अर्थव्यवस्था:** महामारी के कारण धीमी रिकवरी और यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप वैश्विक मंदी व आर्थिक तनाव उत्पन्न हुए हैं। इन खराब स्थितियों ने निम्न और मध्यम-आय वाले देशों को अधिक प्रभावित किया है।
    - इसके परिणामस्वरूप, खाद्य वस्तुओं की कीमतें उच्च बनी हुई हैं। इसके चलते सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जुड़ा निवेश सीमित हो गया है।
- **विस्थापन:** जबरन विस्थापित लोगों को खाद्य असुरक्षा से जुड़ी विशिष्ट सुभेद्यताओं का सामना करना पड़ता है। इसमें रोजगार, आजीविका, भोजन और आश्रय तक सीमित पहुंच तथा घटती मानवीय सहायता पर निर्भरता आदि शामिल है। ऐसा खासकर **सूडान के दारफुर क्षेत्र** में देखा गया है।

भारत में कुपोषण के प्रसार के लिए उत्तरदायी कारक

- **शहरीकरण:** यह खाद्य प्रणालियों, आहार और जीवन शैली को नया रूप देता है। यह सस्ते, अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक पहुंच बढ़ाता है। साथ ही, यह निष्क्रिय जीवन शैली को भी प्रोत्साहित करता है।
    - उदाहरण के लिए- यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बिक्री 2012 और 2018 के बीच लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है।
- **कुपोषित माताएं:** अधिकांश भारतीय महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं और गरीब एवं कुपोषित माताएं कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं।
    - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, एनीमिया का प्रसार 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में 57.0 प्रतिशत है, जबकि यह किशोरियों में 59.1 प्रतिशत और गर्भवती महिलाओं में 52.2 प्रतिशत है।
- **निम्न शैक्षिक स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्थिति:** अशिक्षित माताओं से जन्मे बच्चों और सबसे निचले आर्थिक स्तर के परिवारों के बच्चों में कुपोषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है।
- **कमजोर वर्ग:** अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की विफलता सबसे अधिक (79 प्रतिशत) है। इसके बाद अनुसूचित जाति (77.2%) और अनुसूचित जनजाति (76%) के बच्चों का स्थान है।

[65] Proportion of the Undernourished

भारत में भुखमरी से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):** यह योजना **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध** कराने के लिए शुरू की गई है।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना:** इस योजना के तहत **पंजीकृत महिलाओं को उनके पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है। इस सहायता का उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि में महिलाओं को **वेतन सहायता** प्रदान करना और उनकी **पौष्टिक भोजन** सुनिश्चित करने में मदद करना है।
- **पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन):** इसका उद्देश्य **बच्चों और महिलाओं के लिए प्रमुख पोषण मानदंडों में सुधार** करना है।
- **ईट राइट मूवमेंट:** इसका उद्देश्य सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलना है।
- **समेकित बाल विकास योजनाएं (ICDS):** ICDS के तहत प्रदान की जाने वाली **छह सेवाओं में पूरक पोषण** भी शामिल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आहार और औसतन हर दिन लिए जा रहे आहार के बीच के अंतराल को कम करना है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** इस अधिनियम का उद्देश्य **भारत के 1.2 बिलियन लोगों में से लगभग दो-तिहाई लोगों को सब्सिडी पर खाद्यान्न उपलब्ध** कराना है। यह कानून भोजन के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है।

वैश्विक स्तर पर भुखमरी से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **SDG-2 (जीरो हंगर):** इसका उद्देश्य **भूखमरी को खत्म करना तथा खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार** करना है। इसके अलावा, **संधारणीय कृषि को बढ़ावा** देना भी इसका उद्देश्य है।
- **विश्व खाद्य कार्यक्रम:** यह **संयुक्त राष्ट्र** की खाद्य सहायता शाखा है। इसकी स्थापना **1961** में की गई थी। इसका मिशन खाद्य सहायता प्रदान करके खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देकर और पोषण को बढ़ाकर विश्व से भुखमरी को खत्म करना है।
- **जीरो हंगर चैलेंज:** यह **संयुक्त राष्ट्र महासचिव** द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जो देशों को इस दिशा में काम करने के लिए आमंत्रित करती है कि भविष्य में सभी लोगों की पर्याप्त पोषण तक पहुंच हो।
- **पोषण पर रोम घोषणा:** यह घोषणा देशों को वैश्विक स्तर पर भूखमरी को खत्म करने और कुपोषण के सभी रूपों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह घोषणा विशेष रूप से बच्चों में कुपोषण, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने पर बल देती है।
- **संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (FAO):** इसका उद्देश्य लोगों की **पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच** सुनिश्चित करना है।

निष्कर्ष

इस डॉक्यूमेंट में की गई नीतिगत सिफारिशों में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति जवाबदेही को मजबूत करना होगा और पर्याप्त भोजन के अधिकार को लागू करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। साथ ही, खाद्य प्रणालियों और जलवायु नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए जेंडर के प्रति परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए लैंगिक, जलवायु और खाद्य न्याय को एकीकृत एवं बढ़ावा देने हेतु निवेश भी करना होगा।

6.4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान (National Health Accounts Estimates)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने **वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA)[66] अनुमान** जारी किए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमानों के बारे में

- **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा 2013-14 से हर साल** राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान जारी किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में **NHA का विचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002** में प्रस्तुत किया गया था।
- NHA **भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर वित्तीय प्रवाह का विस्तृत विवरण** प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि:

[66] National Health Account

- विविध स्रोतों से धन कैसे एकत्र किया जाता है;
- उन्हें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कैसे खर्च किया जाता है; और
- स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कैसे किया जाता है।

- NHA अनुमान **भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशा-निर्देश, 2016 के फ्रेमवर्क के भीतर तैयार** किए गए हैं। ये अनुमान **स्वास्थ्य लेखा प्रणाली, 2011** का उपयोग करके तैयार किए गए हैं।
- NHA अनुमान **राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (NHATS)[67] ने भारत के लिए NHA संचालन समिति और NHA विशेषज्ञ समूह** के निरंतर मार्गदर्शन तथा सहयोग से तैयार किए हैं।

स्वास्थ्य लेखा प्रणाली (SHA)[68], 2011 के बारे में

- यह स्वास्थ्य लेखा को तैयार करने के लिए एक **वैश्विक मानक फ्रेमवर्क** है। यह प्रणाली **अलग-अलग देशों के स्वास्थ्य व्यय अनुमानों की तुलना करने में सहायता प्रदान** करती है।
- यह प्रणाली स्वास्थ्य व्यय को **तीन आयामों, जैसे- उपभोग, प्रावधान और वित्त-पोषण के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए एक मानक** प्रदान करती है।
- यह **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूरोस्टेट** के बीच संयुक्त सहयोग का परिणाम है।

भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमानों के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

स्वास्थ्य संकेतक	(2017-18 के बाद से) 2021-22 में प्रवृत्ति	विवरण
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और प्रति व्यक्ति आय के प्रतिशत के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय (THE)	• **सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत** के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) 3.31% से बढ़कर 3.83% हो गया। • **प्रति व्यक्ति** कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) 4,297 रुपये से **बढ़कर** 6,602 रुपये हो गया।	• कुल स्वास्थ्य व्यय में बाहरी निधियों सहित **सरकारी और निजी स्रोतों** द्वारा किए गए **वर्तमान और पूंजीगत व्यय** शामिल हैं। • GDP के प्रतिशत के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय देश के **आर्थिक विकास के सापेक्ष स्वास्थ्य व्यय** को दर्शाता है। • प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय **देश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय** को दर्शाता है।
कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE)	यह 40.8% से **बढ़कर 48% हो गया।**	• GHE में अर्ध-सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों के माध्यम से दिए जाने वाले दान सहित संघ, राज्य और स्थानीय **सरकारों द्वारा वित्त-पोषित व प्रबंधित सभी योजनाओं के तहत व्यय** शामिल हैं।
कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के प्रतिशत के रूप में वर्तमान स्वास्थ्य व्यय (CHE)	यह 88.5% से **घटकर 87.3% हो गया है।**	• CHE में केवल स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए बार बार होने वाले व्यय शामिल हैं, इसमें सभी प्रकार के पूंजीगत व्यय (भवन निर्माण) शामिल नहीं हैं। • **CHE, कुल स्वास्थ्य व्यय (Total Health Expenditure - THE) का एक हिस्सा** है। CHE को THE के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करके यह समझा जाता है कि उस वर्ष स्वास्थ्य सेवा के परिचालन खर्चों का कितना हिस्सा जनसंख्या की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यय किया गया।

[67] National Health Accounts Technical Secretariat

[68] System of Health Accounts

कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य देखभाल पर अपनी जेब से होने वाला खर्च (OOPE)	यह 64.2% से **घटकर 48.8% हो गया है।**	• **जेब से होने वाला व्यय (OOPE)** वह व्यय है, जो **परिवारों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्राप्त करते समय प्रत्यक्ष रूप से खर्च** किया जाता है। • यह व्यय परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवा भुगतान हेतु उपलब्ध वित्तीय सुरक्षा की सीमा को दर्शाता है।
कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय (SSE)	यह 9% से **घटकर 8.7% हो गया है।**	• SSE में **केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त-पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं** (जैसे PMJAY, RSBY आदि)**, कर्मचारी लाभ योजनाओं,** आदि के लिए प्रीमियम के भुगतान हेतु सरकार द्वारा आवंटित वित्त शामिल है। साथ ही, इसमें **सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों** तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवा के उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों को **चिकित्सा प्रतिपूर्ति** और सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजना व्यय शामिल हैं।
कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के प्रतिशत के रूप में निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय (PHIE)	यह 5.8% से बढ़कर **7.4% हो गया है।**	• PHIE में **स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के माध्यम से किए गए खर्च** शामिल होते हैं। इसमें परिवार या नियोक्ता एक विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किए जाने के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं।
कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य के लिए बाह्य/दाता अनुदान (External/Donor Funding for Health)	यह 0.5% से **बढ़कर 1.1% हो गया।**	• इसमें **दानदाताओं द्वारा प्रदत्त सहायता** के रूप में देश को उपलब्ध सभी निधियां शामिल हैं।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य सेवा में चल रहे मौजूदा सुधार सभी नागरिकों के लिए एक स्वस्थ व अधिक न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। स्वास्थ्य सेवा पर की गई व्यय वृद्धि स्वास्थ्य सेवा की अवसंरचना को मजबूत करने, जांच और उपचार सुविधाओं का विस्तार करने और भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

6.5. डिजिटल स्वास्थ्य (Digital Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यह मिशन डिजिटल स्वास्थ्य को सक्षम करने की दिशा में तीन वर्षों की उपलब्धि का प्रतीक है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के बारे में

- **ABDM** का उद्देश्य देश भर के **अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों** को एकीकृत करना है।
- **ABDM** एक **'डिजिटल इकोसिस्टम'** के रूप में **डिजिटल परामर्श, रोगियों की सहमति जैसी कई अन्य सुविधाओं** को भी सक्षम बनाएगा।
- **मुख्य सिद्धांत:**
  - समावेशिता;
  - **निःशुल्क पंजीकरण;**
  - **इच्छानुसार ABDM इकोसिस्टम से बाहर निकलने का अधिकार;**
  - किसी के मेडिकल रिकॉर्ड का विवरण किसी अन्य जगह न होने के साथ **सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ;**
  - गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए **संघीय ढांचा;**
  - स्वैच्छिक भागीदारी।

- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण,** जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
- **ABDM संरचना के घटक**
    - **आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) ID:** यह **व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को संग्रहीत और प्रबंधित करने** हेतु नागरिकों के लिए एक विशिष्ट 14-अंकीय संख्या है।
    - **हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR):** यह सभी तरह की चिकित्सा पद्धतियों में हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का एकीकृत संग्रह है।
    - **हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (HFR):** यह देश की स्वास्थ्य सुविधाओं (सार्वजनिक और निजी दोनों) का संग्रह है।
    - **हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर (HIE-CM):** यह सुनिश्चित करता है कि डेटा का विनिमय सूचित सहमति के आधार पर हो।
    - **यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (UHI):** यह स्वास्थ्य सेवाओं की खोज और वितरण को सुगम बनाता है।
    - **नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (HCX):** यह बीमा भुगतान प्रणाली को मानकीकृत करता है।

डिजिटल स्वास्थ्य के बारे में

- WHO के अनुसार, डिजिटल स्वास्थ्य **"स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों** के विकास और उपयोग से संबंधित **ज्ञान एवं अभ्यास** का क्षेत्र" है। **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - **डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोग:** इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड; टेलीमेडिसिन; स्वास्थ्य पहलुओं की निगरानी के लिए धारण करने योग्य उपकरण; तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का प्रबंधन, भंडारण और आदान-प्रदान के लिए स्वास्थ्य सूचना प्रणाली।
    - **डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां:** डेटा की अधिक मात्रा में पैटर्न को तेजी से पहचानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बिग डेटा; इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स (अंतर-संबंधित चिकित्सा उपकरण); चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी; डिजिटल जीनोमिक्स, आदि।

डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का महत्त्व

- **सुगमता से मेडिकल रिकॉर्ड साझा करना:** IT-सक्षम उपकरणों के माध्यम से भारतीय नागरिक अपने डॉक्टरों के साथ प्रिस्क्रिप्शन, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट और एक्स-रे डायग्नोस्टिक्स साझा कर सकते हैं।
- **विशिष्ट व्यक्तिगत चिकित्सा खाता:** इसके तहत प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य ID और डिजिटल रजिस्ट्री बनती है, ताकि स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों के बीच निर्बाध चर्चा की सुविधा मिल सके।

- **चिरकालिक बीमारियों का प्रबंधन:** यह उन पुरानी बीमारियों के प्रबंधन में सहायता करता है, जो पिछले 15 वर्षों में एक गंभीर लोक स्वास्थ्य चुनौती बन गई हैं।
    - साथ ही, यह लोक स्वास्थ्य निगरानी में सुधार करता है और दीर्घकालिक रूप से साक्ष्य-आधारित नीतियों को भी बढ़ावा देता है।
- **गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए बेहतर उपचार:** डेटा पोर्टेबिलिटी की सहायता से गंभीर रूप से बीमार रोगियों, विशेष रूप से विविध बीमारियों से पीड़ित रोगियों के उपचार में तेजी आ सकती है।
- **समग्र मेडिकल हिस्ट्री का संग्रह:** डिजिटल स्वास्थ्य एक क्लिक पर डॉक्टर्स को रोगी की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी देने वाला संग्रह तैयार करता है। यह को-मॉर्बीडिटी (सह-रुग्णता) वाले रोगियों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि कोविड-19 के दौरान भी देखने को मिला था।
    - साथ ही, यह रोगियों को विकल्प भी प्रदान करता है कि वे कौन से रिकॉर्ड स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करना चाहते हैं।
    - डिजिटल इकोसिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रूप से डिजिटल रूप में संग्रहीत रहें।

डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं

- **निजता और सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** अनधिकृत डेटा एक्सेस और उल्लंघन से रोगी की निजता का उल्लंघन हो सकता है और पहचान की चोरी को बढ़ावा मिल सकता है।
    - उदाहरण के लिए- एकत्रित किए गए व्यक्तिगत डेटा का बीमा कंपनियों और फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा लक्षित विज्ञापन के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- **एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह:** AI जैसी तकनीकें अनुचित या भेदभावपूर्ण उपचार का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, यह स्वास्थ्य देखभाल में नस्लीय और नृजातीय असमानता पैदा कर सकती है।
- **समानता और पहुंच संबंधी मुद्दे:** डिजिटल स्वास्थ्य तकनीकों और डिजिटल साक्षरता कौशल तक असमान पहुंच सुभेद्य आबादी को सुविधाओं का लाभ उठाने से रोक सकती है।
    - उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी डेटा दर्ज करने और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में एक चुनौती उत्पन्न कर सकती है।
- **डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में विश्वास की कमी:** उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) डिजिटल प्रणाली की कुछ विफलताओं ने यह दर्शाया कि डिजिटल समाधानों को अपनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं का विश्वास जीतना कितना आवश्यक है।
- **डिजिटल कार्ड में मानकीकरण का अभाव:** भारत वर्तमान में डिजिटल काड्र्स (जैसे- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, पीएम-जेएवाई कार्ड, आधार कार्ड, आदि) की कवरेज एवं गुणवत्ता को मानकीकृत करने की समस्या से जूझ रहा है। इससे डेटा माइग्रेशन और ट्रांसफर की समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही, डेटा सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- **अलग-अलग स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में संचार संबंधी चुनौतियां:** भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के कारण संचार में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

आगे की राह

- **सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना:** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंटेलिजेंट हेल्थ सॉल्यूशन का मूल्यांकन विविध उपयोगकर्ता आधार पर किया जाए। इसमें विस्थापित आबादी और विविध नस्लीय/ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल होने चाहिए। इससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और सहयोगात्मक निर्णय को बढ़ावा मिलेगा।
- **तकनीकी दक्षता को मजबूत करना:** डिजिटल हेल्थ टूल्स का बेहतर लाभ उठाने के लिए मेडिकल टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच डिजिटल कौशल में सुधार करना चाहिए।
- **लक्षित समाधानों को बढ़ावा देना:** अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित हेल्थ टूल्स के लिए कस्टमाइज्ड और व्यक्तिगत दृष्टिकोण सृजित करना चाहिए।
- **नैतिक पर्यवेक्षण का निर्माण करना:** डेटा संग्रह, साझाकरण और उपयोग के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने तथा "नैतिक संहिता" का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक औपचारिक शासी निकाय की स्थापना की जा सकती है।

6.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.6.1. यू.एन. वीमेन ने "वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ वीमेन इन डेवलपमेंट" रिपोर्ट जारी की (UN Women Released 'World Survey on The Role of Women in Development' Report)

इस रिपोर्ट की थीम **"हारनेसिंग सोशल प्रोटेक्शन फॉर जेंडर इक्वेलिटी, रिजिलिएंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन"** है।

- यह समग्र, लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के निर्माण में प्रगति, कमियों और चुनौतियों का आकलन करती है।

लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील सामाजिक संरक्षण (GRSP) की आवश्यकता क्यों हैं?

- लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील दृष्टिकोण सक्रिय रूप से **निम्नलिखित जेंडर विशिष्ट जोखिमों, सुभेद्यताओं और बाधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं:**
  - संसाधनों तक महिलाओं की कम पहुंच;
  - महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों की अधिक जिम्मेदारी;
  - लैंगिक हिंसा और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी का अभाव आदि।
- GRSP दृष्टिकोण की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित हैं कि **लैंगिक आधार पर जोखिमों और बाधाओं की प्रकृति एवं तीव्रता अलग-अलग होती है।**

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **दो अरब महिलाओं और लड़कियों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा** जैसे नकद लाभ, बेरोजगारी बीमा, पेंशन या स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध नहीं है।
- **63 प्रतिशत** से अधिक महिलाएं अभी भी **मातृत्व लाभ के बिना ही** बच्चे को जन्म दे रही हैं।
- **संघर्ष, जलवायु परिवर्तन व आर्थिक बाधाओं जैसे कारकों के कारण** जेंडर विशिष्ट जोखिम एवं सुभेद्यताएं और बढ़ गए हैं।

इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- मौजूदा सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों, नीतियों और पहलों में **लैंगिक अंतराल व पूर्वाग्रहों को दूर करना चाहिए।**
- लैंगिक रूप से संवेदनशील **रोजगार नीतियों और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर** करना चाहिए।
- अकस्मात और दीर्घकालिक संकट के दौरान महिलाओं व बालिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **सामाजिक सुरक्षा नीतियों एवं पहलों को सक्षम बनाना चाहिए।**
- सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।**

6.6.2. ई-माइग्रेट पोर्टल (E-Migrate Portal)

विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई-माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया।

ई-माइग्रेट पोर्टल के बारे में

- यह विदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे भारतीय कामगारों के **प्रवास को सुविधाजनक बनाने और प्रबंधित** करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
- इसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों को **सूचना की उपलब्धता, दस्तावेजीकरण, हेल्पलाइन सहायता** आदि सहित अलग-अलग सेवाएं प्रदान करना है।
- इसमें **24x7 बहुभाषी हेल्पलाइन** की सुविधा होगी। साथ ही, इसके तहत दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और आव्रजन के मामले में कागज रहित मंजूरी प्राप्त करने के लिए **डिजिलॉकर को एकीकृत** किया जाएगा।
- यह **विदेशी नियोक्ताओं, रोजगार दिलाने वाले पंजीकृत एजेंटों और बीमा कंपनियों** को एक साझा मंच पर लाता है। इससे **सुरक्षित और वैध प्रवासन को बढ़ावा** देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

6.6.3. पी.एम.-यशस्वी (PM Yasasvi)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने **पी.एम.-यशस्वी/ PM-YASASVI (वाइब्रेंट इंडिया के लिए पी.एम. यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप पुरस्कार योजना)** पहल के प्रभावों का उल्लेख किया है।

पी.एम.-यशस्वी के बारे में

- **लक्ष्य:** सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए शैक्षिक सहायता को सुव्यवस्थित करना।
- यह एक **अम्ब्रेला योजना** है। इसका उद्देश्य **अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBCs) और विमुक्त जनजातियों (DNT) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** प्रदान करना है।
- इसमें **डॉ.अंबेडकर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** का विलय किया गया है। इस योजना के तहत **EBC और DNT समुदायों** के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए **आर्थिक सहायता** प्रदान की जाती थी।

6.6.4. सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति 2028 तक बढ़ाई (Government Extends Supply of Fortified Rice Across Welfare Schemes Until 2028)

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी।

- चावल के फोर्टिफिकेशन में FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सामान्य चावल (कस्टम मिल्ड राइस) में फोर्टिफाइड चावल के दाने मिलाए जाते हैं। इन दानों में **आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12** जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं।
    - फोर्टिफिकेशन में **चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक** जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख **विटामिन एवं खनिज तत्व** मिलाए जाते हैं। इससे उनकी पोषण क्षमता में सुधार होता है और कुपोषण से निपटा जा सकता है।

फोर्टिफाइड चावल पहल के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** यह पहल 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना का **तीन-चरणीय रोलआउट मार्च 2024** तक सफलतापूर्वक पूरा हो गया था।
- **तर्क:**
    - **कुपोषण से निपटना:** फोर्टिफिकेशन **एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने** के लिए एक लागत प्रभावी तरीका है।
    - **अधिक पहुंच:** चावल सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए एक **आदर्श साधन** है, क्योंकि यह **भारत की 65% आबादी का मुख्य भोजन** है।
- **पहल में शामिल की गई योजनाएं:**
    - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS),
    - एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS),
    - पी.एम. पोषण (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना), तथा
    - सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम।

- **वित्त-पोषण:** यह PMGKAY के **खाद्य सब्सिडी घटक** के हिस्से के रूप में **केंद्र द्वारा 100% वित्त-पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्रक की पहल है**।
    - **PMGKAY** के तहत **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** के 81.35 करोड़ लाभार्थियों को राशन की दुकानों के माध्यम से **प्रति माह 1 किलो दाल के साथ 5 किलो मुफ्त गेहूं/ चावल** प्रदान किए जाते हैं।

QUIZ **SMART QUIZ**	You can scan this QR code to practice the Smart Quiz of Social Issues & Social Schemes at our open test online platform for testing your understanding and recalling of the concepts.	

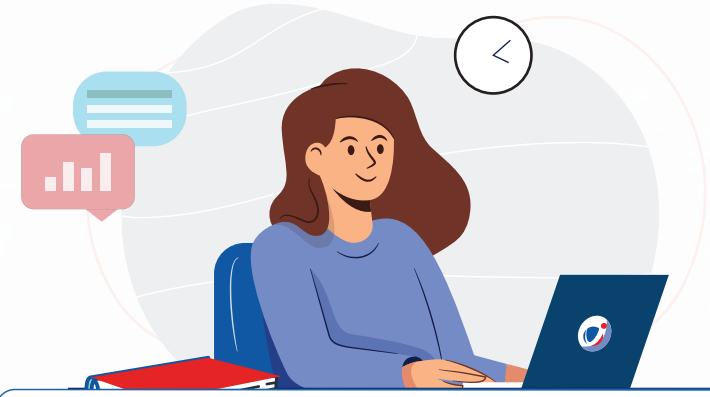

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व–मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Chemistry 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने **कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन** के लिए **डेविड बेकर** को तथा **प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन** के लिए **डेमिस हसबिस और जॉन एम. जम्पर** को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया है।

कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन पर डेविड बेकर के कार्य के बारे में

- **कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन (CPD)** का लक्ष्य नए कार्यों या गुणधर्मों वाले नए प्रोटीन बनाना है, जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं।
  - गौरतलब है कि **कम्प्यूटेशन** के माध्यम से एक लघु प्रोटीन का पहला सफल डिज़ाइन 1997 में **दहियात और मेयो** द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- डेविड बेकर ने 2003 में अपने **पहले डिज़ाइन किए गए प्रोटीन 'टॉप 7'** से शुरुआत करते हुए सफलतापूर्वक नए प्रोटीन (सिंथेटिक प्रोटीन) का निर्माण किया है।
  - यह पूरी तरह से एक नया प्रोटीन था। यह **संरचना और अनुक्रम,** दोनों के मामले में एकदम नया था, जिसे ऑटोमेटेड कम्प्यूटेशन द्वारा डिजाइन किया गया था।
- 1999 में बेकर और उनकी टीम ने **रोसेटा सॉफ्टवेयर** विकसित किया था। यह सॉफ़्टवेयर छोटे संरचनात्मक खंडों को जोड़कर प्रोटीन की संभावित संरचनाओं का निर्माण करता है, जिससे वैज्ञानिकों को नए प्रोटीन डिजाइन करने और प्रेडिक्शन करने में मदद मिली।

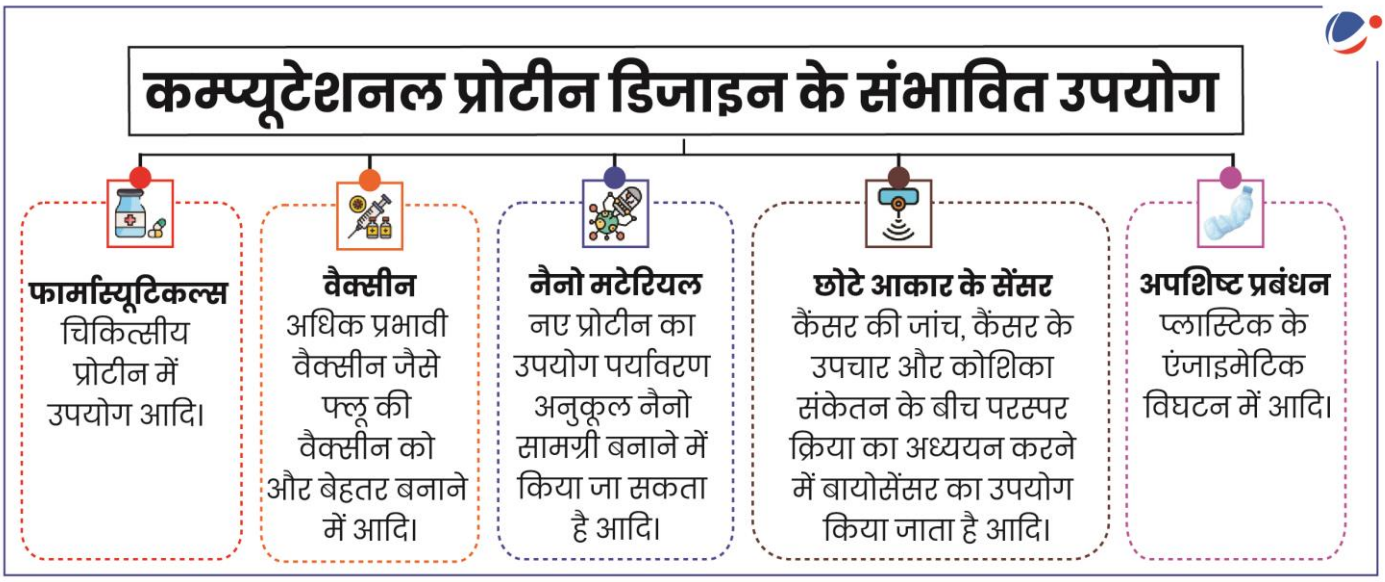

प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन पर डेमिस हसबिस और जॉन जम्पर के कार्य के बारे में

- **डेमिस हसबिस और जॉन जम्पर** ने प्रोटीन की जटिल संरचनाओं के प्रेडिक्शन से संबंधित 50 साल पुरानी पहेली का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि प्रोटीन किस प्रकार विभिन्न स्वरूपों में बदल जाते हैं, जो उनके कार्यों को निर्धारित करते हैं।
- **इस खोज का महत्त्व:** प्रोटीन के आकार को जानना **कोशिका के कार्य को समझने** की कुंजी है। इसके अलावा, बेहतर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन **दवा बनाने**, **एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट** को समझने, **प्लास्टिक विखंडन के लिए एंजाइम विकसित** करने, क्रॉप रिजिलिएंस आदि जैसे क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

क्या आप जानते हैं?

> प्रोटीन शब्द **ग्रीक शब्द "प्रोटिओस"** से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राथमिक या सबसे महत्वपूर्ण।

प्रोटीन के बारे में

- प्रोटीन **चार प्रमुख प्रकार के बायोमॉलिक्यूल** में से एक है। अन्य तीन हैं- **कार्बोहाइड्रेट, लिपिड** और **न्यूक्लिक एसिड।**
- ये **बायोपॉलीमेरिक संरचनाएं** हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले **20 अमीनो एसिड की रैखिक श्रृंखलाओं** से बनी होती हैं। ये पेप्टाइड बंधन से जुड़ी होती हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - प्रोटीन में अमीनो एसिड का संघटन और उनका क्रम प्रोटीन की संरचना द्वारा निर्धारित होता है।
  - पेप्टाइड बॉन्ड एक प्रकार का रासायनिक बंधन है जो दो अमीनो एसिड्स के बीच बनता है। पेप्टाइड बंधन तब बनता है जब एक अमीनो एसिड का **कार्बोक्सिल (-COOH)** समूह अगले **अमीनो एसिड के अमीनो (-NH2)** समूह के साथ अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया से जल का अंश समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण (Dehydration) कहा जाता है।

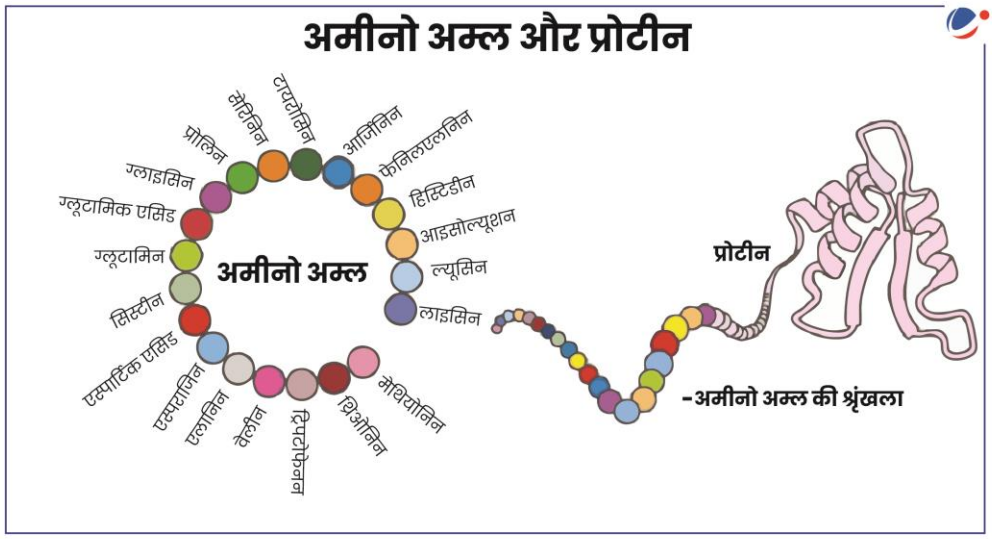

- प्रोटीन **सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद मैक्रोमॉलिक्यूल्स** हैं, जो सबसे सरल बैक्टीरिया से लेकर मनुष्यों और पौधों तक सभी की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं।
  - **कोलेजन** प्राणी जगत यानी जानवरों के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है और **राइबुलोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज-ऑक्सीजिनेज (RuBisCO)** पूरे जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है।

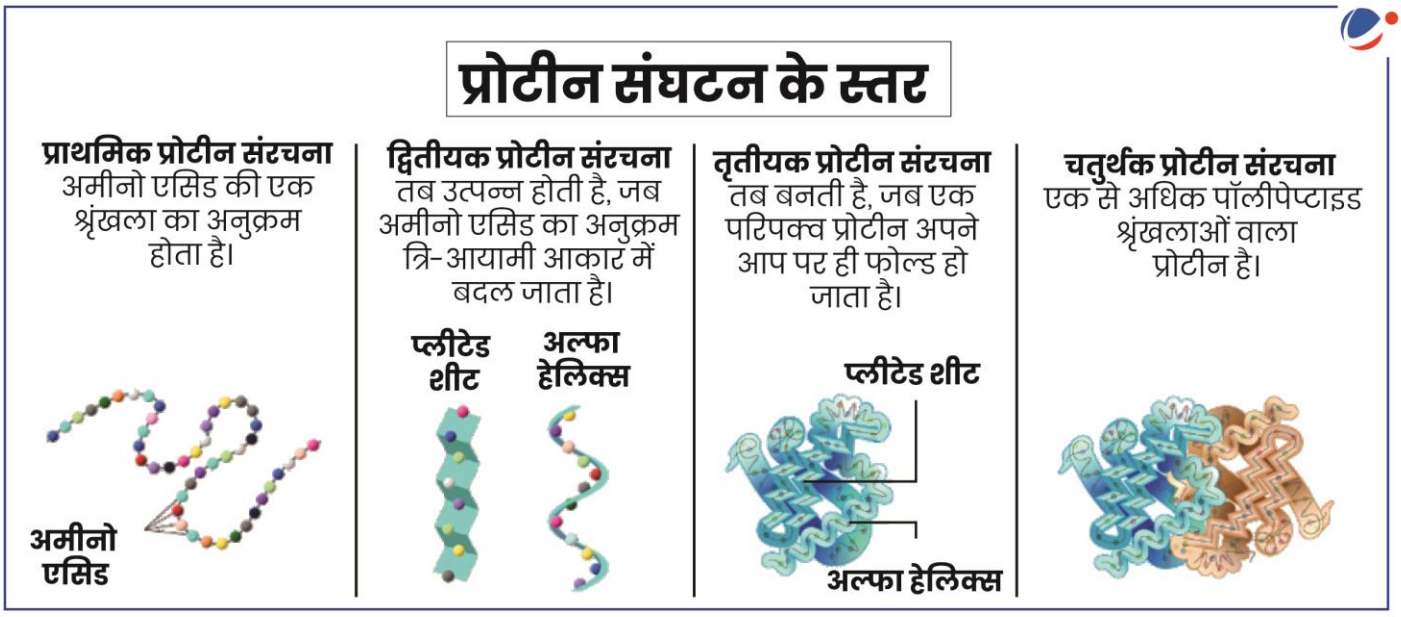

प्रोटीन के प्रमुख कार्य

- **संरचनात्मक मजबूती:** प्रोटीन कोशिकाओं को संरचना और मजबूती प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए- **एक्टिन** नामक प्रोटीन मांसपेशियों के तंतुओं में पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं और उनके आकार को निर्धारित करने में मदद करते हैं।

- **उत्प्रेरक (Catalysts):** प्रोटीन **एंजाइम** के रूप में कार्य करते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सुगम बनाते हैं। उदाहरण के लिए- एमाइलेज पाचन के दौरान स्टार्च को शर्करा में विखंडित करता है।
- **हार्मोन:** कुछ प्रोटीन केमिकल मेसेंजर्स के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें हार्मोन कहा जाता है। उदाहरण के लिए- **इंसुलिन** नामक हार्मोन चयापचय को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **एंटीबॉडी: इम्युनोग्लोबुलिन G (IgG)** जैसे प्रोटीन हमारे शरीर में आने वाले बाह्य रोगजनकों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, कवक आदि से सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **परिवहन/ भंडारण:** प्रोटीन परमाणुओं और छोटे अणुओं के मानव शरीर की कोशिकाओं के भीतर और संपूर्ण शरीर में परिवहन और भंडारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए- **फेरिटिन** कोशिकाओं में आयरन का भंडारण करता है और **GLUT-4** कोशिकाओं में ग्लूकोज के परिवहन को सक्षम बनाता है।

7.2. चिकित्सा में 2024 नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Medicine 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विक्टर एम्ब्रोस और **गैरी रुवकुन** को संयुक्त रूप से 2024 का फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार **माइक्रो RNA की खोज** और **पोस्ट-ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन** में उनकी भूमिका के बारे में शोध के लिए दिया गया है।

इस खोज के बारे में

- 1993 में, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन ने **माइक्रो RNA** की खोज की थी और यह पाया था कि यह ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - 1993 तक, यह माना जाता था कि **जीन रेगुलेशन** मुख्य रूप से **ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स** नामक **विशेष प्रोटीन** द्वारा नियंत्रित होता है। तत्पश्चात यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स **डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA)** में निर्धारित क्षेत्रों से जुड़कर यह तय करते थे कि कौन-से **मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA)** (mRNA) का निर्माण होगा।
    - बाद में यह पता चला कि माइक्रो RNA द्वारा किया जाने वाला रेगुलेशन **जीन एक्सप्रेशन प्रक्रिया के बाद के चरण यानी पोस्ट-ट्रांसक्रिप्शन** में होता है।
- एम्ब्रोस और रुवकुन ने **उत्परिवर्तित कैनेरहैबडाइटिस एलीगेंस सूत्रकृमि** के अध्ययन के जरिए **माइक्रो RNA** की भूमिका की खोज की। इन सूत्रकृमियों में जीन के दो स्थानों पर हुए बदलावों के कारण विकास संबंधी दोष उत्पन्न हो गए थे।
- इस खोज ने **जीन रेगुलेशन के एक बिल्कुल नए सिद्धांत** को उजागर किया, जो मनुष्यों सहित बहुकोशिकीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ।

माइक्रो RNA (miRNA) के बारे में

- माइक्रो RNA लघु आकार के **नॉन-कोडिंग RNA** होते हैं। ये कोशिकाओं को जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। **नॉन-कोडिंग RNA,** DNA संकेतों को प्रोटीन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले **सिंगल-स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स** होते हैं।
- माइक्रो RNA, **mRNA के साथ जुड़कर** और उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित होने से रोककर या mRNA को पूरी तरह से नष्ट करके **जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित** करता है।
    - नाभिक में प्रोटीन RNA **ट्रांसक्रिप्शन** और **स्प्लिसिंग** को नियंत्रित करते हैं जबकि **माइक्रो RNAs** साइटोप्लाज्म में mRNA के **ट्रांसलेशन और निम्नीकरण को नियंत्रित** करते हैं।
- मानव शरीर में **विभिन्न माइक्रो RNA के लिए हज़ार से ज़्यादा जीन** होते हैं। साथ ही, 'माइक्रो RNA द्वारा जीन रेगुलेशन' सभी बहुकोशिकीय जीवों में घटित होने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है।

जीन रेगुलेशन के बारे में

- यह वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कौन से जीन, किस समय, किस स्थान और किस मात्रा में प्रकट (expressed) होंगे। गौरतलब है कि जीनोम में कई जीन शामिल होते हैं।

- **आनुवंशिक सूचना** ट्रांसक्रिप्शन नामक प्रक्रिया के माध्यम से DNA से mRNA में जाती है और फिर प्रोटीन उत्पादन के लिए **सेलुलर मशीनरी** में जाती है।

- यह किसी सजीव को पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है।
- **जीन एक्सप्रेशन:**
  - मानव अंग और ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। मानव शरीर की हर कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कोशिका के काम-काज के लिए ज़रूरी आनुवंशिक जानकारी वहन करते हैं और गुणसूत्रों में समान जीन सेट होते हैं।
  - अतः जीन रेगुलेशन के कारण अलग-अलग कोशिकाएं (जैसे- मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, आदि) **प्रोटीन के विशिष्ट सेट को प्रकट या एक्सप्रेस** करती हैं, जो कोशिकाओं को अपने **विशेष कार्य करने में सक्षम** बनाती हैं।

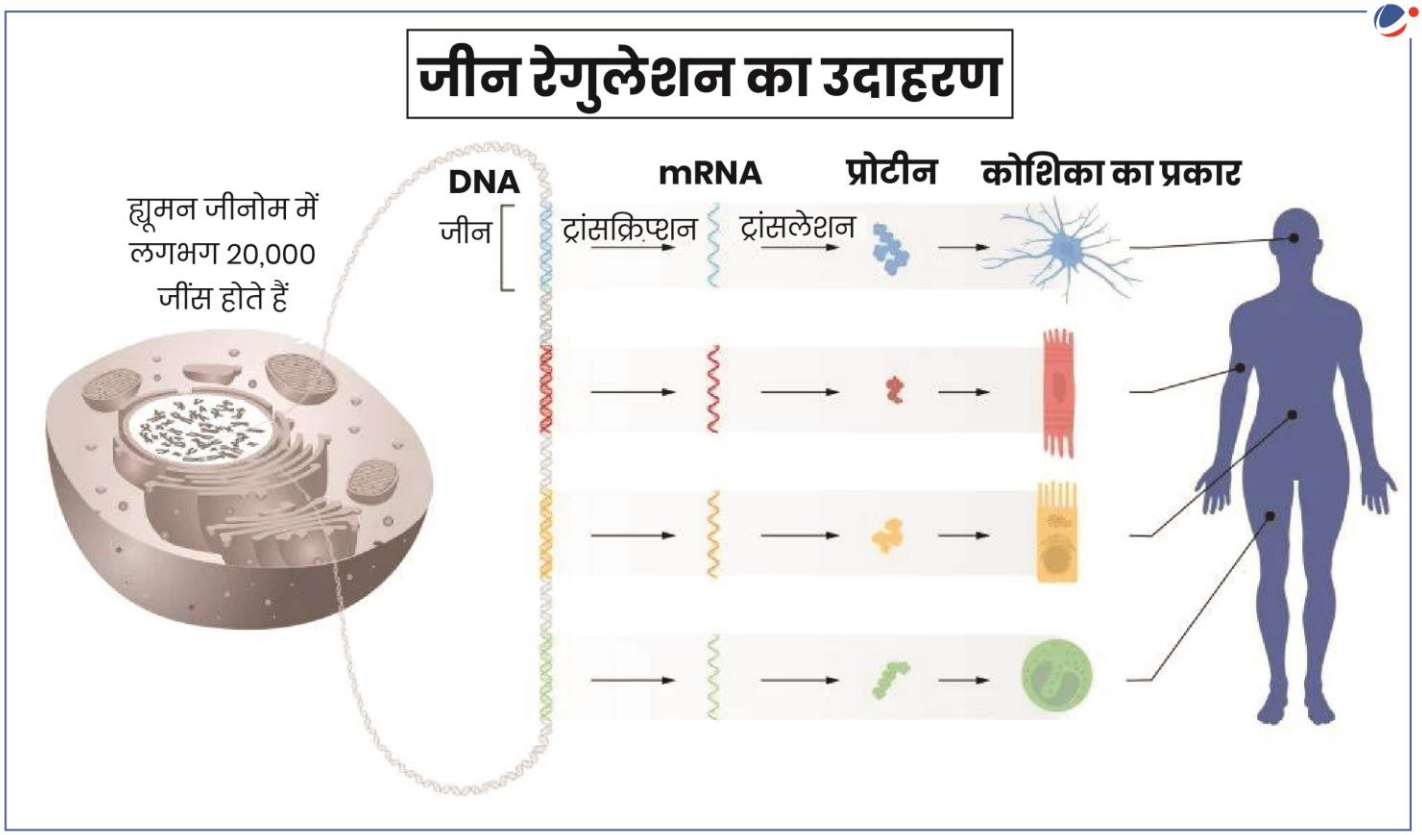

ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में

- **ट्रांसक्रिप्शन:**
  - यह वह प्रक्रिया है जिसमें **DNA के स्ट्रैंड** में मौजूद आनुवंशिक जानकारी को **mRNA के नए मॉलिक्यूल** में कॉपी किया जाता है।
  - यह **RNA पोलीमरेज़** नामक एंजाइम और कई सहायक प्रोटीनों द्वारा संपन्न होता है जिन्हें **ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स** कहा जाता है।
- **ट्रांसलेशन:**
  - यह वह प्रक्रिया है जिसमें mRNA में एनकोडेड आनुवंशिक जानकारी का प्रयोग करके **प्रोटीन संश्लेषण** के दौरान **अमीनो एसिड** को शामिल करने का निर्देश दिया जाता है।
  - यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में **राइबोसोम** (प्रोटीन के संश्लेषण का स्थल) पर घटित होती है। यहां mRNA में एनकोडेड आनुवंशिक जानकारी के अनुसार राइबोसोम अमीनो एसिड श्रृंखलाओं की स्ट्रिंग में ट्रांसलेट होता है जो संश्लेषित प्रोटीन का निर्माण करते हैं।

इस खोज का महत्त्व/ उपयोग

माइक्रो RNA (miRNAs) की खोज से जीन रेगुलेशन और इसके द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित कई पहलुओं को समझने में मदद मिली है, जैसे-

- **कोशिकीय विकास:** miRNAs जीन अभिव्यक्ति को पोस्ट-ट्रांसक्रिप्शनल स्तर पर नियंत्रित करके स्टेम सेल्स के **स्व-नवीकरण** (Self-renewal) और **विभेदन** (Differentiation) को प्रभावित करते हैं, जिससे ऊतकों और अंगों का विकास सुनिश्चित होता है।
- **प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया:** miRNAs **जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के बीच संतुलन** बनाए रखते हैं।
- **ऑन्कोजेनेसिस:** माइक्रो RNA (miRNAs) का **असामान्य विनियमन** कैंसर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, इनके असामान्य विनियमन से जन्मजात विकार भी हो सकते हैं, जैसे कि श्रवण हानि, नेत्र विकार और अस्थि रोग।
- **रोग निदान:** मानव कैंसर के डायग्नोस्टिक, पूर्वानुमान और थेरप्यूटिक टारगेट के लिए बायोमार्कर के रूप में miRNAs का उपयोग किया जाता है।

शब्दावली को जानें

- **बायोमार्कर:** बायोमार्कर एक जैविक अणु होता है जो रक्त, शरीर के अन्य तरल पदार्थों या ऊतकों में पाया जाता है। यह शरीर में होने वाली सामान्य या असामान्य गतिविधियों, किसी बीमारी या किसी विशेष स्थिति का संकेत देता है।
  - इसे **आणविक मार्कर (molecular marker)** और सिग्नेचर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है।

राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA) के बारे में

- यह एक **न्यूक्लिक एसिड** है, जो अधिकांश **सजीवों** और **वायरस** में पाया जाता है।
- RNA **न्यूक्लियोटाइड्स** से बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में तीन घटक होते हैं- नाइट्रोजन युक्त क्षार, फॉस्फेट समूह और शर्करा।
  - नाइट्रोजन युक्त क्षार में **एडेनिन, गुआनिन, यूरैसिल और साइटोसिन** शामिल होते हैं।
- RNA आमतौर पर **सिंगल-स्ट्रैंड रूप में मौजूद होता है।**
- RNA **ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है।**

RNA के प्रमुख प्रकार		
मैसेंजर RNA (mRNA) mRNA, DNA टेम्पलेट से बना होता है। इसकी भूमिका कोशिका के केंद्रक में DNA में मौजूद प्रोटीन इन्फॉर्मेशन को कोशिका के साइटोप्लाज्म (कोशिकाद्रव्य) तक ले जाना है।	**ट्रांसफर RNA (tRNA)** यह mRNA मॉलिक्यूल और प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड की श्रृंखला के बीच एक लिंक (या एडाप्टर) के रूप में कार्य करता है।	**राइबोसोमल RNA (rRNA)** यह राइबोसोम की संरचना बनाने में मदद करता है। यह mRNA और tRNA को राइबोसोम से बांधता है और mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेशन करने का निर्देश देता है।

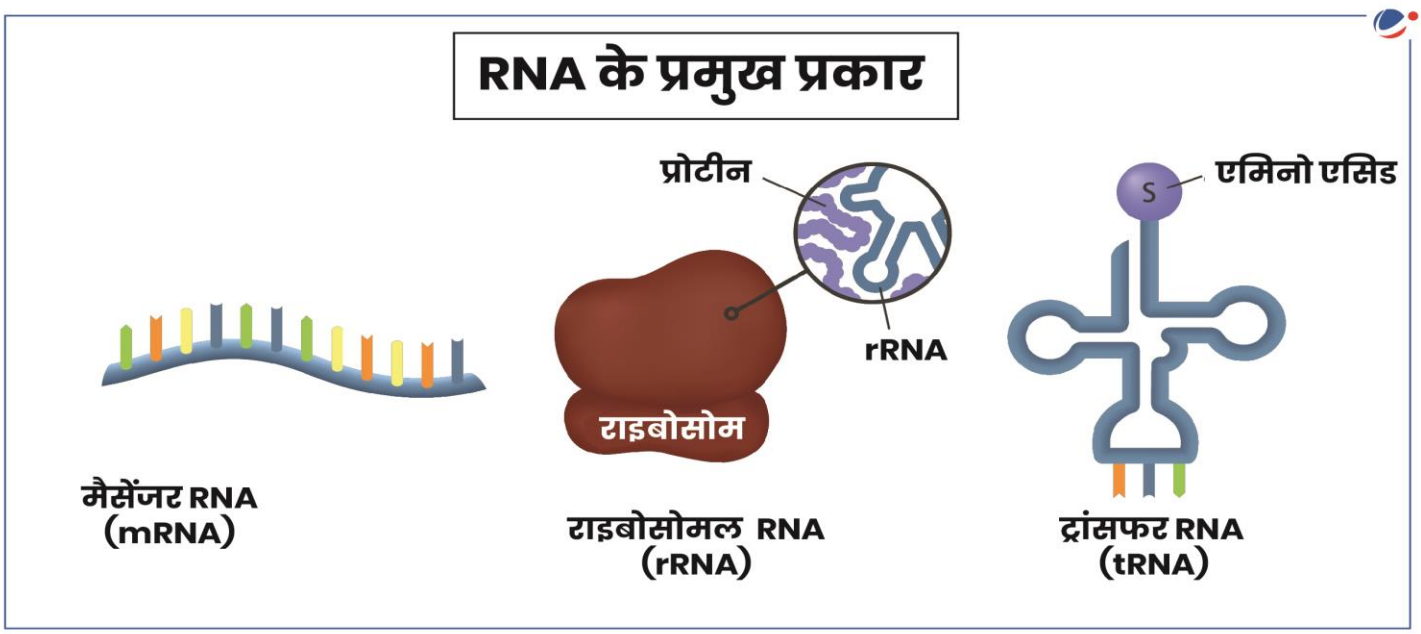

7.3. भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Physics 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार **जॉन हॉपफील्ड और जेफ्री हिंटन** को संयुक्त रूप से दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उन विधियों के निर्माण के लिए दिया गया है, जिन्होंने **आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स (ANNs) का उपयोग करके मशीन लर्निंग (ML) की आधारशिला** रखने में मदद की थी।

वे प्रमुख खोज जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया

- **जॉन हॉपफील्ड** ने **हॉपफील्ड नेटवर्क** का आविष्कार किया है। यह एक प्रकार का **रिकरेन्ट न्यूरल नेटवर्क**[69] है, जो सूचना को **स्टोर** और **पुनर्निर्मित** कर सकता है।
  - ये नेटवर्क्स एक मेमोरी सिस्टम की तरह काम करते हैं, जहां वे **पैटर्न्स (जैसे- इमेज) को स्टोर/ संग्रहित और उन्हें पुनर्निर्मित** कर सकते हैं।
  - हॉपफील्ड नेटवर्क **डोनाल्ड हेब्ब की परिकल्पना** पर आधारित है। हेब्ब का मानना था कि जब न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं, तो वे सूचना को प्रॉसेस और स्टोर करने के लिए **नेटवर्क की क्षमता को बढ़ा** सकते हैं।
  - हॉपफील्ड नेटवर्क का उपयोग **इमेज रिकॉग्निशन और डेटा पुनर्निर्माण** जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है, जो उन्हें मशीन लर्निंग में विभिन्न उपयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है।
- **जेफ्री हिंटन** ने **बोल्ट्जमैन मशीन नामक विधि का आविष्कार** किया था। यह स्वतंत्र रूप से **डेटा में गुणों की खोज** कर सकती है। इसलिए बोल्ट्ज़मैन मशीन अब उपयोग में आने वाले लार्ज AANs के लिए महत्वपूर्ण हो गई है।
  - बोल्ट्जमैन मशीन **जेनरेटिव मॉडल** का एक प्रारंभिक उदाहरण है, जो अपनी लर्निंग के आधार पर **नए पैटर्न्स या उदाहरण बना** सकता है।
    - प्रशिक्षित बोल्ट्जमैन मशीन पहले से **परिचित लक्षणों या विशेषताओं को किसी नए डेटा में भी पहचान** सकती है।

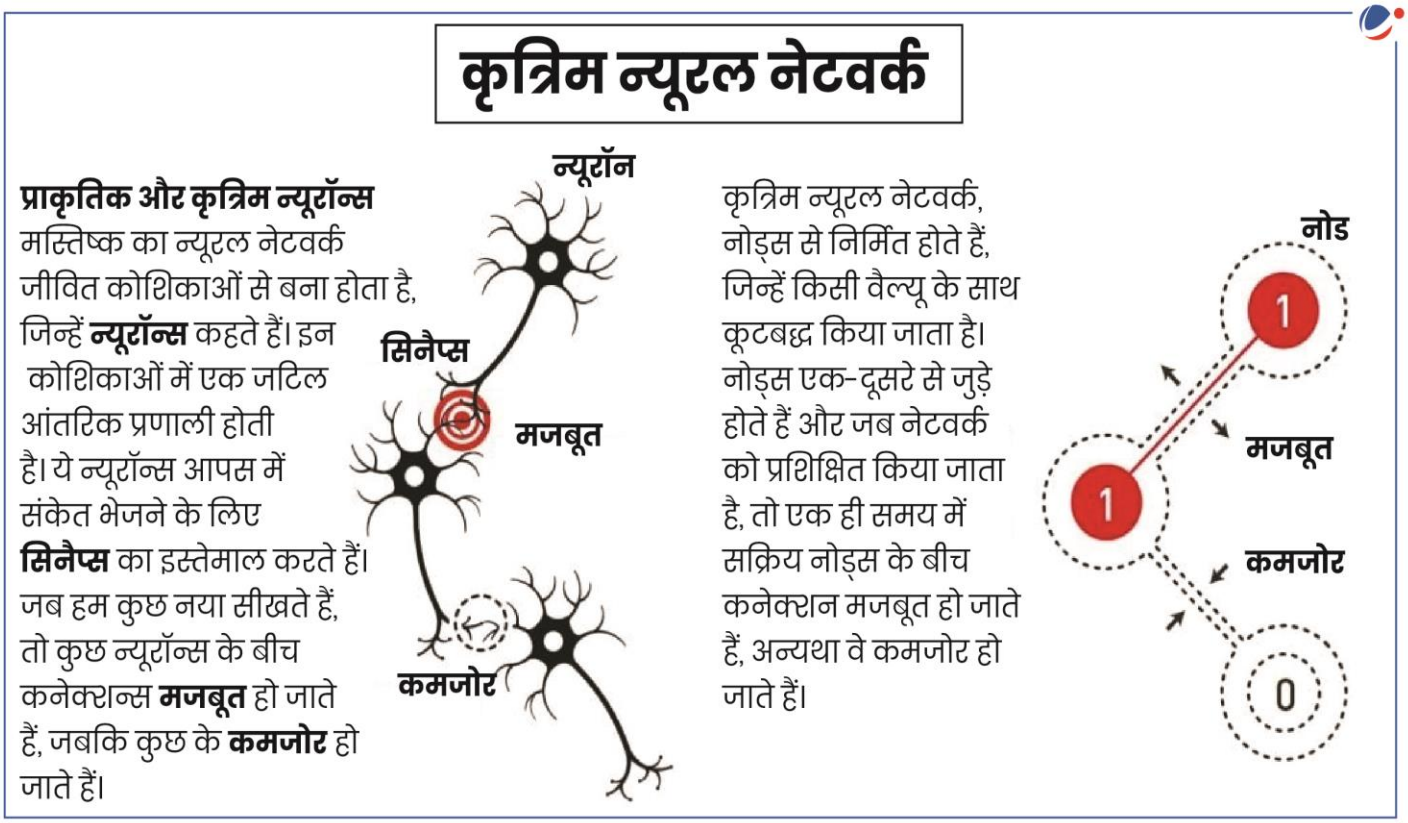

[69] Recurrent Neural Network

आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स (ANNs) के बारे में

- **परिभाषा:** आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क **एक प्रकार का मशीन लर्निंग (ML) प्रोग्राम या मॉडल** है, जो **मानव मस्तिष्क से प्रेरित होता** है। इसके लिए यह **जैविक न्यूरॉन्स के एक साथ काम करने के तरीके की नकल** करते हुए घटनाओं को समझकर मौजूद विकल्पों के आधार पर बेहतर निष्कर्ष प्रदान करता है।
- **कार्यप्रणाली:** इसमें मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने का प्रयास किया गया है।
  - मानव मस्तिष्क कोशिकाएं (या न्यूरॉन्स) एक जटिल और **परस्पर मजबूती से जुड़े हुए नेटवर्क का निर्माण** करती हैं। यह मनुष्यों को किसी जानकारी को प्रॉसेस करने में मदद करने के लिए एक-दूसरे को विद्युत संकेत भेजती हैं।
  - इसी प्रकार, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी **कृत्रिम न्यूरॉन्स या नोड्स** से बने होते हैं, जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं।
- **ANN संरचना:** प्रत्येक न्यूरल नेटवर्क में कृत्रिम न्यूरॉन्स की तीन परतें (लेयर्स) होती हैं, जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये हैं:
  - **इनपुट लेयर:** डेटा को प्रॉसेस करना, उसका विश्लेषण या वर्गीकरण करना, और उसे अगली लेयर तक भेजना।
  - **हिडन लेयर:** इनपुट लेयर से प्राप्त आउटपुट का विश्लेषण करना, उसे और प्रॉसेस करना तथा अगली लेयर तक भेजना।
    - ANNs में प्रत्येक लेयर के साथ काफी संख्या में हिडन लेयर्स हो सकती हैं।
  - **आउटपुट लेयर:** यह ANN द्वारा प्रॉसेस किए गए सभी डेटा के आधार पर अंतिम परिणाम प्रदान करती है।
- **ANN के प्रमुख प्रकार:**
  - **डीप न्यूरल नेटवर्क:** ये ऐसे न्यूरल नेटवर्क हैं जिनमें कई परतें (लेयर्स) होती हैं। प्रत्येक परत पिछली परत के आधार पर काम करती है ताकि प्रेडिक्शन या वर्गीकरण को और अधिक परिष्कृत एवं इष्टतम किया जा सके।
  - **कन्वेन्शनल न्यूरल नेटवर्क (CNNs):** इनका उपयोग मुख्य रूप से **कंप्यूटर विज़न और इमेज वर्गीकरण** में किया जाता है।
    - ये **इमेज और वीडियो में से किसी लक्षण और पैटर्न का पता** लगा सकते हैं। इस प्रकार, इनकी मदद से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन जैसे कार्य संभव हो जाते हैं।
  - **रिकरेन्ट न्यूरल नेटवर्क (RNNs):** इसे **अनुक्रमिक डेटा (Sequential data) को प्रॉसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक विशेष क्रम में या समय के साथ बदलता है।** अतः आमतौर पर **नेचुरल लैंग्वेज प्रॉसेसिंग और स्पीच रिकॉग्निशन** में इसका उपयोग किया जाता है।
    - इनका उपयोग शेयर बाजार संबंधी प्रेडिक्शन, इमेज कैप्शनिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रॉसेसिंग आदि में किया जाता है।
  - **जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क (GAN):** यह एक प्रकार का मशीन लर्निंग मॉडल है, जिसे नया और कृत्रिम (Synthetic) डेटा उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है। यह उत्पन्न डेटा उस मूल डेटा के समान होता है, जिस पर GANs को प्रशिक्षण दिया गया है।
    - इनमें मानवीय चेहरे जैसी प्रतीत होने वाली इमेज शामिल हो सकती हैं। हालांकि ये **इमेज किसी वास्तविक व्यक्ति की नहीं होती है, बल्कि कृत्रिम रूप से जनरेट होती** हैं।

मशीन लर्निंग (ML)

- मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एक भाग है, जो डेटा और एल्गोरिदम का उपयोग करके AI को मानव की तरह सीखने की क्षमता प्रदान करता है और समय के साथ अपनी सटीकता में सुधार करता है।
- मशीन लर्निंग में **कंप्यूटर उदाहरण के द्वारा सीखता** है। इससे वह उन समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाता है जो बहुत अस्पष्ट और जटिल होती हैं, जिन्हें चरण-दर-चरण निर्देशों के द्वारा प्रबंधित नहीं किया जा सकता।
  - इसका एक उदाहरण- किसी तस्वीर की व्याख्या करना और उसमें मौजूद लक्षणों की पहचान करना।
- **कार्यप्रणाली:** मशीन लर्निंग (ML) में, एल्गोरिदम को विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा के विशाल सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षण उन्हें पैटर्न पहचानने या वस्तुओं की पहचान करने जैसी जटिल कार्य करने में सक्षम बनाता है।
  - **न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स (ANNs)** वस्तुतः मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के विशिष्ट प्रकार होते हैं।
  - **मशीन लर्निंग का उपयोग:**
    - **अनुसंधान एवं वैज्ञानिक उन्नति:** हिग्स पार्टिकल की खोज और एक्सोप्लैनेट की खोज में सहायक।
    - **नेचुरल लैंग्वेज प्रॉसेसिंग (NLP):** ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन या स्पीच-टू-टेक्स्ट या जेनरेटिव AI में उपयोगी।
    - **कंप्यूटर विज़न:** इमेज, वीडियो जैसे डिजिटल विजुअल इनपुट से सार्थक जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी।

- **इससे संबंधित चुनौतियां और नैतिक मुद्दे:**
  - **व्याख्यात्मकता (Explainability):** मॉडल स्पष्ट नियमों के बजाय डेटा सेट के उदाहरणों से सीखते हैं, इसलिए उनके निर्णय लेने के कारणों को समझना अक्सर मुश्किल होता है।
  - **सुपरइंटेलिजेंस:** यहाँ जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित प्रश्न उठाया जाता है। उदाहरण के लिए, सेल्फ-ड्राइविंग कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
  - **पूर्वाग्रह और भेदभाव:** मशीनों को मनुष्यों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके कारण मानवीय पूर्वाग्रह एल्गोरिदम में शामिल हो सकते हैं। अतः प्राप्त परिणाम में भेदभाव कायम रहने की संभावना हो सकती है।
  - **अन्य:** इसमें निजता और विनियमन संबंधी चिंताएं, दुरुपयोग आदि शामिल हैं।

7.4. भारतजेन प्रोग्राम (Bharatgen Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक अग्रणी पहल **भारतजेन** का शुभारंभ किया।

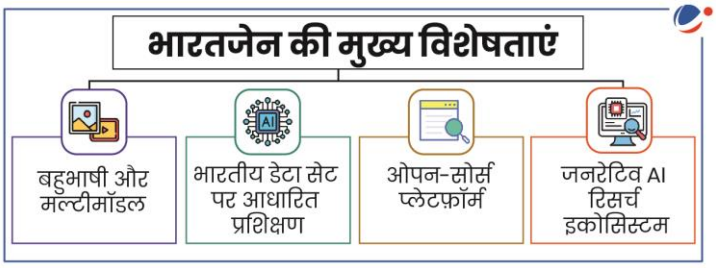

भारतजेन प्रोग्राम के बारे में

- भारतजेन एक **मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) प्रोजेक्ट** है, जो **जनरेटिव AI सिस्टम** का विकास करने पर केंद्रित है। जनरेटिव AI सिस्टम अलग-अलग भारतीय भाषाओं में **उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और मल्टीमॉडल कंटेंट** (ऑडियो और इमेज) जनरेट कर सकता है।
- **लक्ष्य और उद्देश्य:**
  - **AI के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव** लाना और **नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना।**
  - **भारत को जेनेरिक AI के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में स्थापित** करना।
  - **भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के अनुरूप कार्य करना।**
  - AI प्रौद्योगिकी के उपयोग के दायरे को आगे बढ़ाना तथा **भारत के संदर्भ एवं उपयोग के मामलों में** AI की प्रासंगिकता सुनिश्चित करना।

- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन IIT बॉम्बे के **TIH फाउंडेशन फॉर IoT एंड IoE (TIH-IoT)** द्वारा अन्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के अकादमिक भागीदारों के साथ किया जाएगा। IIT बॉम्बे द्वारा **नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (NM-ICPS)** के अंतर्गत TIH-IoT को कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।

- **समय-सीमा:** इस प्रोजेक्ट के **दो साल (जुलाई 2026)** में पूरा होने की उम्मीद है।
- **भारत डेटा सागर:** यह भारतजेन का एक मुख्य भाग है। इसका उद्देश्य भारत-केंद्रित डेटा का एक विशाल भंडार स्थापित करना है। इससे एक ऐसा AI मॉडल विकसित किया जा सकेगा, जिसमें हमारे देश की अनूठी विशेषताएं और विविधता गहराई से समाहित हों।

नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (NM-ICPS)

- **NM-ICPS के बारे में:** यह 2018 में पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत एक व्यापक मिशन है।
- **उद्देश्य:**
  - सभी हितधारकों- शिक्षा जगत, उद्योग जगत, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पूर्ण सहयोग करना।
  - अनुसंधान एवं विकास, ट्रांसलेशनल रिसर्च एवं नवीन उत्पादों के विकास आदि के लिए **प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म्स का विकास** करना।
  - **साइबर-फिजिकल सिस्टम (CPS)** और संबंधित प्रौद्योगिकियों में **ट्रांसलेशनल रिसर्च को बढ़ावा देना।**
  - कई शैक्षणिक संस्थानों में **विश्व स्तरीय इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस** स्थापित करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)
- NM-ICPS के तहत, देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में **25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH)** स्थापित किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक हब को AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा जैसी **एडवांस प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में एक टेक्नोलॉजी वर्टिकल** सौंपा गया है।

जनरेटिव AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs) के बारे में

- **जनरेटिव AI:** जनरेटिव AI एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उपयोगकर्ता के निर्देश या अनुरोध या कमांड के आधार पर मूल कंटेंट क्रिएट कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो या सॉफ़्टवेयर कोड, आदि।
  - जनरेटिव AI टूल **लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) जैसे AI मॉडल पर आधारित होते हैं। ये AI मॉडल** ChatGPT जैसे टेक्स्ट-आधारित जनरेटिव AI टूल का आधार होते हैं।
  - जनरेटिव AI **डीप लर्निंग मॉडल** पर निर्भर करता है, यानी यह एल्गोरिदम मानव मस्तिष्क की तरह सीखने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की नकल करता है और लगातार खुद को बेहतर बनाता है।
- **लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM):** LLM मुख्यतः फाउंडेशन मॉडल की एक श्रेणी है। ये लार्ज AI मॉडल होते हैं, जो **नेचुरल लैंग्वेज और अन्य प्रकार के कंटेंट को समझ सकते हैं और उत्पन्न कर सकते** हैं। इनका उपयोग कई तरह के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
  - LLMs विशाल मात्रा में डेटा से पैटर्न सीखकर कार्य करने तथा ह्यूमन लैंग्वेज को पहचानने और व्याख्या करने में सक्षम होते हैं।
  - LLMs आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर नामक एक प्रकार के न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होते हैं। इनमें कई स्तर के न्यूरल नेटवर्क और सेल्फ-अटेंशन मैकेनिज्म शामिल होते हैं, जो इन्हें पैटर्न सीखने में मदद करते हैं।

पारंपरिक AI और जेनरेटिव AI के बीच तुलना

विशेषताएं	पारंपरिक AI	जेनरेटिव AI
मुख्य फोकस	डेटा का विश्लेषण व निर्धारित कार्य निष्पादित करना और ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग	नया डेटा (जैसे- टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक) क्रिएट करना
सीखने का दृष्टिकोण	स्पष्ट नियम और एल्गोरिदम	डेटा-संचालित लर्निंग (न्यूरल नेटवर्क)
आउटपुट	सुनियोजित आउटपुट जैसे कि प्रिडिक्शन, समाधान या वर्गीकरण	पूरी तरह से नया कंटेंट या क्रिएटिव आउटपुट
अनुकूलन क्षमता (Adaptability)	मैनुअल हस्तक्षेप और रिप्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है	समय के साथ अपने प्रदर्शन में ऑटोमेटिक समायोजन और सुधार
उदाहरण	मास्टर शेफ द्वारा किसी रेसिपी को बनाने के नियमों का पालन करना	इनोवेटिव शेफ द्वारा एक नई रेसिपी या व्यंजन को बनाना
उपयोग	सटीकता, दक्षता, तर्कशीलता	रचनात्मकता, कंटेंट क्रिएशन

भारतजेन प्रोग्राम का महत्त्व

- **सरकार द्वारा समर्थन:** यह सरकार द्वारा वित्त-पोषित दुनिया का पहला मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) प्रोजेक्ट है। यह पहल भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI के विकास पर केंद्रित है।
- **AI पब्लिक गुड्स के रूप में:** भारतजेन भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को प्राथमिकता देते हुए जनरेटिव AI मॉडल और उनके उपयोगों को पब्लिक गुड्स के रूप में उपलब्ध कराएगा।
- **समावेशी AI:** यह भारत की सामाजिक समानता, सांस्कृतिक संरक्षण और भाषाई विविधता जैसी व्यापक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि जेनेरिक AI का लाभ समाज के सभी हिस्सों तक पहुंचे।
- **आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप:** भारतजेन आधारभूत AI मॉडल बनाकर विदेशी प्रौद्योगिकियों पर देश की निर्भरता को कम करेगा और घरेलू AI इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगा।

भारत में AI के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **इंडिया AI मिशन:** यह AI नवाचार इकोसिस्टम को सबके लिए सुलभ और तेजी से विकसित करने वाला राष्ट्रीय स्तर का एक व्यापक कार्यक्रम है।
- **राष्ट्रीय AI पोर्टल (INDIAai):** यह MeitY, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) और NASSCOM का एक संयुक्त उद्यम है।
- **AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म (ऐरावत/ AIRAWAT):** यह AI के क्षेत्र में शोध और ज्ञान को साझा करने के लिए एक कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- **ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI)[70]:** यह AI के जवाबदेह विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है।
  - **भारत इसका एक संस्थापक सदस्य** है।
- **राष्ट्रीय AI कौशल कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य उद्योग जगत के अग्रणी हितधारकों के साथ सुनियोजित प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से AI कौशल को बढ़ावा देना है।

7.5. स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (Space Docking Experiment: SPADEX)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हैदराबाद स्थित एक निजी कंपनी ने इसरो को 400 किलोग्राम वर्ग के दो सैटेलाइट सौंपे हैं। ये सैटेलाइट्स इसरो के आगामी **स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (SPADEX)** में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसे 2024 के अंत तक लॉन्च किया जाना है।

स्पेस डॉकिंग के बारे में

- स्पेस डॉकिंग में **दो अंतरिक्ष यानों** (मानवयुक्त या मानव रहित) को **एकदम सटीक तरीके से एक-दूसरे के साथ भौतिक रूप से जोड़ा जाता** है। इससे दोनों अंतरिक्ष यान ईंधन भरने, मरम्मत करने और चालक दल के आदान-प्रदान जैसे **अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो जाते** हैं।
  - इससे अंतरिक्ष कक्षाओं में अत्याधुनिक फैसिलिटी (जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन) का निर्माण और अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलती है।

क्या आप जानते हैं?

> 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग के नेतृत्व में जेमिनी 8 ने एजिना टारगेट व्हीकल (जो बिना चालक वाला था) के साथ सफलतापूर्वक पहली डॉकिंग की थी।

- कुछ अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉक करते हैं और अन्य स्टेशन के साथ बर्थ के माध्यम से जुड़ते हैं।
  - **डॉकिंग में,** अंतरिक्ष यान स्वयं अपनी कक्षा और गति में आवश्यक बदलाव करके स्टेशन से जुड़ जाता है।
  - **बर्थिंग में**, एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की रोबोटिक आर्म की मदद से अंतरिक्ष यान को जोड़ता है। इसके बाद, मिशन कंट्रोल पृथ्वी से नियंत्रण संभालता है और रोबोटिक आर्म को अंतरिक्ष यान को अटैचमेंट साइट तक ले जाने का निर्देश देता है।

[70] Global Partnership on Artificial Intelligence

स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (SPADEX) के बारे में

- इसरो का SPADEX (स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट) प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संबंधी एक प्रयोग है। इसका उद्देश्य ऑटोनॉमस डॉकिंग में महारत हासिल करना है। यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षमता है, जिसे केवल कुछ गिने-चुने देश (जैसे- अमेरिका, रूस और चीन) ही विकसित कर पाए हैं।
- 'चेसर' और 'टारगेट' नामक दो उपग्रहों को एक ही PSLV द्वारा बहुत कम अंतराल पर स्थित अलग-अलग कक्षाओं (ऑर्बिट्स) में प्रक्षेपित किया जाएगा। तत्पश्चात इन्हें पृथ्वी से लगभग 700 कि.मी. की ऊंचाई पर डॉक किया जाएगा।
    - ये उपग्रह लगभग 28,000 कि.मी./घंटा की गति से एक-दूसरे के साथ पूरी सटीकता से एक सीध में आते हुए डॉकिंग करेंगे। इसके परिणामस्वरूप वे एक एकल इकाई बनकर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे।
- इस दौरान दोनों सैटेलाइट डॉकिंग के लिए **अपनी कक्षा और गति जटिल बदलाव करेंगे**:
    - **ऑटोनोमस रेंडेजवस और डॉकिंग:** इस प्रक्रिया में अंतरिक्ष यान को एक-दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऑटोनोमस नेविगेट, सटीक स्थान तक पहुंचना एवं सुरक्षित रूप से डॉक करना होगा।
    - **फॉर्मेशन फ्लाइंग:** इसमें दोनों उपग्रहों के बीच सटीक सापेक्ष स्थिति को बनाए रखने हेतु सटीक कक्षीय नियंत्रण का प्रदर्शन किया जाएगा। यह भविष्य में अंतरिक्ष में उपग्रह या अंतरिक्ष स्टेशन को असेम्बल करने और उपग्रहों की सर्विसिंग के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है।
    - **रिमोट ऑपरेशन:** इस मिशन के तहत डॉक्ड कॉन्फ़िगरेशन में एक उपग्रह को दूसरे उपग्रह के एटिट्यूड कंट्रोल सिस्टम[71] का उपयोग करके नियंत्रित करने का परीक्षण किया जाएगा।
        - इसके अतिरिक्त, यह अंतरिक्ष में संचालन और रखरखाव के लिए **रोबोटिक आर्म प्रौद्योगिकियों के उपयोग** की संभावना का भी पता लगाएगा।

इस मिशन का भारत के लिए महत्त्व

- **अंतरिक्ष अन्वेषण:** SPADEX भारत में विकसित स्केलेबल और लागत प्रभावी डॉकिंग तकनीक पर केंद्रित है, जो भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण संबंधी महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक है, जैसे कि-
    - **गगनयान:** मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम
    - **चंद्रयान-4:** चंद्रमा से सैंपल को धरती पर लाना,
    - **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS):** बाह्य अंतरिक्ष में स्थायी अवसंरचना का निर्माण करना, आदि।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** 'इन-स्पेस (IN-SPACe)' का गठन अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
    - यह किसी निजी कंपनी द्वारा असेम्बल किए गए सैटेलाइट का इसरो द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला उदाहरण है।
- **भविष्य में प्रभाव:** यह अंतरिक्ष आधारित अवसंरचनाओं के निर्माण और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा अर्जन में भी मदद करेगा।
- **अन्य संभावित उपयोग:** इसमें भूस्थिर कक्षा में स्थित उपग्रहों का जीवन काल बढ़ाना; भविष्य के अंतरग्रहीय मिशन (जैसे मंगल ग्रह के लिए) में; सूर्य से बिजली पैदा करने के लिए अंतरिक्ष सौर स्टेशनों को असेंबल करने में, आदि शामिल हैं।

चुनौतियां

- **जटिल डॉकिंग मैकेनिज्म:** अत्यधिक तेज गति (लगभग 8-10 कि.मी. प्रति सेकंड) से यात्रा करने वाले उपग्रहों को डॉकिंग के लिए सटीक कम्यूनिकेश और कोर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है।
    - नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली में किसी भी प्रकार की त्रुटि के परिणामस्वरूप टक्कर या डॉकिंग में विफलता हो सकती है। सुनीता विलियम्स के हालिया मिशन में हुई घटना इस बात का एक उदाहरण है।
- **ऑटोमेटेड सिस्टम:** कई जटिल कारकों जैसे- उपग्रहों की सापेक्ष गति और प्रक्षेप पथ आदि के कारण रियल टाइम में सटीकता के साथ डॉकिंग के लिए ऑटोनोमस सिस्टम का सफलतापूर्वक काम करना चुनौतीपूर्ण है।

[71] Attitude Control System

- **सेंसर की विश्वसनीयता:** डॉकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सेंसर्स (जैसे- कैमरे, LIDAR और रडार) को अंतरिक्ष की कठोर दशाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- **अन्य चुनौतियां:** इसमें अंतरिक्ष में मौजूद मलबे से खतरा, माइक्रोग्रैविटी का प्रभाव, डेटा ट्रांसफर और संचार का बने रहना आदि जैसे जटिल मुद्दे शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारत द्वारा एडवांसड अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का विकास अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसी प्रगति वैज्ञानिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता एवं आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान और विकास में अग्रणी बनने की भारत की आकांक्षाओं को दर्शाती है।

7.6. अंतरिक्ष-आधारित निगरानी (Space-Based Surveillance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCS)**[72] ने असैन्य (Civilian) और सैन्य उपयोगों के लिए स्थलीय एवं समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता हेतु **अंतरिक्ष आधारित निगरानी (SBS) परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी** दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अंतरिक्ष आधारित निगरानी परियोजना के तीसरे चरण (SBS-3) के तहत निगरानी के लिए **निम्न भू-कक्षा (Low Earth Orbit: LEO)** और **भू-स्थिर कक्षा (Geostationary Orbit: GEO)** में **52 उपग्रहों** को स्थापित किया जाएगा।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से लैस उपग्रहों का यह नया समूह पृथ्वी की अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। साथ ही, ये **उपग्रह जियो-इंटेलिजेंस एकत्रित करने के लिए अंतरिक्ष में एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने में भी सक्षम** होंगे।
    - जब पृथ्वी से 36,000 कि.मी. की ऊंचाई पर GEO में स्थित उपग्रह किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, तो वह पृथ्वी से **400-600 कि.मी.** की ऊंचाई पर LEO में स्थित उपग्रह से उस ऑब्जेक्ट को नजदीक से अवलोकन करने का निर्देश दे सकता है। इससे उस ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक विस्तृत और सटीक जानकारी मिल सकती है।
- इससे पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने SBS-3 मिशन की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका स्थित जनरल एटॉमिक्स से **31 हथियारों से लैस प्रीडेटर ड्रोन खरीदने को भी मंजूरी** दी थी।

भारत की SBS परियोजनाएं		
SBS-1 (2001 में स्वीकृत)	**SBS-2 (2013 में स्वीकृत)**	**SBS-3**
बुनियादी निगरानी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।	विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र के संबंध में और बेहतर जागरूकता के लिए उन्नत निगरानी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।	व्यापक कवरेज के लिए LEO और GEO दोनों कक्षाओं में मौजूद उपग्रहों का उपयोग करने का प्रस्ताव।
इसमें 4 निगरानी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था: कार्टोसैट (Cartosat)-2A, कार्टोसैट (Cartosat)-2B, रिसैट (RISAT)-2, और इरोस (Eros)-B	इसमें 6 अतिरिक्त निगरानी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था: कार्टोसैट-2C, कार्टोसैट-2D, माइक्रोसैट-1, रिसैट-2A, आदि	तीनों सेनाओं के पास स्थल, समुद्र और हवाई मिशनों के लिए समर्पित उपग्रह होंगे।

अंतरिक्ष-आधारित निगरानी (SBS) के बारे में

- इसके तहत **अंतरिक्ष में और पृथ्वी पर अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स एवं गतिविधियों पर निगरानी रखने तथा डेटा को एकत्रित करने के लिए उपग्रहों और अंतरिक्ष आधारित अन्य परिसंपत्तियों का उपयोग** करना शामिल है।

[72] Cabinet Committee on Security

- SBS सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से **राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता, पर्यावरण संबंधी निगरानी** और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है।
- अमेरिका, रूस, चीन और भारत सहित अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रमुख देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए SBS में सक्रिय रूप से निवेश कर रहे हैं।
    - अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष-आधारित निगरानी तंत्र है। इसमें **स्पेस-बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम (SBIRS)** और **नेक्स्ट-जेनरेशन ओवरहेड पर्सिस्टेंट इन्फ्रारेड (Next-Gen OPIR)** जैसे अत्याधुनिक उपग्रह शामिल हैं। ये उपग्रह मिसाइलों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।

अंतरिक्ष आधारित निगरानी (SBS) का महत्त्व

- **राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस:** इससे मिसाइल के प्रक्षेपण, सैन्य गतिविधियों और उपग्रह की कक्षा में अनधिकृत बदलाव जैसे संभावित खतरों का पता लगाने, उनकी ट्रैकिंग और निगरानी करने में मदद मिलती है।
    - उदाहरण के लिए- भारत का **EMISAT उपग्रह** सिग्नलों को इंटरसेप्ट कर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्रदान करता है।
- **अंतरिक्ष में ट्रैफिक प्रबंधन और टकराव से बचाव:** इसरो की **नेत्र/ NETRA (नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस)** पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करना और अंतरिक्ष में भारत की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करना है।
- **अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों की सुरक्षा:** भारत ने 2019 में **मिशन शक्ति** के तहत **अंतरिक्ष में अपने एंटी-सैटेलाइट (ASAT)** मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इससे भारत ने अंतरिक्ष आधारित अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और बचाव करने की क्षमता का प्रदर्शन भी किया। साथ ही, इसने अंतरिक्ष आधारित खतरों पर नज़र रखने के लिए निगरानी की आवश्यकता को भी उजागर किया।
- **पर्यावरण संबंधी निगरानी और आपदा संबंधी कार्रवाई:** प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई, ग्लेशियरों के पिघलने एवं महासागरों की स्थिति जैसे पर्यावरणीय बदलावों की रियल टाइम निगरानी के लिए SBS महत्वपूर्ण है।
    - भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्टोसैट उपग्रह इसका प्रमुख उदाहरण है।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा संग्रह:** SBS की मदद से ब्रह्मांडीय घटनाओं (जैसे- सोलर फ्लेयर्स, क्षुद्रग्रह और स्पेस वेदर) और पृथ्वी के अवलोकन से संबंधित डेटा का संग्रह संभव हो जाता है।

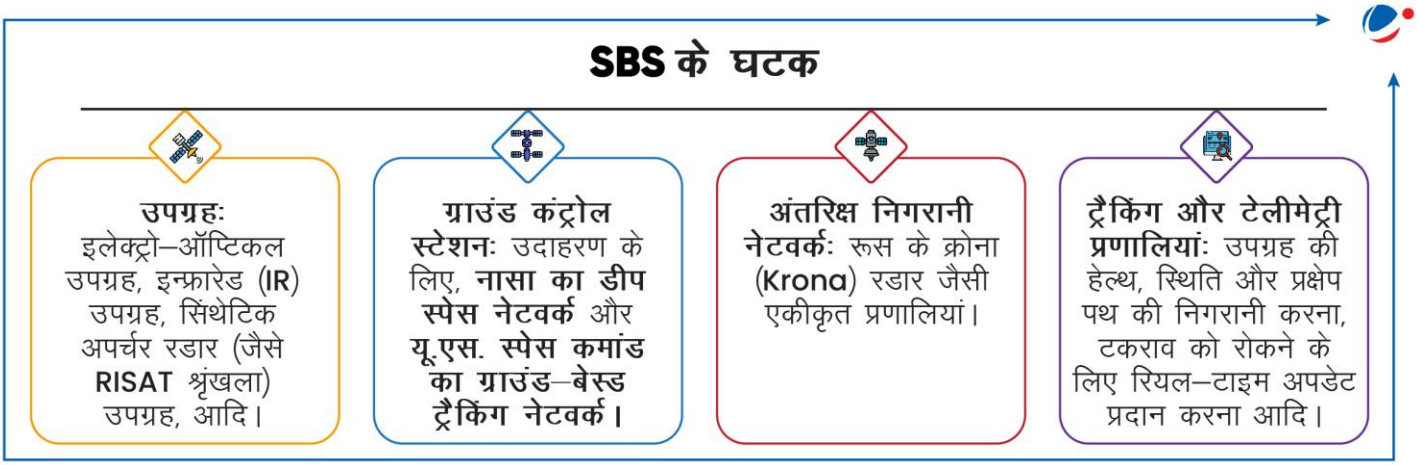

अंतरिक्ष-आधारित निगरानी (SBS) से जुड़ी चिंताएं

- **दोहरे उपयोग वाली तकनीक:** इरादों में अस्पष्टता एवं विनियामकीय अनुपालन के सत्यापन से जुड़ी हुई कठिनाइयों के कारण अंतरिक्ष आधारित निगरानी तकनीकों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण एवं सैन्य, दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
- **अंतरिक्ष के सैन्यीकरण और हथियारों की दौड़ की संभावना:** अंतरिक्ष में बढ़ती सैन्य रुचि ने हथियारों की दौड़ से जुड़ी चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि अलग-अलग राष्ट्र अंतरिक्ष में रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए, **वर्ष 2019 में अमेरिका ने स्पेस फोर्स की स्थापना की** और **रूस ने 2015 में एयरोस्पेस फोर्स** का गठन किया था। दोनों देशों का उद्देश्य अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है।

- **निजता का उल्लंघन:** हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले उपग्रह संभावित रूप से पृथ्वी पर आम जन की गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं, जिससे किसी की निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- **कानूनी और विनियामकीय अंतराल:** अंतरिक्ष के उपयोग से संबंधित आधारभूत संधियाँ, जैसे- बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967) अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को अनिवार्य करती हैं। इन संधियों में **अंतरिक्ष से निगरानी एवं अंतरिक्ष का आधुनिक सैन्य उपयोगों से संबंधित विषयों का अभाव** है।
- **अंतर्राष्ट्रीय तनाव:** अनधिकृत निगरानी से देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है और जासूसी के आरोप भी लग सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए- 2023 में, **अमेरिकी क्षेत्र में जासूसी करने वाले चीन के गुब्बारे का पता चलने से** दोनों देशों के **मध्य कूटनीतिक तनाव पैदा** हो गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से पैदा होने वाले संघर्षों के जोखिमों को दर्शाता है।
- **अंतरिक्ष मलबा और टकराव:** पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की बढ़ती संख्या से अंतरिक्ष मलबे या अन्य कार्यशील उपग्रहों के बीच टकराव का खतरा बढ़ जाता है।

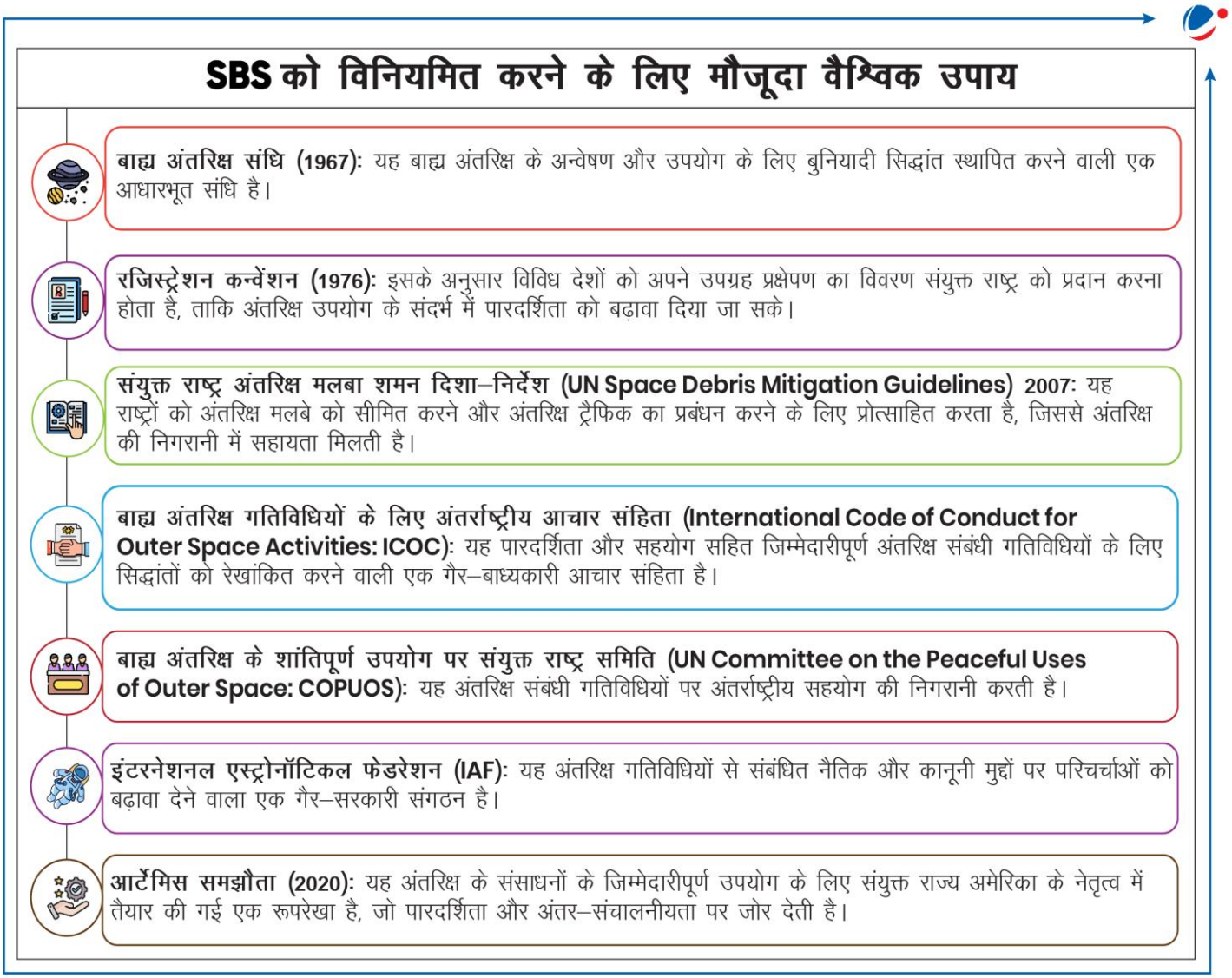

निष्कर्ष

अंतरिक्ष-आधारित निगरानी एक शक्तिशाली साधन है जिसमें पृथ्वी के बारे में हमारी समझ को नया रूप देने, आपदा संबंधी कार्रवाई को और बेहतर बनाने तथा वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने की क्षमता है। जैसे-जैसे हम उपग्रह प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के युग में कदम रख रहे हैं, वैसे-वैसे इन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना एवं जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देना भी आवश्यक हो गया है। अंतरिक्ष को साझा प्रगति और स्थिरता का क्षेत्र सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक समुदाय को एक पारदर्शी और न्यायसंगत फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए।

7.7. एकीकृत जीनोमिक चिप (Unified Genomic Chip)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **भारत में पशुधन के लाभ** के लिए **एकीकृत जीनोमिक चिप** और **स्वदेशी सेक्स-सॉर्टेड सीमेन प्रौद्योगिकी** लॉन्च की है।

शब्दावली को जानें

- **जीनोमिक्स:** यह किसी जीव के सभी जींस (जीनोम) का अध्ययन है, जिसमें जींस की एक-दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया भी शामिल है।

एकीकृत जीनोमिक चिप के बारे में

- यह एक **सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म (SNP)** चिप है।
- **उद्देश्य: इसे भारतीय मवेशी की नस्लों** के **जीनोमिक प्रोफाइलिंग** और **मूल्यांकन** के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - इसने देश में दूध उत्पादन के लिए पाले जाने वाले विविध मवेशियों की **आनुवंशिक क्षमता (आनुवंशिक सुधार)** को बढ़ाने के लिए **DNA तकनीकों** के सीधे उपयोग को सक्षम बनाया है।
    - ये चिप्स **किसानों को उच्च-गुणवत्ता वाले मवेशियों की जल्दी पहचान करने** और डेयरी फार्मिंग की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगी।
- **चिप के प्रकार:**
    - **गौ** चिप - गायों के लिए
    - **महिष** चिप - भैंसों के लिए
- इसे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के तहत कार्यरत **पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD)** के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा विकसित किया गया है।
    - इसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)[73], राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NAIB)[74], आदि शामिल हैं।

सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म (SNPs) के बारे में

- यह DNA अनुक्रम में भिन्नता को संदर्भित करता है जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, रिफरेन्स अनुक्रम से भिन्न होता है।
    - DNA अनुक्रम चार न्यूक्लियोटाइड क्षार की श्रृंखला से बनते हैं: **एडेनिन (A), साइटोसिन (C), गुआनिन (G),** और **थाइमिन (T)**
    - SNP में DNA के एक विशेष हिस्से में न्यूक्लियोटाइड गुआनिन की जगह **न्यूक्लियोटाइड थाइमिन (T)** ले सकता है।
- यह **मनुष्यों में आनुवंशिक भिन्नताओं** का सबसे सामान्य प्रकार है।
- आमतौर पर इनका उपयोग **शोध अध्ययनों में और आनुवंशिक परीक्षण कंपनियों द्वारा किया जाता है।**

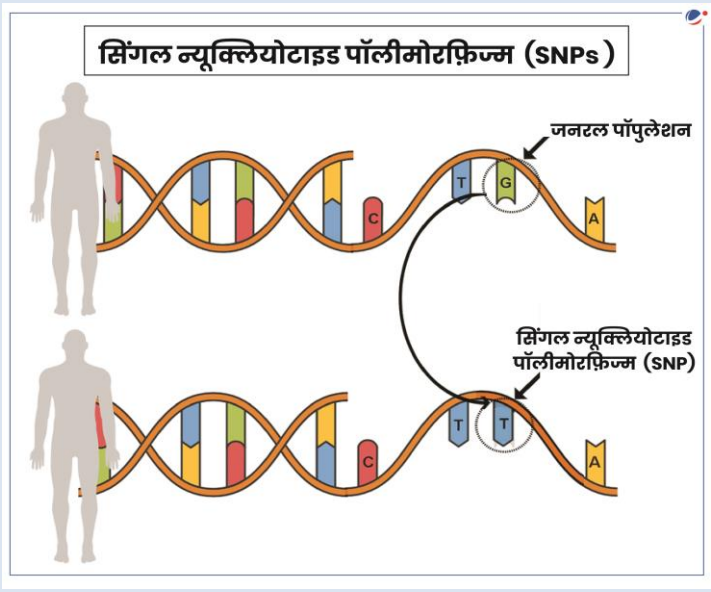

सेक्स-सॉर्टेड सीमेन प्रौद्योगिकी के बारे में

- सेक्स-सॉर्टेड सीमेन **'जेंडर सिलेक्टेड' सीमेन होता है, जिसका उपयोग मवेशियों और भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान (AI)** के लिए किया जाता है।

[73] National Dairy Development Board

[74] National Institute of Animal Biotechnology

- यह 90% से अधिक की सटीकता के साथ केवल मादा के जन्म को सुनिश्चित करता है, जबकि पारंपरिक सीमेन से नर और मादा के एक समान अनुपात (50:50) में पैदा होने की संभावना होती है।
- 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत, NDDB ने सेक्स सॉर्टेड सीमेन की स्वदेशी तकनीक विकसित की है।
    - अब तक इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित किया जाता था।

आनुवंशिक/ नस्ल सुधार के बारे में

- इसमें बेहतर आनुवंशिक लक्षणों वाले पशुओं का चयन किया जाता है, उनके वीर्य को संरक्षित कर फ्रीज किया जाता है और फिर इसे संबंधित प्रजनन क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। इस तकनीक से उच्च गुणवत्ता वाली नस्लें विकसित की जाती हैं, जिससे दूध उत्पादन और पशुओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।
    - इससे **स्वदेशी या देशी नस्लों के संरक्षण को भी बढ़ावा** मिलता है।
- इसमें **कृत्रिम गर्भाधान, इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF), एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी (ETT),** आदि अलग-अलग तकनीकें शामिल हैं।
- **आनुवंशिक/ नस्ल सुधार की आवश्यकता के पीछे की मंशा:**
    - **रोग मुक्त क्लोज़्ड हर्ड (झुण्ड) का निर्माण** करना।
    - **जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम और रोग-प्रतिरोधी** नस्लों का विकास करना।
    - इससे पशुधन के समग्र **आनुवंशिक पूल** में स्थायी वृद्धि होती है।
    - इससे **किसानों को सशक्त बनाने** और उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद मिलती है।
    - **विदेशी प्रजातियों** और संकर नस्लों पर **निर्भरता** कम हो जाती है।

आनुवंशिक/ नस्ल सुधार के लिए भारत द्वारा की गई अन्य पहलें

शब्दावली को जानें

- **जर्मप्लाज्म:** किसी जीव का वह आनुवंशिक पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हो सकता है।

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (2014):** इसे स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास व संरक्षण और गोजातीय आबादी के **आनुवंशिक अपग्रेडेशन** के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके तहत निम्नलिखित पहलें शुरू की गई है:
    - **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम** का कार्यान्वयन।
    - गोजातीय **इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक (IVF)** का उपयोग करके नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा।
    - उच्च आनुवंशिक गुणों वाले सांड (Bulls) पैदा करने के लिए संतति परीक्षण (Progeny Testing) और वंशावली चयन कार्यक्रम (Pedigree Selection Programme)।
    - **ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (MAITRIs)**[75] के माध्यम से किसानों के दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी।
    - नस्ल गुणन फार्म (Breed Multiplication Farm) की स्थापना।
- **इंडिगऊ (IndiGau):** यह भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है, जो गिर, कांकरेज, साहीवाल, ओंगोल आदि जैसी देशी मवेशियों की नस्लों की मूल किस्मों के संरक्षण के लिए निर्मित की गई है।
    - इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में NAIB द्वारा आरंभ किया गया है।
- **अन्य पहलें:**
    - **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)**[76]**, 2014** के तहत नस्ल सुधार एक महत्वपूर्ण घटक है।
    - **ई-पशुहाट पोर्टल:** इसका **उद्देश्य** गोजातीय जर्मप्लाज्म की उपलब्धता के संबंध में प्रजनकों (Breeders) और किसानों को आपस में जोड़ना है।
    - **पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क (INAPH)**[77]**:** इसे NDDB ने विकसित किया है। यह प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं पर रियल टाइम में विश्वसनीय डेटा कैप्चर करने की सुविधा प्रदान करता है।

---

[75] Multi Purpose Artificial Insemination Technicians in Rural India

[76] National Livestock Mission

निष्कर्ष

पशुओं के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स-सॉर्टेड सीमेन तकनीक के लॉन्च से मवेशियों की आनुवंशिक क्षमता और उत्पादकता में सुधार होगा। साथ ही, इससे किसानों की आय में वृद्धि और देश की खाद्य सुरक्षा को भी समर्थन मिलेगा।

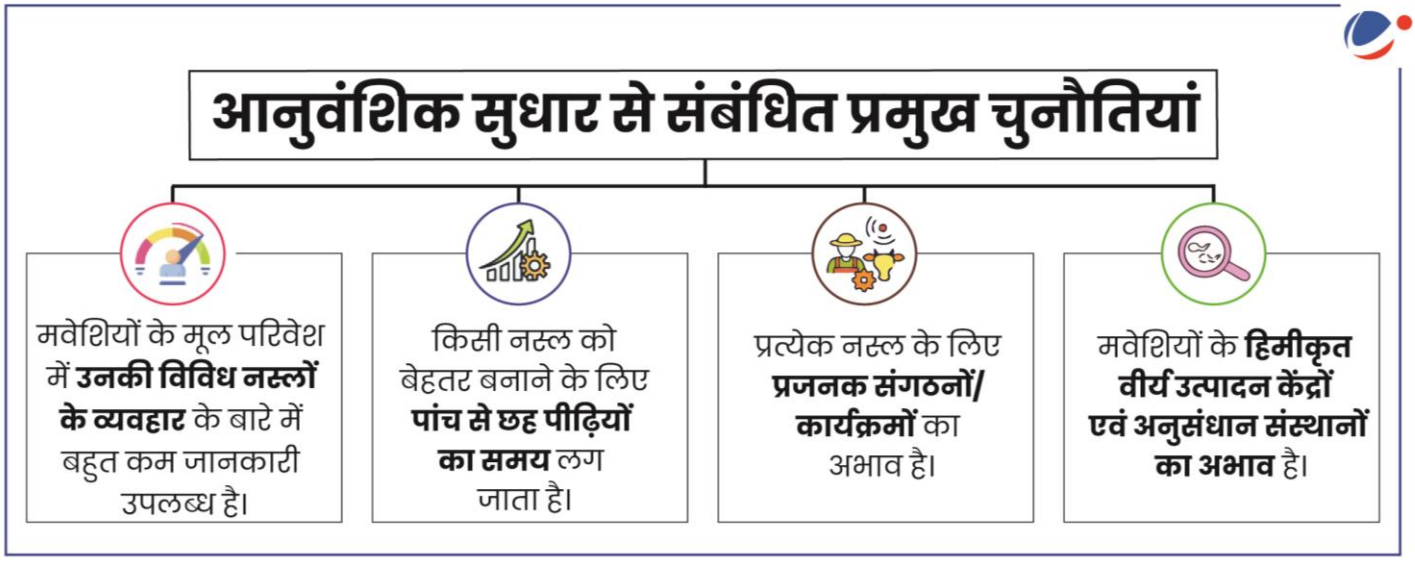

महत्वपूर्ण स्वदेशी गायों/ भैंसों की नस्लें	
गाय	
नस्ल	**ब्रीडिंग ट्रैक्ट**
गिर और कांकरेज	गुजरात
थारपारकर और साहीवाल	पंजाब और राजस्थान
बद्री	उत्तराखंड
देवनी, डांगी और खिल्लारी	महाराष्ट्र
ओंगोल	आंध्र प्रदेश
भैंस	
नस्ल	**ब्रीडिंग ट्रैक्ट**
बन्नी और जाफराबादी	गुजरात
भदावरी	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
मुर्रा	हरियाणा और दिल्ली
मेहसाणा	गुजरात और महाराष्ट्र

[77] Information Network for Animal Productivity and Health

7.8. भारत में दवा की गुणवत्ता (Drug Quality in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)[78] ने 49 दवाओं के नमूने 'मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं' पाए जाने के बाद विनिर्माताओं को अपने उत्पाद बाजार से वापस लेने का निर्देश दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- गुणवत्ता परीक्षण में असफल रहे दवाओं के नमूनों में **मेट्रोनिडाजोल टैबलेट** (संक्रमण के उपचार के लिए), **ऑक्सीटोसिन** इंजेक्शन, **मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड** (रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए), **डिक्लोफेनाक सोडियम** टैबलेट (दर्द निवारक) आदि शामिल हैं।
- हर महीने, बिक्री/ डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशन से दवाओं के नमूने लिए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और ऐसी दवाइयों की **सूची बनाई जाती है जो नकली तथा 'मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं' (NSQ)**[79] हैं। इसके पश्चात इन **दवाइयों की सूची को** CDSCO पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है।

खराब गुणवत्ता वाली दवाओं का वर्गीकरण (औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940)

वर्गीकरण	मानदंड
औषधियों में मानक गुणवत्ता (NSQ) का अभाव	→ औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में निर्धारित गुणवत्ता मानकों या विनिर्देशों को पूरा करने में विफलता।
नकली दवाएं	→ **किसी अन्य दवा के नाम** से आयातित दवा। → किसी अन्य दवा की **नकल/ विकल्प,** असली पहचान को छिपाना आदि। → किसी **काल्पनिक या नकली विनिर्माता** का नाम इस्तेमाल करना। → किसी अन्य दवा या पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित। → किसी ऐसे विनिर्माता का उत्पाद होने का दावा करना, जिसका यह वास्तव में उत्पाद नहीं है।
गलत ब्रांड वाली दवाएं	→ ऐसा रंग, कोटेड, पावडर्ड या पॉलिश किया हुआ जिससे नुकसान छिप जाए या उसकी औषधीय उपयोगिता वास्तविक से ज्यादा लगे। → निर्धारित नियमों के अनुसार लेबल न किया गया हो। → लेबल पर दवा के लिए कोई गलत या भ्रामक दावा किया गया हो।
मिलावटी दवाएं	→ किसी भी दूषित, सड़े हुए या ख़राब पदार्थ से बनी हों। → अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में तैयार, पैक या संग्रहित की गई हों। → कंटेनर में कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थ हो। → निर्धारित रंग के अलावा कोई अन्य रंग हो। → कोई हानिकारक या विषाक्त पदार्थ हो। → किसी भी ऐसे पदार्थ के साथ मिली हुई हो, जिससे उसकी गुणवत्ता या क्षमता कम हो जाए

भारत में दवाओं या औषधियों का विनियमन

- **CDSCO:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन **फार्मास्युटिकल क्षेत्रक के लिए प्राथमिक विनियामक निकाय है।**
  - यह **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम[80], 1940** और **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम[81], 1945** के प्रावधानों के तहत देश में **औषधियों, चिकित्सा उपकरणों और प्रसाधन सामग्री की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता को** विनियमित करता है।
- **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (DCA), 1940:** यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के साथ भारत में औषधियों के आयात, विनिर्माण, बिक्री एवं वितरण को विनियमित करता है।
  - विनियामक नियंत्रण **राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंसिंग और निरीक्षण की प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।**

[78] Central Drugs Standard Control Organisation

[79] Not of Standard Quality

[80] Drugs and Cosmetics Act

[81] Drugs and Cosmetics Rules

- **राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरण (SDRAs)[82]:** यह दवा विनिर्माण प्रतिष्ठानों को लाइसेंस देने, नकली दवाओं की बिक्री पर निगरानी रखने, मुकदमा चलाने और आपत्तिजनक विज्ञापनों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
- **सांविधिक निकाय:** DCA, 1940 में निम्नलिखित की स्थापना का प्रावधान है:
    - **औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB)[83]:** यह विनियमन के कार्यान्वयन से उत्पन्न तकनीकी मुद्दों पर केंद्र सरकार को मार्गदर्शन और सलाह देता है।
    - **औषधि परामर्शदात्री समिति (DCC)[84]:** यह एक सलाहकार समिति है, जो DCA के प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी मामले पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और DTAB को सलाह देती है।
    - **केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (CDL)[85]:** यह औषधि और प्रसाधन सामग्री के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वैधानिक प्रयोगशाला है।

भारत में दवा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे

- **अकुशल प्रवर्तन:** किसी एकल एजेंसी के अभाव में केंद्र और राज्यों के बीच विनियामक जिम्मेदारियों के विभाजन ने समन्वय की कमी पैदा की है, जिससे प्रभावशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **राज्य स्तरीय प्राधिकरणों (SLAs) के समक्ष चुनौतियां:** SLAs को अपर्याप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं, औषधि निरीक्षकों की कमी, नियमों की खराब समझ, अपर्याप्त निगरानी और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानूनी विशेषज्ञता की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **मानकों का पालन न करना: 2023 में, 10,500 विनिर्माण इकाइयों में से केवल 2,000 ही विश्व स्वास्थ्य संगठन- गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस (GMP)** मानकों के अनुरूप पाई गईं।
    - एक्टिव फ़ार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट (API) का बड़ा हिस्सा चीन, ताइवान तथा अन्य देशों से आयात किया जाता है, जिसके लिए प्रभावी गुणवत्ता निगरानी की आवश्यकता होती है।
- **वित्तीय आवंटन:** SDRAs और CDSCO वित्तीय रूप से सरकारी वित्त-पोषण पर निर्भर हैं, और उन्हें वित्तीय आवंटन के लिए अनुमोदन की जटिल प्रणाली से गुजरना पड़ता है।
- **सूचना संबंधी विषमता:** इस समस्या का प्रमुख कारण विनियमन चरणों के पूरा होने के लिए समय-सीमा का उल्लेख न होना, केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखने का अभाव, विनिर्माताओं के राष्ट्रीय डेटाबेस का अभाव तथा कानून के कार्यान्वयन में असमानता आदि है।
- **फार्माकोविजिलेंस की सीमित पहुंच:** मरीजों के साथ-साथ चिकित्सा संबंधी पेशेवरों के बीच भारतीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम की पहुंच सीमित है। साथ ही, प्रतिकूल दवा रिपोर्ट के बाद उठाए गए कदमों के बारे में भी बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है।
- **डेटा की विश्वसनीयता:** भारत में बायोअवेलेबिलिटी (नई दवा के शरीर में प्रभाव को समझने के लिए) और बायोइक्विवलेंस (मूल दवा और बाजार में लाई जाने वाली दवा के प्रदर्शन की तुलना के लिए) अध्ययनों में भारतीय विनिर्माताओं में डेटा की विश्वसनीयता से जुड़ी समस्याएं पाई गई हैं।

दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

- **'राज्यों की औषधि विनियामक प्रणाली को मजबूत बनाना (SSDRS):** यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों में प्रयोगशाला अवसंरचना को सक्षम बनाना तथा मौजूदा राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालयों को उन्नत बनाना है।
- **DCA 1940 में संशोधन:** औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 में नकली और मिलावटी दवाओं के विनिर्माण के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है तथा कुछ अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है।
- **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन:** इसके तहत विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करने से पहले केन्द्रीय एवं राज्य औषधि निरीक्षकों द्वारा दवा विनिर्माण प्रतिष्ठान का निरीक्षण अनिवार्य बनाया गया है।
    - **WHO- GMP** मानकों को एकीकृत करने के लिए नियमों की अनुसूची M को संशोधित किया गया है।

---

[82] State Drug Regulatory Authorities

[83] Drugs Technical Advisory Board

[84] Drugs Consultative Committee

[85] Central Drugs Laboratory

- **संशोधित औषधि प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना पुनर्गठन (PTUAS)[86]:** पहले यह योजना केवल MSMEs के लिए थी, लेकिन अब 500 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली किसी भी औषधि विनिर्माण इकाई को इस योजना का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम स्तर की औषधि कंपनियों को प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **विशेष न्यायालय:** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने DCA के अंतर्गत अपराधों के त्वरित निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की है।

आगे की राह

- **एकरूपता:** CDSCO में शक्तियों के अधिक केंद्रीकरण से देश भर में एक समान औषधि विनियामक मानकों को सुनिश्चित करना तथा DCC की विस्तारित भूमिका के माध्यम से CDSCO के साथ प्रभावी रूप से साझेदारी करने के लिए SDRAs को सशक्त बनाना चाहिए।
- **विनियमन को मजबूत बनाना:** विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करने, निरीक्षण, सैंपलिंग और परीक्षण (समग्र दवा गुणवत्ता) जैसे पहलुओं पर **प्राथमिकताएं तय करने और विनियामक संसाधनों में निवेश करने की** आवश्यकता है।
- **वित्त-पोषण:** औषधि विनियामक प्राधिकरणों के प्रभावी कामकाज के लिए राजस्व उत्पन्न करने और संवितरण में वित्तीय स्वायत्तता से वित्तीय आवंटन की जटिल और लंबी स्वीकृति प्रक्रिया से होने वाली देरी को दूर किया जा जाना चाहिए।
- **डिजिटल तकनीकों का उपयोग** करके मरीजों की सुरक्षा निगरानी और फार्माकोविजिलेंस को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है।

भारत में फार्मा उद्योग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #107: भारत: विश्व की फार्मेसी

7.9. एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance: AMR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 79वीं **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की उच्च स्तरीय बैठक में ग्लोबल लीडर्स ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)** पर एक राजनीतिक घोषणा-पत्र को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **इस घोषणा-पत्र में 2030 तक जीवाणु-जनित AMR से होने वाली अनुमानित 4.95 मिलियन वार्षिक मौतों को 10% तक कम करने के लिए स्पष्ट कार्य योजनाएं और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।**
  - AMR से निपटने के लिए, देश को न केवल स्थायी वित्तीय सहायता, बल्कि अतिरिक्त 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त-पोषण का भी आह्वान किया गया है।
- **इस घोषणा-पत्र में निम्नलिखित का आह्वान किया गया है:**
  - 2030 तक के लक्ष्य को हासिल करने के लिए **वैश्विक बहुक्षेत्रीय कार्रवाई की आवश्यकता है।**
  - **मानव स्वास्थ्य पर:** वैश्विक स्तर पर मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोग किए जाने वाले कम-से-कम 70% एंटीबायोटिक्स WHO एक्सेस समूह एंटीबायोटिक्स से होने चाहिए।
  - **कृषि और पशु स्वास्थ्य पर:** 2030 तक कृषि-खाद्य प्रणालियों में वैश्विक स्तर पर प्रयुक्त रोगाणुरोधी दवाओं की मात्रा को सार्थक रूप से कम करना।
  - **पर्यावरण पर:** पर्यावरण में रोगाणुरोधी के पहुंचने को रोकने और उसका समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

[86] Revamping Pharmaceuticals Technology Upgradation Assistance Scheme

एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) क्या है?

- **AMR एक ऐसी स्थिति है जब** बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी जैसे सूक्ष्मजीव अपने में इस तरह से बदलाव कर लेते हैं कि **उनके कारण होने वाले संक्रमण को ठीक करने के लिए प्रयुक्त दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं।**
- **AMR के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक:**
  - **औषधि विनिर्माण:** एंटीबायोटिक दवाओं के लिए एक्टिव फ़ार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट (API) के उत्पादन से उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्ट।
  - **कृषि:** पशुधन, जलीय कृषि आदि क्षेत्रों में विकास के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग।
  - **स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं:** अप्रयुक्त दवाओं, रोगी के मल, तथा एक्सपायरी दवाओं का अनुचित प्रबंधन एवं निपटान।
  - **अपशिष्ट प्रबंधन:** लैंडफिल लीचेट, अनुपचारित अपशिष्ट जल और सीवेज बहिःस्राव।

AMR से निपटने के लिए शुरू की गई पहलें

वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें:

	ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (GAP): यह AMR से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विकसित एक व्यापक योजना है।
	WHO की वैश्विक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस निगरानी प्रणाली (GLASS): इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर AMR पैटर्न को ट्रैक करने और प्रभावी कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए मानकीकृत डेटा संग्रह को बढ़ावा देना है।
	एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप: यह WHO, AFO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का त्रिपक्षीय सहयोग है।
	ReAct-एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पर कार्रवाई: यह WHO द्वारा सहायता प्राप्त स्वतंत्र नेटवर्क है।

भारत द्वारा शुरू की गई पहलें:

	AMR स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम: स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में एंटीमाइक्रोबियल की निगरानी करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान शुरू किया गया था।
	AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR), 2017: यह वन हेल्थ दृष्टिकोण पर केंद्रित है।
	राज्य मेडिकल कॉलेज प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय AMR निगरानी नेटवर्क (NARS-नेट): लोक स्वास्थ्य के महत्त्व के लिए प्राथमिकता वाले जीवाणु रोगजनकों के लिए AMR पर गुणवत्तापूर्ण डेटा सृजित करना।
	रेड लाइन अभियान: एंटीबायोटिक दवाओं के तर्कहीन उपयोग को रोकना।
	अनुचित फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) पर प्रतिबंध।
	केरल द्वारा ऑपरेशन अमृत (संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए AMR हस्तक्षेप): इसका उद्देश्य बिना डॉक्टर के पर्चे के एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर-द-काउंटर बिक्री का पता लगाना है।

AMR एक वैश्विक स्वास्थ्य खतरा क्यों है?

- **आर्थिक लागत: विश्व बैंक** का अनुमान है कि AMR के कारण **2050 तक स्वास्थ्य देखभाल पर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त** लागत आएगी।
    - दवा प्रतिरोधी संक्रमण **पशुओं और पादपों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं,** कृषि उत्पादकता को कम करते हैं तथा खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं।
- **आधुनिक चिकित्सा के लिए खतरे:** इससे संक्रमणों का इलाज कठिन हो जाता है तथा अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएं और उपचार, जैसे- **सर्जरी, सिजेरियन सेक्शन और कैंसर कीमोथेरेपी** अधिक जोखिमपूर्ण हो जाते हैं।
- **व्यापक पर्यावरणीय संदूषण:** एंटीबायोटिक दवाओं के अनुचित निपटान से पर्यावरणीय संदूषण होता है, जिससे प्रतिरोधी जीन के भंडार का निर्माण होता है।
- **सुभेद्य आबादी पर प्रभाव:** कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति, बुजुर्ग और बच्चे विशेष रूप से AMR-संबंधित संक्रमणों के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- **दवा संबंधी विकल्पों के लिए सीमित अनुसंधान एवं विकास:** प्रतिरोध के बढ़ते स्तर को देखते हुए वैकल्पिक उपचारों के लिए शुरुआती अनुसंधान एवं विकास अपर्याप्त है।

आगे की राह

- **एंटीबायोटिक विनिर्माण से निकलने वाले अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर WHO के मार्गदर्शन को लागू करना:** यह फार्मास्यूटिकल विनिर्माण से तरल अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। यह निम्नलिखित सिफारिशें भी करता है-
    - आंतरिक लेखापरीक्षा और सार्वजनिक संचार के साथ-साथ **खतरा विश्लेषण जैसे स्थापित टूल्स का** उपयोग करना।
    - जोखिम प्रबंधन योजनाओं के ठोस कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना तथा लक्ष्यों के अनुरूप परफॉरमेंस को सत्यापित करने के लिए **बाह्य लेखापरीक्षा और प्रमाणन कराना।**
- **वन हेल्थ एप्रोच:** मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को पहचानना और समग्र रूप से AMR का समाधान करना।
- **विनियमनों को मजबूत बनाना:** पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2019 औषधि उत्पादन इकाइयों से निकलने वाले उपचारित अपशिष्टों में 121 एंटीबायोटिक दवाओं के अवशिष्टों पर कठोर सीमाएं लगाता है। इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- **कृषि कार्य:** पशुधन और जलीय कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को सीमित करने के लिए जैविक खेती जैसी संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना:** स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं द्वारा एंटीबायोटिक के जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के लिए एंटीबायोटिक प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए।

संबंधित सुर्ख़ियां

नई औषधियों की परिभाषा में एंटीबायोटिक्स

- **औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB)** ने **नई औषधि और क्लिनिकल परीक्षण (NDCT) नियम, 2019** में नई औषधियों की परिभाषा में सभी एंटीबायोटिक दवाओं को शामिल करने की सिफारिश की है।
    - DTAB, **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)** के तहत देश में दवाओं से संबंधित **तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च वैधानिक संस्था है।**
- **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 122 E के तहत** नई औषधि को उस औषधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका देश में अभी तक उपयोग नहीं किया गया है।
    - इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित दावों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा इसे **सुरक्षित और प्रभावी नहीं माना जाता है।**
- **एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग से उत्पन्न AMR को रोकने के लिए** DTAB द्वारा सिफारिशें भी की गयी हैं।

7.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.10.1. 'एटम्स4फूड' ('Atoms4Food')

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के वैज्ञानिक फोरम 'एटम्स4फूड' (Atoms4Food) में भाग लिया।

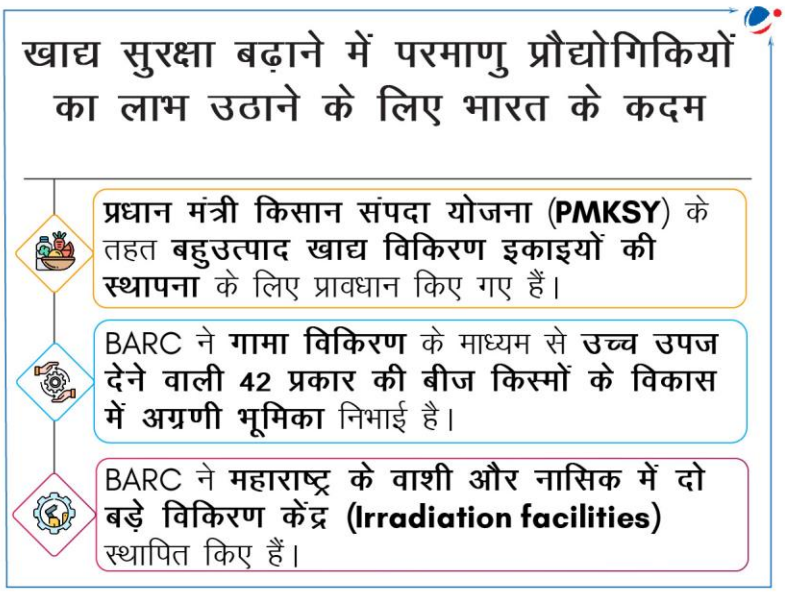

'एटम्स4फूड' के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) तथा खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने वर्ल्ड फूड फोरम रोम (इटली), 2023** में संयुक्त रूप से लॉन्च किया था।
- **उद्देश्य:**
  - यह फोरम **परमाणु तकनीकों के साथ-साथ अन्य उन्नत तकनीकों के लाभों का उपयोग** करके देशों को अनुकूल समाधान प्रदान करता है। इससे **कृषि और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने तथा खाद्य पदार्थों की हानि को कम** करने में मदद मिलती है।
  - देशों को **खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और बढ़ती भुखमरी से निपटने में मदद** करना।
    - FAO के अनुसार **2030 तक लगभग 600 मिलियन लोगों के कुपोषित होने का अनुमान** है।
    - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, **2050 तक दुनिया की आबादी में एक तिहाई की वृद्धि** होगी, और यह वृद्धि **ज्यादातर विकासशील देशों** में होगी।

कृषि क्षेत्रक के लिए परमाणु तकनीकें

- **विकिरण (Irradiation) तकनीक:** यह सूक्ष्मजीवों और कीटों को कम या खत्म करके खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है।
- **फॉलआउट रेडियोन्यूक्लाइड (FRN) तकनीक:** यह मिट्टी में **रेडियोन्यूक्लाइड की मात्रा का विश्लेषण करके मृदा अपरदन पैटर्न को मापती** है।
- **कॉस्मिक-रे न्यूट्रॉन सेंसर (CRNS) तकनीक:** यह मिट्टी से **परावर्तित कॉस्मिक-रे न्यूट्रॉन का पता लगाकर बड़े क्षेत्रों में मृदा में नमी** को मापती है।
- **रेडियोइम्यूनोसे (RIA) तकनीक:** यह **जानवरों में हार्मोन के स्तर** का पता लगाती है। इससे **कृत्रिम गर्भाधान के लिए सटीक समय** निर्धारित किया जा सकता है।
- **स्टरलाइट इन्सेक्ट तकनीक (SIT):** इसके तहत जंगली कीट आबादी के साथ मेटिंग के लिए बंध्या कीटों को खेतों में छोड़कर कीटों को नियंत्रित किया जाता है।
- **अन्य प्रौद्योगिकियां:**
  - **नाइट्रोजन-15:** यह पादप जड़ों में **नाइट्रोजन स्थिरीकरण** को मापने की तकनीक है;
  - **आइसोट्रोपिक ट्रेसिंग तकनीक:** यह फसल पोषण और जल प्रबंधन में उपयोगी है, आदि।

7.10.2. MACE वेधशाला का उद्घाटन (MACE Observatory Inaugurated)

परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने हानले (लद्दाख) में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट (MACE) वेधशाला का उद्घाटन किया

MACE वेधशाला का उद्घाटन **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के प्लेटिनम जुबली वर्ष समारोह** का एक हिस्सा था।

- DAE की स्थापना **1954 में** की गई थी। इसे **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1948 के तहत एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से प्रधान मंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार** में स्थापित किया गया है।
- DAE **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग** के लिए अनुसंधान और विकास का नेतृत्व करता है।

MACE वेधशाला के बारे में

- यह एशिया का **सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप** है। यह इस तरह का दुनिया में **दूसरा सबसे बड़ा टेलिस्कोप** है।
  - **चेरेनकोव टेलीस्कोप ऐरे (CTA)** दुनिया का सबसे बड़ा चेरेनकोव टेलीस्कोप है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसमें क्रमशः **स्पेन और चिली में स्थित दो ऐरे** शामिल हैं।
- यह लगभग **4,300 मीटर की ऊंचाई** पर स्थित है, जो दुनिया में अपनी तरह का **सबसे ऊंचाई** पर स्थित टेलीस्कोप है।
- **उद्देश्य:** ब्रह्मांड की उच्च-ऊर्जा वाली घटनाओं (जैसे- सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा-रे विस्फोट) को समझने के लिए **उच्च-ऊर्जा गामा किरणों का निरीक्षण** करना।
- इसका नाम वैज्ञानिक **पावेल एलेक्सेविच चेरेनकोव के नाम पर रखा** गया है। उन्होंने पाया था कि आवेशित कण कुछ स्थितियों के तहत गैर-चालक माध्यम से गुजरने पर चमक उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थितियों को **चेरेनकोव रेडिएशन** कहा जाता है।
- MACE को **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) और अन्य भागीदारों के समर्थन से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) द्वारा स्वदेशी** रूप से बनाया गया है।
- यह **हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम (HESS)** जैसी वैश्विक वेधशालाओं की भी पूरक होगी।

गामा किरणें क्या हैं?

- विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में किसी भी तरंग की तुलना में **गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी और ऊर्जा सबसे अधिक** होती है।
- **स्रोत:**
  - **ब्रह्मांड में:** जैसे- न्यूट्रॉन तारे व पल्सर, सुपरनोवा विस्फोट और ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र।
  - **पृथ्वी पर:** परमाणु विस्फोट, बिजली और रेडियोधर्मी क्षय जैसी गतिविधियां।

लद्दाख में हानले को वेधशाला के लिए क्यों चुना गया?

- **चांगथांग की हनले घाटी** औसत समुद्र तल से **4250 मीटर** की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थल एक **शुष्क व शीत मरुस्थल** है, जहां मानव आबादी बहुत विरल है।
- बादल रहित आकाश और अल्प मात्रा में वायुमंडलीय जलवाष्प इसे **ऑप्टिकल, इन्फ्रारेड, सब-मिलीमीटर और मिलीमीटर तरंगदैर्ध्य** के लिए दुनिया की सबसे उपयुक्त साइट्स में से एक बनाते हैं।
- 2022 में, **हानले डार्क स्काई रिजर्व (HDSR)** को खगोल-पर्यटन के लिए अधिसूचित किया गया था।

7.10.3. यूरोपा क्लिपर (Europa Clipper)

नासा का यूरोपा क्लिपर **बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के अन्वेषण के लिए लंबी यात्रा पर निकला।**

यूरोपा क्लिपर के बारे में

- **उद्देश्य:** इस तथ्य का पता लगाना कि क्या **यूरोपा में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं।**
  - साक्ष्यों से पता चलता है कि यूरोपा की बर्फ के नीचे **विशाल, लवणीय महासागर मौजूद है।** इसमें पृथ्वी से भी अधिक जल है।
- यह **नासा द्वारा किसी ग्रहीय मिशन** के लिए विकसित किया गया अब तक का **सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है।**
- यह **पृथ्वी की कक्षा के बाहर किसी अन्य ग्रह पर महासागरों का अध्ययन करने के प्रति समर्पित** पहला नासा मिशन भी है।
- यह **2030 में बृहस्पति की परिक्रमा शुरू करेगा और 2031 से यूरोपा के लिए फ्लाई बाय उड़ान भरेगा।**
- इसके उपकरणों में **बर्फ भेदने वाले रडार, कैमरे और एक तापीय उपकरण** शामिल हैं, जो जल के किसी भी हालिया प्रस्फुटन पर नजर रख सकते हैं।

7.10.4. लुपेक्स मिशन (LUPEX Mission)

राष्ट्रीय अंतरिक्ष पैनल ने भारत के 5वें चंद्र मिशन 'चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन (LUPEX)' को मंजूरी दी।

- यह **2040 तक चंद्रमा पर प्रथम भारतीय को भेजने और चंद्रमा से नमूने को पृथ्वी पर लाने वाले मिशन की आधारशिला** रखेगा।

लुपेक्स (LUPEX) मिशन के बारे में

- **उद्देश्य:** यह **चंद्रमा पर जल की मात्रा और गुणवत्ता की जांच** करेगा। साथ ही, चंद्रमा के **डार्क साइड का अन्वेषण** करने का प्रयास भी करेगा।

- चंद्रमा के डार्क साइड को **चंद्रमा का 'फार साइड'** भी कहते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि चंद्रमा का यह हिस्सा पृथ्वी के साथ चंद्रमा के **'टाइडल लॉकिंग'** के कारण पृथ्वी से कभी भी दिखाई नहीं देता है।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजना:** इसमें **इसरो "लूनर रोवर" और जापान की JAXA "लैंडर"** को विकसित करेगी।
  - **नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी रोवर** पर लगाए जाएंगे।
- **लैंडिंग स्थल:** इस मिशन के लिए लैंडिंग स्थल **चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव** होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में **जल मिलने की अधिक संभावना है।**
  - **हालांकि, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना निम्नलिखित के कारण चुनौतीपूर्ण है:**
    - इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश का अभाव है;
    - यह क्षेत्र पृथ्वी की लाइन ऑफ साइट में न होने के कारण संचार स्थापित करने में बाधा पैदा कर सकता है;
    - इस क्षेत्र में लैंडिंग के लिए समतल भू-भाग बहुत कम हैं।
  - **चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर** की सफल लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के **दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला** देश और चंद्रमा पर उतरने वाला **चौथा देश** बना दिया है। पहले तीन देश **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन हैं।**

7.10.5. रिमूव डेब्रिस इन-ऑर्बिट सर्विसिंग (RISE) मिशन (RISE Mission)

RISE यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का पहला इन-ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन है। यह पृथ्वी की कक्षा में ही ईंधन भरने, मरम्मत या नवीनीकरण करने और कक्षा में असेम्बलिंग करने जैसे कार्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है।

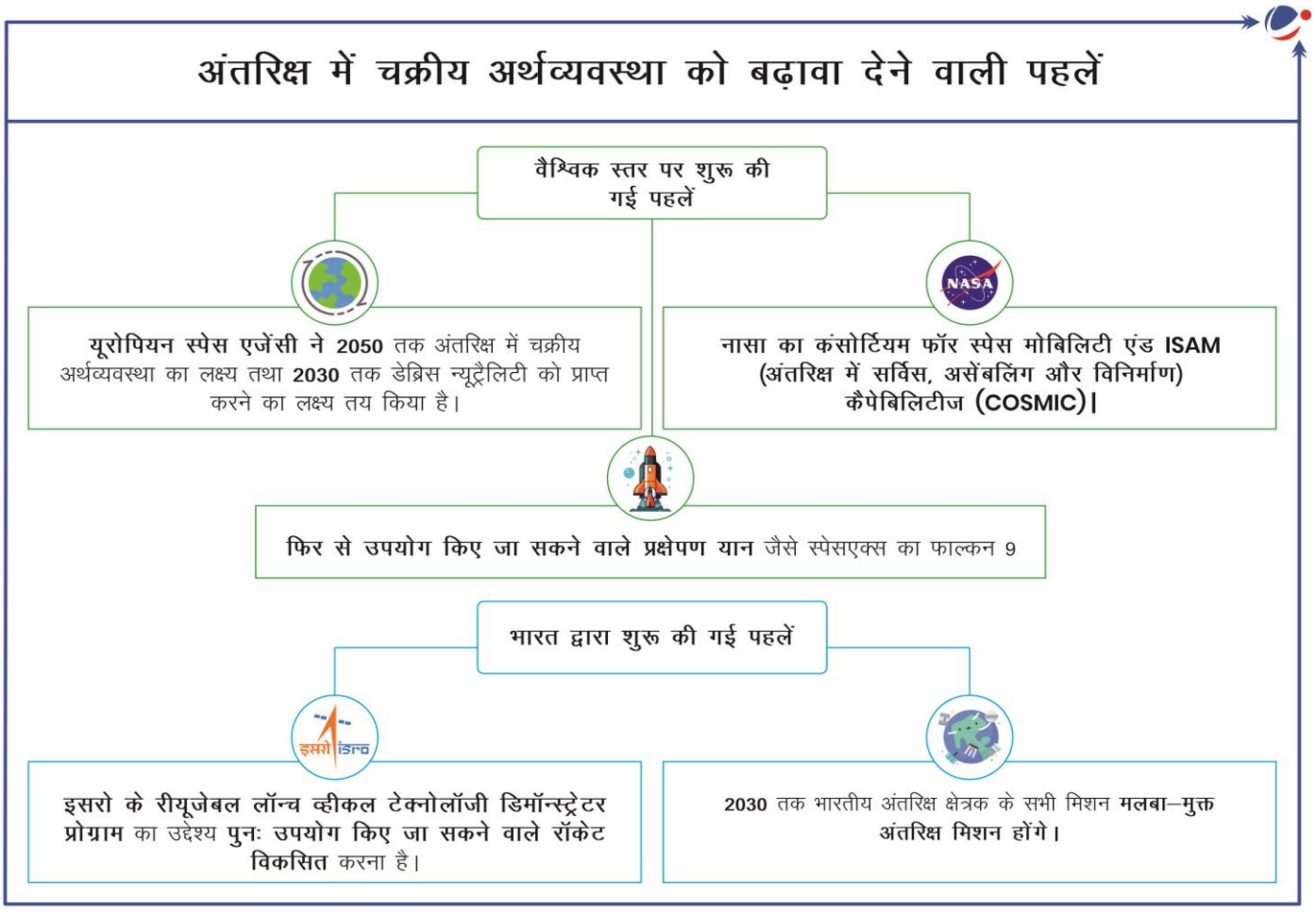

- इसे **2028 में प्रक्षेपित** किया जाएगा। इसमें **भू-स्थिर उपग्रहों को डॉक करने और उनकी कक्षा को नियंत्रित** करने की क्षमता होगी।
- RISE मिशन **भूस्थिर कक्षा से लगभग 100 कि.मी. और ऊंचाई** तक पहुंचेगा, जहां **सैटेलाइट्स को उनके मिशन समाप्त होने के बाद 'पार्क'** किया जाता है। इस **क्षेत्र को उपग्रहों का 'ग्रेवयार्ड'** भी कहा जाता है।

अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Space Economy) के बारे में

- अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी की ही व्यापक अवधारणा से ही प्रेरित है। चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य अपशिष्ट को कम करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना होता है।
- **अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक:**
  - उपग्रहों का नवीनीकरण और उसकी मरम्मत करना;
  - अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को हटाना,
  - क्षुद्रग्रहों या चंद्रमा से लाए गए संसाधनों का उपयोग करना आदि।

अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था का महत्त्व

- अंतरिक्ष में मौजूद मलबे की मात्रा को कम करने से मलबे व उपग्रहों के बीच टकराव और मलबे के अतिरिक्त निर्माण के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।
- अंतरिक्ष में सामग्रियों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के कारण संसाधनों का संरक्षण होगा।
- इससे उपग्रहों की कार्यशील अवधि को बढ़ाकर लागत को कम करने में मदद मिलेगी।
- अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों का सीधे कक्षा में असेम्बल और विनिर्माण करके तेजी से वहीं स्थापित किया जा सकेगा।

अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था की राह में चुनौतियां

- **तकनीकी सीमाएं:** पृथ्वी की कक्षा में सर्विसिंग, पुनर्चक्रण और क्षुद्रग्रह पर खनन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास करना काफी कठिन कार्य है।
- **वित्त-पोषण:** विशेष प्रकार के उपकरण विकसित करने, अनुसंधान एवं विकास आदि के लिए काफी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है।
- **विनियामकीय चुनौतियां:** अंतरिक्ष के संधारणीय उपयोग के लिए वैश्विक मानक और विनियमन स्थापित करना भी चुनौतीपूर्ण है।

7.10.6. मूनलाइट प्रोग्राम (Moonlight Programme)

हाल ही में, **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी** ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज (LCNS) प्रोग्राम लॉन्च किया है।

मूनलाइट प्रोग्राम के बारे में

- **उद्देश्य:** आगामी दो दशकों में अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों द्वारा नियोजित **400 से अधिक मून मिशनों के लिए सेवाएं** प्रदान करना।
- यह **पांच लूनर सैटेलाइट्स** का एक समूह होगा।
- **लाभ:**
  - सटीक व स्वचालित लैंडिंग और सरफेस मोबिलिटी सक्षम करना;
  - पृथ्वी और चंद्रमा के बीच उच्च गति वाले संचार व डेटा स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना;
  - चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कवरेज प्रदान करना आदि।
- **प्रारंभिक सेवाएं 2028 के अंत तक शुरू होने की** उम्मीद है। 2030 तक यह प्रणाली पूरी तरह से चालू हो जाएगी।

7.10.7. न्यूट्रिनो फॉग (Neutrino Fog)

हाल ही में, **LUX-ZEPLIN (LZ)** नामक अमेरिकी **डार्क-मैटर डिटेक्टर** 'न्यूट्रिनो फॉग' की मौजूदगी के कारण डार्क मैटर के किसी निश्चित कण की पहचान करने में विफल रहा।

- इससे पहले भी PandaX-4T (चीन) और XENONnT (इटली) जैसे अन्य प्रयोग भी डार्क मैटर के 'अज्ञात कणों' का पता लगाने में विफल रहे थे।
- डार्क मैटर अदृश्य पदार्थ है। ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थों में अधिकांश पदार्थ डार्क मैटर ही हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के वर्तमान स्वरूप के लिए जिम्मेदार हैं।
- LZ डिटेक्टर, संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा में सैनफोर्ड अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में स्थित है। यह पृथ्वी की सतह से 1.5 कि.मी. की गहराई में स्थित है।

न्यूट्रिनो फॉग के बारे में

- न्यूट्रिनो फॉग वास्तव में ब्रह्मांड में विशाल संख्या में उत्पन्न होने वाले न्यूट्रिनो के पार्श्व में गूंजने वाली आवाज (व्यवधान) है। इनके ब्रह्मांडीय स्रोतों में मुख्य रूप से सूर्य, सुपरनोवा और अन्य खगोलीय परिघटनाएं शामिल हैं।

- ये न्यूट्रिनो पदार्थ के साथ बहुत कम अंतर्क्रिया करते हैं। इस वजह से इन्हें पहचानना या डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि वे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त हैं।
- इस वजह से, संभावित डार्क मैटर और न्यूट्रिनो अंतःक्रियाओं से उत्पन्न संकेतों के बीच अंतर करना दुष्कर कार्य बन जाता है।

7.10.8. कैरॉन (CHARON)

वैज्ञानिकों ने नासा के **जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरॉन (प्लूटो के चंद्रमा) पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड** का पता लगाया है।

निष्कर्षों का महत्त्व:

- इससे **कैरॉन तथा प्लेटो के अन्य चन्द्रमाओं की उत्पत्ति को समझने** में मदद मिल सकती है।
- बाह्य सौर मंडल में **बर्फीले पिंडों की उत्पत्ति और विकास को समझने** में मदद मिलेगी।

कैरॉन के बारे में

- यह **प्लेटो के पांच चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है।**
- यह इतना बड़ा है कि **प्लूटो और कैरॉन दोहरे ग्रह की तरह एक दूसरे की परिक्रमा** करते हैं।
- प्लूटो एक **बौना ग्रह है तथा यह कुइपर बेल्ट में स्थित** है। कुइपर बेल्ट नेप्च्यून से परे **सौर मंडल के सुदूर क्षेत्र** में स्थित है।

7.10.9. स्काई शील्ड (Sky Shield)

स्विट्जरलैंड यूरोपीय स्काई शील्ड पहल (ESSI) में शामिल हुआ।

ESSI के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे **रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद 2022** में स्थापित किया गया था।
- यह **जर्मनी के नेतृत्व वाली यूरोपीय आयरन डोम शैली की एक रक्षा प्रणाली है।**
- **उद्देश्य:** हवाई हमलों के खिलाफ यूरोप की रक्षा को मजबूत करना, क्योंकि इससे नाटो की एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा मजबूत होगी।
- **सदस्य: यूनाइटेड किंगडम सहित 21 सदस्य** देश।
- इस पहल का मूल आधार **एरो 3 है, जो एक इजरायली-अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली** है। यह **लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक** सकती है।

7.10.10. ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रेपरेडनेस, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान {Global Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan (SPRP)}

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने SPRP की शुरुआत की।

SPRP के बारे में

- **उद्देश्य: डेंगू तथा एडीज मच्छर जनित अर्बोवायरस (जीका और चिकनगुनिया) के खतरों से निपटने में** वैश्विक समन्वित उपायों को बढ़ावा देना।
- **क्रियान्वयन अवधि:** एक वर्ष से अधिक, **सितंबर 2025** तक।
- **योजना के निम्नलिखित 5 प्रमुख घटक हैं:**
  - आपातकालीन समन्वय,
  - सहयोगात्मक निगरानी,
  - सामुदायिक सुरक्षा,
  - सुरक्षित और अधिक लोगों की स्वास्थ्य देखभाल, तथा
  - आवश्यक उपायों तक पहुंच।
- **अन्य वैश्विक पहलों के अनुरूप:** SPRP **वैश्विक वेक्टर नियंत्रण प्रतिक्रिया 2017-2030 और वैश्विक अर्बोवायरस पहल** के अनुरूप है।

7.10.11. संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (RPTUAS) {Revamped Pharmaceutical Technology Upgradation Assistance Scheme (RPTUAS)}

फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP) ने **संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (RPTUAS)** में संशोधन किया है।

- संशोधन के तहत **दवा कंपनियों के लिए प्रोत्साहन राशि** 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- सब्सिडी गणना के लिए पात्र व्ययों की सूची में **"उत्पादन उपकरण (Production equipment)"** नाम से एक नई श्रेणी जोड़ी गई है।

RPTUAS के बारे में:

- **उद्देश्य:** फार्मास्युटिकल उद्योग को **संशोधित अनुसूची-M एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन** के गुड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप अपग्रेड करने में सहायता करना।
- इस योजना के तहत वित्त-पोषण हेतु अधिक लचीले वित्तीय विकल्प दिए गए हैं। साथ ही, इसमें रीइंबर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी पर बल दिया गया है।

7.10.12. अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम (International Medical Device Regulators Forum)

हाल ही में, **"केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)"** अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम (IMDRF) का **एफिलिएटेड सदस्य** बन गया है।

- CDSCO, **केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

IMDRF के बारे में

- यह **2011** में स्थापित हुआ था। यह **चिकित्सा उपकरण विनियामकों का वैश्विक सहयोग समूह** है। यह संगठन चिकित्सा उपकरण पर **अंतर्राष्ट्रीय विनियमों में सामंजस्य और तालमेल स्थापित करने में मदद** करता है।
- इसके सदस्यों में अलग-अलग देशों के **राष्ट्रीय चिकित्सा विनियामक प्राधिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** आदि शामिल हैं।

7.10.13. भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा का उन्मूलन: विश्व स्वास्थ्य संगठन (India Eliminates Trachoma as a Public Health Problem: WHO)

नेपाल और म्यांमार के बाद भारत **दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र** में ऐसा **तीसरा** देश बन गया है, जिसने सफलतापूर्वक **ट्रेकोमा का उन्मूलन** किया है। ध्यातव्य है कि ट्रेकोमा एक **उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD)** है।

- इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत को दो अन्य NTDs **{गिनी वर्म (2000) और याज (2016)} से मुक्त** घोषित किया था।

ट्रैकोमा के बारे में

- यह रोग **मनुष्य की आंखों को संक्रमित** करता है। यह रोग **क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु** के संक्रमण से होता है।
  - यह एक संक्रामक रोग है जो रोगी व्यक्ति की **आंख, नाक आदि के संपर्क में आने से फैलता** है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है, तो संक्रमित व्यक्ति जीवन भर के लिए **दृष्टिहीन** हो सकता है।
- **भारत में स्थिति:** 1971 में ट्रेकोमा के कारण **दृष्टिहीनता 5%** थी। अब यह घटकर **1%** से भी कम हो गई है।
- **ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए किए गए प्रयास:** राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI), WHO की सेफ/ SAFE स्ट्रेटेजी जैसे प्रयास किए जा रहे हैं।

7.10.14. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने PMECRG और MAHA-EV पहलें शुरू की (ANRF Launches PMECRG and MAHA-EV Initiative)

ये ANRF की ऐसी शुरुआती दो पहलें हैं, जो **अकादमिक अनुसंधान और औद्योगिक उपयोग के बीच के अंतर को समाप्त** करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएंगी।

प्रधान मंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान (Prime Minister Early Career Research Grant: PMECRG) के बारे में-

- इस अनुदान को एक लचीले बजट के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें अनुसंधान को आसान बनाने हेतु प्रगतिशील पहलें शामिल हैं।
- **PMECRG निम्नलिखित पर केंद्रित है-**
  - उच्च गुणवत्ता वाले रचनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना;
  - शोधकर्ताओं को ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने में सक्षम बनाना;
  - तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाना;

व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति से संबंधित मिशन (MAHA) योजना के तहत मिशन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) (MAHA-EV) के बारे में-

- यह **आयात पर निर्भरता को कम करने और घरेलू नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख EV प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित** है।
- यह सरकार के **आत्मनिर्भर भारत** के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह पहल **निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी वर्टिकल्स पर ध्यान केंद्रित करती है-**
  - ट्रॉपिकल EV बैटरी और बैटरी सेल;
  - पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और ड्राइव; तथा
  - ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
- साथ ही, यह पहल EVs के लिए आवश्यक कल-पुर्जों के डिजाइन एवं विकास में घरेलू क्षमताओं को बढ़ाएगी।

इस पहल का महत्त्व:

- यह पहल भारत को **EV के घटकों के विकास** के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। साथ ही यह **वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा** भी देगी।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाकर, यह एक **हरित और संधारणीय भविष्य में योगदान** देगी।

7.10.15. केंद्रीय कैबिनेट ने AVGC-XR के लिए 'राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE)' को मंजूरी दी {Union Cabinet Approves National Centre of Excellence (NCOE) for AVGC-XR}

2022-23 के बजट में **एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR)** क्षेत्र के लिए एक **टास्क फोर्स** गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसी प्रस्ताव के अनुसरण में AVGC-XR के लिए **राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE)** का गठन किया गया है।

- इससे **भारत में क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा** मिलेगा।

NCoE की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:

- इसे **कंपनी अधिनियम, 2013** की **धारा 8** के तहत स्थापित किया जाएगा।
- इसका अस्थायी नाम **इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स (IIIC)** रखा गया है।
- यह **AVGC-XR** क्षेत्र से जुड़े **स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए एक इनक्यूबेशन सेंटर** के रूप में कार्य करेगा।

AVGC-XR के लिए 'राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र' के लाभ:

- **AVGC-XR क्षेत्र में व्यापक वृद्धि की क्षमता:** उदाहरण के लिए- फिक्की-EY रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में एनीमेशन उद्योग की वृद्धि दर 25% है और इसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 46 बिलियन रुपये (2023) है।
- **अलग-अलग इमर्सिव प्रौद्योगिकियों के लिए ट्रायल की सुविधा:** इन प्रौद्योगिकियों में वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), मिक्स्ड रियलिटी (MR) और 3D मॉडलिंग शामिल हैं।

- **स्वदेशी बौद्धिक संपदा (IP) का सृजन:** इससे **घरेलू जरूरतों को पूरा करने और वैश्विक स्तर पर भी विस्तार करने के साथ-साथ भारत की डिजिटल क्रिएटिव इकोनॉमी** के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- **रोजगार के अवसर:** इससे संबंधित शिक्षा, कौशल उद्योग, विकास एवं नवाचार के क्षेत्र में 5,00,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
- **इससे वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने** और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में

यह क्रिएटिव एसेट्स पर आधारित एक उभरती हुई अवधारणा है। इसमें देश की **आर्थिक संवृद्धि और विकास को बढ़ावा देने की व्यापक क्षमता है।**

मूल रूप से देखें तो यह **ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधि** है, जिस पर 'क्रिएटिव इंडस्ट्रीज' आधारित हैं।

भारत में इस उद्योग का आकार लगभग 30 बिलियन डॉलर है तथा यह भारत की लगभग **8% कार्यशील जनसंख्या को रोजगार** भी प्रदान करता है।

क्रिएटिव इंडस्ट्रीज या रचनात्मक उद्योगों में प्राथमिक इनपुट के रूप में **रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा का उपयोग करते हुए उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं व सेवाओं का सृजन, उत्पादन एवं वितरण** किया जाता है।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

ऑप्शनल सब्जेक्ट
टेस्ट सीरीज़

- ✓ भूगोल
- ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र
- ✓ हिंदी साहित्य
- ✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रारंभ: 10 नवंबर

8. संस्कृति (Culture)

8.1. शास्त्रीय भाषा (Classical Language)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **मराठी** (महाराष्ट्र), **पाली और प्राकृत** (बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश), **असमिया** (असम) और **बंगाली** (पश्चिम बंगाल) भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी।

शास्त्रीय भाषा के बारे में

- शास्त्रीय भाषाएं भारत की समृद्ध और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक हैं। ये भाषाएं अपने बोलने वाले समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- भारत सरकार ने पहली बार **2004 में भाषाओं की एक नई श्रेणी 'शास्त्रीय भाषाएं' की स्थापना** की।
    - शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने हेतु प्रस्तावित भाषाओं की पात्रता की जांच करने के लिए 2004 में **संस्कृति मंत्रालय ने साहित्य अकादमी** के तहत **भाषाई विशेषज्ञ समिति (LEC)** का गठन किया।
- **शास्त्रीय भाषा का दर्जा के लिए 2005 का संशोधित मानदंड निम्नलिखित है:**
    - संबंधित भाषा के प्रारंभिक **ग्रन्थ अति-प्राचीन** होने चाहिए। इस भाषा का **1500-2000 वर्षों का अभिलेखित इतिहास** होना चाहिए।
    - संबंधित भाषा का **प्राचीन साहित्य/ ग्रंथों का अपना संग्रह** होना चाहिए। साथ ही, इस भाषा को बोलने वाली **कई पीढ़ियां इन प्राचीन साहित्य/ ग्रंथों को अपनी विरासत मानती** हों।
    - उसकी **साहित्यिक परंपरा मौलिक** होनी चाहिए और **किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं** ली गई होनी चाहिए। *(वर्तमान में यह मानदंड हटा दिया गया है। इसका आगे वर्णन किया गया है।)*
    - शास्त्रीय भाषाएं और इनके साहित्य **अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो** सकते हैं। इसका अर्थ है कि **मूल भाषा-साहित्य, अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग स्वरूप वाले** हो सकते हैं।
- इससे पहले, छह भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ये हैं; **तमिल** (2004), **संस्कृत** (2005), **तेलुगु और कन्नड़** (2008), **मलयालम** (2013) और **उड़िया** (2014)।
    - ये सभी शास्त्रीय भाषाएं **संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध** हैं।

- किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड को 2024 में **भाषाई विशेषज्ञ समिति ने** फिर से संशोधित किया था (इन्फोग्राफिक देखें)।
    - **'मौलिक साहित्यिक परंपरा' संबंधी मानदंड को 2005 के संशोधित मानदंडों से हटा** दिया गया। समिति के अनुसार **'मौलिक साहित्यिक परंपरा को साबित करना या अस्वीकार करना बहुत मुश्किल** है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी प्राचीन भाषाएं एक-दूसरे से प्रभावित रही हैं।

नई शास्त्रीय भाषाओं के बारे में

- **प्राकृत:** यह **इंडो-आर्यन (भारोपीय) भाषाओं का निकटता से संबंधित एक समूह** है। दरअसल प्राचीन भारत में संस्कृत अभिजात वर्ग की बोलचाल और साहित्यिक कृतियों तक सीमित थी, वहीं प्राकृत आमजन की भाषा थीं।
    - **प्राकृत वास्तव में क्षेत्रीय भाषा उप--प्रकारों को दर्शाती है।**
    - लगभग दूसरी या तीसरी शताब्दी से भारतीय उपमहाद्वीप में कई साहित्यिक ग्रंथों को प्राकृत में लिखा गया।
        - **बौद्ध साहित्य** पालि भाषा में लिखे गए हैं। यह प्राकृत भाषा का एक रूप है।
    - प्रथम चार या पांच शताब्दियों में **दक्षिण एशिया के राजवंशों के शासकों के कई शिलालेखों** में इस भाषा का उपयोग किया गया है।
        - गुप्तकाल से पहले के शिलालेख विशेषकर अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं।
    - **गुप्त शासकों के समय तक**, प्राकृत भाषा का मानकीकरण हो गया था और इसने **अपनी स्थानीय विशेषताएं** खो दी थी।

प्राकृत भाषा के अन्य रूप

- **अर्धमागधी प्राकृत:** यह **प्राचीन मगध साम्राज्य** (आधुनिक बिहार) और मौर्य साम्राज्य में बोली जाती थी।
    - भगवान महावीर का जन्म मगध में हुआ था। **सबसे प्रारंभिक जैन ग्रंथ अर्धमागधी में** लिखे गए थे।
- **शौरसेनी प्राकृत:** मूल रूप से आधुनिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाती थी।
    - शौरसेनी भाषा विशेष रूप से महिलाओं और समाज के हाशिये वाले तबके के सम्मानित लोगों द्वारा नाटक मंचन के दौरान बोली जाती थी।
- **महाराष्ट्री:** यह उत्तर-पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में बोली जाती थी।
    - महाराष्ट्री प्राकृत साहित्यिक भाषा थी, जो विशेष रूप से गीतों की रचना के लिए उपयोग की जाती थी।

- **पालि:** पारंपरिक रूप से इसकी **पहचान मागधी प्राकृत** से की गई है। **धम्मपद** जैसी प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक रचनाएं और **जातक कथाएं पालि** भाषा में लिखी गई हैं।
    - पालि को थेरवाद बौद्ध संप्रदाय की भाषा के रूप में जाना जाता है। **बौद्ध पालि ग्रन्थ तीन सामान्य भागों या तीन पिटारी में विभाजित** है। इन्हें **त्रिपिटक** कहा जाता है। इनमें शामिल हैं:
        - **विनय पिटक (अनुशासन ग्रंथ):** यह बौद्ध संघ और मठ के नियमों या अनुशासन से संबंधित ग्रंथ है।
        - **सुत्त पिटक (उपदेश ग्रंथ):** यह सबसे बड़ा त्रिपिटक है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश, और कुछ धार्मिक कविताएं शामिल हैं।
        - **अभिधम्म पिटक:** यह बौद्ध धर्म के दर्शन का संग्रह है।
- **मराठी:** मराठी इंडो-आर्यन (भारोपीय) भाषा है। **आधुनिक मराठी का उद्भव महाराष्ट्री प्राकृत** से हुआ है, जो पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी। गौरतलब है कि **महाराष्ट्री प्राकृत सातवाहनों की राजकीय भाषा** थी।
    - आधुनिक मराठी का सबसे प्रारंभिक प्रमाण सतारा के एक ताम्र-पट्टिका शिलालेख से पाया गया है, जो 739 ई. का है।
- **बंगाली और असमिया:** इन दोनों भाषाओं की **उत्पत्ति मागधी प्राकृत** से हुआ है। **मागधी प्राकृत** पूर्वी भारत में लोकप्रिय भाषा थी। **मागधी, मगध दरबार की राजकीय भाषा** थी।

शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के लाभ

- **वित्तीय सहायता:** शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से उस भाषा के विकास के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। इससे **अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, अकादमिक खोजों को प्रोत्साहन मिलता है और भाषा को संरक्षित रखने, बढ़ावा देने और संरक्षित करने में मदद** मिलती है।
- **दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण:** शास्त्रीय भाषा का दर्जा पांडुलिपियों और प्राचीन ग्रंथों के दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए व्यवस्थित प्रयासों को बढ़ावा मिलता है। इससे भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित रखा जा सकता है।
- **सांस्कृतिक पहचान में वृद्धि:** यह दर्जा संबंधित भाषा के बारे में **जागरूकता बढ़ाता है, बोलने वालों की भाषाई पहचान को मजबूत करता है** तथा राष्ट्रीय और वैश्विक संस्कृति में उनकी भाषा के योगदान पर गर्व का एहसास दिलाता है।
- **रोजगार:** इन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेज़ीकरण और डिजिटलीकरण के कार्यों से **संग्रह, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में रोजगार के अवसर पैदा** होंगे।

- उदाहरण के लिए, शास्त्रीय भाषाओं से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है; स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है; इवेंट मैनेजमेंट, पर्यटन और आतिथ्य-सत्कार में रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है।

- **अध्ययन केंद्र:** शास्त्रीय भाषा के दर्जे के साथ, **विश्वविद्यालयों और संस्थानों को इन भाषाओं के अध्ययन के लिए विशेष केंद्र स्थापित** करने, उनकी दृश्यता बढ़ाने और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए फंड प्राप्त होता है।
  - उदाहरण के लिए, प्राचीन तमिल ग्रंथों का अनुवाद करने और तमिल में कोर्स शुरू करने के लिए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई है।

शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **विशेष संस्थानों की स्थापना:**
  - **संस्कृत के लिए:** राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली; महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन; राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति; आदि।
  - **तेलुगु और कन्नड़ के लिए:** केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) में संबंधित भाषाओं के लिए 2011 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज स्थापित किए गए।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020:** इसमें शास्त्रीय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में भारत की शास्त्रीय भाषाओं के लिए भाषा पीठ की स्थापना का समर्थन करता है।
- **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन:** इसका मुख्य उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और ऑनलाइन प्रसार है।
  - अधिकतर भारतीय लिपियों का उपयोग लेखन के लिए किया गया है। 70% पांडुलिपियां संस्कृत भाषा में हैं। अन्य 30% पांडुलिपियां असमिया, बंगाली, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल आदि भाषाओं में लिखी गई हैं।
- **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार:** शास्त्रीय भाषाओं के क्षेत्र में उपलब्धियों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए गए हैं।

निष्कर्ष

शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करके, केंद्र सरकार भारत के विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों की भाषाई विविधता का संरक्षण करना चाहती है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाली पीढ़ियां शास्त्रीय भाषाओं की गहरी ऐतिहासिक जड़ों के बारे में जान सकें और उन पर गौरवान्वित महसूस कर सकें। इसके अलावा, सरकार का यह कदम भाषाई विविधता के महत्त्व की भी पुष्टि करता है और देश की सांस्कृतिक पहचान को दिशा देने में शास्त्रीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है।

भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #123: भारत की सांस्कृतिक विरासत: अतीत का संरक्षण, भविष्य के लिए प्रेरणा

8.2. श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर (Kartarpur Sahib Corridor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और पाकिस्तान ने **श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने पर सहमति** व्यक्त की है।

डेरा बाबा नानक - श्री करतारपुर साहिब तीर्थयात्रा के बारे में

- गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित है। यह **भारत के पंजाब के गुरदासपुर जिले के ऐतिहासिक शहर डेरा बाबा नानक के पास भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है।**
  - **करतारपुर गांव, रावी नदी के पश्चिमी तट** पर स्थित है।
  - **गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक** रावी नदी के **पूर्वी तट** पर है।

श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते के बारे में

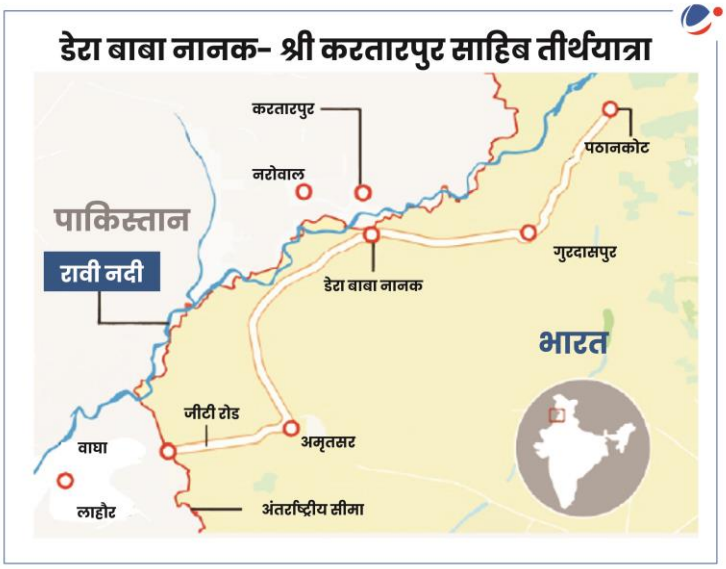

- श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते पर मूल रूप से 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह **5 वर्षों के लिए वैध** था। इसलिए, इसे नवीनीकृत किया गया है।
- इस समझौते के तहत, भारतीय तीर्थयात्रियों और **ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों** को भारत से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर तक **वर्ष भर दैनिक आधार पर वीजा-मुक्त यात्रा का प्रावधान** किया गया है।
  - हालांकि, **पाकिस्तानी सिखों को इस गलियारे का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।** वे भारतीय वीज़ा प्राप्त किए बिना भारत में डेरा बाबा नानक तक नहीं जा सकते हैं।
- गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने वाले **सभी तीर्थयात्रियों को उसी दिन भारत वापस लौटना होता है।**
- **पाकिस्तान** प्रत्येक तीर्थयात्री से प्रत्येक यात्रा के लिए **20 अमेरिकी डॉलर** वसूलता है।
- इस समझौते के तहत, **इस गलियारे से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की आस्था पर कोई प्रतिबंध नहीं** है।

करतारपुर साहिब गलियारे का महत्त्व

- **सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व**
  - करतारपुर **गुरु नानक देव जी का अंतिम विश्राम स्थल** था। इस स्थान पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।
    - ऐसा माना जाता है कि **गुरु नानक ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के कई शबद की रचना** करतारपुर में की थी।
    - **गुरु का लंगर नामक सामुदायिक भोजन** भी करतारपुर में ही शुरू किया गया था, जो सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
  - **गुरु नानक देव ने सबसे पहले यहां सिख धर्म के तीन नियमों का पालन किया था:**
    - **किरत करो** (ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका कमाना); **वंड छको** (धन, संपत्ति और प्रतिभा को जरूरतमंदों के साथ बांटो) और **नाम जपो** (पाठ, जप और कीर्तन के माध्यम से ध्यान) को मुक्ति का मार्ग माना जाता है।
- **शांति और कूटनीति:** यह गलियारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देता है। यह राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ाने में मदद करता है।

महत्वपूर्ण सिख तीर्थ स्थल

- **गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान** (ननकाना साहिब, पाकिस्तान)- गुरु नानक का जन्मस्थान
- **गुरुद्वारा बेर साहिब** (सुल्तानपुर लोधी, पंजाब)
- **श्री अकाल साहिब तख्त** {श्री हरिमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) अमृतसर}
- **तख्त श्री केशगढ़ साहिब** (आनंदपुर साहिब, पंजाब)
- **तख्त श्री दमदमा साहिब** (तलवंडी साबो, पंजाब)
- **तख्त श्री पटना साहिब** (बिहार)
- **तख्त श्री हजूर साहिब** (नांदेड़, महाराष्ट्र)

8.3. सुप्रीम कोर्ट में नया ध्वज, प्रतीक चिन्ह और न्याय की देवी की नई प्रतिमा (New Flag, Insignia and Lady Justice at Supreme Court)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिह्न का अनावरण किया। वहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में 'न्याय की देवी' (लेडी ऑफ जस्टिस) की नई प्रतिमा का अनावरण किया।

'न्याय की देवी' की प्रतिमा के बारे में

- **उत्पत्ति: ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी**
  - प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस ने **देवी जस्टिटिया (Justitia)** के रूप में न्याय की पूजा शुरू की थी।

- **चित्रण:** एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार।
- **पुनर्जागरण काल (14वीं शताब्दी) के दौरान आंखों पर पट्टी बांधने का प्रचलन शुरू हुआ:** इसे तब न्यायिक प्रक्रिया के भ्रष्ट होने और कानून के अंधे होने पर व्यंग्य के रूप में समझा जाता था।
- **प्रबोधन काल (17वीं-18वीं शताब्दी):** आधुनिक काल में माना जाने लगा कि आंख पर पट्टी दर्शाती है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और यह कानून के अंधे होने का संकेत देती है।
    - ब्रिटिशर्स ने भारत में लेडी जस्टिस की प्रतिमा स्थापित करने की शुरुआत की। इस पारंपरिक मूर्ति को पहली बार **1872 में कलकत्ता हाई कोर्ट** में स्थापित किया गया था।

'न्याय की देवी' की नई प्रतिमा का महत्त्व

- **उपनिवेशवाद से मुक्ति:** नई प्रतिमा ब्रिटिश काल की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश है।
- **भारतीय परिधान:** न्याय की देवी की मूर्ति पश्चिमी परिधानों की बजाय **साड़ी पहने हुए** दिखाई गई है।
- **नई मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई:** पुरानी मूर्ति की आंखों पर पट्टी यह दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। हालांकि, यह कानून के अंधे होने का संकेत भी देती थी। नई मूर्ति दर्शाती है कि **कानून अंधा नहीं है और उसकी नजर में सभी बराबर हैं।**
    - खुली आंखें समाज के भीतर जटिलता और भेदभाव के बारे में ज्ञान का भी प्रतीक है।
- **नई प्रतिमा में तलवार की जगह भारतीय संविधान:**
    - संविधान की सर्वोच्चता और हमारे न्यायशास्त्र में इसके महत्त्व का प्रतीक है।
    - भारत में न्याय हिंसा या बल की बजाय संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है।
- मूर्ति के **दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया:** यह दर्शाता है कि न्यायालय किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले **दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखता तथा सुनता है।**

सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज	सुप्रीम कोर्ट का नया प्रतीक चिन्ह

सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह के बारे में

- **संकल्पना: राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली** द्वारा।
- **ध्वज की विशेषताएं:** अशोक चक्र (शीर्ष पर) प्रतिष्ठित सर्वोच्च न्यायालय भवन (मध्य में) और संविधान की पुस्तक (नीचे)।
- प्रतीक चिन्ह पर **'भारत का सर्वोच्च न्यायालय' (रोमन में)** और **'यतो धर्मस्ततो जयः' (देवनागरी लिपि में)** अंकित है।
    - **यतो धर्मस्ततो जयः** एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है **"जहाँ धर्म है वहाँ जय (जीत) है।"**

8.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.4.1. साहित्य का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Literature)

दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका यह काव्यात्मक गद्य **ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को केंद्र** में रखता है।

नोबेल पुरस्कारों के बारे में

- **स्थापना:** ये पुरस्कार **अल्फ्रेड नोबेल** की वसीयत द्वारा स्थापित किए गए थे। ये पुरस्कार पहली बार **1901** में दिए गए थे। प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी के तहत **10 मिलियन क्रोनर** की राशि दी जाती है।
- नोबेल पुरस्कार **अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार** हैं। इनका प्रशासन **स्टॉकहोम (स्वीडन) में स्थित नोबेल फाउंडेशन** करता है। ये पुरस्कार **छह श्रेणियों में हर साल** दिए जाते हैं।
  - ये 6 श्रेणियां हैं- **चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति।**
  - **1968** में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में **आर्थिक विज्ञान पुरस्कार (अर्थशास्त्र में नोबेल) की स्थापना** की थी।
- **1974** से नोबेल फाउंडेशन के नियमों में यह प्रावधान किया गया कि यह **पुरस्कार मरणोपरांत नहीं** दिया जाएगा। यदि पुरस्कार की घोषणा के बाद संबंधित व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पुरस्कार देने का प्रावधान है।

8.4.2. नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize)

2024 का नोबेल शांति पुरस्कार **जापानी संगठन निहोन हिडांक्यो को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों** के लिए दिया गया है।

- यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमले से बचे लोगों का एक जमीनी स्तर का आंदोलन है।

नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में

- यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है, जो **"राष्ट्रों के बीच भाईचारे, स्थायी सेनाओं के उन्मूलन/ कमी और शांति सम्मेलनों के आयोजन एवं प्रचार"** के लिए कार्य करते हैं।
- 2017 में यह पुरस्कार **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन अभियान (ICAN)** को दिया गया था। इस अभियान को यह पुरस्कार **परमाणु हथियार निषेध संधि** के लिए अभूतपूर्व कार्यों सहित परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों के लिए दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इस संधि को **2017** में अपनाया था।

8.4.3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के विकास को मंजूरी दी (Cabinet Approves Development of NMHC at Lothal, Gujarat)

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) को **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागरमाला कार्यक्रम** के तहत विकसित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के बारे में

- **उद्देश्य:** भारत की **समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित** करना। साथ ही, विश्व में **सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर** बनाना।
- **लोथल का महत्त्व:** यह **खंभात की खाड़ी के पास भोगावो और साबरमती नदियों के बीच** स्थित है।
  - यह **सिंधु-घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर** रहा है। यहां से **विश्व के सबसे पुराने मानव निर्मित गोदीवाड़ा (ड्राई-डॉक)** के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह गोदीवाड़ा **2400 ईसा पूर्व** का है।
    - लोथल में गोदीवाड़ा की खोज से उस अवधि के दौरान **समुद्री ज्वार, पवन और अन्य समुद्री कारकों के बारे में जानकारी** मिलती है।
- **प्रमुख परियोजनाएं:** विरासत परिसर में **विश्व स्तरीय लाइटहाउस संग्रहालय**, **तटीय राज्य पवेलियन, समुद्री-थीम वाला इको-रिज़ॉर्ट** आदि शामिल हैं।

भारत की समुद्री विरासत के बारे में

- **प्राचीन विरासत (3000-2000 ईसा पूर्व):** सिंधु घाटी सभ्यता का **मेसोपोटामिया** के साथ समुद्री मार्ग से व्यापारिक संबंध था।

- **वैदिक युग (2000-500 ईसा पूर्व):** समुद्री गतिविधियों का सबसे प्रारंभिक उल्लेख **ऋग्वेद** में प्राप्त होता है।
- **नंद और मौर्य युग (500-200 ईसा पूर्व):** मगध साम्राज्य की नौसेना को **विश्व के इतिहास में दर्ज पहली नौसेना** माना जाता है।
- **सातवाहन राजवंश (200 ईसा पूर्व-220 ईस्वी):** वे **जहाजों के प्रतीक वाले सिक्के जारी करने वाले पहले भारतीय शासक** थे।
- **गुप्त राजवंश (320-500 ईस्वी):** गुप्त शासकों ने भारत के **पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कई बंदरगाहों का विकास** किया था। इससे **यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री व्यापार को पुनर्जीवित करने में मदद** मिली थी।
- **मराठा:** शिवाजी के अधीन **मराठा नौसेना के पास 500 से अधिक जहाज** थे। इस तरह उनके पास **मजबूत नौसेना** थी।
- **दक्षिण भारत के राजवंश: चोल, चेर, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य** अपने समुद्री संसाधनों के लिए विख्यात थे।

8.4.4. असम के 8 उत्पादों को GI टैग मिला (Geographical Indications Tag to 8 Assam Products)

चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने असम के आठ उत्पादों को GI टैग प्रदान किया है।

उत्पादों के बारे में

- इन उत्पादों में **पारंपरिक रूप से किण्वित चावल आधारित तीन मादक पेय** शामिल हैं। ये पेय हैं- **बोडो जौ गोरान , बोडो जौ गिशी और मैबरा जौ बिडवी।**
- **इन उत्पादों में चार पारंपरिक व्यंजन भी शामिल हैं:**
  - **बोडो नेफाम:** यह **किण्वित मछली** से बना व्यंजन है।
  - **बोडो ओंडला:** यह **चावल के पाउडर की करी** है।
  - **बोडो ग्वखा:** स्थानीय तौर पर इसे **'ग्वका ग्वखी'** कहा जाता है। इसे **बिविसागु उत्सव** के दौरान तैयार किया जाता है।
  - **बोडो नारज़ी:** यह **जूट के पत्तों से बना अर्ध-किण्वित खाद्य** है।
- **बोडो अरोनाई:** एक पारंपरिक **शॉल या दुपट्टा** है।

8.4.5. राष्ट्रमंडल खेल (CWG) 2026 {Commonwealth Games (CWG) 2026}

हाल ही में, **राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण का अनावरण** किया गया। इसमें केवल **10 खेल** शामिल हैं। इस संस्करण का आयोजन **ग्लासगो** में किया जाएगा।

राष्ट्रमंडल खेल (CWG) 2026 के बारे में

- जिन **12 श्रेणियों** में भारत ने 2022 CWG में पदक जीता था, उनमें से **6 को 2026 संस्करण से हटा** दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल **61 पदक** जीते थे। इनमें से **30 इन्हीं 6 श्रेणियों** में जीते गए थे।
  - इनमें **बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती** शामिल हैं।

राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में

- राष्ट्रमंडल खेल **पहली बार 1930 में हैमिल्टन (कनाडा)** में आयोजित किए गए थे।
- इन खेलों का आयोजन **प्रत्येक चार साल** में किया जाता है। भारत ने **2010 में दिल्ली** में इन खेलों की मेजबानी की थी।

8.4.6. पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल (Paryatan Mitra and Paryatan Didi Initiative)

पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय दायित्वपूर्ण पर्यटन पहल के रूप में **पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी** की शुरुआत की है।

इस पहल के बारे में

- इसका उद्देश्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना है। इसके लिए पर्यटकों को "अतिथ्य-प्रेमी" लोगों से मिलवाया जाएगा। ये लोग पर्यटक स्थलों के 'दूत' और 'कहानीकार' के रूप में कार्य करेंगे।

- यह कार्य **उन सभी व्यक्तियों को पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करके किया जा रहा है,** जो किसी पर्यटक स्थल पर पर्यटकों के साथ बातचीत एवं संवाद करते हैं।

- इसमें खाद्य पर्यटन, शिल्प पर्यटन जैसे पर्यटन-संबंधी नए उत्पादों और अनुभवों को विकसित करने के लिए **महिलाओं एवं युवाओं के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है।**

8.4.7. पौमई नागा जनजाति (Poumai Naga Tribe)

मणिपुर के सेनापति जिले के पुरुल गांव की पौमई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में **जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार, जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध** लगा दिया है।

पौमई नागा जनजाति के बारे में:

- यह मणिपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी **नागा जनजातियों में से एक है।**
- यह जनजाति **मणिपुर और नागालैंड** में निवास करती है।
- इस जनजाति के लोग **पौली (मिट्टी के बर्तन) और पौताई (पौ नमक)** उत्पादन के लिए जाने जाते हैं।
- **भाषा:** पौला

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. महात्मा गांधी और करुणा (Mahatma Gandhi and Compassion)

परिचय

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान-की-मून ने **करुणा** के संबंध में **महात्मा गांधी** के विचारों के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की स्थापना से बहुत पहले ही इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और उनका पालन किया था। गांधीजी ने नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे वैश्विक नेताओं को भी प्रेरित किया। निस्संदेह महात्मा गांधी के सभी प्रमुख मूल्य, जैसे- **अहिंसा, सत्य, शांति, न्याय** और **समावेशिता** भी करुणा की ठोस बाह्य अभिव्यक्तियां हैं।

करुणा क्या है?

- यह दूसरों के दुख के कारण उत्पन्न होने वाली भावना है, जिसमें **उस दुख को कम करने की इच्छा भी जागृत होती** है। यह **सहानुभूति** और **समानुभूति** से अलग है क्योंकि-
  - सहानुभूति (Sympathy) किसी दूसरे के **दुख या पीड़ा के प्रति दया या दुःख की भावना** है, जबकि समानुभूति (Empathy) **दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता** है। वहीं, करुणा **दूसरों के दुख को कम करने की इच्छा के साथ-साथ** सहानुभूति और समानुभूति दोनों का संयोजन है।
- यह **एक सार्वभौमिक नैतिकता** है, जो **सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक सीमाओं से कहीं बढ़कर** है।

महात्मा गांधी के कौन-से प्रमुख मूल्य करुणा को बढ़ावा देते हैं?

- **सत्याग्रह:** यह दूसरों को चोट पहुँचाए बिना अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का तरीका है।
  - गांधीजी का सत्याग्रह ब्रिटिश जमींदारों द्वारा **नील की खेती करने वाले किसानों के निर्मम शोषण** को देखने के बाद करुणा से प्रेरित हुआ था।
    - महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह साल 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले में शुरू किया था।
- **समानता:** गांधीजी ने अस्पृश्यता को एक अभिशाप माना। भेदभाव का शिकार हुए लोगों के प्रति उनकी करुणा ने उन्हें इसके खिलाफ लड़ने हेतु प्रेरित किया।
  - उन्होंने **महिला सशक्तीकरण** के लिए भी काम किया और महिलाओं को त्याग तथा अहिंसा की प्रतिमूर्ति बताया।
- **मानवता के प्रति सम्मान:** गांधीजी के मन में अत्याचारियों के प्रति भी दया थी और उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से नफरत नहीं की।
- **दया:** गांधीजी ने **शाकाहार** को अपना **जीवन दर्शन** बनाया था और नैतिक आधार पर जानवरों के वध की निंदा करते थे।
  - उनका कहना था कि "चिकित्सकीय सलाह के बावजूद मैं भूख से मरना पसंद करूंगा, लेकिन जानवरों का मांस नहीं खाऊंगा।"
- **सर्वोदय (सभी का कल्याण):** उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर को देखा और माना कि मानवता की सेवा के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है।
- **अहिंसा:** यह परम लक्ष्य यानी सत्य को प्राप्त करने का एक साधन है। अहिंसा का उनका मूल्य एक सकारात्मक अवधारणा थी, जो किसी को चोट न पहुँचाने या हिंसा न करने के विचार के साथ-साथ निःस्वार्थ कार्य के प्रति प्रेम का प्रचार भी करती थी।
- उन्होंने **सत्य को एक सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में माना,** जिसे न केवल शब्दों में बल्कि विचारों में भी लागू किया जाना चाहिए।
- **प्रकृति के प्रति चिंता:** उन्होंने बड़े पैमाने पर **शहरीकरण से होने वाले नुकसान** का जिक्र कर प्रकृति तथा जैव विविधता के संरक्षण का आह्वान किया।
  - उनके अनुसार, "पृथ्वी में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं।"

- **परोपकारिता या आत्म-बलिदान: गांधीजी का समाज के लिए निःस्वार्थ तरीके से कार्य करना** दूसरों के प्रति उनकी परोपकारिता और करुणा का एक उदाहरण है।
    - "जब भी आप संदेह में हों, या जब अहंकार बहुत बढ़ जाए, तो उस सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर आदमी का चेहरा याद कीजिए जिसे आपने देखा हो और खुद से पूछिए कि आप जो कदम उठाने की सोच रहे हो, क्या उससे उसे कोई फायदा होगा।"
- **ट्रस्टीशिप की अवधारणा:** गांधीजी के अनुसार, जमींदारों व अमीर लोगों को अपनी संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए, जैसे उन्होंने अपनी संपत्ति और भौतिक वस्तुओं के अधिकार आम लोगों को समर्पित कर दिए हैं।

महात्मा गांधी द्वारा बताए गए सात घातक सामाजिक पाप

- **कर्म के बिना धन:** यह श्रम किए बिना या बिना कुछ किए कुछ पाने को दर्शाता है। उदाहरण के लिए- बिना काम किए या अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न किए बिना, बाजारों और परिसंपत्तियों में हेरफेर करना।
- **विवेक के बिना आनंद:** जिम्मेदारी की भावना के बिना सुख भोगना।
- **चरित्र के बिना ज्ञान:** मजबूत और सिद्धांतवादी चरित्र के बिना थोड़ा या बहुत अधिक ज्ञान खतरनाक है।
- **नैतिकता के बिना वाणिज्य (व्यवसाय):** बिना किसी नैतिक आधार के आर्थिक प्रणालियों को संचालित होने देने से एक अनैतिक या भ्रष्ट समाज का निर्माण होता है।
- **मानवता के बिना विज्ञान:** प्रौद्योगिकी जिन उच्चतर मानवीय उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही है, उनके बारे में बहुत कम समझ होना।
- **त्याग के बिना धर्म:** सामाजिक समस्याओं से निपटने की कोशिश किए बिना केवल धर्म के सामाजिक मुखौटे पर चलना।
- **सिद्धांत विहीन राजनीति:** अच्छी और बुरी राजनीति के बीच का अंतर सिद्धांतों तथा इसमें शामिल लोगों के उद्देश्य में निहित है।

करुणा के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता

- **जलवायु संकट का समाधान करना: प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने का गांधीजी का दर्शन** जलवायु संकट से निपटने में **विशेष रूप से प्रासंगिक** है।
- **समकालीन संघर्ष का समाधान:** "पाप से नफरत करो, पापी से नहीं" - इस संबंध में उनका दृष्टिकोण मानवीय गरिमा को बनाए रखते हुए उन लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिनसे हम असहमत हैं।
- **आर्थिक संकट से निपटना:** गांधीजी के अनुसार, अर्थशास्त्र का सही मायने में अर्थ सामाजिक न्याय के माध्यम से सभी की भलाई को समान रूप से बढ़ावा देना है।
    - उनका ध्यान **आत्मनिर्भरता, उत्पादन केंद्रों के विकेन्द्रीकरण, ट्रस्टीशिप के विचार,** आदि पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समावेशी आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा देना था।
- **सामाजिक परिवर्तन की ताकत:** महात्मा गांधी के विचारों को स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों में उपयोग में लाया जा रहा हैं, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरणादायी आंदोलनों का काम कर रहे हैं।
- **समाज में विखंडन से निपटना:** समावेशी आध्यात्मिकता का उनका दृष्टिकोण सभी धर्मों का सम्मान करता है। यह अंतर-धार्मिक संवाद के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

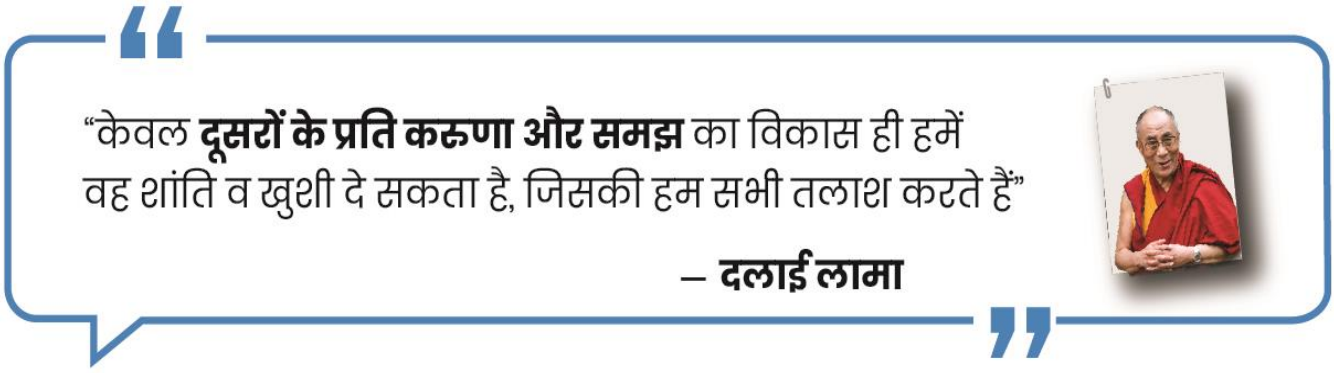

करुणा को आत्मसात करने के लिए आगे की राह

- **बचपन से ही करुणा को आत्मसात करना:** सहायता और प्रेरणा प्रदान करने से बच्चों में दूसरों के प्रति जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। इससे उन्हें भविष्य में दयालु व्यक्ति या नेतृत्वकर्ता बनने में मदद मिलेगी।
- **सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना:** इसमें सामाजिक क्षेत्रों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझना और उनके समाधान के लिए पहलें शुरू करना शामिल है।
- **आत्म-करुणा का अभ्यास करना:** दूसरों की पीड़ा और भावनाओं को समझने में सक्षम होने के लिए, सबसे पहले खुद की पीड़ा और भावनाओं पर विचार करना होगा।
- **गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करना:** धैर्य रखने और दूसरों तथा खुद की गलतियों के लिए क्षमा करने पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देना चाहिए।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी के मूल्य परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में अत्यधिक प्रभावी बने हुए हैं, जो करुणा, समानता और प्रगति युक्त भविष्य प्राप्त करने के लिए ज्ञान से सुसज्जित और सशक्त नागरिकों की एक पीढ़ी को तैयार करते हैं। उनकी मान्यताएं वर्तमान चुनौतियों से निपटने में भारत के साथ-साथ पूरे विश्व को भी प्रेरित करती हैं।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

हाल ही में, आप योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रखंड विकास अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। अपनी पढ़ाई के उद्देश्य से आप अपने पैतृक गांव से दूर एक महानगर में चले गये थे। रिजल्ट की घोषणा के बाद, आप लगभग 5 वर्षों के बाद अपने गांव जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचकर, आप अपनी मौसी से मिलते हैं, जो एक वर्ष पहले विधवा हो गई थीं। आपने देखा कि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जैसे कि उन्हें पारिवारिक समारोहों में शामिल नहीं होने दिया जाता है, रसोई और घर के मुख्य क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है, आदि। इससे परेशान होकर आपने अपने माता-पिता से बात करने का फैसला किया, जिन्होंने आपको बताया कि वहां के ग्रामीण विधवा महिलाओं को अपशकुन मानते हैं और उनसे दूरी बनाए रखते हैं। 21वीं सदी में आपके गांव और अपने घर में ऐसी मान्यताओं की मौजूदगी ने आपको परेशान कर दिया है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. करुणा को परिभाषित करते हुए सुझाव दीजिए कि दूसरों के प्रति करुणा के गुणों को आत्मसात करने से भेदभावपूर्ण सामाजिक समस्याओं से निपटने में कैसे मदद मिलेगी?
2. इसमें शामिल प्रमुख हितधारकों की पहचान कीजिए और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों पर चर्चा कीजिए।
3. आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे कि आपके गांव से ऐसी मान्यताएं खत्म हो जाएं?

9.2. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व: रतन नवल टाटा (1937-2024) {Personality in Focus: Ratan Naval Tata (1937-2024)}

परिचय

हाल ही में, टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा का निधन हो गया और इसके साथ ही एक महान युग का भी अंत हो गया। वे एक ऐसे प्रभावशाली व्यावसायिक दिग्गज थे, जिन्हें **करिश्माई और परिवर्तनकारी नेतृत्व कौशल** के लिए जाना जाता था। उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण (2000) और पद्म विभूषण (2008) से सम्मानित किया गया था।

प्रारंभिक जीवन

- **जन्म:** 28 दिसंबर, 1937 (मुंबई)
- **स्नातक:** उन्होंने **कॉर्नेल विश्वविद्यालय** से **आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग** में **ग्रेजुएशन की डिग्री** हासिल की थी। इसके बाद **हार्वर्ड बिजनेस स्कूल** से **एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कोर्स** भी किया था।

- **करियर:** भारत लौटने के बाद **IBM ने उन्हें जॉब ऑफर** की थी, लेकिन उन्होंने जे.आर.डी. टाटा के आग्रह पर **1962** में **टाटा इंडस्ट्रीज** में शामिल होने का फैसला किया।

रतन टाटा के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख मूल्य

- **सादगी भरा जीवन:** रतन टाटा ने **सादगी भरी जीवन शैली को अपनाया, लाइमलाइट से दूर रहे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित** किया।
  - उन्होंने आज के दिखावे से प्रेरित उपभोक्तावादी समाज में भी **सादा जीवन और उच्च विचार** का उदाहरण प्रस्तुत किया।
- **अनुकूलनशीलता और दृढ़-निश्चय:** कई बाधाओं के बावजूद, रतन टाटा ने **2008 में टाटा नैनो परियोजना** शुरू की, जिसके जरिए मध्यम वर्ग के भारतीयों को सस्ती कारें उपलब्ध कराई जा सकीं।
- **दूरदर्शिता:** उनकी रणनीतिक सोच की बदौलत **टाटा समूह का पूरे विश्व भर में विस्तार** हुआ। उनके नेतृत्व में **टाटा समूह** का राजस्व 4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन डॉलर तक हो गया।
- **नेतृत्व:** उनके नेतृत्व में **विनम्रता** और **व्यावहारिक भागीदारी** जैसे गुण देखने को मिलते हैं।
  - वर्ष 1962 में उन्होंने टाटा समूह से जुड़कर अपना करियर शुरू किया। उन्होंने **जमीनी स्तर की जटिलताओं को समझने के लिए** टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम भी किया।
- **समानुभूति:** उनके नेतृत्व में, टाटा ट्रस्ट ने अपने परोपकारी कार्यों का विस्तार किया। यह समाज के प्रति कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी की गहरी भावना को दर्शाता है।
  - **प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों** के समय राहत संबंधी प्रयासों में वे और टाटा समूह हमेशा सबसे आगे रहे।
- **सेवा की भावना:** टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने **आतंकी हमले के बाद ताज होटल के जीर्णोद्धार का नेतृत्व किया** और **प्रभावित कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्तर पर सहायता प्रदान** की।

रतन टाटा के जीवन से महत्वपूर्ण सबक

- **करुणापूर्ण पूंजीवाद (Compassionate Capitalism):** उन्होंने **"करुणापूर्ण पूंजीवाद"** की भावना को मूर्त रूप दिया और व्यावसायिक सीमाओं तथा बोर्डरूम से परे जाकर **समाज और उद्योग** जगत में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।
  - उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि टाटा समूह की संपत्ति का उपयोग राष्ट्र की सेवा में भी हो। **टाटा संस के लाभांश का 60-65% हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे धर्मार्थ कार्यों के लिए** व्यय किया जाता है।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:** उनका दृष्टिकोण **भागीदारीपूर्ण और बॉटम-अप एप्रोच** तथा वंचित वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने जैसे स्तंभों पर आधारित था।
- **सामाजिक कल्याण में योगदान:** रतन टाटा अपने व्यापारिक प्रयासों से आगे बढ़कर **परोपकारी कार्यों के लिए गहराई से प्रतिबद्ध** थे।
  - उन्होंने भारत के **पहले कैंसर अस्पताल की स्थापना** की।
- **व्यावसायिक नैतिकता:** वे **नैतिक नेतृत्व** में दृढ़ विश्वास रखते थे और **अल्पकालिक लाभ** की तुलना में **मजबूत नैतिक सिद्धांतों, सत्यनिष्ठा और सामाजिक कल्याण को अधिक प्राथमिकता** देते थे।
  - उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि **व्यवसाय का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ग्राहकों और हितधारकों के लिए नैतिक रूप से सही काम करना भी** है।
- **उद्यमिता को बढ़ावा देना:** उन्होंने कई उभरते स्टार्ट-अप्स में निवेश किया, जैसे- कैशकरो, स्नैपडील, ओला कैब्स, डॉगस्पॉट, टीबॉक्स इत्यादि। इससे देश में **नवाचार की संस्कृति** को प्रोत्साहन मिला।
- **संधारणीयता को बढ़ावा:** टाटा समूह ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - पेटा इंडिया द्वारा रतन टाटा को उनकी अविन्या कॉन्सेप्ट कार में वीगन (Vegan) इंटीरियर के उपयोग के लिए **काऊ-फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड** से सम्मानित किया गया था।
- **ग्लोबल फुटप्रिंट:** उनके नेतृत्व में, टाटा समूह ने जगुआर लैंड रोवर और कोरस जैसी कंपनियों का अधिग्रहण कर टाटा समूह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया। इससे वैश्विक मंच पर टाटा समूह एवं देश की स्थिति मजबूत हुई।

निष्कर्ष

रतन टाटा का जीवन **नैतिक नेतृत्व** का प्रतीक था, जिससे हमें **करुणा, मजबूत नेतृत्व, विनम्रता और दृढ़ता** जैसे मूल्यवान सबक प्राप्त होते हैं। उन्होंने **LGBTQ को समान अवसर देने** से लेकर **टाटा समूह की कंपनियों** में कई सुधार किए। इसलिए, रतन टाटा का जीवन युवाओं, व्यवसायों और सिविल सेवकों आदि सहित सभी वर्गों के लिए मूल्यवान सबक और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इसकी मदद से न्यूज-पेपर पढ़ना काफी आसान हो जाता है और अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं।

न्यूज़ पेपर रीडिंग को आसान बनाने के लिए रोजाना 4 पेज की बुलेटिन

खंड: दिन की मुख्य सुर्ख़ियां, संक्षिप्त सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व/स्थल पर विशेष ध्यान

द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे कई स्रोतों से कवरेज

हालिया घटनाक्रमों की कवरेज और सुर्ख़ियों में रहे जटिल टर्म्स, घटनाक्रमों को समझने में मदद

देखिए
रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे PDF को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को **स्कैन कीजिए**

फास्ट ट्रैक कोर्स 2025

सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स

क्या आप "प्री" के लिए तैयार हैं?

इस कोर्स का उद्देश्य

GS प्रीलिम्स कोर्स विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है जो GS पेपर I की तैयारी में अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें GS पेपर I प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, विगत वर्षों के UPSC पेपर का विश्लेषण और Vision IAS के क्लासरूम टेस्ट की प्रैक्टिस एवं चर्चा शामिल होगी। हमारा लक्ष्य है कि अभ्यर्थी बेहतर परफॉर्म करें और कोर्स पूरा करने के बाद अपने प्रीलिम्स स्कोर में एक बड़ा सुधार करें।

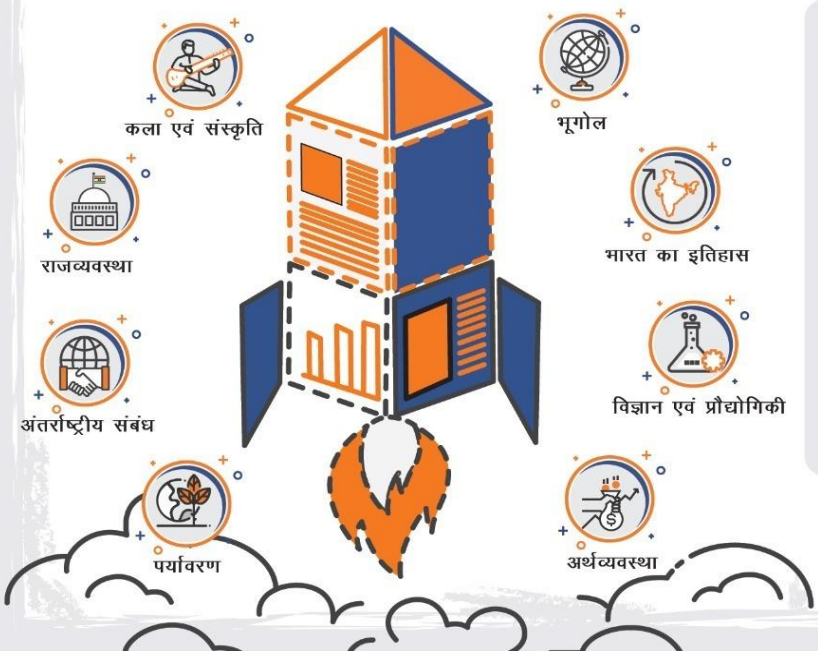

इसमें निम्नलिखित शामिल है:

- पर्सनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तक पहुंच
- प्रीलिम्स सिलेबस के लिए विस्तृत, प्रासंगिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी
- PT 365 की कक्षाएं
- सेक्शनल मिनी टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स

हिंदी माध्यम
21 नवंबर, शाम 6 बजे

अंग्रेजी माध्यम
19 नवंबर, दोपहर 1 बजे

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM Rashtriya Krishi Vikas Yojana: PM-RKVY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** के तहत संचालित **सभी "केंद्र प्रायोजित योजनाओं"** को दो-मुख्य योजनाओं के तहत लाने को मंजूरी दी। ये दो मुख्य योजनाएं हैं:

- **प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY):** संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने हेतु और
- **कृषोन्नति योजना (KY):** खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्रक में आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु।

PM-RKVY के उद्देश्य	PM-RKVY की मुख्य विशेषताएं
• कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। • स्थानीय लोगों/ किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए **राज्यों को स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करना**। • **फसल पूर्व एवं फसल कटाई पश्चात कृषि अवसंरचना के विकास के माध्यम** से किसानों के प्रयासों को मजबूत करना, जिससे **गुणवत्तापूर्ण इनपुट, भंडारण, बाजार सुविधाओं आदि तक उनकी पहुंच में वृद्धि होगी** तथा किसान जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे। • मूल्य श्रृंखला संवर्धन से जुड़े उत्पादन मॉडल को बढ़ावा देना ताकि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके और साथ ही उत्पादन/ उत्पादकता को बढ़ाई जा सके। • **कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना**। इससे युवा कृषि की ओर आकर्षित होंगे।	• **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय • **वित्त-पोषण:** पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के मामले में केंद्र-राज्य अनुपात 90:10 प्रतिशत; अन्य राज्यों के लिए 60:40 प्रतिशत; केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता। • **पृष्ठभूमि:** RKVY की शुरुआत 2007-08 में एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य राज्यों को समग्र कृषि विकास के लिए स्थानीय जलवायु, संसाधनों और प्रौद्योगिकी पर विचार करते हुए व्यापक कृषि योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करना था। ○ 2017-18 में, इसे **RKVY-RAFTAAR (कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण/)**[87] में बदल दिया गया। नई अप्रोच के तहत कृषि उद्यमिता, नवाचार और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देते हुए फसल पूर्व और फसल कटाई बाद के अवसंरचना विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। ○ **व्यय वित्त समिति** की सिफारिश के अनुसार, **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं में बदलाव करके RKVY को 2022-23 से RKVY कैफेटेरिया योजना** के रूप में पुनर्गठित किया गया। • **राज्य स्तरीय अनुशंसा समिति की बैठक** (SLSC)[88]: संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, SLSC में अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है। • **योजना का फोकस:** राज्य सरकारें लघु और सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करेंगी। • **PM-RKVY में निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है:** ○ **मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन** ○ **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास** ○ **कृषि वानिकी** ○ **परम्परागत कृषि विकास योजना** ○ **फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि यंत्रीकरण** ○ **प्रति बूंद अधिक फसल (Per Drop More Crop: PDMC)** ○ **फसल विविधीकरण कार्यक्रम** ○ **कृषि स्टार्टअप के लिए एक्सेलरेटर फंड**

[87] Remunerative Approaches for Agriculture and Allied Sector Rejuvenation

[88] State Level Sanctioning Committee Meeting

10.1.1. कृषोन्नति योजना (Krishonnati Yojana: KY)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों का समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकास करना ताकि उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर लाभ को बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सके।	• **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय • **पृष्ठभूमि:** यह कृषि क्षेत्रक के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। इसे **2016-17 से कई योजनाओं/ मिशनों को एक अम्ब्रेला योजना के तहत शामिल करके लागू किया गया** है। • **कृषोन्नति के तहत शामिल प्रमुख उप-योजनाएं:** ○ बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH); ○ राष्ट्रीय तिलहन और आयल पाम मिशन (NMOOP); ○ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM); ○ राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA); ○ कृषि विस्तार पर उप-मिशन (SMAE); ○ बीज तथा पौध रोपण सामग्री पर उप मिशन (SMSP); ○ कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM); ○ पौध संरक्षण और पौध क्वारंटाइन पर उप-मिशन (SMPPQ) ○ कृषि गणना, अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना; ○ कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना; ○ कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (ISAM); ○ कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A); ○ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

संधारणीय कृषि के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #68: संधारणीय कृषि भाग–2: भारत की खाद्य प्रणालियों का रूपांतरण

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

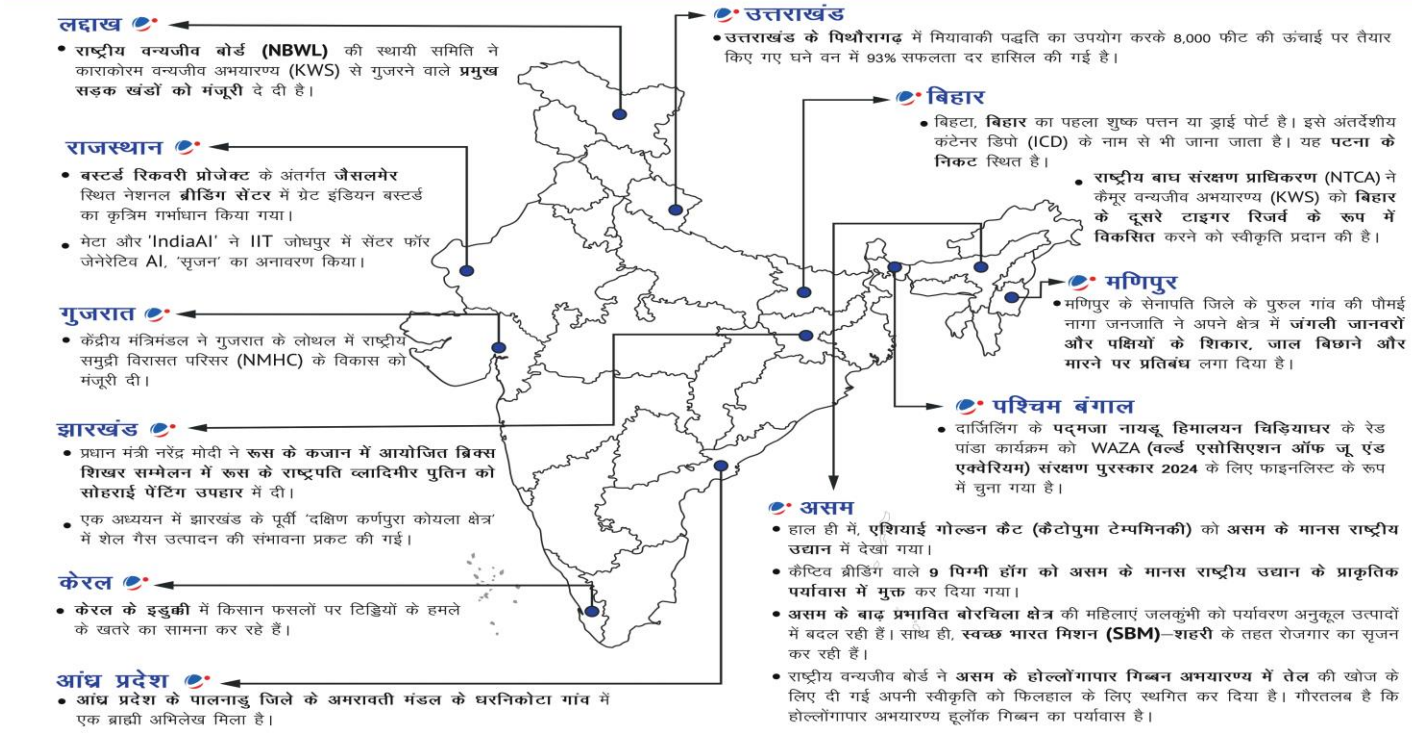

लद्दाख
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड **(NBWL)** की स्थायी समिति ने काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य (KWS) से गुजरने वाले **प्रमुख सड़क खंडों को मंजूरी** दे दी है।

राजस्थान
- **बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट** के अंतर्गत **जैसलमेर** स्थित नेशनल **ब्रीडिंग सेंटर** में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कृत्रिम गर्भाधान किया गया।
- मेटा और 'IndiaAI' ने IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जेनेरेटिव AI, 'सृजन' का अनावरण किया।

गुजरात
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के विकास को मंजूरी दी।

झारखंड
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने **रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार** में दी।
- एक अध्ययन में झारखंड के पूर्वी 'दक्षिण कर्णपुरा कोयला क्षेत्र' में शेल गैस उत्पादन की संभावना प्रकट की गई।

केरल
- **केरल के इडुक्की** में किसान फसलों पर टिड्डियों के हमले के खतरे का सामना कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश
- **आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के अमरावती मंडल के घरनिकोटा गांव** में एक ब्राह्मी अभिलेख मिला है।

उत्तराखंड
- **उत्तराखंड के पिथौरागढ़** में मियावाकी पद्धति का उपयोग करके 8,000 फीट की ऊंचाई पर तैयार किए गए घने वन में 93% सफलता दर हासिल की गई है।

बिहार
- बिहटा, **बिहार** का पहला शुष्क पत्तन या ड्राई पोर्ट है। इसे अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) के नाम से भी जाना जाता है। यह **पटना के निकट** स्थित है।
- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण** (NTCA) ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य (KWS) को **बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित** करने को स्वीकृति प्रदान की है।

मणिपुर
- मणिपुर के सेनापति जिले के पुरुल गांव की पौमई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में **जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार, जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध** लगा दिया है।

पश्चिम बंगाल
- दार्जिलिंग के **पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर** के रेड पांडा कार्यक्रम को WAZA **(वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम) संरक्षण पुरस्कार 2024** के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है।

असम
- हाल ही में, **एशियाई गोल्डन कैट (कैटोपुमा टेम्मिनकी)** को **असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान** में देखा गया।
- कैप्टिव ब्रीडिंग वाले **9 पिग्मी हॉग को असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक पर्यावास में मुक्त** कर दिया गया।
- **असम के बाढ़ प्रभावित बोरचिला क्षेत्र** की महिलाएं जलकुंभी को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों में बदल रही हैं। साथ ही, **स्वच्छ भारत मिशन (SBM)–शहरी** के तहत रोजगार का सृजन कर रही हैं।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने **असम के होल्लोंगापार गिब्बन अभयारण्य में तेल** की खोज के लिए दी गई अपनी स्वीकृति को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि होल्लोंगापार अभयारण्य हूलॉक गिब्बन का पर्यावास है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

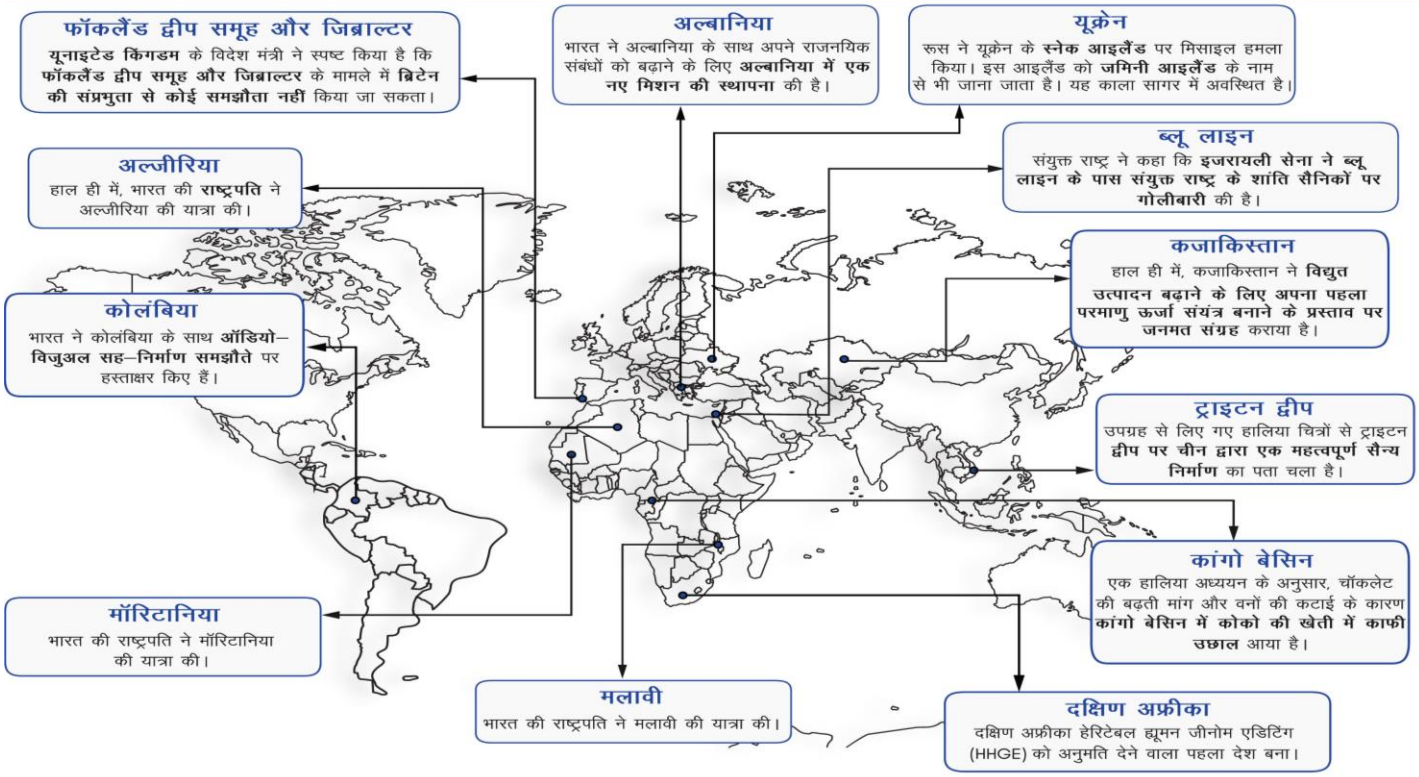

फॉकलैंड द्वीप समूह और जिब्राल्टर
यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि **फॉकलैंड द्वीप समूह और जिब्राल्टर** के मामले में **ब्रिटेन की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं** किया जा सकता।

अल्बानिया
भारत ने अल्बानिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को बढ़ाने के लिए **अल्बानिया में एक नए मिशन की स्थापना** की है।

यूक्रेन
रूस ने यूक्रेन के **स्नेक आइलैंड** पर मिसाइल हमला किया। इस आइलैंड को **जमिनी आइलैंड** के नाम से भी जाना जाता है। यह काला सागर में अवस्थित है।

ब्लू लाइन
संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि **इजरायली सेना ने ब्लू लाइन के पास संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर गोलीबारी** की है।

अल्जीरिया
हाल ही में, भारत की **राष्ट्रपति** ने अल्जीरिया की यात्रा की।

कजाकिस्तान
हाल ही में, कजाकिस्तान ने **विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह** कराया है।

कोलंबिया
भारत ने कोलंबिया के साथ **ऑडियो–विजुअल सह–निर्माण समझौते** पर हस्ताक्षर किए हैं।

ट्राइटन द्वीप
उपग्रह से लिए गए हालिया चित्रों से ट्राइटन **द्वीप पर चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण** का पता चला है।

कांगो बेसिन
एक हालिया अध्ययन के अनुसार, चॉकलेट की बढ़ती मांग और वनों की कटाई के कारण **कांगो बेसिन में कोको की खेती में काफी उछाल** आया है।

मॉरिटानिया
भारत की राष्ट्रपति ने मॉरिटानिया की यात्रा की।

मलावी
भारत की राष्ट्रपति ने मलावी की यात्रा की।

दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग (HHGE) को अनुमति देने वाला पहला देश बना।

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)

व्यक्तित्व	के बारे में	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 रानी दुर्गावती (1524–1564)	• **गढ़ा–कटंगा के गोंड साम्राज्य** की रानी दुर्गावती को उनकी 500वीं जयंती (05 अक्टूबर) पर याद किया गया। • **रानी दुर्गावती के बारे में** ▸ उनका जन्म **बांदा जिले (उत्तर प्रदेश) के कालिंजर** में हुआ था। ▸ वे **महोबा के चंदेल राजवंश की वंशज और मुगल सम्राट अकबर** की समकालीन थीं। • **प्रमुख योगदान** ▸ पति की मृत्यु के बाद **गोंड साम्राज्य की सत्ता** संभाली। ▸ **फ़ारसी भाषा में तारीख–ए–फ़रिश्ता** के अनुसार रानी दुर्गावती ने **मालवा के शासक बाज बहादुर का सामना** किया था। ▸ रानी विद्या की संरक्षक थी और **आचार्य विट्ठलनाथ** को गढ़ में **पुष्टिमार्ग पंथ की पीठ** स्थापित करने की अनुमति दी थी। ▸ रानी ने **रानीताल, चेरीताल और अधरताल** जैसे जलाशयों का निर्माण कराया था। ▸ समकालीन **मुगल सूबेदार अब्दुल माजिद खान** के खिलाफ अपनी मृत्यु तक संघर्ष किया और अपने राज्य की रक्षा की। ✓ मुगलों के साथ रानी के संघर्ष का उल्लेख अकबर के इतिहासकार **अबुल फजल**, और अन्य फारसी लेखकों ने किया है।	**दूरदर्शी नेतृत्व और साहस:** • उन्होंने शासन में दूरदर्शिता दिखाई, अपने राज्य की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाया और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया। • उन्होंने राज्य और सेना का बहादुरी नेतृत्व से किया।
 रानी चेन्नम्मा (1778–1829)	• **1824** में रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस जीत की **200वीं वर्षगांठ** के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। • **रानी चेनम्मा के बारे में** ▸ इनका **जन्म कर्नाटक के बेलगावी जिले के ककाती गांव** में हुआ था। ▸ उनका विवाह **देसाई वंश के राजा मल्लसर्ज** से हुआ था। इस प्रकार वह **कित्तूर (अब कर्नाटक)** की रानी बन गई थीं। ▸ अपने पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे **शिवलिंगप्पा** को गोद ले लिया था तथा उसे अपना **उत्तराधिकारी** घोषित किया था। ✓ हालांकि, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी **'डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स'** के तहत उसे उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। वैसे यह सिद्धांत उस समय व्यावहारिक रूप से लागू भी नहीं हुआ था। ▸ **कित्तूर विद्रोह (1824) के बारे में** ✓ इसे **ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ "पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह"** माना जाता है। साथ ही, यह महिलाओं के नेतृत्व में सबसे शुरुआती **उपनिवेश–विरोधी** संघर्षों में से भी एक है। ✓ **1824** में हुई पहली लड़ाई में ब्रिटिश हार गए थे, लेकिन बाद में रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया। **1829 में बैलहोंगल किले में कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई।**	**साहस और सहनशक्ति:** • वह भारत की पहली शासक थीं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने की हिम्मत दिखाई। उन्हें कर्नाटक में बहादुरी की प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है।

राजा रवि वर्मा (1848–1906)

- प्रख्यात आधुनिक भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा को उनकी **पुण्यतिथि (02 अक्टूबर) पर याद** किया गया।
- **राजा रवि वर्मा के बारे में**
  - **वे त्रावणकोर (केरल) के महाराजाओं** के परिवार से थे और उन्हें राजा कहकर संबोधित किया जाता था।
  - उन्हें **आधुनिक भारतीय कला का जनक** कहा जाता है।
  - **प्रमुख योगदान**
    - ✓ उन्होंने **तैलचित्रण और यथार्थवादी जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला में निपुणता प्राप्त** की थी।
    - ✓ उन्होंने **भारतीय पौराणिक कथाओं के विषयों पर** आधारित चित्रों में **रामायण और महाभारत** जैसे लोकप्रिय महाकाव्यों के प्रकरणों को चित्रित किया।
    - ✓ **सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियां: दमयंती हंस से बात करती हुई, शकुंतला दुष्यंत की तलाश में, नायर महिला अपने बालों को सजाती हुई तथा शांतनु और मत्स्यगंधा।**
  - **पुरस्कार**
    - ✓ **1904** में तत्कालीन **वायसराय लॉर्ड कर्जन ने** ब्रिटिश सम्राट की ओर से उन्हें **कैसर–ए–हिंद स्वर्ण पदक प्रदान** किया था।
      - * इस पुरस्कार के लिए दिए गए प्रशस्ति–पत्र में **उनके नाम के आगे पहली बार 'राजा' पद** उत्कीर्ण किया गया था।

कलात्मक सत्यनिष्ठा और सांस्कृतिक सम्मान:

- उन्होंने अपनी कलात्मक अभिव्यक्तियों में सत्यनिष्ठा और वास्तविकता के उच्च मानकों को बनाए रखा।
- उन्होंने अपनी कलाओं के जरिए भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं का सम्मान किया और पारंपरिक एवं आधुनिक शैलियों के बीच सेतु बनाया।

श्यामजी कृष्ण वर्मा (4 अक्टूबर, 1857 – 30 मार्च 1930)

- प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर याद किया।
- **श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में**
  - उनका जन्म **1857 में आधुनिक गुजरात** में हुआ था।
  - **योगदान:**
    - ✓ उन्होंने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के प्रसार के लिए **लंदन में इंडियन होमरूल सोसाइटी और इंडिया हाउस** की स्थापना की थी।
      - * श्याम जी से प्रेरित होकर **वीर सावरकर भी लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य** बने थे।
    - ✓ उन्होंने **'द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट'** नामक पत्रिका में अपने लेखों के माध्यम से भारत की आजादी का प्रचार किया था।
    - ✓ श्याम जी **बम्बई आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष** बने थे तथा दयानंद सरस्वती के प्रशंसक थे।
    - ✓ **1905 में इनर टेम्पल नामक एक संस्था ने उन्हें वकालत करने से प्रतिबंधित** कर दिया था। दरअसल औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया था। इस वजह से इनर टेम्पल ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था।
    - ✓ आलोचना का सामना करते हुए, श्याम जी ने अपना केंद्र इंग्लैंड से बदलकर **पेरिस** कर लिया और आंदोलन जारी रखा।

देशभक्ति और निस्वार्थता:

- राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित होकर, उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित करने का संकल्प लिया।

अशफाकउल्ला खान (1900–1927)

- हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अशफाकउल्ला खान को **उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि** अर्पित की गई।
- **अशफाकउल्ला खान के बारे में**
  - उनका **जन्म सन् 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर** में हुआ था।
  - **प्रमुख योगदान**
    - ✓ उन्होंने **राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन्द्र नाथ बख्शी और जोगेश चंद्र चटर्जी** के साथ मिलकर **1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन** की स्थापना की थी।
      - ★ इस संगठन ने **"द रिवोल्यूशनरी" शीर्षक वाले अपने घोषणा–पत्र** में एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से **संयुक्त राज्य भारत के एक संघीय गणराज्य की स्थापना** के अपने लक्ष्य को उजागर किया था।
  - उन्होंने **काकोरी ट्रेन कांड (1925)** में भाग लिया था। इस मामले में उन्हें **राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ फांसी की सजा** दी गई थी।

कलात्मक अभिव्यक्ति और नैतिक रूप से साहसी:

- उन्होंने कविता के माध्यम से अपनी क्रांतिकारी सोच को व्यक्त किया।
- अपनी मान्यताओं के लिए खड़े रहे और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गंभीर परिणामों का जोखिम उठाया।

लाल बहादुर शास्त्री (1904–1966)

- देश भर में **2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री** की जयंती मनाई गई।
- **लाल बहादुर शास्त्री के बारे में**
  - शास्त्री जी ने **1964 से लेकर 1966 तक भारत के प्रधान मंत्री** के रूप में कार्य किया था।
  - **योगदान**
    - ✓ **स्वतंत्रता पूर्व:** उन्होंने **असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन** में भाग लिया था।
      - ★ उन्होंने कई अभियानों का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश शासन के दौरान **सात वर्ष जेल में बिताए थे।**
  - **स्वतंत्रता के बाद:**
    - ✓ उन्होंने **1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध** का नेतृत्व किया था तथा खाद्य संकट का सामना कर रहे भारतीय सैनिकों और किसानों को **"जय जवान जय किसान"** के नारे से प्रेरित किया था।
    - ✓ उनके कार्यकाल के दौरान, **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और भारतीय खाद्य निगम** की स्थापना की गई थी।

राष्ट्रीय प्रगति के लिए सहनशक्ति और समर्पण:

- उन्होंने अद्वितीय सहनशक्ति दिखायी, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल गए।
- उन्होंने श्वेत क्रांति जैसी पहलों का नेतृत्व किया, जिससे देश के विकास के लिए कृषि की महत्ता को बढ़ावा मिला।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ऑफलाइन क्लासरूम, मेंटरिंग

SUPPORT SYSTEM & FACILITIES

VISIONIAS MUKHERJEE NAGAR (GTB NAGAR CENTRE)

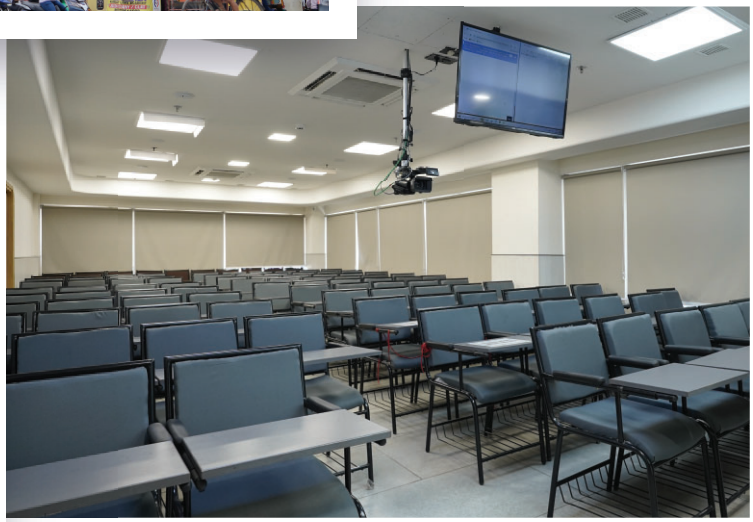

MAIN BUILDING WITH ENTRY/EXIT MARK

RECEPTION AREA

COUNSELING/MENTORING

FIRE EXIT PLAN

CLASSROOMS (CHAIRS/ENTRY/EXIT)

क्लासरूम प्रोग्राम : **Vision IAS** तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12–14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- **CSAT** क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज– मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, **PT365**, **Mains365**
- निबंध लेखन
- एथिक्स (**Ethics**)– एथिक्स क्रैश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- **GS** मेंस एडवांस कोर्स

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। **VisionIAS** पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए **Vision IAS** के **Innovative Assessment System™** द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (**GS Mains**) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया **GS** प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- **CSAT** टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (**Open Test**)
- **Abhyaas**– **Abhyaas Prelims & Mains**

मेंटरिंग कार्यक्रम – **UPSC** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडेमिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए **Vision IAS** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (**Daksha**): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (**Lakshya**): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए **Vision IAS** द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- **PT** 365
- **Mains** 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए **Vision IAS** द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- **PT** 365 एवं **Mains** 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (**PYQs**) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर **Vision IAS** द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन

ASHOK DUBEY SIR

MRITYUNJAY SIR

RAJEEV RANJAN SIR

SUNIL KUMAR SINGH SIR

= हिंदी माध्यम टॉपर =

Aditya Srivastava

मोहन लाल

अर्पित कुमार

Shubham Kumar
UPSC CSE 2020

Bajarang Prasad
UPSC CSE 2022

Vikas Gupta
UPSC CSE 2022

Jatin Parashar
UPSC CSE 2022

HEAD OFFICE
DELHI
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN | /VISION_IAS | /C/VISIONIASDELHI | VISION_IAS | /VISIONIAS_UPSC

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | JAIPUR | JODHPUR | GUWAHATI | HYDERABAD | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
20 नवंबर | 8 AM	12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

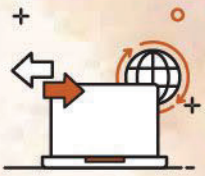

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज़ कर सकते हैं।

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

UPSC CSE 2026 सामान्य अध्ययन

UPSC Prelims 2025 10 years PYQ

Master Classes Series करेंट अफेयर्स

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची